



छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2025 सत्र

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

बस्तर संभागान्तर्गत भवनविहीन एवं अति जर्जर आश्रम/छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

1. (*क्र. 1721) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में ऐसे कौन-कौन से आश्रम/छात्रावास हैं, जो भवन विहीन अथवा अत्यंत ही जर्जर स्थिति हैं ? इन भवनों का संचालन कहां हो रहा है, कृपया बतावें ? (ख) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित आश्रम/छात्रावासों के मरम्मत, रंगरोगन हेतु कितनी-कितनी राशि जारी की गई? वर्ष 2023-24 व 2024-25 की जानकारी देवें ? (ग) वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कौन-कौन आश्रम/छात्रावास का क्या-क्या मरम्मत कार्य कराया गया? स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में 53 आश्रम तथा 48 छात्रावास भवन विहीन है तथा 36 आश्रम एवं 13 छात्रावास जर्जर स्थिति में है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है।

जिला बीजापुर अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पद

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 950) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जिला-बीजापुर में वर्ष 2024-25 में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कहां-कहां स्वीकृत व संचालित हैं? विकास खंडवार जानकारी देवें? (ख) इन विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संवर्ग के कितने पद स्वीकृत, भरे और रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कितने अतिथि शिक्षक और आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं? (ग) जनवरी, 2024 तक एकलव्य आदर्श विद्यालयों में राष्ट्रीय समिति के मापदण्ड अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा कितने अतिथि शिक्षक कार्य पर रखे गए थे और कितना बिना मापदण्ड वाले रखे गए थे? क्या नियम विरुद्ध चयन करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां तो सम्पूर्ण जानकारी देवें? यदि नहीं तो कारण बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला बीजापुर में वर्ष 2024-25 में विकासखण्डवार स्वीकृत एवं संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ"

अनुसार है। **(ख)** इन विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संवर्ग के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी तथा रिक्त पदों पर रखे गए अतिथि शिक्षक एवं आउटसोर्स कर्मचारी की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। **(ग)** जनवरी 2024 तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के मापदण्ड अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा कुल 37 अतिथि शिक्षक एवं बिना मापदण्ड वाले 08 अतिथि शिक्षक रखा गया था। जिसमें से बिना मापदण्ड 08 अतिथि शिक्षक रखे जाने के संबंध में कार्या. पत्र क्रमांक/EMRS/ 387/2023-24/8254, दिनांक 13.10.2023 द्वारा सहायक आयुक्त/सदस्य, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-बीजापुर (छ.ग.) को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए स्पष्टीकरण लिया गया था। राष्ट्रीय समिति के दिशा-निर्देश अनुसार दिनांक 20.07.2022 को अतिथि शिक्षकों के भर्ती हेतु मापदण्ड जारी किया गया था। राष्ट्रीय समिति के निर्देशानुसार CTET/STET पात्रता होना था, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रारंभ/ संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर योग्यताधारी उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य में लिया गया था। बिना मापदण्ड के 08 अतिथि शिक्षकों द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने पर जब तक नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हो, तब तक उन्हें कार्य पर रखे जाने हेतु मान. उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किया गया था। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राष्ट्रीय समिति के द्वारा जिला स्तर पर नियुक्त अतिथि शिक्षकों के स्थान पर 82 नियमित शिक्षकों की भर्ती की गई है। भर्ती के पश्चात् 42 शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों में वर्तमान में 02 अतिथि शिक्षक निर्धारित मापदण्ड अनुसार कार्यरत है। वर्तमान में बिना मापदण्ड वाले अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - एक" \]](#)

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की भर्ती

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. (*क्र. 1599) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे गए है ? **(ख)** सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब तक प्रारंभ की जावेगी? नहीं तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 08 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध 05 पद भरे है। **(ख)** वित्त विभाग से सहमति उपरांत भर्ती प्रक्रिया की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

बस्तर संभाग अंतर्गत संचालित उद्योगों, खदानों द्वारा किया गया वृक्षारोपण

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (*क्र. 1612) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मेसर्स एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड ग्राम नगरनार, जिला बस्तर एवं मेसर्स जायसवाल नीको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड आयरन ओर माइन, छोटे डोगर, जिला नारायणपुर में उद्योग स्थापना अनुज्ञा एवं खनिज पट्टा जारी करते समय वृक्षारोपण एवं ग्रीन बेल्ट निर्माण के संबंध क्या-क्या नीति नियम शर्तें निर्धारित की गई थीं? अनुज्ञा एवं पट्टा की अनापत्ति कब जारी की गयी है? कितने अवधि में वृक्षारोपण/ग्रीनबेल्ट निर्माण किया जाना नियत किया गया था? अनापत्ति की शर्तों के उल्लंघन में क्या-क्या दण्ड प्रावधान किया गया है? **(ख)** 01 फरवरी, 2025 की स्थिति में उपरोक्त संचालित उद्योग/खदानों द्वारा कितना-कितना वृक्षारोपण कहां-कहां किया गया है? **(ग)** उद्योगों/खदानों द्वारा अपेक्षित वृक्षारोपण नहीं करने पर विगत 03 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गई

है? जानकारी दें? **(घ)** मेसर्स एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड नगरनार द्वारा उद्योग से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु क्या उपाय किए गए हैं? अपशिष्ट डिस्पोजन कहां किया जाता है एवं उससे होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** मेसर्स एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड, नगरनार, जिला बस्तर को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा वर्तमान क्षमता हेतु जारी जल एवं वायु सम्मति में कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत क्षेत्रफल में चरणबद्ध तरीके से वृक्षारोपण किए जाने की शर्त निहित है। मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आयरन ओर माइन, छोटेडोंगर, जिला नारायणपुर को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा वर्तमान क्षमता हेतु जारी जल एवं वायु सम्मति में दिसम्बर 2025 तक खदान के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों यथा वेस्ट डंप एरिया, आंतरिक मार्ग आदि में वृक्षारोपण किए जाने की शर्त निहित है। खनिज विभाग जिला नारायणपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आयरन ओर माइन, छोटेडोंगर, जिला नारायणपुर को कुल 42000 नग पौधे, पट्टे समझौते की वैधता अवधि के भीतर लगाया जाना है, जो कि 50 वर्ष निर्धारित है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा मेसर्स एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड, नगरनार, जिला बस्तर को दिनांक 28/08/2010 को स्थापना सम्मति (26/09/2018 को स्थापना सम्मति संशोधन/वैधता वृद्धि) एवं दिनांक 13/09/2019 को संचालन सम्मति जारी की गई। मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आयरन ओर माइन, छोटेडोंगर, जिला नारायणपुर को वर्तमान क्षमता हेतु दिनांक 05/07/2021 को स्थापना सम्मति एवं दिनांक 02/11/2021 को संचालन सम्मति जारी की गई। मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आयरन ओर माइन, छोटेडोंगर, जिला नारायणपुर को कलेक्टर, जिला बस्तर द्वारा मूल खनि पट्टा दिनांक 21/06/2005 को तथा कलेक्टर, जिला नारायणपुर द्वारा पूरक खनि पट्टा दिनांक 08/08/2017 को संपादित किया गया, जिसके अनुसार वैधता दिनांक 20/06/2055 तक है। वृक्षारोपण संबंधी शर्तों का उल्लंघन नहीं होने के कारण शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** मेसर्स एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड, नगरनार, जिला बस्तर द्वारा 01 फरवरी, 2025 की स्थिति में उद्योग परिसर के भीतर 131 हेक्टेयर भूमि में 3,27,500 नग वृक्षारोपण किया गया है। मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आयरन ओर माइन, छोटेडोंगर, जिला नारायणपुर द्वारा 01 फरवरी, 2025 की स्थिति में खदान के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा क्षेत्र में 5730 नग, ओ.बी. डंप क्षेत्र में 1495 नग तथा आंतरिक मार्गों में 350 नग पौधों का रोपण किया गया है। **(ग)** उद्योगों/ खदानों द्वारा अपेक्षित वृक्षारोपण किए जाने के कारण कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** मेसर्स एन.एम.डी.सी. स्टील लिमिटेड, नगरनार, जिला बस्तर से ठोस अपशिष्ट के रूप में बी.एफ. ग्रेनूलेटेड स्लैग जनित होता है, जिसे सीमेंट प्लांट को विक्रय किया जाता है। परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में जनित होने वाले यूज़ड ऑइल, ऑइल युक्त अपशिष्ट, एम्टी बेरल, ऑइल एवं ग्रीस स्कीमिंग को अधिकृत रिसायकलर्स को प्रदाय किया जाता है एवं डिकेन्टर टार स्लज, ऑइल कन्टामिनेटेड स्लज एवं बीओडी प्लांट स्लज को उद्योग के कोक ओवेन प्लांट में पुनः उपयोग किया जाता है। उद्योग से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्टों का निपटान सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से किए जाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की संभावना नहीं है।

रायपुर नगर में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 1024) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर नगर में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान तैयार करने में किन-किन अधिकारी/कर्मचारीगणों की सहभागिता थी ? एक-एक नाम, पदनाम सहित पूर्ण विवरण दें। **(ख)** क्या किसी भी शहर का मास्टर प्लान तैयार करते समय शहर में भविष्य में पार्किंग की व्यवस्था, उद्यान का विस्तार, खेल मैदान की पर्याप्त संख्या, आम सभा या किसी

बड़े कार्यक्रम के लिए विशाल स्थल, नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए चौड़ी-चौड़ी सड़कें, आदि गार्डलार्इन का ध्यान रख मास्टर प्लान तैयार किया जाता है? यदि हां तो क्या इस मास्टर प्लान को तैयार करते समय इन सब विषयों का ध्यान रखा गया? यदि नहीं तो क्यों तथा इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? जिम्मेदारी का निष्पादन नहीं करने वालों पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) रायपुर नगर में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान तैयार करने में सम्मिलित योजना दल में विभिन्न अधिकारी/कर्मचारीगणों की सहभागिता थी, जो निम्नानुसार है:- (1) श्री जय प्रकाश मौर्य (आई.ए.एस.), संचालक (2) श्री संदीप बांगड़े, अपर संचालक (3) श्री भानुप्रताप सिंह पटेल, उपसंचालक (4) श्रीमती कमला सिंह, सहायक संचालक (5) श्रीमती रोजी सिन्हा, सहायक संचालक (6) श्रीमती मेघा चावड़ा, सहायक संचालक (7) श्री गणेश राम तुरकाने, सहायक संचालक (8) श्री ऐश्वर्य जायसवाल, सहायक संचालक (9) श्री चन्द्रशेखर जगत, सहायक संचालक (10) श्रीमती हेमा सिंह, वरिष्ठ शोध सहायक (11) श्रीमती ललिता अनिल बघेल, वरिष्ठ शोध सहायक (12) श्रीमती ममता दुबे, वरिष्ठ शोध सहायक (13) श्रीमती यमुना ध्रुव, वरिष्ठ मानचित्रकार (14) श्री बी. केरकट्टा, उप-अभियंता (15) श्री विवेक भारती, सहायक मानचित्रकार(ख)जी हों। उक्त के संबंध में (यू.आर.डीपीएफआई) दिशा निर्देशों एवं नियोजन मापदण्डों के अनुसार मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। जी, हाँ। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दुर्ग संभाग अंतर्गत अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

6. (*क्र. 1662) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) भारत सरकार से संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी, 2025 तक दुर्ग संभाग को कितनी राशि प्राप्त हुई है ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक "क" के प्राप्त राशि से कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से निर्माण कार्य कितने-कितने लागत के स्वीकृत किये गये ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें ? (ग) उक्त अवधि में किन-किन फर्मों/एजेंसियों द्वारा कार्य किया गया है ? उसकी भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) भारत सरकार से संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी 2025 तक दुर्ग संभाग को राशि रू. 1357.33 लाख प्राप्त हुई है। वर्षवार/जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में अमानक बीज का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (*क्र. 1654) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए आवश्यक बीज की मात्रा किन-किन श्रेणी की एवं कितनी निर्धारित की गई है? निर्धारित मात्रा के विरुद्ध कितनी मात्रा में बीज का भंडारण किया गया है? विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ख) क्या कृषकों को बीज वितरण पूर्व बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा भंडारित बीज का प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया था ? (ग) यदि हां, तो संस्था द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद कितनी मात्रा में बीज अमानक पाए गए? वितरित अमानक बीज से प्रभावित कृषकों को क्या लाभ दिया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड कवर्धा, सहसपुर लोहारा एवं पण्डरिया विकासखण्ड हेतु खरीफ 2024-25 में प्रमाणित श्रेणी के बीजों की आंकलित आवश्यक मात्रा एवं भण्डारण की विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) बीज क्रेता कृषक को बीज वितरण/क्रय से पूर्व भण्डारित बीज का "बीज प्रमाणीकरण संस्था" द्वारा प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्रावधानित नहीं है, अपितु विक्रय/वितरण हेतु भण्डारित प्रमाणित श्रेणी के बीज की बोरियों में नीले रंग के टैग का प्रावधान है, जो बीज प्रमाणीकरण का प्रमाण होता है। (ग) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्डों में बीजों के गुण नियंत्रण हेतु भण्डारण केन्द्रों से यादृच्छिक रूप से नमूने परीक्षण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किये गये, विश्लेषण उपरांत सभी नमूने मानक स्तर के पाये गये तथा कृषकों को वितरित किये गये बीजों के अमानक होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

जांजगीर-चाम्पा जिले में कृषि उपकरण व अन्य सामग्री का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

8. (*क्र. 1583) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चाम्पा जिला में बीज विकास निगम द्वारा 01 जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कौन-कौन से कृषि उपकरण व अन्य सामग्री कितनी-कितनी राशि से किन-किन फर्म/एजेंसियों से क्रय की गई? जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) में पूछी गई अवधि में क्रय की गई सामग्री कितने हितग्राहियों को वितरित की गई? सामग्रीवार, विकासखण्डवार हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या उक्त की गई सामग्री/उपकरण खरीदी में गुणवत्ता व अन्य संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा चैम्पस प्रणाली अंतर्गत कृषि उपकरण व अन्य सामग्री क्रय नहीं की जाती अपितु कृषकों को अनुदान पर वितरित की जाती है। 01 जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक कृषकों को अनुदान पर वितरित कृषि उपकरण व अन्य सामग्री की फर्मवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के जिला कार्यालय द्वारा 01 जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक रेशम विभाग के मांग अनुसार प्रदाय सामग्री की राशि एवं फर्मों की **जानकारी पुस्तकालयमें रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश (क) में पूछी गई अवधि में क्रय की गई सामग्री कुल 738 हितग्राहियों को अनुदान पर वितरित की गई है। सामग्रीवार, विकासखण्डवार हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** प्रपत्र "ब" के परिपेक्ष्य में सामग्री हितग्राहियों को नहीं अपितु मनरेगा केन्द्रों में नर्सरी कार्य हेतु वितरित की गई है। (ग) प्रश्नांश अवधि में सामग्री/उपकरण के गुणवत्ता के संबंध में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं है।

रेरा में बिल्डरों/कॉलोनाइजर्स के पंजीयन के नियम/शर्तें

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (*क्र. 1552) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रेरा में बिल्डरों/कॉलोनाइजर्स को किसी आवासीय प्रोजेक्ट के पंजीयन एवं प्लॉट तथा मकान की खरीदी-बिक्री की अनुमति हेतु क्या-क्या नियम व शर्तें निर्धारित हैं ? नियम एवं शर्तों की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 अवधि तक रायपुर एवं बिलासपुर जिला के किन-किन बिल्डरों/कॉलोनाइजर्स द्वारा प्लॉट/मकान बेचने हेतु अनुमति के लिए आवेदन किया गया ? कितनों को अनुमति प्रदान की गई ?

कॉलोनाइजर्स के नाम, फर्म के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) क्या रेरा में एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद बिल्डरों/कॉलोनाइजर्स को नये प्रोजेक्ट के प्रारंभ होने पर अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है? यदि हां, तो नियम की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो प्रश्नांकित (ख) अवधि में बिना अनुमति के कितने एवं किन-किन प्रोजेक्टों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? बिल्डरों के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) रेरा के नियमानुसार किसी बिल्डर/कॉलोनाइजर द्वारा प्लाट एवं भवन में निर्धारित मापदंड अनुरूप सुविधा उपभोक्ताओं को नहीं दिये जाने पर क्या-क्या कार्यवाही का प्रावधान है? अब तक इस तरह की कितनी शिकायतें प्रश्नांकित (ख) अवधि में प्राप्त हुई एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा- 3 व 4 सहपठित छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 की नियम-3 व 4 के प्रावधानों के अनुसार 500 वर्गमीटर या 8 यूनिट से अधिक, के सभी (भू-खण्ड भूमि, आवासीय भूमि, वाणिज्यिक भूमि, मिश्रित भूमि) चालू एवं नवीन रियल एस्टेट परियोजनाओं का छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा- 9 सहपठित छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 की नियम-10 व 11 के प्रावधानों के अनुसार रियल एस्टेट परियोजनाओं में क्रय-विक्रय करने वाले सभी अभिकर्ता को छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य है। नियम व शर्तों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 अवधि तक रायपुर जिला अंतर्गत कुल 124 परियोजनाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 112 परियोजनाओं में पंजीयन जारी किया जा चुका है। बिलासपुर जिला अंतर्गत कुल 64 परियोजनाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 59 परियोजनाओं में पंजीयन जारी किया जा चुका है। बिल्डरों/कालोनाइजर्स का नाम, परियोजनाओं का नाम पता सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) जी नहीं। बिल्डरों/कालोनाइजर्स को अपने हर एक प्रोजेक्ट्स के प्रारंभ होने पर अनुमति की आवश्यकता है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा- 3 व 4 सहपठित छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 की नियम-3 व 4 के प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट्स पंजीयन कराना अनिवार्य है। नियम की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। बिना अनुमति के प्रोजेक्ट्स प्रारंभ करने वाले बिल्डरों/कालोनाइजर्स पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** है। (घ) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 12 एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही करने का प्रावधान है। नियम की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 तक जिला रायपुर के कुल 357 प्रकरणों में से 297 प्रकरणों में एवं जिला बिलासपुर के कुल 28 प्रकरणों में से 25 प्रकरणों में कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार** है।

राजनांदगांव जिले में संचालित उद्योगों का पर्यावरण विभाग द्वारा निरीक्षण

[आवास एवं पर्यावरण]

10. (*क्र. 1658) श्री दलेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जनवरी, 2023 से 31.1.2025 तक राजनांदगांव जिले में संचालित किन-किन उद्योगों का पर्यावरण विभाग द्वारा निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा कब किया गया व निरीक्षण के दौरान पर्यावरण के मानकों के उल्लंघन के संबंध में क्या पाया गया? मानकों के उल्लंघन होने पर किन-किन उद्योगों पर क्या कार्यवाही की गयी है? वर्षवार, उद्योगवार जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

बालोद जिला में अमानक बीज, नकली उर्वरक व कीटनाशक दवाई विक्रय/भण्डारण की प्राप्त शिकायतें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

11. (*क्र. 53) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिला में वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2025 तक अमानक बीज, नकली उर्वरक व कीटनाशक दवाई विक्रय/भण्डारण किये जाने के संबंध में किन-किन कंपनियों, व्यापारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है एवं प्राप्त शिकायत के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें ? **(ख)** उक्त अवधि में किन-किन बीज कम्पनियों के विरुद्ध खरीदे गये फसल की राशि तथा फसल क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है एवं प्राप्त शिकायत पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बालोद जिला में वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2025 तक अमानक बीज, नकली उर्वरक व कीटनाशक दवाई विक्रय/भण्डारण किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में बीज कम्पनियों के विरुद्ध खरीदे गये फसल की राशि तथा फसल क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

बिलासपुर संभागान्तर्गत छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा सामग्री प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

12. (*क्र. 1574) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत 3 वर्षों में बिलासपुर संभाग में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा कितनी व कौन-कौन सी सामग्री प्रदाय हेतु कब-कब व कितनी राशि की स्वीकृति प्रदाय की गई? कुल स्वीकृत राशि में व्यय व शेष राशि की जानकारी देवें ? उक्त के संबंध में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई और इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश क अनुसार कौन-कौन से कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुए हैं व क्यों? कार्यवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विगत 3 वर्षों में बिलासपुर संभाग में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के जिला कार्यालय बिलासपुर, मुंगेली, जॉजगीर, कोरबा एवं रायगढ़ द्वारा राशि की स्वीकृति प्रदाय नहीं गई है, अपितु विभागों से सामग्री प्रदाय आदेश प्राप्त होने पर सामग्री प्रदान की गई है। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा प्रदाय सामग्री की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स, प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-ई अनुसार है।** उक्त संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

जिला दंतेवाड़ा में आश्रम/छात्रावासों का निर्माण/मरम्मत

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

13. (*क्र. 1437) श्री चैतराम अटामी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दंतेवाड़ा जिला में कितने आश्रम एवं छात्रावास संचालित हैं ? क्या सभी आश्रम/ छात्रावास भवनयुक्त एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध है ? आश्रम/छात्रावास का नाम सहित भवनयुक्त/विहिन एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध है/नहीं की जानकारी प्रदाय करे। **(ख)** दिनांक जनवरी, 2020 से 30 सितम्बर, 2023 तक (केन्द्र/राज्य/ जिला) मद से क्या-क्या निर्माण/मरम्मत कार्य कराये गये हैं, कार्यवार भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं कार्य एजेन्सी/ठेकेदार के नाम सहित जानकारी प्रदाय करने का कष्ट करेंगे। **(ग)** दिनांक जनवरी, 2020 से

30 सितम्बर, 2023 तक (केन्द्र/राज्य/ जिला) मद से कितनी राशि की सामग्री क्रय की गई है ? सामग्री क्रय किस प्रक्रिया (टेण्डर, कोटेशन, जेम, सीएसआईडीसी) के तहत की गई है ? सामग्रीवार भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं आपूर्तिकर्ता के नाम सहित जानकारी प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" एवं 'स' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "द" अनुसार है।

बिलासपुर के कोटा में संचालित स्लीपर फैक्टरी की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

14. (*क्र. 1678) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या छत्तीसगढ़ में संचालित उद्योग फैक्टरी और वाणिज्य संस्थानों के निरीक्षण और जांच करने की कोई समय सीमा निर्धारित है? अगर है तो वर्ष में कितनी बार जांच और निरीक्षण कार्य किया जाता है? (ख) जिला बिलासपुर के कोटा में संचालित स्लीपर फैक्टरी की जांच वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 में कब-कब की गई है और क्या-क्या कमी पाई गई और क्या कार्रवाई की गई है? (ग) क्या स्लीपर फैक्टरी को पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई है? यदि हां तो क्या-क्या शर्तें और नियम के अधीन दी गई है? स्लीपर फैक्टरी द्वारा निर्धारित शर्तें और नियम का पालन किया जा रहा है कि नहीं इसका भौतिक निरीक्षण और जांच प्रश्नांश 'ख' अवधि में कब-कब की गयी? जांच और कार्रवाई की जानकारी क्या है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संचालित उद्योगों के निरीक्षण एवं जाँच के लिये निरीक्षण आवृत्ति निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार (1) सभी श्रेणी के 17 प्रकार के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के लिये 03 माह, (2) 17 प्रकार के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के अलावा लाल श्रेणी के वृहद् एवं माध्यम उद्योगों के लिये 06 माह तथा लघु श्रेणी के लिये 09 माह, (3) नारंगी श्रेणी के वृहद् एवं माध्यम उद्योगों के लिये 06 माह तथा लघु श्रेणी के लिये 01 वर्ष तथा (4) सभी हरी श्रेणी के उद्योगों के लिये 02 वर्ष निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा निर्धारित आवृत्ति अनुसार निरीक्षण किया जाता है। (ख) जिला बिलासपुर के कोटा में संचालित स्लीपर फैक्ट्री मेसर्स पाटिल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की प्रश्नाधीन अवधि में की गई जाँच, पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) जी हाँ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मेसर्स पाटिल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, कोटा को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत मुख्य रूप से जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने, परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति रखे जाने, जनित ठोस अपशिष्टों का समुचित निपटान किये जाने तथा एक तिहाई क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने आदि शर्तों के साथ संचालन सम्मति जारी की गई है। उद्योग के द्वारा सम्मति शर्तों का पालन किया जा रहा है। प्रश्नाधीन अवधि में किये गये भौतिक निरीक्षण एवं जाँच की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

रायपुर विकास प्राधिकरण के कमल विहार (कौशल्या विहार) में नवनिर्मित मकानों का आबंटन

[आवास एवं पर्यावरण]

15. (*क्र. 984) श्री अजय चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर विकास प्राधिकरण में कमल विहार (कौशल्या विहार) प्रोजेक्ट अंतर्गत पक्का मकान बनाने हेतु कौन-कौन सी

योजना कब-कब स्वीकृत की गयी तथा उसके अंतर्गत कितने हितग्राहियों को मकान आबंटन किये गये? आबंटन, दिनांकवार बतायें? **(ख)** उक्त योजनांतर्गत कितने आबंटित मकान का निर्माण कार्य पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ की स्थिति में है? अपूर्ण/अप्रारंभ का कारण क्या है तथा कब तक पूर्ण कर लिए जायेंगे एवं पूर्ण निर्मित मकानों में से कितने मकानों को हैण्डओवर कर दिया गया है? **(ग)** उक्त प्राधिकरण अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर विकास योजना-04, कमल विहार योजना के तहत सेक्टर-02 में ईडब्ल्यूएस 2 बीएचके स्वतंत्र मकान का आबंटन कब से किया गया था तथा उसका निर्माण कार्य कब से प्रारंभ किया गया है और प्रश्नाधि में कितना कार्य पूर्ण (प्रतिशत में) हो हुआ है तथा कार्य निर्धारित समयावधि से कितना आगे/पीछे चल रहा है? यदि पीछे है तो कितना और उसका कारण क्या है? कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा एवं इसके अंतर्गत कौन-कौन से ठेकेदार/एजेंसियां/कंपनियों द्वारा किन-किन कार्यों के लिये, कितनी-कितनी अवधि तक कार्य किया गया?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)**जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ख)**उक्त योजनांतर्गत स्वीकृत 6140 मकानों में 5883 मकान आबंटित किये गये हैं। आबंटित 5883 मकानों में से 4927 मकान पूर्ण हैं तथा 1213 मकान अपूर्ण हैं। सभी अपूर्ण मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। अपूर्ण का कारण - मकानों का निर्माण कार्य स्ववित्तीय योजना के तहत किया जा रहा हैं। निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदार के चल देयकों का भुगतान पूर्ण रूप से हितग्राहियों द्वारा जमा की गई किशतों की राशि पर निर्भर होता हैं। हितग्राहियों द्वारा समय पर किशतों के भुगतान नहीं करने के कारण निर्माण कार्य की गति धीमी हुई हैं। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के दौरान शासन द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के कारण लगभग 01 वर्ष तक निर्माण कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित रहा। सभी अपूर्ण मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं एवं मकानों का निर्माण दिनांक 31.07.2025 तक पूर्ण होना संभावित हैं। पूर्ण निर्मित मकानों में से 2163 मकानों का हैण्डओवर कर दिया गया हैं।**(ग)** कमल विहार योजना के अंतर्गत सेक्टर-02 में ईडब्ल्यूएस 2 बीएचके स्वतंत्र मकानों का आबंटन दिनांक 05.10.2018 से प्रारंभ किया गया था। मकानों का निर्माण कार्य दिनांक 07.03.2019 से प्रारंभ किया गया हैं। वर्तमान समय में निर्माण कार्य लगभग 40 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका हैं। कार्य निर्धारित समय से 03 वर्ष 03 माह 24 दिन पीछे चल रहा हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर विकास योजना क्र. 04 कौशल्या माता विहार (कमल विहार) के विभिन्न सेक्टरों में ई.डब्ल्यू.एस. 2बी.एच.के.रो-हाउसेस के निर्माण कार्य का ठेका मेसर्स अशोक कुमार मित्तल को आदेश क्र. 525 दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से आबंटित किया गया था, जिसकी समयावधि 03 वर्ष अर्थात् 06.03.2022 तक थी। निर्माण कार्य हेतु नियुक्त ठेकेदार द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य की गति काफी धीमी थी, जिसके कारण कार्य पूर्ण करने में विलंब हुआ हैं। वर्तमान में पूर्व के ठेकेदार के अनुबंध को निरस्त कर नये ठेकेदार की नियुक्ति की गई हैं, जिसके अनुसार कार्य दिनांक 30.06.2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। निर्माण कार्य मेसर्स अशोक कुमार मित्तल द्वारा 04 वर्ष 03 माह 10 दिन तक किया गया। वर्तमान में अन्य ठेकेदार मेसर्स अमित जैन के द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका हैं, निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच" \]](#)

जिला बालोद में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा क्रय की गयी सामग्री व उपकरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

16. (*क्र. 1590) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक की अवधि में कृषि तथा उद्यानिकी विभाग, जिला बालोद के द्वारा किन-किन मदों से कितनी राशि की सामग्रियों व उपकरण किन-किन संस्था/फर्म/एजेंसी से कितनी मात्रा में क्रय किया गया है? क्रय किये गये सामग्री/उपकरणों का वर्षवार,

फर्मवार विवरण दें। (ख) कण्डिका 'क' के संस्था/फर्म/एजेंसी का चयन/निर्धारण किस आधार पर किया गया? क्रय किये सामग्री/उपकरणों से जिले के कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? इसके अलावा उक्तावधि में विभाग द्वारा संचालित अन्य किन-किन योजनाओं का लाभ जिले के कितने हितग्राहियों को दिया गया है? वर्षवार, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

जिला धमतरी अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रदत्त बीज की गुणवत्ता की जांच

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

17. (*क्र. 1676) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) धमतरी जिले में खरीफ एवं रबी सीजन हेतु वर्ष 2020-21 से दिनांक 31.01.2025 की अवधि में सहकारी केंद्रों को, किन-किन एजेंसियों द्वारा, किन-किन फसलों के बीज की सप्लाई की गई है? (ख) प्रश्न "क" के अनुसार प्रदाय बीजों के गुणवत्ताहीन होने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? संबंधित फर्म एवं एजेंसियों पर क्या कार्रवाई की गई है? (ग) प्रश्नांक "क" के अनुसार क्या बीज के उपयोग के कारण किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान किया गया है? यदि हां तो कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? विकासखंडवार, कृषकों की संख्या,सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्या वर्तमान खरीफ एवं रबी सीजन हेतु संस्थाओं द्वारा सरकारी केंद्रों को बीज उपलब्ध कराया गया है? यदि हां तो एजेंसियों के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) धमतरी जिले में खरीफ एवं रबी सीजन हेतु वर्ष 2020-21 से दिनांक 31.01.2025 की अवधि में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के बीज प्रक्रिया केन्द्र मरौद एवं कलारतराई से खरीफ फसल हेतु धान एवं अरहर बीज तथा रबी फसल हेतु गेहू, चना, सरसों एवं तिवड़ा फसलों के बीजों आपूर्ति की गई है। वर्षवार, मौसमवार, एजेंसीवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदाय बीजों की गुणवत्ताहीन होने की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में बीजों के उपयोग से किसानों को नुकसान संबंधी मामला संज्ञान में नहीं आया है। अतः प्रश्न के शेष भाग की जानकारी निरंक है। (घ) हाँ, वर्तमान खरीफ एवं रबी सीजन हेतु संस्थाओं द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के बीज प्रक्रिया केन्द्र मरौद, विकासखण्ड-कुरूद, एवं बीज प्रक्रिया केन्द्र कलारतराई, विकासखण्ड-धमतरी, जिला-धमतरी से बीज उपलब्ध कराये गये हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - छ:"]

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों को शामिल किया जाना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

18. (*क्र. 1357) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्रामों को शामिल किया जाकर उक्त ग्रामों के अधोसंरचना विकास हेतु किस-किस प्रकार के, कितनी-कितनी राशि के कितने कार्य विगत तीन वर्षों में किये गये हैं? क्या स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर कलेक्टर, मुंगेली द्वारा आयुक्त, रायपुर संभाग एवं सचिव, मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण कार्यालय द्वारा मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण योजना में 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित

जनजाति बाहुल्य कितने ग्रामों को शामिल किये जाने हेतु अनुमोदन किया जाकर राज्य शासन को प्रेषित किया गया है? ग्रामवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार क्या मुंगेली विधानसभा के विकासखण्ड मुंगेली एवं पथरिया के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों को मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण योजना में शामिल किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है? यदि हां, तो कब तक की जावेगी, समयावधि बतावें। यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के 25 ग्राम मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शामिल किया गया है, इनमें विगत तीन वर्षों में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः जानकारी निरंक है। जी हां, विधानसभा मुंगेली के 25 ग्राम (11 ग्राम वि.ख. मुंगेली एवं 14 ग्राम वि.ख. पथरिया) तथा शेष 12 ग्राम विधान सभा बिल्हा को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। **ग्रामवार सूची संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना क्र./एफ 4-6/2024/एक/6 दिनांक 24 जून 2024 द्वारा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण पुर्नगठन किया गया है, जिसके अनुसार अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/बस्तियों के मजरा, टोला, पारा, मोहल्ला एवं नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थित पारा-मोहल्ला जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है, को मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः पृथक से इन ग्रामों को शामिल किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सात" \]](#)

लिपिक वर्ग से राज्य कर निरीक्षक पद पर विभागीय भर्ती प्रक्रिया

[वाणिज्यिक कर]

19. (*क्र. 829) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विभाग में वर्ष 2021-22 में लिपिक वर्ग से राज्य कर निरीक्षक पद पर विभागीय भर्ती किस प्रक्रिया के तहत की गई थी? इस भर्ती प्रक्रिया उपरांत किन-किन का चयन राज्य कर निरीक्षक के पद पर किया गया? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के नोडल अधिकारी कौन थे तथा किन-किन अधिकारियों को चयन समिति में लिया गया था ? क्या उक्त चयन समिति से संबंधित किसी अधिकारी के ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अथवा वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है? यदि हां तो क्या ? जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांक 'क' अनुसार क्या भर्ती प्रक्रिया में भर्ती नियमों के तहत रोस्टर का पालन किया गया तथा क्या चयन के बाद किसी कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली में सुधार किये जाने संबंधी अथवा किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत विभाग को मिली? यदि हां तो क्या?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** विभाग में वर्ष 2021-22 में लिपिक वर्ग से राज्य कर निरीक्षक पद पर विभागीय भर्ती सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की गई थी। वर्ष 2021 में 21 अभ्यर्थियों एवं वर्ष 2022 में 21 अभ्यर्थियों का चयन राज्य कर निरीक्षक के पद पर किया गया। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में तत्कालीन राज्य कर उपायुक्त (प्रशासन) नोडल अधिकारी थे। उक्त परीक्षा की चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारियों को लिया गया था:-1. राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन)-अध्यक्ष 2. राज्य कर संयुक्त आयुक्त-सदस्य सचिव 3. राज्य कर उपायुक्त (प्रशासन)-सदस्य (1) छत्तीसगढ़ लोक आयोग में राज्य कर निरीक्षक विभागीय भर्ती परीक्षा में अनियमितता की शिकायत पर श्रीमती कल्पना तिवारी (अपर आयुक्त) के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 96/2022 दर्ज की गई थी जो वर्तमान में नस्तीबद्ध की जा चुकी है। (2) इसी संबंध में शिकायत पर लोक आयोग में अन्य प्रकरण क्रमांक 30/2022 श्रीमती कल्पना तिवारी (अपर आयुक्त), श्री टी.आर.धुर्वे, (वर्तमान अपर आयुक्त), श्री रौशन सिंह (उपायुक्त) के विरुद्ध दर्ज की गई थी जो वर्तमान में नस्तीबद्ध की जा चुकी है। आरोप की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-**

ब अनुसार है। **(ग)** विभागीय सीमित भती परीक्षा में भर्ती नियमों के तहत रोस्टर के पालन, किसी कर्मचारी के गोपनीय चरित्रावली में सुधार किये जाने संबंधी, किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायतों सहित शिकायत के समस्त बिन्दुओं की जांच विभागीय जांच समिति गठित कर की जा रही है। शिकायत की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मानपुर-मोहला-चौकी में जीएसटी चोरी के दर्ज प्रकरण
[वाणिज्यिक कर]

20. (*क्र. 731) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 31.01.2025 तक जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मानपुर-मोहला-चौकी अंतर्गत जीएसटी चोरी के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? प्रकरणवार, वर्षवार, कार्यवाहीवार, जांचकर्ता अधिकारी के नाम/पदनाम सहित जानकारी देवें? क्या जीएसटी चोरी उपरांत सजा एवं आर्थिक दंड का प्रावधान है? यदि हां तो किस नियम के तहत एवं कुल जीएसटी चोरी गई राशि के कितने प्रतिशत हिस्से का आर्थिक दंड का प्रावधान है? **(ख)** क्या जीएसटी लागू होने के बाद से अविभाजित जिला राजनांदगांव के वन विभाग अंतर्गत जीएसटी चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि हां तो फर्म का नाम, जांचकर्ता अधिकारी का नाम आदि की जानकारी दिनांकवार, कार्यवाहीवार देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 31.01.2025 तक जिला राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान-गंडई एवं मानपुर -मोहला-चौकी अंतर्गत जीएसटी चोरी के कुल 83 प्रकरण दर्ज किए गये है। नाम/पदनाम सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। जीएसटी अधिनियम 2017 अंतर्गत निम्न धाराओं के तहत आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। 01) धारा 122 के अंतर्गत कर राशि के समतुल्य राशि या रुपये 20 हजार जो भी अधिक हो। 02) धारा 129 (1) ए के अंतर्गत टैक्स राशि का 200 प्रतिशत शास्ति। 03) धारा 129 (1)बी के अंतर्गत माल की कीमत का 100 प्रतिशत शास्ति। 04) धारा 67 अंतर्गत जांच जप्ती के दौरान धारा 74 के अधीन टैक्स राशि के सहित टैक्स के अनुरूप, सूचना पत्र जारी करने के पूर्व शास्ति टैक्स का 15 प्रतिशत, सूचना पत्र जारी होने के पश्चात् 30 दिनों के भीतर तक टैक्स का 25 प्रतिशत, आदेश जारी होने के 30 दिवस तक टैक्स का 50 प्रतिशत एवं आदेश दिनांक से 30 दिवस उपरांत टैक्स का 100 प्रतिशत। **(ख)** जीएसटी लागू होने के बाद से अविभाजित जिला राजनांदगांव के वन विभाग अंतर्गत जीएसटी चोरी के 04 प्रकरण दर्ज किये गये है। फर्म/जांचकर्ता अधिकारी का नाम आदि की जानकारी दिनांकवार, कार्यवाहीवार **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

जिला धमतरी में संचालित कोल्ड स्टोरेज की जांच

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

21. (*क्र. 1205) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी जिले में कितने कोल्ड स्टोरेज केन्द्र संचालित हैं ? क्या इन कोल्ड स्टोरेज केन्द्रों की वार्षिक जांच की जाती है ? यदि हाँ, तो वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में किस-किस अधिकारी द्वारा जांच की गई ? वर्षवार जानकारी प्रदाय करें ? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार उक्त अवधि में धमतरी में कोल्ड स्टोरेज में रखे जाने वाले खाद्य पदार्थों की कितनी अनुज्ञा जारी की गयी और कोल्ड स्टोरेज केन्द्रों से राज्य शासन को कितने राजस्व राशि की प्राप्ति हुई ? कोल्ड स्टोरेजवार जानकारी प्रदाय करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) धमतरी जिले में कुल 9 कोल्ड स्टोरेज केन्द्र संचालित है, विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	धमतरी जिले में संचालित कोल्ड स्टोरेज
1	मेसर्स-महावीर कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-अर्जुनी तह.- धमतरी
2	मेसर्स-धमतरी कोल्ड स्टोरेज, प्रो-कुलदीप सिंग ग्राम-तेलिनसत्ती
3	मेसर्स-श्रीनाथ शीत गृह, प्रो-श्री जिगनेश ठक्कर, ग्राम-तेलिनसत्ती पो-देमार
4	मेसर्स-ए.जे.वेंचर प्रो-श्री प्रशंत जैन ग्राम-सांकरा तह.-धमतरी
5	मेसर्स-श्रीश्याम कोल्ड स्टोरेज पार्ट. श्री नानकचंद अग्रवाल ग्राम-पोटियाडीह, तह. धमतरी
6	मेसर्स-डी.एम. कोल्ड स्टोरेज प्रो-श्याम सुंदर गुप्ता, ग्राम-कोड़ापार रायपुर रोड कुरूद
7	मेसर्स-ओम कोल्ड स्टोरेज पार्ट. श्री संतोष शाह, ग्राम-लिमतरा तह.-धमतरी
8	मेसर्स-राहूल कोल्ड स्टोरेज प्रो-श्रीमति राधा देवी अग्रवाल, ग्राम-पोटियाडीह, तह.-धमतरी
9	मेसर्स-हरिओम कोल्ड स्टोरेज भागीदार श्री विशाल शाह ग्राम-लिमतरा, तह.-धमतरी

"कोल्ड स्टोरेज" केन्द्रों की जांच मंडी समिति द्वारा नहीं की जाती है, अतः शेष जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश क अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में धमतरी जिले में स्थित कोल्ड स्टोरेज में रखे खाद्य पदार्थों के भण्डारण/विक्रय हेतु संबंधित मंडी समितियों द्वारा अनुज्ञा जारी नहीं की गई है। मेसर्स हरिओम कोल्ड स्टोरेज ग्राम लिमतरा द्वारा कृषि उपज मंडी समिति में पंजीयन हेतु दिनांक 01.03.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। कोल्ड स्टोरेज केन्द्रों को अधिसूचित कृषि उपजों की अनुज्ञा जारी किये जाने से राज्य शासन को राजस्व प्राप्ति की जानकारी निरंक है।

राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षणिक सुविधा का प्रदाय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

22. (*क्र. 1608) श्री संदीप साह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों हेतु केन्द्र सरकार की नई नीति अनुसार राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति एवं अन्य क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या वर्ष 2020-21 से अब तक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्र सरकार की नीति अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? यदि हां तो, वित्तीय वर्षवार, मदवार, जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार क्या शैक्षणिक सत्र 2023-24 से वर्तमान शैक्षणिक सत्र तक के विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत छात्रवृत्ति का भुगतान नियमित हो रहा है? यदि हां तो वर्षवार, मदवार, जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें? (ग) क्या यह सही है वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 के विद्यार्थी बजट में कमी के चलते अथवा अन्य किन कारणों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलने से वंचित हो रहे हैं? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों हेतु केन्द्र सरकार की नई नीति अनुसार राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधाएं नहीं दी जा रही है, अपितु राज्य शासन द्वारा अनुमोदित राज्य शासन की नीति अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत/भुगतान किया जा रहा है। (ख) राज्य शासन द्वारा अनुमोदित दर अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 से वर्तमान शैक्षणिक सत्र के विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत छात्रवृत्ति का भुगतान नियमित हो रहा है। वर्षवार, मदवार, जिलावार संख्यात्मक जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ग) जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

अनु. जाति घटक योजना एवं अनु. जनजाति उपयोजना बजट अंतर्गत प्रचार-प्रसार में व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

23. (*क्र. 1671) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नीति आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (SCP) एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) बजट अंतर्गत बीते 03 वित्तीय वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों को योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रचार-प्रसार हेतु अलॉट बजट एवं खर्च की गई बजट की जानकारी दें? **(ख)** पिछले 03 वित्तीय वर्ष में कितनी प्रचार-प्रसार/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं ? जिलावार, वर्षवार जानकारी प्रदान करेंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है।

जमीन रजिस्ट्री के नवीन नियम/संशोधन

[वाणिज्यिक कर]

24. (*क्र. 1484) श्री रामकुमार यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान में जमीन रजिस्ट्रीकरण संबंधी विभाग में क्या-क्या नवीन नियम बनाये गये हैं, विवरण दें। **(ख)** क्या वर्तमान सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में संशोधन किये हैं यदि हां तो क्या ? विवरण दें। **(ग)** क्या वर्तमान में जमीन रजिस्ट्री के संबंध में 500 रू. शुल्क का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो 500 रू. शुल्क का प्रावधान किस प्रकार के रजिस्ट्री में एवं रजिस्ट्री के किन-किन क्षेत्रों में किया गया है, विवरण दें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** वर्तमान में जमीन रजिस्ट्रीकरण संबंधी विभाग में कोई भी नवीन नियम नहीं बने हैं। **(ख)** वर्तमान सरकार द्वारा नियमों में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। **(ग)** हाँ वर्तमान में जमीन रजिस्ट्री के संबंध में विभाजन विलेख, परिवार के सदस्य के पक्ष में हकत्याग विलेख एवं बिना किसी प्रतिफल के परिवार के सदस्यों के पक्ष में दान हेतु 500 रू. पंजीयन शुल्क का प्रावधान रखा गया है।

जिला रायगढ़ अंतर्गत कृषकों को ट्रेक्टर हेतु स्वीकृत अनुदान के प्रकरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

25. (*क्र. 1315) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी, 2025 तक की स्थिति में किस योजना के तहत, कितने हितग्राही कृषकों को अनुदान पर ट्रेक्टर स्वीकृत किये गये हैं ? क्या कृषकों की अंश राशि अनुदान एवं कृषकों की संख्या निर्धारित की गयी है ? यदि हाँ, तो कितनी राशि एवं संख्या निर्धारित है ? वर्षवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत कितने किसानों द्वारा ट्रेक्टर हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ? कितने स्वीकृत एवं कितने अस्वीकृत किए गये ? पात्रता हेतु क्या मापदंड अपनाया गया, जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी 2025 तक विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत कुल 224 हितग्राहियों को अनुदान पर ट्रेक्टर स्वीकृत किये गये हैं। विभागीय योजना अंतर्गत कृषक अंश राशि हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। अनुदान पर वितरित ट्रेक्टर की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कंपोनेंट-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान के तहत ट्रेक्टर हेतु जिलेवार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है, अपितु चैम्स प्रणाली में पंजीकृत

प्रदायक संस्था से ट्रेक्टर क्रय किये जाने उपरांत प्रदायक द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर अनुदान राशि का भुगतान प्रदायक संस्था को किया जाता है। कंपोनेंट क्रमांक-3 के तहत ट्रेक्टर पर अनुदान हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कंपोनेंट-4 के तहत फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** प्रश्रांश "क" अंतर्गत अनुदान पर ट्रेक्टर हेतु प्राप्त, स्वीकृत एवं निरस्त आवेदनों की योजनावार, वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत ट्रेक्टर पर अनुदान हेतु राज्य के सभी वर्ग के सभी श्रेणी के कृषक पात्र हैं। कंपोनेंट-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु जिलेवार निर्धारित भौतिक लक्ष्य अनुसार "प्रथम आये प्रथम पाये" के आधार पर आवेदन स्वीकृत किये जाते हैं। कृषकों के पात्रता हेतु बी-1 खसरा एवं नक्शा, ग्राम पंचायत की अनुशंसा, कृषक स्वघोषणा पत्र, पहचान पत्र, आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र (योजनाओं में जाति के आधार पर प्रावधानित अनुदान का लाभ लेने हेतु) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। कंपोनेंट-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों को आवेदक द्वारा संलग्न दस्तावेजों- आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रमाण-पत्र, बी-1 पी-2 व विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बैंक सहमति पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं वांछित बैंक से प्राप्त ब्रीफ ओपिनियन रिपोर्ट के आधार पर जिलेवार निर्धारित लक्ष्यानुसार "प्रथम आये, प्रथम पावे" अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ**

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

1. (क्र. 54) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2025 तक कितने किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित फसल बीमा कराया गया ? प्रति एकड़ फसल बीमा की राशि क्या है? (ख) उपरोक्त किसानों में से कितने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया एवं कितनी प्रीमियम राशि जमा कराई गई? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) फसल बीमा योजनाओं में फसल बीमा की राशि प्रति हेक्टेयर निर्धारित की जाती है एवं जानकारियों का संधारण तहसीलवार किया जाता है। कृषि फसलों के बीमा हेतु संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में सम्मिलित तहसीलों में वर्ष 2023-24 में 29,789 कृषकों एवं वर्ष 2024-25 (जनवरी 2025 तक) में 31,648 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया है। वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार, फसल बीमा कराने वाले कृषकों की संख्या एवं फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** प्रश्नांकित अवधि में ही उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु संचालित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 314 कृषकों एवं वर्ष 2024-25 (जनवरी 2025 तक) में 395 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया है। वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार, फसल बीमा कराने वाले कृषकों की संख्या एवं फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने वाले कृषकों में से वर्ष 2023-24 में 3,230 कृषकों को बीमा दावा का भुगतान किया गया है। खरीफ वर्ष 2024 में दावा गणना एवं भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा रबी 2024-25 में फसल कटाई प्रयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। फसल बीमा कराने वाले कृषकों द्वारा वर्ष 2023-24 में राशि रु. 368.207 लाख एवं वर्ष 2024-25 में रु. 393.293 लाख प्रीमियम राशि (कृषक अंश) के रूप में क्रियान्वयक बीमा कंपनियों को भुगतान की गयी है। वर्षवार, तहसीलवार बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषक एवं क्रियान्वयक बीमा कंपनियों को भुगतान की गयी प्रीमियम राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत वर्ष 2023-24 में 300 किसानों को रु. 10.21 लाख क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2024-25 में टमाटर फसल हेतु दावा राशि की गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है जबकि खरीफ मौसम में अधिसूचित शेष फसलों एवं रबी मौसम में अधिसूचित समस्त फसलों की फसल अवधि समाप्त होना शेष है। फसल बीमा कराने वाले कृषकों द्वारा वर्ष 2023-24 राशि रु. 14.17 लाख एवं वर्ष 2024-25 में रु. 15.68 लाख प्रीमियम राशि (कृषक अंश) के रूप में क्रियान्वयक बीमा कंपनियों को भुगतान की गयी है। वर्षवार, तहसीलवार बीमा दावा भुगतान से लाभान्वित कृषक एवं क्रियान्वयक बीमा कंपनियों को भुगतान की गयी प्रीमियम राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

क्रेशर व खदानों को पर्यावरणीय अनुमति

[आवास एवं पर्यावरण]

2. (क्र. 732) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला राजनांदगाँव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत संचालित कितने क्रेशर व खदान संचालकों के पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) से पर्यावरण अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त हैं? यदि हां तो क्रेशरवार, खदानवार जानकारी देवें? पर्यावरण विभाग से कितने-कितने वर्षों के लिये अनुमति ली गई? क्या बिना पर्यावरण अनुमति के संचालित खदान/क्रेशर पर कार्यवाही की गई? यदि हां तो कार्यवाहीवार,जानकारी देवें?
(ख) खदानों में खनन की माप वर्ष 2023-2024 से दिनांक 31.01.2025 तक कब-कब की गई? संचालनकर्ता का नाम, विकासखंडवार, वर्षवार जानकारी देवें ? खनिज अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या कार्यवाही की गई जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)**माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) द्वारा क्रेशर व खदान संचालकों को पर्यावरण अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जिला राजनांदगाँव एवं जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत संचालित क्रेशर व खदानों को जल एवं वायु अधिनियम के तहत जारी जल एवं वायु सम्मति तथा उनकी वैधता की जानकारी तथा जल एवं वायु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण वैध नहीं होने के कारण जिन खदानों एवं क्रेशर इकाईयों के विरुद्ध उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु कार्यवाही की गई है, की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है।**(ख)**कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) राजनांदगाँव एवं जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से सामग्री क्रय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. (क्र. 904) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) जिला बिलासपुर, कबीरधाम एवं मुंगेली में संचालित प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कितनी राशि का आबंटन प्रदाय किया गया है एवं दिनांक 31.01.2025 तक कितनी राशि का व्यय किया गया है? **(ख)** क्या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत आबंटित राशि का उपयोग किसी प्रकार की सामग्री की खरीदी हेतु किया जा सकता है? **(ग)** जिला बिलासपुर कबीरधाम एवं मुंगेली में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना अंतर्गत राशि से क्या जिला स्तर पर कम्प्यूटर लेपटॉप अथवा अन्य सामग्री की खरीदी की गयी है? अगर की गयी है तो किसके आदेश एवं निर्देश पर कितनी मात्रा एवं दर से खरीदी की गयी है? **(घ)** यदि निर्देश नहीं दिये गये हैं, तो क्रय हेतु कौन जिम्मेदार है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत भारत सरकार से प्राप्त प्रशासनिक व्यय से वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक बिलासपुर, कबीरधाम एवं मुंगेली जिले को जारी आबंटन एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये में)

क्र	जिले का नाम	जारी आबंटन	व्यय राशि
1	बिलासपुर	14,39,625/-	10,93,677/-
2	कबीरधाम	17,69,385	9,08,033/-
3	मुंगेली	13,71,285/-	4,70,395/-

(ख) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मार्गदर्शिका के कंडिका क्रमांक 8.3 के अनुसार प्रशासनिक व्यय हेतु प्राप्त राशि का उपयोग "प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट" के संचालन, स्टेशनरी खरीदी, मैदानी स्तर पर हितग्राहियों के सत्यापन, विभिन्न प्रारूपों को भरने, उन्हें प्रमाणित करने तथा अपलोड करने एवं मैदानी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन, प्रचार-प्रसार इत्यादि हेतु आवश्यक कार्यों के लिये किया जा सकता है। (ग) जी हां, क्रय की गई सामग्री की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है**। प्रकरण वर्तमान में संज्ञान में आया है तथा परीक्षाधीन है, अतः शेष जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (घ) उप संचालक कृषि, जिला-कबीरधाम द्वारा कम्प्यूटर एवं लेपटॉप के क्रय में तथा उप संचालक कृषि, जिला-मुन्गेली द्वारा लेपटॉप के क्रय में प्रथम दृष्टया वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-01, खण्ड-04 का उल्लंघन संबंधी प्रकरण संज्ञान में आया है। प्रकरण विवेचनाधीन है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह" \]](#)

सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (क्र. 985) श्री अजय चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? उसका उद्देश्य क्या है? उसके अंतर्गत अध्यक्ष/सदस्यगण कौन-कौन हैं? (ख) उक्त प्राधिकरण अंतर्गत गठित दिनांक से 31.01.2025 तक कितनी बैठकें, कब-कब की गयी है? उसके अंतर्गत क्या-क्या अनुशंसायें की गयीं तथा उसके अनुरूप क्या कार्ययोजना बनायी गयी ? उनमें से कौन-कौन से कार्य किये गये, कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? वर्षवार बतायें? (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कितने बजट का प्रावधान किया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन की अधिसूचना छ.ग. राजपत्र में दिनांक 24 अप्रैल 2015 को हुई है। प्राधिकरण गठन का उद्देश्य एवं उसके अंतर्गत अध्यक्ष/सदस्यगण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है**। (ख) प्राधिकरण की 09 बैठकें आयोजित की गई (1) दिनांक 30.06.2015, (2) दिनांक 19.11.2015, (3) दिनांक 01.02.2016, (4) दिनांक 14.03.2016 (5) दिनांक 09.08.2016, (6) दिनांक 02.09.2016, (7) दिनांक 28.10.2016, (8) दिनांक 27.06.2017, (9) दिनांक 28.12.2022 की गयीं अनुशंसा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है**। शेष जानकारी निरंक है। (ग) सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बजट प्रावधान हेतु पृथक बजट शीर्ष नहीं है। अपितु उक्त हेतु मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास, 191-स्थानीय निकायों, निगमों नगर विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 0101-राज्य आयोजना सामान्य, 7411-विकास प्राधिकरणों को अनुदान, 14-सहायक अनुदान, 012 अन्य अनुदान शीर्ष अंतर्गत बजट का प्रावधान किया जाता है। उक्त शीर्ष अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में प्रावधानित बजट की जानकारी निम्नानुसार है:- (1) वित्तीय वर्ष 2019-20, 3 करोड़, (2) वित्तीय वर्ष 2020-21, 1 करोड़, (3) वित्तीय वर्ष 2021-22, 50 लाख, (4) वित्तीय वर्ष 2022-23, 50 लाख, (5) वित्तीय वर्ष 2023-24, 5 करोड़।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह" \]](#)

प्रदेश में संचालित अद्यतन राज्य पोषित/ केंद्र की योजनाओं तथा अन्य मदों से प्राप्त राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

5. (क्र. 1017) डॉ. सम्पत अग्रवाल (श्री विक्रम मंडावी) : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कृषि विभाग के अंतर्गत संचालनालय कृषि के जिला अधिकारियों द्वारा वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी, 2025 तक अद्यतन राज्य पोषित, केंद्र की योजनाओं तथा अन्य मदों में प्राप्त राशि से

राष्ट्रीय बीज निगम से कौन-कौन सी फसलों का बीज, किस दर पर क्रय कर किसानों को उपलब्ध कराया गया? योजनावार, जिलेवार जानकारी देंगे? **(ख)** राष्ट्रीय बीज निगम से बीज की खरीदी किन नियमों के अंतर्गत की गई है? **(ग)** जिला अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक प्रकार के बीज की खरीदी करने के लिए कितनी राशि तक के वित्तीय अधिकार प्रदत्त हैं? **(घ)** प्रश्नांश अवधि में नियम विरुद्ध खरीदी करने वाले अधिकारियों के नाम और नियमानुसार उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी देंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** संचालनालय कृषि के अंतर्गत जिलों के उप संचालक कृषि द्वारा वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी, 2025 तक राज्य पोषित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अन्य मदों से प्राप्त राशि से राष्ट्रीय बीज निगम से क्रय बीज की योजनावार, फसलवार क्रय दर सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** **(ख)** शासन स्तर से राष्ट्रीय बीज निगम से बीज क्रय करने के संबंध में पृथक से कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। जिलों के उप संचालक कृषि द्वारा कृषकों की मांग अनुसार बीज की पूर्ति हेतु छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. में प्रश्नांश (क) में दिये गये फसलों के बीज उपलब्ध नहीं होने अथवा बीज की दर अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में अथवा बीज निगम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं में दिये गये प्रावधान अनुसार राष्ट्रीय बीज निगम से खरीदी की गई है। **(ग)** संबंधित वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्य पोषित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत जिलों को प्रदाय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के अंदर बीज क्रय करने का संपूर्ण अधिकार जिला अधिकारियों को है। **(घ)** प्रश्नांश अवधि में नियम विरुद्ध बीज क्रय किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह " \]](#)

रायपुर नगर में लागू वर्तमान मास्टर प्लान के संबंध में अनियमितता पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (क्र. 1025) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि रायपुर नगर में वर्तमान में जो मास्टर प्लान लागू है, उसमें मनमाने रूप से बिना सोचे-समझे तथा बिना नगर के नागरिकों की सुविधा का विचार किये पूर्व में लागू मास्टर प्लान में वर्णित आवासीय स्थलों को व्यवसायिक, व्यवसायिक स्थलों को आमोद प्रमोद, शैक्षणिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि को अर्ध व्यवसायिक, आमोद प्रमोद के स्थलों को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ तब्दील कर दिया गया ? यदि हां तो विवरण दें। **(ख)** क्या मंत्री आवास पर्यावरण के समक्ष वर्तमान लागू मास्टर प्लान को लेकर गंभीर शिकायतें प्राप्त हुईं? तथा जांच भी कराई थी? यदि हां तो जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण देंगे?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। उक्त शिकायतों पर जांच हेतु शासन द्वारा समिति गठित की गई है, जांच प्रक्रियाधीन है।

रबी फसल के लिए खाद की उपलब्धता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (क्र. 1043) श्री उमेश पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रबी फसल हेतु किसानों के लिए खाद की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है जिससे किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध हो जाए ? क्या जिला-रायगढ़ अंतर्गत किसानों से खाद की कमी की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो रबी फसल हेतु किसानों को समुचित रूप से खाद उपलब्ध हो, इस हेतु क्या कार्ययोजना बनाई गयी है ? जानकारी देंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : प्रदेश के किसानों के लिए रासायनिक खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा रबी वर्ष 2024-25 के क्षेत्राच्छादन लक्ष्य तथा विगत रबी मौसम में रासायनिक उर्वरकों की मांग एवं पूर्ति के आधार पर रबी वर्ष 2024-25 हेतु आंकलित रासायनिक खाद की कुल मांग 5,50,000 मे.टन भारत सरकार को प्रेषित की गई। मांग के विरुद्ध कुल मात्रा 4,65,000 मे.टन आबंटन हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान में 27.02.2025 की स्थिति में उर्वरकों की कुल 7,88,609 मे.टन भंडारण किया जाकर 4,12,652 मे.टन किसानों को वितरण किया जा चुका है, विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** जिला रायगढ़ अंतर्गत किसानों से खाद की कमी से संबंधित विभाग को शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। रबी वर्ष 2024-25 रायगढ़ जिले के किसानों को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आबंटित लक्ष्य, उपलब्धता एवं वितरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

आरंग विधानसभा क्षेत्रांतर्गत क्रशर प्लांटों द्वारा वृक्षारोपण एवं फेंसिंग कार्य

[आवास एवं पर्यावरण]

8. (क्र. 1056) श्री गुरू खुशवंत साहेब : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) आरंग विधानसभा क्षेत्र में संचालित क्रशर प्लांटों में शासन या पर्यावरण के निर्देशानुसार प्लांट के चारों ओर वृक्षारोपण एवं फेंसिंग कार्य किया गया है या नहीं ? यदि हाँ तो कितने क्षेत्रफल में किया गया है एवं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? जानकारी दें ? (ख) क्रशर प्लांट के संचालन के क्षेत्र पर प्रभाव का आंकलन कितनी समयावधि में एवं किस संस्था द्वारा किया जाता है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के किसी संचालित क्रशर प्लांट के दुष्परिणाम के कारण उस प्लांट को बंद करने संबंधित सुझाव प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) आरंग विधानसभा क्षेत्र में कुल 81 क्रशर प्लांट संचालित हैं। उक्त संचालित क्रशर प्लांटों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत जारी सम्मति में वृक्षारोपण किये जाने की शर्त निहित की जाती है। फेंसिंग किये जाने की शर्त अधिरोपित नहीं की जाती है। स्टोन क्रशर संचालकों द्वारा स्टोन क्रशर प्लांट के चारों ओर वृक्षारोपण नहीं किया गया है, अपितु स्टोन क्रशर संचालकों द्वारा सामूहिक रूप से ग्राम-बहनाकाड़ी के खसरा क्रमांक 566, रकबा - 1.180 हेक्टेयर में 530 नग का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें से जीवित वृक्षों की संख्या 450 है, शासकीय नवीन प्राथमिक शाला, बहनाकाड़ी के बाउण्ड्री के चारों ओर 2,000 नग का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें से जीवित वृक्षों की संख्या 1,700 है एवं ग्राम-मंदिर हसौद में खसरा क्रमांक 886 का भाग (रकबा - 1.5 एकड़) एवं 893 का भाग (रकबा - 1.5 एकड़) भूमि में क्रमशः 700 नग एवं 1,000 नग का वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें से जीवित वृक्षों की संख्या क्रमशः 85 एवं 110 है। इन स्थलों पर वृक्षारोपण कर चारों ओर फेंसिंग का कार्य किया गया है। (ख) स्टोन क्रशर, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के दायरे में नहीं आता है। अतः पर्यावरणीय प्रभाव के आंकलन की आवश्यकता नहीं है। (ग) क्रशर प्लांटों को बंद करने संबंधी सुझाव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त नहीं हुआ है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित नई कैष्टिव चूना पत्थर खदान में निर्धारित मापदंड का पालन

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (क्र. 1155) श्री दिलीप लहरिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चिल्हाटी में संचालित नई कैष्टिव चूना पत्थर खदान परियोजना खनन की

प्रकृति क्या है? खनन परियोजना के लिए प्रतिदिन कितने किलो लीटर पानी की आवश्यकता होती है? जल का स्रोत क्या है? अब तक कितने हेक्टेयर पर पुनर्भरण किया गया है? कितने हेक्टेयर पर वृक्षारोपण जलाशय विकसित तथा लैगून विकसित कब-कब किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया गया है ? विवरण देवें ? **(ख)** क्या नई कैपटिव चूना पत्थर खदान के द्वारा खदान में शासन या पर्यावरण के निर्देशानुसार धूल उत्पादन को कम करने के लिए ड्रिल बिट्स तथा धूल को वायु में फैलने से रोकने के लिए ड्रिलिंग मशीनों में पानी का जल छिड़काव प्रणाली लगाई गई है? क्या क्रशिंग के दौरान उत्पन्न धूल को एकत्रित करने के लिए क्रशिंग प्लांट पर बैग फिल्टर के साथ डी-डस्टिंग प्रणाली उपलब्ध है ? खदान के किनारे सड़कों के दोनों तरफ तथा आसपास कितने हेक्टेयर पर पौधारोपण व हरित पट्टिका का विकास किया गया है ? विवरण देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चिल्हाटी में मेसर्स नुवोको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ओपन कास्ट पद्धति से कैप्टिव चूना पत्थर खदान परियोजना का संचालन किया जा रहा है। खनन परियोजना हेतु लगभग 996 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। खदान द्वारा जल की आपूर्ति खदान के निचले बेंच में एकत्रित जल से की जाती है। प्रश्नाधीन खदान एक नई संचालित खदान है। अतः खदान में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। खदान प्रबंधन द्वारा लगभग 7.86 हेक्टेयर भू-भाग में पौधारोपण व हरित पट्टिका का विकास किया गया है। नई खदान होने के कारण वर्तमान में जलाशय तथा लैगून विकसित नहीं किया गया है, अपितु खनन पट्टा क्षेत्र में निचली बेंचों में जल संरक्षण किया जाता है। **(ख)** जी हाँ, खदान में धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए वैट ड्रिलिंग व्यवस्था एवं धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। खदान क्षेत्र में क्रशर स्थापित/संचालित नहीं है। अतः क्रशिंग प्लांट में बैग फिल्टर के साथ डी-डस्टिंग प्रणाली उपलब्धता के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। खदान प्रबंधन द्वारा खदान के किनारे तथा हॉल रोड पर लगभग 7.86 हेक्टेयर भू-भाग में पौधारोपण व हरित पट्टिका का विकास किया गया है।

जिला रायगढ़ के आश्रम एवं छात्रावासों हेतु सामग्री क्रय एवं वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

10. (क्र. 1316) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत आश्रम एवं छात्रावास हेतु वर्ष 2023-24 से 31 जनवरी, 2025 तक कौन-कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी राशि की क्रय की गयी है ? क्या सामग्री क्रय हेतु भंडार क्रय नियम का पालन किया गया था ? विकासखंडवार वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** क्रय सामग्री की आपूर्ति कितने आश्रम एवं छात्रावासों को गयी ? **(ग)** क्या उपरोक्त सामग्री क्रय में अनियमितता /भ्रष्टाचार की शिकायत विभाग की संज्ञान में आया है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। छात्रावास/आश्रमों हेतु सामग्री का क्रय जिला स्तर पर किया जाता है। क्रय की गई सामग्री हेतु छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है। **(ख)** रायगढ़ जिले में विभाग द्वारा संचालित 111 छात्रावास एवं 30 आश्रम इस प्रकार कुल 141 छात्रावास/आश्रमों में सामग्री की आपूर्ति की गई है। **(ग)** जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

बिरहोर विकास प्रकोष्ठ-बिलासपुर अंतर्गत प्रस्तावित कार्ययोजना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

11. (क्र. 1319) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिरहोर विकास प्रकोष्ठ-बिलासपुर का गठन कब किया गया? प्रकोष्ठ अंतर्गत कुल कितने ग्रामों को शामिल किया गया है? जिनमें से कितने परिवारों को लक्षित कर उनके सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य किये जा रहे हैं? विकासखंडवार, विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के तहत प्रकोष्ठ-बिलासपुर के गठन से दिनांक 31.01.2025 तक प्रकोष्ठ अंतर्गत शामिल ग्रामों में पीव्हीटीजी स्कीम एवं अन्य योजनाओं से कौन-कौन से कार्य प्रगतिरत/प्रस्तावित हैं और उक्त कार्यों को कब-कब प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी एवं उनकी अद्यतन, वित्तीय एवं भौतिक स्थिति क्या है? वर्षवार, शामिल ग्रामवार, विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बिरहोर विकास प्रकोष्ठ बिलासपुर का गठन छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. के आदेश क्रमांक एफ-20-05/ 2013/ 25-2 दिनांक 14 सितंबर 2022 के द्वारा किया गया है। प्रकोष्ठ अंतर्गत सम्मिलित विकासखंडवार कुल ग्राम एवं लक्षित परिवार संख्या की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह" \]](#)

वि.स. क्षेत्र मुंगेली अंतर्गत संचालित शासकीय पोस्ट/प्री मैट्रिक अनु. जाति बालक/कन्या छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

12. (क्र. 1358) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में कुल कितने शासकीय पोस्ट/प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक/कन्या छात्रावास संचालित हैं? दिनांक 31.01.2025 तक उन छात्रावासों में कुल कितने सीटें स्वीकृत हैं जिनमें कितने सीटों पर प्रवेश दिया गया, कितनी रिक्त हैं? सक्षम अधिकारियों द्वारा वर्ष 2023-2024 व 2024-2025 में कब-कब छात्रावास का निरीक्षण किया गया? निरीक्षण में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? छात्रावासों में प्रवेश हेतु कितने छात्र-छात्राओं का आवेदन प्राप्त हुआ? **(ख)** छात्रावासों में कितने पुराने छात्र-छात्राओं का नवीनकरण किया गया एवं नवीन छात्र-छात्राओं के लिए प्रवेश हेतु मैरिट सूची जारी की गई? क्या स्थानीय मूल निवासियों को प्राथमिकता दी गई? **(ग)** वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक छात्रावासों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु किन किन छात्रावासों में कितनी राशि व्यय की गई? क्या मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में नये शासकीय पोस्ट/प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक/कन्या छात्रावास प्रारंभ किये जाने तथा सीटों में वृद्धि किये जाने की कोई योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कितने तथा कब तक प्रारंभ की जावेगी? उपरोक्त अवधि में छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई? छात्र-छात्रा वार बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब'** अनुसार है। छात्रावासों में प्रवेश हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों हेतु कुल 310 एवं प्री मैट्रिक छात्रावासों हेतु कुल 403 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'स'** अनुसार है। नवीन छात्र-छात्राओं हेतु मैरिट सूची जारी की गई है एवं शासन के आदेशानुसार स्थानीय मूल निवासियों को प्राथमिकता दी गई है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'द'** अनुसार है। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में नये शासकीय पोस्ट/प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति

बालक/कन्या छात्रावास प्रारंभ किये जाने तथा सीटों में वृद्धि किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। उपरोक्त अवधि में उक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जाने वाली भोजन सहाय एवं शिष्यवृत्ति राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'इ'** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस" \]](#)

प्रकाश इंडस्ट्रीज स्टील प्लांट के अपशिष्ट के डिस्पोजल के प्रावधान

[आवास एवं पर्यावरण]

13. (क्र. 1400) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर चांपा के चांपा में प्रकाश इंडस्ट्रीज स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई तथा निर्माण/ उत्पादन कब प्रारंभ हुआ ? शासन के प्रावधान अनुसार स्टील प्लांट को अपने अपशिष्ट आयरन ओर युक्त पानी (दूषित काला पानी) तथा अन्य केमिकल युक्त अयोग्य अपशिष्टों को डिस्पोजल करने के क्या प्रावधान हैं? **(ख)** प्रकाश इंडस्ट्रीज स्टील प्लांट द्वारा आयरन ओर युक्त पानी दूषित जल की निकासी हेतु क्या व्यवस्था की गई? दूषित जल निकासी की जांच, विगत 02 वर्षों में उद्योग विभाग द्वारा किस स्तर के अधिकारी द्वारा की गई है? जांच में क्या पाया गया? यदि जांच नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं? **(ग)** क्या आयरन ओर युक्त दूषित जल को कृषि भूमि व नदी नालों में छोड़ने की शिकायतें प्राप्त हुई या विभाग के संज्ञान में आयी? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांक "ग" अनुसार किसानों को मुआवजा/क्षतिपूर्ति देने के क्या प्रावधान हैं? जनवरी, 2021 से 10 फरवरी, 2025 की स्थिति में कितने किसानों को मुआवजा /क्षतिपूर्ति कितनी राशि का दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चाम्पा, जिला-जांजगीर-चांपा की स्थापना वर्ष 1992-93 में की गई तथा उद्योग द्वारा दिनांक 01/11/1993 को उत्पादन प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत जारी क्रमशः जल एवं वायु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) की स्थापना एवं संचालन कर उपचारित दूषित जल का प्रक्रिया में पुनः उपयोग, डस्ट सप्रेसन हेतु छिडकाव एवं वृक्षारोपण में करने के साथ परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखे जाने की शर्त अधिरोपित की जाती है। **(ख)** मेसर्स प्रकाश स्टील लिमिटेड द्वारा औद्योगिक प्रक्रिया से जनित दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) क्षमता 19200 घन मीटर प्रतिदिन स्थापित किया गया है। जिससे दूषित जल का उपचार कर, उपचारित दूषित जल का प्रक्रिया में पुनः उपयोग, डस्ट सप्रेसन हेतु छिडकाव एवं वृक्षारोपण में किया जाता है। उद्योग द्वारा परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग में दूषित जल निकासी के संबंध में विगत 02 वर्षों में की गई जाँच की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** उद्योग द्वारा आयरन ओर युक्त दूषित जल को कृषि भूमि व नदी नालों में छोड़ने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कार्यालय उप-संचालक, कृषि, जिला-जांजगीर-चांपा तथा कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड चांपा द्वारा आयरन ओर युक्त दूषित जल को कृषि भूमि तथा नदी नालों में छोड़ने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश "ग" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस" \]](#)

दंतेवाड़ा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

14. (क्र. 1441) श्री चैतराम अटामी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दंतेवाड़ा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत दिनांक जनवरी, 2021 से 30 सितम्बर, 2023 तक (केन्द्र/राज्य/जिला) मद से कितने बोर खनन कार्य कराये गये हैं? कार्यवार भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं कार्य एजेन्सी/ठेकेदार के नाम सहित जानकारी प्रदाय करने का कष्ट करेंगे। **(ख)** क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सोलह उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण कार्य डीएमएफ मद से कराया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त सिंचाई से संबंधित कार्य जल संसाधन विभाग के माध्यम से करने की बजाए जिला खनिज संस्थान न्यास मद (डीएमएफ मद) का दुरूपयोग करते हुए कलेक्टर, दंतेवाड़ा एवं कृषि विभाग द्वारा अनियमित खरीदी की गई है एवं नियम विरुद्ध निर्माण कार्य किया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना में कितनी राशि व्यय की गई है, जानकारी प्रदाय करे क्या उक्त प्रकरण की जांच की जाएगी? **(ग)** दिनांक जनवरी, 2021से 30 सितम्बर 2023 तक (केन्द्र/राज्य/ जिला) मद से कितनी राशि की सामग्री क्रय की किस प्रक्रिया (टेण्डर, कोटेशन, जेम, सीएसआईडीसी) के तहत की गई है? सामग्रीवार भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं आपूर्तिकर्ता के नाम सहित जानकारी प्रदान करे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शामिल विकासखण्डों दंतेवाड़ा, गीदम, कुआकोण्डा एवं कटेकल्याण में जनवरी 2021 से 30 सितम्बर 2023 तक केन्द्र/राज्य/जिला मद से संचालनालय कृषि के अंतर्गत कुल-725 तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अंतर्गत कुल-62 नलकूप खनन कार्य कराये गये है। वर्षवार भौतिक/ वित्तीय प्रगति एवं खनन एजेन्सी की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अवधि में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि (डीएमएफ) मद से कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास जिला दंतेवाड़ा द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार संचालनालय कृषि के अंतर्गत 08 उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदेश अनुसार छ.ग. भण्डार क्रय नियम के प्रक्रिया अनुसार निविदा एवं जेम पोर्टल से किया गया है, योजना में कुल राशि रू. 802.54 लाख का व्यय किया गया है। जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- स** अनुसार है। चूंकि समस्त कार्यवाही शासन द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार की गई है, अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** जनवरी 2021 से 30 सितम्बर 2023 तक (केन्द्र/राज्य/जिला) मद से संचालनालय कृषि के अंतर्गत तारफेंसिंग कार्य में कुल रू. 664.996 लाख, निर्माण कार्य में कुल रू. 115.797 लाख एवं सामग्री में कुल रू. 15.186 लाख का जिला खनिज संस्थान न्यास मद से निविदा/कोटेशन/जेम पोर्टल से क्रय किया गया है। प्रक्रिया व सामग्रीवार भौतिक/ वित्तीय प्रगति एवं आपूर्तिकर्ता के नाम सहित जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- द** अनुसार है। प्रश्नावधि में संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अंतर्गत राशि रू. 1001.7663 लाख से बीज, पौध, खाद-उर्वरक/जैविक खाद, पौध संरक्षण दवायें, मशीन-उपकरण एवं अन्य सामग्री का क्रय किया गया है। वर्षवार सामग्रीवार, क्रय प्रक्रिया एवं आपूर्तिकर्ता के नाम सहित जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- इ, प्रपत्र-ई, प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख, प्रपत्र-ग, प्रपत्र-घ** अनुसार है।

अनुसूचित जाति घटक योजना एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना में अंतर्गत बजट

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

15. (क्र. 1498) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- नीति आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति विशेष घटक{एस सी पी} एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना{टी एस पी} बजट अंतर्गत बीते 03 वर्षों में खर्च नहीं की गई राशि को क्या अगले वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल किया गया है? यदि हाँ तो कितनी राशि एवं नहीं तो क्यों नहीं किया गया? जानकारी प्रदान करेंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी संकलित की जा रही है।

बेमेतरा जिले के विकास खण्ड साजा में हार्टिकल्चर कॉलेज का निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

16. (क्र. 1523) श्री ईश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विकासखण्ड- साजा में निर्माणाधीन हार्टिकल्चर वर्तमान में कॉलेज पूर्ण हो चुका है? **(ख)** यदि हाँ तो उसका आज पर्यन्त तक लोकार्पण क्यों नहीं हुआ है? तथा कब तक होगा **(ग)** यदि नहीं तो इस हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी नहीं, वर्तमान में महाविद्यालय भवन का पेंटिना का कार्य प्रगतिरत हैं। **(ख)** "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में कृषकों को कृषि यंत्रों पर प्रदत्त अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

17. (क्र. 1545) श्री अनुज शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धरसीवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कितने कृषकों को किन-किन कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान शासन द्वारा दिया गया है? विकासखंडवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक क अनुसार कृषि यंत्रों के क्रय हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर कौन-कौन सी एजेंसी को अधिकृत किया गया है? नाम व पता सहित जानकारी दें? **(ग)** क्या कृषकों को यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या-क्या शिकायतें तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से सबद्ध विकासखण्ड धरसीवा एवं तिल्दा अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कुल 1861 कृषकों को कृषि यंत्र/उपकरण अनुदान पर प्रदाय किये गये है। वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनवार प्रदाय कृषि यंत्रों/उपकरणों एवं वितरित अनुदान राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कम्पोनेंट-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान के तहत चैम्स प्रणाली के माध्यम से कृषि यंत्रों का क्रय नहीं किया जाता है, अपितु अनुदान पर कृषकों को चैम्स में पंजीकृत प्रदायकों के ऑफर दरों पर कृषकों द्वारा चयनित मेक/मॉडल का कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाता है। प्रश्नांश "क" अनुसार वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से सबद्ध विकासखण्डों में चैम्स प्रणाली के माध्यम से अनुदान पर वितरित कृषि यंत्रों के प्रदायकों के नाम व पता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** कम्पोनेंट क्रमांक-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के तहत कृषकों द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्रों के क्रय हेतु दरों का निर्धारण नहीं किया जाता है, अपितु पंजीकृत निर्माता द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी) प्रस्तुत की जाती है। कम्पोनेंट क्रमांक-4 एवं 6 के तहत कृषकों द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु पंजीकृत निर्माताओं/प्रदायकों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** प्रश्नाधीन अवधि में कृषकों को यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

बिलासपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग को विभिन्न मदों से प्राप्त राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

18. (क्र. 1554) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 तक बिलासपुर जिला में आदिमजाति कल्याण विभाग को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार, मदवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' से प्राप्त राशि से कितने एवं कौन-कौन से कार्य किये गये ? क्या-क्या सामग्री किस प्रक्रिया के अंतर्गत कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर, किस-किस कंपनी/फर्म से क्रय की गई ? **(ग)** क्या प्रश्नांश 'क' की खरीदी में अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। **(ग)** जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

जिला सक्ती में संचालित उद्योगों का अपशिष्ट उत्सर्जन एवं प्रबंधन

[आवास एवं पर्यावरण]

19. (क्र. 1559) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मेसर्स आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम उच्चपिंडा, जिला सक्ती एवं मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम बडाहरदा, जिला सक्ती के प्रदूषण से कौन - कौन से ग्राम प्रभावित हो रहे हैं ? उक्त उद्योगों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निष्पादन (डिस्पोज) कहां और कैसे किया जा रहा है ? प्रदूषण से बचाव हेतु क्या - क्या मानक तय किया गया है ? जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार स्थापित ईकाईयों का विभाग के किन - किन अधिकारियों द्वारा, 2021-2022 से 20 फरवरी, 2025 तक कब - कब निरीक्षण/जांच की गई ? क्या कमी पाई गई तथा विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** उक्त औद्योगिक ईकाईयों से वर्ष 2021-22 से 20 फरवरी, 2025 तक सी.एस.आर. मद से कितनी राशि प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी व्यय की गई है ? स्थान का नाम सहित विस्तृत जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, जिला सक्ती एवं मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, जिला-सक्ती ताप विद्युत संयंत्र के प्रदूषण से कोई ग्राम प्रभावित नहीं है। उक्त ताप विद्युत संयंत्रों से मुख्यतः अपशिष्ट पदार्थ के रूप में राखड़ उत्सर्जित होता है। उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ (राखड़) का निष्पादन (डिस्पोजल) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत सीमेंट निर्माण, ईट (फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं क्ले ऐश ब्रिक्स) निर्माण, लो लाईंग भू-भराव एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। प्रदूषण के बचाव हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति पत्र में मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- उच्चपिंडा, जिला सक्ती के यूनिट-1, 2 एवं 3 की चिमनियों से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घनमीटर एवं यूनिट-4 की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 30 मिलीग्राम प्रति सामान्य घनमीटर तथा मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, जिला-सक्ती के यूनिट-1 एवं 2 की चिमनियों से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घनमीटर के भीतर रखे जाने, उपचारित दूषित जल हेतु पी.एच. 5.5 से 9.0 के मध्य, बी.ओ.डी. 30 मिलीग्राम/लीटर से कम, सी.ओ.डी. 250 मिलीग्राम/लीटर से कम एवं सस्पेंडेड सॉलिड 100 मिलीग्राम/लीटर से कम रखे जाने के साथ परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति बनाये रखने, जनित फ्लाई ऐश का शत प्रतिशत निपटान सुनिश्चित करने एवं उद्योग के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भू-भाग में वृक्षारोपण किये जाने की शर्त अधिरोपित की गई

है।(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ग) कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार सी.एस.आर. के अंतर्गत उद्योग मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, जिला सक्ती से प्रश्नाधीन अवधि में राशि प्राप्त नहीं हुई है एवं मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, जिला-सक्ती से वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 10.00 लाख एवं वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 25.00 लाख प्राप्त हुई है। वर्ष 2022-23 में प्राप्त राशि रुपये 10.00 लाख में से रुपये 1.00 लाख सीपेट, रायपुर में छात्र की पढाई हेतु आर्थिक सहायता, रुपये 5.00 लाख ग्राम सक्ती में सीमार्ट पुराना औषधालय जीर्णोद्धार सह फर्नीचर क्रय एवं रुपये 4.00 लाख ग्राम पिहरीद में शहीद स्मारक सह चबूतरा निर्माण हेतु व्यय किया गया है। वर्ष 2024-25 में प्राप्त राशि रुपये 25.00 लाख का व्यय किया जाना शेष है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस" \]](#)

औद्योगिक क्षेत्र रायपुर में पावर प्लांट की स्थापना हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन

[आवास एवं पर्यावरण]

20. (क्र. 1575) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) पर्यावरण संरक्षण नियमों के अनुसार एक पावर प्लांट से दूसरे पावर प्लांट की दूरी कितनी होनी चाहिए? रायपुर जिले के आद्योगिक क्षेत्र में कौन-कौन से पावर प्लांट इस नियम के तहत स्थापित नहीं हैं? इसका निरीक्षण प्रतिवेदन क्या है? इन प्लांट की स्थापना के संबंध में विगत 3 वर्षों में कब, एवं किसको शिकायत की गई थी एवं शिकायत की अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) कंडिका 'क' क्षेत्र में स्थापित पावर प्लांट के द्वारा विगत 3 वर्ष में प्रति वर्ष सीएसआर मद से कितनी राशि, किस कार्य हेतु एवं कहाँ-कहाँ व्यय की जानी थी तथा कितनी राशि व्यय की गई है? सीएसआर की राशि व्यय/खर्च किस आधार पर की जाती है? (ग) कंडिका 'क' क्षेत्र में स्थापित पावर प्लांट के द्वारा विगत 3 वर्षों में सीएसआर मद के व्यय में अनियमितता के संबंध में क्या-क्या शिकायत, की गई एवं शिकायत की अद्यतन स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) दो पावर प्लांटों के मध्य दूरी के संबंध में आदेश जारी नहीं किये गये हैं। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ख) कार्यालय जिला पंचायत, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला रायपुर में स्थित पावर प्लांट के द्वारा विगत 03 वर्षों में कलेक्टर रायपुर सी.एस.आर. मद में प्राप्त आबंटन का विवरण निम्नानुसार है :- (1) वर्ष 2022 राशि निरंक (2) वर्ष 2023 राशि निरंक (3) वर्ष 2024 मेसर्स मिवान स्टील लिमिटेड, राशि 10.00 लाख, सीएस आर गतिविधियों हेतु उपरोक्त आबंटन से स्वीकृति कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :- क्रियान्वयन एजेंसी - प्राचार्य जे.योगानन्द छतीसगढ़ महाविद्यालय, बैरन बाजार रायपुर, कार्य का नाम - स्मार्ट बोर्ड विथ डिस्ले प्रोजेक्टर, सीपीव्ही, आदि 02 नग प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 4850 दिनांक 27/11/2024 प्रशासकीय स्वीकृति राशि 10 लाख ।(ग) कार्यालय जिला पंचायत, रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सी.एस.आर. मद के व्यय में अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदेश के आदिवासी छात्रावास के छात्र-छात्राओं को देय सुविधायें व लाभ

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

21. (क्र. 1591) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिनांक 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कितने शासकीय बालक/बालिका आश्रम, प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित हैं? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) कण्डिका 'क' के आश्रम व छात्रावासों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को कौन-कौन सी सुविधायें व लाभ

दिया जाता है? छात्रवृत्ति के रूप में इन्हें कितनी राशि दी जाती है? राशन एवं दैनिक उपयोग के अन्य सामान क्रय करने हेतु इन्हें कितनी-कितनी राशि दी जाती है? जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) दिनांक 31, जनवरी, 2025 की स्थिति में प्रदेश में विभाग अंतर्गत संचालित 3357 शासकीय बालक/बालिका आश्रम, प्री.मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। (ख) आश्रम व छात्रावासों में प्रवेशित छात्रा-छात्राओं को निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके अंतर्गत आवास, पौष्टिक आहार, साबून,तेल, पंलग, गद्दे, चादर, कंबल, तकिया, थाली, गिलास, खेल सामग्री सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। प्री मैट्रिक छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को राशि रूपये 1500/- प्रतिछात्र प्रतिमाह शिष्यवृत्ति राशि प्रदाय की जाती है। जिसमें 85 प्रतिशत राशि का उपयोग सामूहिक मेस एवं नाश्ता व्यय की प्रतिपूर्ति पर किया जा रहा है एवं 15 प्रतिशत राशि का व्यय स्कूल बैग, पी.टी.शु. ब्लेक शु. मोजा (दो पेयर) स्वेटर, चप्पल, अंडर गारमेंट (दो-दो नग) आदि पर किया जा रहा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना अंतर्गत रूपये 1200/- प्रति छात्र प्रतिमाह मेस संचालन हेतु प्रदाय किया जाता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

प्रदेश में संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

22. (क्र. 1611) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु कितने आवासीय विद्यालय कहां-कहां कब से संचालित है? कितनी सीट स्वीकृत हैं? वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कितने छात्र-छात्राएं पंजीकृत होकर अध्ययनरत हैं? वर्षवार, विद्यालय का नाम सहित जानकारी देवे? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार कितने विद्यालय स्वयं के भवन में संचालित हैं? कितने विद्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं ? भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति है या नहीं? यदि है तो स्वीकृति दिनांक एवं स्वीकृति राशि की जानकारी दें ? राशि स्वीकृति के बाद भवन निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है? (ग) उक्त विद्यालयों के संचालन हेतु वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में राज्यांश एवं केन्द्रांश की कितनी-कितनी राशि बजट में प्रावधानित थी एवं केन्द्रांश की कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई? (घ) किराये के भवनों में संचालित आवासीय विद्यालयों का प्रतिवर्ष कितना किराया भुगतान, किस-किस भवन स्वामी को किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश के 09 जिलों में 10 विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में कुल 2000 सीट स्वीकृत है। स्थान एवं स्वीकृत वर्ष की जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। वर्ष 2023-24 में 609 बालक एवं 609 कन्या इस प्रकार कुल 1218 छात्र-छात्राएं तथा वर्ष 2024-25 में 776 बालक एवं 782 कन्या इस प्रकार कुल 1558 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है। वर्षवार, विद्यालय का नाम सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ख) प्रदेश के 08 जिलों में 09 विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है। किराये के भवन में कोई भी विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है अपितु विभाग द्वारा निर्मित 250 सीटर छात्रावास गरांजी, जिला- नारायणपुर में, 01 विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय, ओरछा संचालित है। भवन विहीन, विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय, ओरछा, जिला-नारायणपुर हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ-17 97/2011/25-2, दिनांक 08.05.2023 द्वारा राशि रूपये 437.60 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत भवन निर्माण स्लैब लेवल तक

पूर्ण कर लिया गया है। (ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि बजट में प्रावधानित नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त विद्यालयों के संचालन हेतु केन्द्रांश मद में राशि प्रावधानित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य शासन द्वारा 10 विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु राशि रूपये 1300.00 लाख का प्रावधान मुख्य बजट में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में व्यय की गई राशि का मदवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (घ) प्रदेश में किराये के भवनों में संचालित, विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालयों की संख्या निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस" \]](#)

खैरागढ़ वि.स. क्षेत्र अंतर्गत गंडई में बन रहे हाईटेक फल सब्जी मंडी निर्माण में अनिमितता की जांच

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

23. (क्र. 1617) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गंडई में बन रहे हाईटेक फल सब्जी मंडी निर्माण के लिए निविदा कब आमंत्रित की गयी? क्या निविदा ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगाई गई थी? जानकारी देवे और निविदा किस फर्म को प्राप्त हुई? निर्माण कब प्रारम्भ किया गया और कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? (ख) निविदा प्राप्तकर्ता द्वारा हाईटेक फल सब्जी मंडी के निर्माण के दौरान क्या पुराने छड़ / सरिया का उपयोग करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? निर्माण के दौरान किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण/ भौतिक सत्यापन किया गया? निर्माण कार्य में क्या-क्या कमियां पाई गई, जानकारी देवे। (ग) निर्माण कार्य से संबंधित फर्म को कितनी राशि का भुगतान आज पर्यंत तक किया गया है? जानकारी देवे। (घ) क्या निर्माण कार्य में कोई कमी व गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इसके लिए किस स्तर के अधिकारी जिम्मेदार हैं? यदि निर्माण कंपनी जिम्मेदार है तो क्या कार्यवाही की जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) खैरागढ़ विधानसभा अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति गंडई में हाईटेक फल सब्जी मंडी निर्माण के लिये प्रथम ऑनलाईन निविदा दिनांक 18.01.2023 को तथा द्वितीय ऑनलाईन निविदा दिनांक 10.08.2023 को आमंत्रित की गई। निविदा ऑफलाईन आमंत्रित नहीं की गई थी। निविदा आलोक बिल्डटेक प्रायवेट लिमिटेड दुर्ग को प्राप्त हुई। कार्य दिनांक 29.09.2023 को प्रारंभ किया गया एवं कार्य अप्रैल-2025 तक पूर्ण होना संभावित है।(ख) निविदा प्राप्तकर्ता फर्म द्वारा हाईटेक फल सब्जी मंडी निर्माण के दौरान पुराने छड़/सरिया का उपयोग करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। निर्माण कार्यों का निरीक्षण/सत्यापन उप अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता द्वारा किया गया। निर्माण कार्यों में कोई कमियां नहीं पाई गई है।(ग) निर्माण कार्यों पर संबंधित फर्म को राशि रु. 8,25,30,579.00 का भुगतान दिनांक 14.02.2025 तक किया गया है।(घ) जी नहीं। निर्माण कार्यों में कोई कमी व गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के उद्योग/खदानों द्वारा वृक्षारोपण नहीं कराने से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण

[आवास एवं पर्यावरण]

24. (क्र. 1623) श्री इंद्र साव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में उद्योग/खदानों द्वारा वृक्षारोपण एवं ग्रीन बेल्ट निर्माण के संबंध में क्या-क्या नीति/नियम निर्धारित हैं ? (ख) 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संचालित उद्योग/खदानों में से कितने उद्योग/खदानों द्वारा कितना-कितना वृक्षारोपण कहां-कहां किया गया ? किन-किन उद्योग/खदानों द्वारा अपेक्षित वृक्षारोपण नहीं किया गया है ? (ग) प्रश्नांश "ख" के वृक्षारोपण नहीं

करने वाले उद्योगों/खदानों पर क्या कार्यवाही नियमानुसार की जानी थी एवं क्या कार्यवाही की गई ? विगत 03 वर्षों की वर्षवार, उद्योगवार/खदानवार जानकारी उपलब्ध करावें ? वि.खं. सिमगा में ग्राम-बछेरा स्थित श्याम स्पंज आयरन विरुद्ध पर्यावरण प्रदूषण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? **(घ)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के वि.खं.-सिमगा के ग्राम रिंगनी स्थित ए.पी.एल अपोलो प्लांट से निकलने वाले रसायन युक्त जल प्रदूषण के कारण ग्राम डोंगरिया के किसानों के खेतों में ट्यूबवेल से एसिड युक्त पानी निकलने, किसानों के फसल एवं जमीन की उर्वरा शक्ति कम होने संबंधी किसानों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत जारी सम्मति में उद्योगों को कुल भूमि के एक तिहाई क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण तथा खदानों को खदान के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन एवं उपलब्ध भूमि में वृक्षारोपण किये जाने की शर्त निर्धारित की जाती है। **(ख)** जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा अंतर्गत संचालित वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग/खदानों द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक की स्थिति में किए गए वृक्षारोपण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। सभी उद्योगों एवं खदानों में अपेक्षित वृक्षारोपण किया गया है। **(ग)** उद्योगों/खदानों द्वारा अपेक्षित वृक्षारोपण किया गया है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मेसर्स श्री श्याम स्पंज आयरन एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बछेरा, तहसील-सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के विरुद्ध पर्यावरण प्रदूषण संबंधित 02 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग से दिनांक 03/02/2023 के माध्यम से उद्योग से धूल एवं धुआं निकलने संबंधी प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 03/02/2023 को उद्योग का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। दूसरी शिकायत के परिपेक्ष्य में उद्योग का निरीक्षण दिनांक 10/01/2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग की दोनों किल्लों के कूलर डिस्चार्ज प्रभाग में स्थापित बैग फ़िल्टर सक्षमता के साथ कार्यरत नहीं पाये जाने के कारण फ़्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन एवं हाउस कीपिंग व्यवस्था असंतोषप्रद पाई गई। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा "31 क" के अंतर्गत दिनांक 12/01/2024 को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही के सत्यापन हेतु दिनांक 16/01/2024 को उद्योग का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया। उद्योग के द्वारा किये गये उल्लंघन अवधि हेतु उद्योग के विरुद्ध दिनांक 18/01/2024 को रुपये 24,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि को उद्योग द्वारा दिनांक 25/01/2024 को जमा किया गया है। **(घ)** जी हाँ, मेसर्स ए.पी.एल. अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-रिंगनी एवं केसदा, जिला-बलौदाबाजार -भाटापारा द्वारा एसिड युक्त पानी निकलने, किसानों के फसल एवं जमीन नष्ट होने सम्बन्धी शिकायत दिनांक 18/04/2024 एवं दिनांक 02/12/2024 को प्राप्त हुई है। दिनांक 18/04/2024 को प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 12/08/2024 को जिला प्रशासन के संयुक्त दल के साथ उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर से लगे हुए खेतों में केमिकल युक्त दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया व केमिकल स्लज का जमाव होना नहीं पाया गया। साथ ही फसल नुकसान की स्थिति अवलोकित नहीं की गई व स्थिति सामान्य पाई गई। कार्यालय, सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा से दिनांक 27/11/2024 के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। उपरोक्त शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 02/12/2024 को कृषकों की उपस्थिति में तहसीलदार सिमगा, सहायक प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संयुक्त जाँच दल के साथ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर से लगे हुए खेतों में केमिकल युक्त दूषित जल का निस्सारण नहीं पाया गया एवं केमिकल स्लज का जमाव होना नहीं पाया गया व स्थिति सामान्य पाई गई।

कार्यालय, उप संचालक, कृषि, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा से प्राप्त जानकारी अनुसार मेसर्स ए.पी.एल. अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रिंगनी एवं केसदा, जिला – बलौदाबाजार - भाटापारा प्लांट से निकलने वाले रसायनयुक्त जल से प्रदूषण के संबंध में प्राप्त शिकायत उपरान्त ग्राम-डोंगरिया के कृषक प्रक्षेत्रों का मिट्टी नमूना परीक्षण किया गया। किये गए परीक्षण में आर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान, आयरन, जिंक, मैंगनीज पोषक तत्वों की कमी पायी गई है। पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु कृषकों को गोबर खाद, हरी खाद (ढेंचा, सन) तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों को उपयोग करने की सलाह दी गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस" \]](#)

आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्राप्त एवं व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

25. (क्र. 1634) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक राज्य मद, केन्द्रांश एवं विशेष केन्द्रीय सहायता मद में कुल कितना बजट प्रावधान था? कितना केन्द्रांश मिला? विशेष केन्द्रीय सहायता मद से कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त समस्त राशि कितने कार्यों में कितनी-कितनी व्यय हुई? कितनी शेष है? वर्षवार, मदवार, कार्यवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार बीजापुर जिले को कितनी राशि प्रदान की गई? कितनी व्यय हुई है? कितनी शेष है? वर्षवार, मदवार, कार्य का नाम सहित, विकासखण्डवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है।

उद्योग प्रारंभ करने हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन

[आवास एवं पर्यावरण]

26. (क्र. 1639) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में विगत 02 वर्षों में कितने उद्योगपतियों से उद्योग प्रारंभ करने के लिए पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं, वर्षवार विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत एवं लंबित हैं? **(ग)** क्या प्रश्नांक अवधि में प्रदेश में उद्योगों के द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने के सन्दर्भ में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितने उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत प्रवर्ग 'क' श्रेणी के उद्योगों को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति तथा प्रवर्ग 'ख' श्रेणी के उद्योगों को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाती है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उद्योगों से प्राप्त होने वाले आवेदनों का अभिलेख छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त नहीं होता है। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ में जनवरी 2023 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में उद्योग प्रारंभ करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल 16 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। वर्षवार विवरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** जी हाँ। जनवरी 2023 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में उद्योगों के द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों के सन्दर्भ में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाये जाने पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा

'33क' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा '31क' के तहत 28 उद्योगों को विद्युत विच्छेदन/उत्पादन बंद करने हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया तथा कुल 35 उद्योगों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 38,31,125/- अधिरोपित की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस" \]](#)

बिलासपुर संभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित प्रकरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

27. (क्र. 1640) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजनांतर्गत कौन-कौन से खरीफ फसलों एवं कौन-कौन से रबी फसलों का बीमा करने का प्रावधान है? **(ख)** कंडिका "क" के बीमा योजनांतर्गत विगत 02 वर्षों में बिलासपुर संभाग अंतर्गत असामायिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि/क्षति होने कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? **(ग)** कंडिका "ख" अंतर्गत कितने प्रकरण स्वीकृत कर दावा का भुगतान किया गया है, कितने प्रकरण अस्वीकृत कर दिए गए हैं एवं कितने प्रकरण लंबित हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रदेश में कृषि फसलों के बीमा हेतु संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूग, मूंगफली, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी तथा मौसम रबी में गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, चना, अलसी एवं राई-सरसों फसलों का बीमा किया जाता है। **(ख)** कंडिका "क" अनुसार बिलासपुर संभाग में सम्मिलित जिलों की तहसीलों में असामायिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने संबंधी जोखिमो यथा स्थानीयकृत आपदा एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिये फैला कर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति अंतर्गत खरीफ एवं रबी वर्ष 2022-23 में 109 एवं वर्ष 2023-24 में 1502 आवेदन प्राप्त हुए हैं। **(ग)** प्रश्नांश "ख" अनुसार खरीफ एवं रबी वर्ष 2022-23 में सभी 109 आवेदन को स्वीकृत कर पात्रता अनुसार बीमा दावा भुगतान किया गया है। वर्ष 2023-24 में 1082 आवेदन को स्वीकृत कर पात्रता अनुसार 1072 आवेदन पर बीमा दावा भुगतान किया गया है एवं 10 आवेदन पर बीमा दावा भुगतान शेष है। 420 आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

महासमुन्द जिले में फसल बीमा व क्षतिपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

28. (क्र. 1646) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुन्द जिले में खरीफ फसल वर्ष 2023, रबी फसल वर्ष 2023 तथा खरीफ फसल वर्ष 2024 में कितने कृषकों के, कितने रकबे का, कितनी राशि का फसल बीमा किया गया, फसलवर्षवार, विकासखण्डवार बतायें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के फसल बीमा से किसानों को (क्षतिपूर्ति) बीमा राशि कितनी प्रदान की गई फसलवर्षवार, विकासखण्डवार कृषकों की संख्या एवं भुगतान की गई फसल बीमा (क्षतिपूर्ति) राशि बतायें ? **(ग)** उक्तावधि में फसल बीमा के दावे, लंबित प्रकरणों की संख्या, फसलवर्षवार, विकासखण्डवार बतायें ? फसल बीमा राशि भुगतान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** फसल बीमा योजनाओं में जानकारी का संधारण तहसील स्तर पर किया जाता है। प्रदेश में कृषि फसलों के बीमा हेतु संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत महासमुन्द जिले में सम्मिलित तहसीलों में मौसम खरीफ वर्ष 2023 में 1,23,816 कृषकों द्वारा 1,66,235.945 हेक्टेयर रकबे में रोपित फसलों हेतु रु. 82,615.273 लाख, मौसम रबी वर्ष 2023-24 में 843

कृषकों के 1480.821 हेक्टेयर रकबे हेतु रु. 471.712 लाख तथा मौसम खरीफ वर्ष 2024 में 1,27,702 कृषकों के 1,64,372.200 हेक्टेयर रकबे हेतु रु. 83812.400 लाख का फसल बीमा कराया गया। वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार, फसलवार, फसल बीमा कराने वाले कृषको की संख्या, बीमित रकबा, बीमित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** उद्यानिकी फसलो के बीमा हेतु संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2023 में 98 कृषकों द्वारा 9.46 हेक्टेयर में रोपित फसलों के लिए रु. 50.49 लाख, रबी 2023-24 में 117 कृषकों के 58.47 हेक्टेयर में रोपित फसलों के लिए रु. 46.78 लाख एवं खरीफ 2024-25 में 105 कृषकों द्वारा 35.22 हेक्टेयर में रोपित फसलों के लिए रु. 34.08 लाख का फसल बीमा किया गया। वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार, फसलवार, फसल बीमा कराने वाले कृषको की संख्या, बीमित रकबा, बीमित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश 'क' की अवधि में फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषको में से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ वर्ष 2023 में 9,932 कृषकों को रु. 2,073.945 लाख, रबी वर्ष 2023-24 में 698 कृषकों को रु. 235.244 लाख बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया है जबकि खरीफ वर्ष 2024 हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में दावा गणना एवं दावा राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार, फसलवार बीमा दावा भुगतान प्राप्त करने वाले कृषको की संख्या एवं दावा भुगतान की राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** प्रश्नाधीन अवधि में ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2023-24 में 69 कृषकों को रु. 2.01 लाख एवं रबी 2023-24 में 27 कृषकों को रु. 0.17 लाख का भुगतान किया गया है जबकि खरीफ 2024-25 में अधिसूचित फसलो में से टमाटर फसल हेतु दावा राशि की गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार, फसलवार बीमा दावा भुगतान प्राप्त करने वाले कृषको की संख्या एवं दावा भुगतान की राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश 'क' की अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2023, रबी 2023-24 एवं खरीफ 2024 में फसल बीमा का दावा भुगतान से संबंधित 03 प्रकरण लंबित है। वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार, फसलवार बीमा दावा भुगतान के लंबित प्रकरणों की संख्या व लंबित राशि तथा दावा भुगतान के लिए की जा रही कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है।** पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत किसी भी कृषक को बीमा दावा राशि का भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस" \]](#)

प्रदेश में संचालित छात्रावास/आश्रम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

29. (क्र. 1652) श्रीमती शोषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में वर्ष 2023-24 तक शासन द्वारा संचालित कितने छात्रावास/आश्रम भवन-विहीन थे अथवा किराये के भवनों या अन्य वैकल्पिक भवनों में संचालित थे? वर्ष 2024-25 में कितने छात्रावास/आश्रम भवनों का निर्माण किया गया ? जनवरी, 2025 की स्थिति में कितने आश्रम/छात्रावास भवन-विहीन हैं? विधानसभावार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया था एवं कुल कितनी राशि व्यय हुई थी? वर्ष 2024-25 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया था एवं जनवरी 2025 तक कितनी राशि व्यय हुई है? **(ग)** प्रावधानित राशि कम खर्च होने के कारण बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। **(ग)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस" \]](#)

जिला राजनांदगांव अंतर्गत बीज उत्पादक कृषकों को भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

30. (क्र. 1659) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- माह-जनवरी, 2023 से 31.1.2025 तक राजनांदगांव जिले के कितने किसानों से बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से पंजीकृत उपरांत कितनी मात्रा में धान बीज का उपार्जन किया गया है ? क्या बीज उत्पादक कृषकों को भुगतान कर दिया गया है या लंबित है ? यदि लंबित है तो उसका क्या कारण है? वर्षवार, विकासखंडवार पंजीकृत कृषक एवं रकबा व मात्रा, भुगतान, की जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : माह-जनवरी, 2023 से 31.1.2025 तक राजनांदगांव जिले के किसानों का बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत पंजीयन उपरांत छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज मात्रा का वर्षवार, विकासखंडवार पंजीकृत कृषक, रकबा एवं भुगतान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** वर्ष 2023 खरीफ मौसम में राजनांदगांव जिले के पंजीकृत कृषकों से उपार्जित धान बीज की राशि का भुगतान लंबित नहीं है। वर्ष 2024-25 में 31.1.2025 तक उपार्जित धान बीज का बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत बीज उपार्जन एवं भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अग्रिम भुगतान किया जा चुका है, शेष राशि का भुगतान निर्धारित उपार्जन दर पर बीज प्रमाणीकरण संस्था से बीज परीक्षण उपरांत पैकड बीज की मात्रा के अनुसार किया जावेगा। अतः लंबित भुगतान की जानकारी वर्तमान में दिया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीस" \]](#)

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित आश्रम/पोटाकेबिन के शौचालयों का मरम्मत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

31. (क्र. 1722) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित आश्रम/छात्रावास एवं पोटाकेबिन में मरम्मत योग्य, अत्यंत जर्जर एवं अनुपयोगी शौचालय कितने हैं? जिलावार बताएं। **(ख)** वर्ष 2023-2024 एवं 2024-25 में कौन-कौन से आश्रम, छात्रावास व पोटाकेबिन के शौचालयों का मरम्मत एवं नवीन निर्माण करवाया गया ? इस हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि बतावें ? **(ग)** इन शौचालयों को उपयोग युक्त बनाने अथवा नवीन शौचालय निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है। **(ग)** शौचालय को उपयोग युक्त बनाने अथवा नवीन शौचालय निर्माण हेतु अनुरक्षण -लघुनिर्माण मद से आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है।

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला-रायगढ़ अंतर्गत स्थापित उद्योगों में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्थापित यंत्र

[आवास एवं पर्यावरण]

1. (क्र. 555) श्रीमती गोमती साय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायगढ़ में स्थापित कितने उद्योगों/संयंत्रों से निकलने वाली दूषित हवा से वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु विशेष यंत्र लगाए गए हैं व उससे वायु प्रदूषण की रोकथाम में कितने प्रतिशत की कमी आई है? क्या वायु प्रदूषण को कम करने हेतु विभाग द्वारा उद्योगों में विशेष यंत्र लगाने हेतु अनिवार्य निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हां, तो निर्देश की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** जिले में संचालित उद्योगों/संयंत्रों का विगत 02 वर्षों में सक्षम अधिकारियों द्वारा कितनी बार निरीक्षण किया गया? **(ग)** किन-किन उद्योगों/संयंत्रों द्वारा संचालन में पर्यावरण संरक्षण नियम के विभागीय निर्देशों की अवहेलना पाई गई? उन उद्योगों/संयंत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, संयंत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जिला रायगढ़ में वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के कुल 38 उद्योग/संयंत्र स्थापित एवं संचालित है। इन उद्योगों/संयंत्रों से उत्सर्जित दूषित हवा से वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु ई.एस.पी. एवं बैग फिल्टर स्थापित किये गये है। ई.एस.पी. की दक्षता सामान्यतः 99 से 99.90 प्रतिशत तक तथा बैग फिल्टर की दक्षता सामान्यतः 95 से 99 प्रतिशत तक होती है। जी हाँ। उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी स्थापना सम्मति में उक्त उपस्करों की स्थापना की शर्त निहित की जाती है। नमूने के रूप में स्थापना सम्मति की प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब के कॉलम नंबर 1 से 7 अनुसार है। **(ग)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब के कॉलम नंबर 1 से 7 अनुसार है।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य वनों में कार्य हेतु ग्राम सभा को एजेंसी का दर्जा

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (क्र. 577) श्री इन्द्रशाह मंडावी (श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी) : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सितंबर 2024 में जारी गाइडलाइन में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य वन में कार्य करने हेतु ग्राम सभा को कार्य एजेंसी बनाने हेतु निर्देश के पालन में राज्य सरकार ने अभी तक ग्राम सभा को कार्य एजेंसी का दर्जा नहीं दिया है? यदि हाँ, तो कब तक ग्राम सभा को नरेगा, CAMPA, आदि मद से वन में किए जाने वाले कार्य के लिए ग्राम सभा को एजेंसी के रूप में मान्यता दे दी जाएगी? **(ख)** छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी तहसीलें हैं, जहां पर अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा होने के बाद भी पाँचवी अनुसूची क्षेत्र में शामिल नहीं है? ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है और केंद्र सरकार को इस हेतु प्रस्ताव कब तक भेज दिया जाएगा? **(ग)** क्या जिला मोहला-मानपुर-चौकी में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के अंतर्गत मान्य सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र में शर्त लगाई गई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सितंबर 2024 में जारी गाइडलाइन के कंडिका 8(2)(xi) में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्षेत्र के प्रबंधन योजना अंतर्गत वानिकी गतिविधियों जिसमें मृदा संरक्षण, बांस/तेंदू और अन्य लघुवनोपज का प्रबंधन, वृक्षारोपण, नर्सरी बनाना, सड़क निर्माण, जल संचयन संरचनाओं या कोई भी बहाली का कार्य शामिल है, के लिए उपलब्ध प्रांशगिक योजनाओं (केन्द्र एवं राज्य) से धन प्रदान किए जाने हेतु तथा उक्त कार्यों के संपादन हेतु ग्रामसभा को वास्तविक कार्यान्वयन एजेंसी की मान्यता दिए जाने का लेख किया गया है। इस गाइडलाइन के अनुवर्तन में शासन के पत्र क्र./3174/528/2021 /25-2, नवा रायपुर दिनांक 07.10.2024 द्वारा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा पंचायत विभाग को सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना के विकास के परिप्रेक्ष्य में ग्रामसभा को वास्तविक कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing Agency) की मान्यता देने के संबंध में निर्देश प्रसारित करने हेतु लेख किया गया है। ग्रामसभा को नरेगा, CAMPA आदि मद से वन में किए जाने वाले कार्य के लिए ग्रामसभा को एजेंसी के रूप में मान्यता दिए जाने की समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) छत्तीसगढ़ राज्य में बालोद जिले अंतर्गत डौण्डीलोहारा एवं कबीरधाम जिले अंतर्गत नवीन तहसील कुकदूर एवं रेंगाखारकला, इस प्रकार कुल 03 तहसीलें हैं, जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक होने के बाद भी पांचवी अनुसूची क्षेत्र में शामिल नहीं है। विभाग के पत्र क्रमांक एफ 20-36/2015/25-3/3372, दिनांक 30-05-2019 द्वारा बालोद जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के डौण्डीलोहारा राजस्व निरीक्षक मंडल एवं कबीरधाम जिले के विकासखण्ड बोड़ला के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक सर्कल रेंगाखारकला एवं विकासखण्ड पंडरिया के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक सर्कल कुकदूर के अंतर्गत गांवों की जनसंख्या सहित सूची संलग्न कर 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित किए जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई-दिल्ली को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव के संबंध में कुछ अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जो प्रक्रियाधीन है। (ग) जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के अंतर्गत मान्य सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र में शर्त नहीं लगाई गई है।

अनुसूचित जाति एवं मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

3. (क्र. 585) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिलासपुर संभाग में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण एवं मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत कौन-कौन से कार्य के लिए, कितने-कितने राशि स्वीकृत हुई? इनमें से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण व निरस्त हुए हैं, वर्तमान में इनकी वित्तीय एवं भौतिक स्थिति क्या है? अपूर्ण के कारण क्या है? जिलेवार, विधानसभावार, सहित विवरण देवे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिलासपुर संभाग में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण एवं मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है।

कोरबा स्थित प्रदूषण फैलाने वाले और प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाईयां

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (क्र. 722) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोरबा जिले में प्रदूषण फैलाने वाले और प्रदूषण मुक्त उद्योग कितने हैं और कहां-कहां स्थापित

हैं? **(ख)** प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए सीएसआर मद में दिए जा रहे योगदान की वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक की जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में उपलब्ध जानकारी अनुसार कोरबा जिले में प्रदूषणकारी उद्योगों के अंतर्गत लाल श्रेणी के 77, नारंगी श्रेणी के 91 तथा हरी श्रेणी के 119 उद्योग एवं अप्रदूषणकारी उद्योगों के अंतर्गत सफेद श्रेणी के 139 उद्योग स्थापित है। उद्योग स्थापना स्थल की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा, जिला-कोरबा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नांश अवधि 2022-23 से 31.01.2025 तक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा में प्रदूषणकारी उद्योगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सीएसआर मद में योगदान प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा प्रश्नांश अवधि 2022-23 से 31.01.2025 तक सीएसआर मद में किये गये विभिन्न कार्यों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है।

विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त प्राप्त मदों में प्राप्त राशि व किए गए कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

5. (क्र. 733) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 01 जनवरी, 2021 से दिनांक 31.01.2025 तक जिला राजनांदगाँव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मानपुर-मोहला-चौकी अंतर्गत विभागीय मदों के अतिरिक्त कौन-कौन से मदों से राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि का प्रयोग किन-किन कार्यों के लिये किया गया है? किये गये कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? तथा कितना-कितना भुगतान किया गया ? वर्षवार सहित जानकारी देवें। **(ख)** क्या भुगतान संबंधी किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो कृत कार्यवाही की कार्यवाहीवार, प्रकरणवार, जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** 01 जनवरी 2021 से वर्ष 2022-23 तक अविभाजित जिला राजनांदगाँव एवं मानपुर-मोहला-चौकी में वर्ष 2023-24 से 31.01.2025 तक इस विभाग को विभागीय मदों के अतिरिक्त मदों से राशि प्राप्त हुई है जिसका विस्तृत जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जिला - खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत विभागीय मदों के अतिरिक्त अन्य किसी मद में राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक है। **(ख)** जिला राजनांदगाँव, मानपुर-मोहला-चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सहायक आयुक्त कार्यालय में भुगतान संबंधित किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन एवं अत्याचार निवारण पुर्नवास राहत योजना की जानकारी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

6. (क्र. 734) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 01 जनवरी, 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक जिला राजनांदगाँव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मानपुर-मोहला-चौकी अंतर्गत अंतरजातीय विवाह के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये? वैवाहिक जोड़ों को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि, अन्य सुविधाओं सहित विकासखंडवार, जानकारी देवें। तथा अत्याचार निवारण पुर्नवास राहत योजना के अंतर्गत प्रभावित/लाभावित हितग्राहियों को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि, अन्य सुविधाओं सहित विकासखंडवार, संख्या की जानकारी देवें। **(ख)** क्या उपरोक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा किसी प्रकार की गलत जानकारी प्रदान कर योजनाओं का लाभ लेने की शिकायत प्राप्त हुई

हैं? यदि हां तो शिकायतों का निवारण कैसे किया गया तथा किसी प्रकार की कार्यवाही की गई हो तो कार्यवाहीवार, प्रकरणवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) 01 जनवरी, 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक जिला राजनांदगाँव, खैरागढ़ - छुईखदान- गंडई एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह हेतु 219 प्रकरण दर्ज किये गये तथा प्रति दंपत्ति राशि रू. 2.50 लाख के मान से 130 दंपत्ति को कुल राशि रू. 325.00 लाख प्रदान की गयी। जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। अत्याचार निवारण पुनर्वास राहत योजनान्तर्गत 143 प्रकरण दर्ज किये गये तथा 120 हितग्राही को राशि रू. 233.06 लाख प्रदत्त की गयी। जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एवं अत्याचार निवारण विकास खण्डवार राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं दी जाती है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस" \]](#)

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत कर्मचारियों को आवास आबंटन

[आवास एवं पर्यावरण]

7. (क्र. 889) श्री रामकुमार टोप्यो : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों, बैंक, एवं अन्य शासकीय उपक्रमों के लिए कहाँ-कहाँ और कितने आवास एवं भूखंड आबंटित हुए हैं? वर्ष 2022-23 से 2024-25 में दिनांक 1.01.2025 की स्थिति में ब्लॉक वार जानकारी प्रदान करें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : कार्यालय कलेक्टर सरगुजा, अंबिकापुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 44-44 जी.ए.डी. कार्टर्स का ब्लॉक-सीतापुर, ब्लॉक-बतौली एवं ब्लॉक मैनपाठ में निर्माण किया गया है। इसके पश्चात् लोक निर्माण विभाग को सीतापुर का दिनांक 17.09.2021, बतौली का दिनांक 20.09.2021 तथा मैनपाठ का दिनांक 22.09.2021 को हैण्डओवर कर दिया गया है। कलेक्टर सरगुजा के माध्यम से जी.ए.डी. कार्टर्स का राजस्व विभाग द्वारा आबंटन शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किया गया है। प्रश्नाधीन अवधि में विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों, बैंक एवं अन्य शासकीय उपक्रमों के लिए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आवास एवं भूखण्ड आबंटन नहीं किया गया है।

विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत योजनावार प्राप्त राशि व व्यय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

8. (क्र. 912) श्री रोहित साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास संबंधी कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? **(ख)** वर्ष 2022-23 से 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक योजनावार प्राप्त राशि का किन स्थानों/क्षेत्रों पर व्यय किया गया? विधानसभा क्षेत्र राजिम के सन्दर्भ में योजनावार एवं विकासखंड वार जानकारी प्रदाय करने का कष्ट करेंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स'** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स'** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस" \]](#)

आकांक्षी जिला और उनकी स्थिति

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

9. (क्र. 986) श्री अजय चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से जिले, कब-कब आकांक्षी जिला घोषित किये गये ? इसके उद्देश्य व नीति क्या है? राज्य स्तर पर प्रभारी अधिकारी कौन हैं एवं उन जिलों में विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करता है? **(ख)** उक्त जिला अंतर्गत वित्तीय पोषण कैसे किया जाता है? केन्द्रांश एव राज्यांश का अनुपात क्या है? इन जिलों में कौन-कौन से क्षेत्रों में, क्या-क्या कार्य संपादित कराए गए? दिनांक 31.01.2025 की स्थिति में आकांक्षी जिला घोषित होने के उपरांत क्या आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक परिवर्तन हुये हैं तथा यह कितनी अवधि का कार्यक्रम है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** भारत सरकार द्वारा देश के 115 पिछड़े जिलों का चिन्हांकन कर जनवरी, 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में 10 जिले - कोण्डागांव, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, राजनांदगांव, कोरबा एवं महासमुन्द जिलों का चयन किया गया था। राजनांदगांव जिले के तीन जिलों में (1) राजनांदगांव, (2) मोहला-मानपुर-अम्बागढ़चौकी, (3) खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में पुनर्गठित होने पर राज्य सरकार के प्रस्ताव अनुसार नीति आयोग द्वारा दिनांक 12 जून, 2023 को जारी पुनरीक्षित सूची में राजनांदगांव के स्थान पर मोहला-मानपुर-अम्बागढ़चौकी जिले को आकांक्षी जिले के रूप में शामिल किया गया है। 2/ यह कार्यक्रम जिले के समग्र सुधार के लिए है। कार्यक्रम अंतर्गत सभी चयनित जिलों में (1) स्वास्थ्य एवं पोषण, (2) शिक्षा, (3) कृषि एवं जल संसाधन, (4) वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, (5) आधारभूत संरचना कुल 5 क्षेत्रों में प्रगति लाने का उद्देश्य है। 3/ राज्य स्तर पर संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इन जिलों में जिला कलेक्टर द्वारा उक्त 5 क्षेत्रों से संबंधित जिले के विभागीय अधिकारियों के माध्यम से विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। ख) उक्त जिलों में वित्तीय पोषण संबंधित विभागों द्वारा विभागीय मद के राज्य बजट से किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह अच्छी रैंक प्राप्त करने पर जिलों को नीति आयोग से पुरस्कार स्वरूप अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। कार्यक्रम अंतर्गत केन्द्रांश एव राज्यांश का प्रावधान नहीं है। जिलों में **संपादित कार्य की जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** 2/ नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की प्रगति की मॉनिटरिंग हेतु तैयार चैम्पीयन-ऑफ-चेंज डैशबोर्ड में आकांक्षी जिला घोषित होने के उपरांत जिलों में हुए आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक परिवर्तन की प्रगति मापने हेतु (1) स्वास्थ्य एवं पोषण, (2) शिक्षा, (3) कृषि एवं जल संसाधन, (4) वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, (5) आधारभूत संरचना कुल 5 क्षेत्रों के 49 "की पाइंट इंडिकेटर" की सतत निगरानी की जाती है। दिनांक 31-01-2025 की स्थिति में जानकारी उपलब्ध नहीं है, अपितु थीमवार अद्यतन प्रगति की **जानकारी मार्च, 2024 की स्थिति में संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है** एवं उक्त 5 थीम के अनुसार आकांक्षी जिलों की **डेल्टा रैंकिंग सितम्बर, 2024 की स्थिति में संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।** भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम की अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"]

प्रदेश में संचालित कृषि योजनायें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

10. (क्र. 987) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्थिति में प्रदेश के किसानों के लिये राज्य एवं केन्द्र सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? उसके अंतर्गत क्या-क्या लाभ, किसानों को प्रदाय किए जा रहे हैं ? **(ख)** उक्त

योजनांतर्गत वित्त पोषण कैसे किया जाता है? केन्द्रांश/राज्यांश कितना है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक कितनी-कितनी राशि का प्रावधान कर, व्यय किये गये?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्थिति में प्रदेश के किसानों के लिये राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनायें एवं किसानों को दिये जा रहे लाभ की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र -ब अनुसार है। (ख) संचालित योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक बजट प्रावधान, आबंटन एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र -द अनुसार है।

रायपुर नगर में पूर्व में लागू मास्टर प्लान में दार्शत मार्गों का निर्माण

[आवास एवं पर्यावरण]

11. (क्र. 1026) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर नगर में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान के पूर्व जो मास्टर प्लान लागू था, उसमें नगर के अंदर एवं नगर के चारों ओर कितनी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित था ? इसमें से कितनी सड़को का निर्माण हुआ कितनी अपूर्ण हैं ? पूर्ण विवरण दें। (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित मास्टर प्लान में, जहां-जहां सड़कों का निर्माण प्रस्तावित था, वे वर्तमान मास्टर प्लान में यथावत् है अथवा इसे परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि परिवर्तित कर दिया गया है तो क्यों ? विवरण दें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) रायपुर विकास योजना 2021 में 70 मुख्य मार्ग व 07 मार्ग नगर के चारों ओर प्रस्तावित थे। जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 02 एवं कॉलम 03 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 04 एवं 05 अनुसार है। वर्तमान भौतिक एवं स्थानिक परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा नियोजन दृष्टिकोण से उक्त मार्गों को परिवर्तित किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

रायपुर नगर में लागू मास्टर प्लान

[आवास एवं पर्यावरण]

12. (क्र. 1027) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर नगर में वर्तमान में कौन सा मास्टर प्लान लागू है ? यह प्लान कब बना, इसका प्रारंभिक प्रकाशन कब हुआ, उसमें कितनी आपत्तियां प्राप्त हुई ? इन आपत्तियों में कितने का निराकरण किया गया, कितनों को खारिज कर दिया गया ? इसका अंतिम प्रकाशन कब हुआ एवं यह कब से लागू है तथा इसे कितने वर्षों के लिए बनाया गया है ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित मास्टर प्लान में नगर में कितनी भूमि आमोद प्रमोद के लिए, कितनी शैक्षणिक प्रयोजनार्थ, कितनी आवासीय हेतु तथा कितनी व्यवसायिक प्रयोजनार्थ सुरक्षित रखी गई है? विवरण दें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) रायपुर नगर में वर्तमान में रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 लागू है। यह विकास योजना अगस्त 2022 में बनी, जिसका प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 15.11.2022 को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (1) के तहत किया गया था। विकास योजना प्रारूप पर निर्धारित समयावधि के अंतर्गत 1487 आपत्ति/सुझाव प्राप्त किए गए। सभी 1487 आपत्तियों का निराकरण किया गया, 1081 आपत्तियों को खारिज किया गया है। रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 24 जुलाई, 2023 को अंतिम प्रकाशन कर अनुमोदन किया गया।

रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031, वर्ष 2031 तक के लिए प्रस्तावित किया गया है। (ख) रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में आमोद-प्रमोद हेतु 3539.18 हेक्टेयर, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक मान्य) हेतु 1902.83 हेक्टेयर, मिश्रित (शैक्षणिक मान्य) हेतु 3958.24 हेक्टेयर, आवासीय हेतु 13782.20 हेक्टेयर तथा व्यावसायिक प्रयोजन हेतु 2426.11 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

रायगढ़ जिला के टीपाखोल में कार्टज खदान हेतु पर्यावरण स्वीकृति

[आवास एवं पर्यावरण]

13. (क्र. 1044) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिला में खदान आबंटन हेतु पर्यावरण स्वीकृति के क्या-क्या नियम हैं ? किन शर्तों के अधीन पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है? क्या टीपाखोल में कार्टज खदान हेतु पर्यावरण के नियमानुसार स्वीकृति दी गई है ? क्या तथ्यों को छुपा कर पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है और कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) जारी किया गया है। जिसके अनुसार खनन क्षेत्र के लिये प्रवर्ग "क" अंतर्गत कोयले हेतु खनन पट्टा क्षेत्र 500 हेक्टेयर से अधिक तथा अन्य मुख्य खनिज हेतु खनन पट्टा क्षेत्र 250 हेक्टेयर से अधिक होने पर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एवं प्रवर्ग "ख" अंतर्गत समस्त गौण खनिज के प्रकरण, कोयले हेतु खनन पट्टा क्षेत्र 500 हेक्टेयर से कम तथा अन्य मुख्य खनिज हेतु खनन पट्टा क्षेत्र 250 हेक्टेयर से कम होने पर राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का प्रावधान है। खदानों को 7.5 मीटर सेफ्टी बेल्ट में वृक्षारोपण करने, उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु पर्याप्त व्यवस्था करने, उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का प्रभावी नियंत्रण करने, उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र, ओवरबर्डन डम्प आदि में सघन वृक्षारोपण किये जाने आदि प्रमुख शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है। जी हाँ। जिला रायगढ़ में ग्राम टीपाखोल में मेसर्स यंगटी इन्टर्प्राइजेश कार्टजाईट माईस को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 22.12.2009 को नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। जी नहीं, तथ्यों को छुपा कर पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसानों के लिए कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनायें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

14. (क्र. 1045) श्री उमेश पटेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश के किसानों के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं? जानकारी दें। उक्त योजनाओं में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कितनी सब्सिडी किन-किन योजनाओं में दी जाती है ? इन योजनाओं का लाभ आम किसानों तक सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए क्या कार्ययोजना है ? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : प्रदेश के किसानों के लिए कृषि विभाग के अंतर्गत संचालनालय कृषि द्वारा संचालित योजनाओं की सूची एवं योजनाओं में प्रावधानित सब्सिडी का योजनावार विवरण पुस्तकालय में रखे क्रमशः प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-व अनुसार है। विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तर पर योजनावार निर्धारित बजट प्रावधान तथा योजना में

निहित गतिविधि घटक अनुसार वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर सक्षम अनुमोदन उपरांत जिलावार-योजनावार लक्ष्य आबंटित किया जाता है। जिला स्तर पर सक्षम अनुमोदन तथा विकासखंडवार फसलों की उपयुक्तता एवं उत्पादकता वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विकासखण्डवार लक्ष्य आबंटित किया जाता है। इस विकासखण्ड स्तरीय लक्ष्य की पूर्ति हेतु योजनाओं के दिशा-निर्देश अनुसार क्षेत्र चयन कर ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक/प्रशिक्षण का आयोजन कर लघु-सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग को प्राथमिकता देते हुए किसानों का चयन कर, योजना का लाभ सुचारू रूप से किसानों तक पहुँचाने की कार्ययोजना है। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अंतर्गत संचालित योजनाओं की सूची एवं योजनाओं में प्रावधानित सब्सिडी का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से स्वीकृत निर्माण कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

15. (क्र. 1057) श्री गुरु खुशवंत साहेब : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** आरंग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से दिनांक 31.01.2025 के मध्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत किन-किन ग्रामों में, कितनी-कितनी राशि के, कौन-कौन से निर्माण /विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है? वर्षवार तथा ग्रामवार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका **(क)** अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण है? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** आरंग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से दिनांक 31.01.2025 के मध्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 12 ग्रामों का चयन भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा किया गया। उक्त चयनित ग्रामों के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण स्वीकृत कार्यों की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विधानसभा क्षेत्र राजिम में विभागीय योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्त योजनाएं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

16. (क्र. 1202) श्री रोहित साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग में ऐसी कितनी योजनायें हैं, जिसमें छ. ग. शासन अथवा केंद्र शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है ? इनमें से कितनी योजनायें जिला गरियाबंद में संचालित हैं? **(ख)** इन योजनाओं से संबंधित अनुदान प्राप्ति तथा योजनाओं के लाभ प्राप्ति हेतु वर्ष 2023-24 व 2024-25 में कितने आवेदन व शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत प्राप्त कुल प्रकरण , निराकृत प्रकरण तथा लंबित प्रकरणों का विवरण प्रदाय करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग में छ.ग. शासन अथवा केंद्र शासन द्वारा अनुदान दिये जाने की योजनाओं एवं जिला-गरियाबंद में संचालित योजनाओं का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है। (ख)** विधानसभा क्षेत्र राजिम के विकासखण्ड-गरियाबंद, छुरा एवं फिंगेश्वर अंतर्गत योजनाओं से संबंधित अनुदान प्राप्ति तथा योजनाओं के लाभ प्राप्ति हेतु वर्ष 2023-24 व 2024-25 में प्राप्त आवेदन, निराकृत आवेदन एवं लंबित आवेदन की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-ई अनुसार है।** प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त शिकायत प्रकरण निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

जिला-धमतरी अंतर्गत अन्त्योदय योजना से लाभान्वित युवा

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

17. (क्र. 1206) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या शासन द्वारा गरीब अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार हेतु कोई योजना चलाई जा रही है ? यदि हाँ तो योजना का नाम बतायें ? **(ख)** अन्त्योदय योजना का जिला धमतरी में वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक कितने युवाओं को लाभ मिला है ? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हाँ, गरीब अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार हेतु निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं:- 1. राज्य शासन योजनान्तर्गत - आदिवासी स्वरोजगार योजना (बैंक प्रवर्तित योजना) 2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम अंतर्गत योजना-स्मॉल बिजनेस, महिला सशक्तिकरण, टर्म लोन, शिक्षा ऋण आदि। **(ख)** अन्त्योदय योजना का जिला धमतरी में वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक कुल 72 युवाओं को लाभ मिला है।

जिला धमतरी में अमानक बीज एवं कीटनाशक की प्राप्त शिकायत

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

18. (क्र. 1207) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला धमतरी में अमानक बीज और कीटनाशक की कितनी शिकायतें वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक किस-किस विकासखण्ड में, किन-किन दुकानदार और कम्पनियों के विरोध में प्राप्त हुई है और उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी अंतर्गत जिला धमतरी में वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक अमानक बीज एवं कीटनाशक के संबंध में किसी भी दुकानदार और कम्पनी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

जिला रायगढ़ अंतर्गत उद्योगों द्वारा वृक्षारोपण

[आवास एवं पर्यावरण]

19. (क्र. 1317) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला रायगढ़ में कितने उद्योगों द्वारा कहाँ-कहाँ वृक्षारोपण किया गया है? कितने उद्योगों ने वृक्षारोपण नहीं किया? वृक्षारोपण नहीं करने वाले उद्योगों पर नियमानुसार क्या कार्यवाही की जानी थी ? क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जिला रायगढ़ अंतर्गत वृहद एवं मध्यम श्रेणी के सभी 68 उद्योगों/ खदानों द्वारा अपने परिसर के भीतर वृक्षारोपण किया गया है। चूंकि सभी उद्योगों/खदानों द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रायगढ़ जिला में आश्रम ,छात्रावासों में निर्माण व मरम्मत में व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

20. (क्र. 1318) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-रायगढ़ जिला अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जनवरी, 2025 की स्थिति में विभिन्न आश्रम छात्रावास में

कितने व कहाँ-कहाँ निर्माण अथवा मरम्मत कार्य कराये गये हैं? उक्त समयावधि में जिला में कितनी राशि आवंटित की गयी थी ? किन-किन कार्यों में कितनी राशि खर्च की गयी है ? क्या वर्तमान में कोई कार्य लंबित है ? अगर लंबित है तो उसके निराकरण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। उक्त समयावधि में 1817.94 लाख की राशि आवंटित की गयी। जी हॉ। वर्ष 2022-23 में स्वीकृत 01 कार्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण लंबित है। निराकरण हेतु स्थानीय हाई स्कूल में वैकल्पिक व्यवस्था का चयन किया गया है। जून 2025 तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास (देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत) योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

21. (क्र. 1320) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास (देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत) योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024- 25 में देवगुड़ी निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई? इनमें से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण व निरस्त हुए तथा कितने प्रस्तावित हैं? वर्तमान में इनकी वित्तीय एवं भौतिक स्थिति क्या है? अपूर्ण के कारण क्या हैं? जिलेवार, विधानसभावार, ग्रामवार, विवरण देवें? **(ख)** कंडिका "क" के तहत योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण के संदर्भ में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए हैं एवं कितने लंबित हैं? जिलेवार, विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है।

जिला खनिज न्यास निधि से सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, महासमुंद को प्राप्त राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

22. (क्र. 1336) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी, 2025 तक की स्थिति में जिला खनिज न्यास निधि से सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, महासमुंद, जिला महासमुंद को किन-किन कार्यों के लिए, कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि से कार्यों को किस पद्धति से क्रियान्वित किया गया? वर्षवार, कार्यवार ब्योरे देवें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार कार्यपूर्णता की अवधि कितनी थी? कार्य कब पूर्ण हुआ? कितनी राशि का भुगतान किस फर्म/संस्था को किया गया? 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में कार्य की वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

महासमुंद जिला में अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान हेतु प्रदाय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

23. (क्र. 1337) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला महासमुंद में वर्ष 2022-2023 से 30 जनवरी, 2025 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए कितनी-कितनी राशि, किन-किन एजेंसियों, फर्मों व एजेंसियों को प्रदाय की गई है? वर्षवार

बताएं? **(ख)** क्या आदिवासियों को प्रशिक्षण व सामग्री वितरण में उक्त अवधि में अनियमितता की शिकायत मिली है? अगर हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? अगर नहीं तो, क्यों? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला महासमुंद में वर्ष 2022-23 से 30 जनवरी, 2025 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए वर्षवार एजेंसियों, फर्मों व एजेंसियों को प्रदायित राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश अवधि में आदिवासियों को प्रशिक्षण व सामग्री वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा द्वारा फ्लाइंग एश के उत्सर्जन एवं निष्पादन की प्राप्त शिकायतें

[आवास एवं पर्यावरण]

24. (क्र. 1344) श्री ब्यास कश्यप : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जांजगीर-चांपा में संचालित प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोटाडबरी (चांपा) द्वारा जनवरी 2024 से 2025 तक कुल कितना फ्लाइंग एश का उत्सर्जन किया गया है? माहवार जानकारी देवें? फ्लाइंग एश उत्सर्जन एवं निष्पादन हेतु एनजीटी एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा क्या नियम वर्तमान में प्रभावशील हैं तथा उक्त इंडस्ट्रीज में किस अधिकारी के द्वारा कब जांच की गई व जांच में क्या निष्कर्ष दिये गये एवं क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार फ्लाइंग एश के निष्पादन हेतु किस स्थान की अनुमति, कितनी मात्रा के लिये दी गई तथा इन चिन्हांकित क्षेत्रों में कितनी मात्रा का निष्पादन उक्त क्षेत्रों में किया गया? माहवार जानकारी देवें? **(ग)** कंडिका "क" अनुसार फ्लाइंग एश निष्पादन हेतु उक्त अवधि में किसे, किस आधार पर व कब कार्य दिया गया था? उनके द्वारा कितने फ्लाइंग एश का परिवहन किया गया? उन्हें कितना भुगतान किया गया है? माहवार, फर्मवार व निष्पादन मात्रावार जानकारी देवें। उक्त कार्य के लिये प्राप्त भुगतान के एवज में कितना जीएसटी जमा किया जाना था, कितना जमा किया गया व कितनी राशि जमा किया जाना शेष है? **(घ)** कंडिका "क" के कार्य हेतु किसके द्वारा, क्या शिकायत की गई व उन पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज, हथनेवरा, जांजगीर-चांपा द्वारा जनवरी 2024 से 2025 तक कुल 6,90,423 मीट्रिक टन फ्लाइंग एश जनित किया गया है। माहवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। वर्तमान में ताप विद्युत संयंत्रों से जनित फ्लाइंग एश के अपवहन/निष्पादन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31/12/2021 को अधिसूचना जारी की गई है, जो कि वर्तमान में प्रभावशील है। उक्त उद्योग में विगत 03 वर्षों में की गई जांच की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है। **(ग)** फ्लाइंग एश निष्पादन की जवाबदारी उद्योग प्रबंधन की है। प्रश्न में उल्लेखित बिंदु यथा निष्पादन कार्य देने का आधार, फर्म का नाम, कार्य देने की तिथि, फर्मवार परिवहन, निस्सारण एवं भुगतान आदि की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज, हथनेवरा, जांजगीर-चांपा द्वारा फ्लाइंग एश निष्पादन के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

विधानसभा क्षेत्र मुंगेली अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन योजना में सम्मिलित किये गये ग्राम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

25. (क्र. 1360) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में दिनांक 31/01/2025 तक प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कुल

कितने ग्रामों को शामिल किया गया है, जिसमें से कितने परिवारों को लक्षित कर उनके समाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य किये जा रहे हैं? जानकारी दें? (ख) कंडिका "क" की योजना के तहत कितने परिवारों को आवास, स्वच्छ पेय, बेहतर सड़क, शिक्षा, आजिविका एवं पोषण से लाभान्वित किया जा रहा है? उक्त योजना के तहत मुंगेली विधानसभा क्षेत्र हेतु कौन कौन से कार्य प्रगतिरत/प्रस्तावित हैं और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कोई भी ग्राम शामिल नहीं है। अतः जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला-महासमुन्द अंतर्गत स्थित उद्योगों में प्रदूषण नियन्त्रण हेतु कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

26. (क्र. 1456) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) जिला-महासमुन्द अंतर्गत स्थित औद्योगिक इकाईयों में प्रदुषण नियन्त्रण की समुचित व्यवस्था की जांच 01 जनवरी, 2024 से 07 फरवरी, 2025 तक कब-कब की गई, उद्योगवार बतायें? (ख) प्रश्नांश 'क' की जांच में प्राप्त अनियमितता, व्यवस्था की कमी पर उक्तावधि में उद्योगवार क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु उठाये जा रहे प्रभावी कदमों की जानकारी बतायें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)जिला महासमुन्द अंतर्गत मुख्यतः स्पंज ऑयरन, बॉयोमास पाँवर प्लांट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, राईस मिल एवं क्रशर आदि उद्योग स्थापित एवं संचालित है। उक्त उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रकृति अनुसार ई.एस.पी., बैग फिल्टर, स्क्रबर एवं सॉयक्लोन डस्ट कलेक्टर स्थापित किये गये है तथा आवश्यकतानुसार चिमनी की स्थापना की जाती है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वॉटर टैंकर/फिक्सड स्पिंकलर के माध्यम से जल छिड़काव किया जाता है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र (ई.टी.पी./एस.टी.पी.) की स्थापना की गई है। उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट का नियमानुसार अपवहन किया जाता है। उद्योग द्वारा कच्चे माल/ठोस अपशिष्टों का परिवहन तारपोलिन से ढके वाहनों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही उद्योग द्वारा कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाता है। उद्योगों का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है एवं उल्लंघन की स्थिति पाए जाने पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33 क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के अंतर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने, उत्पादन बंद करने / विद्युत विच्छेदन किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनायें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

27. (क्र. 1491) श्री ललित चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला-दुर्ग में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए विगत 03 वर्षों में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि, आबंटित की गई ? आबंटित की गई राशि की वर्षवार, योजनावार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार उक्त योजनावार आबंटित राशि के व्यय उपरांत उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र का विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के लिए कार्य करने

वाले कितने पंजीकृत ठेकेदार हैं ? ठेकेदारों की पंजीकृत स्थिति अनुसार विवरण प्रदान करें। विगत 03 वर्षों में उद्यानिक एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग दुर्ग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं के आबंटित मद की जानकारी वर्षवार, मदवार जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला-दुर्ग में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए विगत 03 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा राज्य पोषित योजनाओं में राशि रु. 260.42 लाख तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा राशि रु. 873.91 लाख तथा केन्द्र सरकार द्वारा राशि रु. 1310.86 केन्द्रांश जारी किया गया। आबंटित राशि की वर्षवार, योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -अ एवं प्रपत्र- ब अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार योजनावार आबंटित राशि के व्यय उपरांत कार्य पूर्णता प्रस्तुत करने की प्रक्रिया विभाग में प्रचलन में नहीं है। अपितु योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रदाय भौतिक एवं वित्तीय आबंटन के विरुद्ध की गयी पूर्ति की प्रगति विभाग को प्रेषित की जाती है। जिला दुर्ग को प्रदाय भौतिक एवं वित्तीय आबंटन के विरुद्ध की गयी पूर्ति की प्रगति का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र- ब अनुसार है।** (ग) प्रश्नांश "क" अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के लिए कार्य करने हेतु कोई भी ठेकेदार पंजीकृत नहीं हैं। अतः जानकारी निरंक है। विगत 03 वर्षों में उद्यानिकी विभाग दुर्ग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं के आबंटित मद की वर्षवार, मदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -अ एवं प्रपत्र- ब अनुसार है।**

रायपुर जिले में मौसम आधारित फसल बीमा के तहत बीमित कृषकों को मुआवजा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

28. (क्र. 1546) श्री अनुज शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2022 से जनवरी, 2025 तक मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत रायपुर जिला में कितने ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा कौन-कौन सी बीमा कंपनी के द्वारा किया गया? संपूर्ण जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांक क अनुसार कितने कृषकों को मुआवजा प्रदाय किया गया? यदि नहीं तो कब तक मुआवजा प्रदान किया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) एवं (ख) की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

जिला रायपुर में संचालित छात्रावासों में उपलब्ध सुविधायें

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

29. (क्र. 1547) श्री अनुज शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर जिले अंतर्गत कहां-कहां पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावास तथा प्री मैट्रिक बालक/कन्या छात्रावास संचालित हैं? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार छात्र-छात्राओं को छात्रावास में कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? क्या इसका पालन सुनिश्चित किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांक 'ख' अनुसार वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि में छात्रावासों में क्या-क्या अव्यवस्था की शिकायतें मिली है तथा उन पर क्या कार्यवाही गई? यदि नहीं तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) छात्रा-

छात्राओं को निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके अंतर्गत आवास, पौष्टिक आहार, साबून, तेल, पंलग, गद्दे, चादर, कंबल, तकिया, थाली, गिलास, खेल सामग्री सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिसका पालन किया जा रहा है। (ग) रायपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि में शासकीय नवीन पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास शंकर नगर, रायपुर में पाइप लाइन से पानी सप्लाई बंद होने की शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसे ठीक कराया गया है। शासकीय पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास मोती नगर, रायपुर के छात्रों द्वारा वाटर प्यूरिफायर खराब होने की शिकायत प्राप्त हुआ था। वाटर प्यूरिफायर ठीक कराया गया। शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास टिकरापारा, रायपुर में निवासरत छात्रों द्वारा सोलर पैनल, वाटर कूलर की रिपेयरिंग कराने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था, जिसे रिपेयरिंग करा दिया गया है। शासकीय नवीन पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास संतोषी नगर, रायपुर में आवश्यक सामग्री जैसे गद्दा, कंबल, चादर, बड़ी दरी, लोहा रेक आदि की मांग पत्र प्राप्त हुआ था। आवश्यक सामग्री की प्रतिपूर्ति संबंधित छात्रावास को उपलब्ध करा दी गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

बिलासपुर जिला में किसानों द्वारा पराली जलाए जाने की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

30. (क्र. 1555) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या राज्य में खेतों में पड़ी पराली एवं खरपतवार जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है ? यदि हां तो इस हेतु कब-कब निर्देश प्रसारित किया गया ? नियम की प्रति उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या विभाग की ओर से पराली नहीं जलाने हेतु किसानों को जागरूक करने हेतु प्रयास किया गया ? यदि हां तो किस स्तर के अधिकारी को इसकी निगरानी हेतु अधिकृत किया गया है ? **(ग)** बिलासपुर जिला अंतर्गत पराली जलाने की कितनी शिकायतें वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 तक विभाग को प्राप्त हुई ? नियमानुसार क्या-क्या दण्ड/अर्थदण्ड का प्रावधान है ? क्या क्या कार्यवाही की गई ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 06/05/2017 के माध्यम से राज्य में फसल कटाई के पश्चात् बचे हुए फसल अपशिष्ट को जलाए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।(ख)** जी हाँ, कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य में कृषकों को पराली नहीं जलाने हेतु विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। **(ग)** बिलासपुर जिला अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में पराली जलाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। माननीय एन. जी. टी., सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08/11/2016 में 2 एकड़ से कम भूमि वाले छोटे भूमि धारक को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 2500/- प्रति घटना, 2 एकड़ से अधिक किन्तु 5 एकड़ से कम भूमि धारक को प्रति घटना रूपये 5000/- तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि धारक को प्रति घटना रूपये 15000/- अर्थ दण्ड का प्रावधान किया गया है। प्रश्नाधीन अवधि में खेतों में पराली जलाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राखड़ से जल प्रदूषण होने की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

31. (क्र. 1560) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राखड़ के अवैध निष्पादन और आम जनता के निस्तारीकरण के लिए

उपयोग किए जा रहे जल के प्रदूषित होने को लेकर विगत एक वर्ष में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? **(ख)** यदि हां, तो उक्त प्रश्नांक "क" के अनुसार प्राप्त शिकायतों की किस स्तर के अधिकारियों से जांच करायी गयी है और जांच प्रतिवेदन के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ? **(ग)** यदि उक्त प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार कार्यवाही किया जाना लंबित है तो इसके क्या कारण हैं? कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राखड़ के अवैध निष्पादन के संबंध में विगत एक वर्ष 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 02 शिकायतें प्राप्त हुई है। आम जनता के निस्तारीकरण के लिए उपयोग किए जा रहे जल के प्रदूषित होने के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** जल के प्रदूषित होने के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तथापि राखड़ के डंपिंग के संबंध में प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त शिकायतों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

जिला जांजगीर चांपा व सक्ती अंतर्गत आदिवासियों की भूमि की रजिस्ट्री हेतु प्राप्त आवेदन

[वाणिज्यिक कर]

32. (क्र. 1561) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जांजगीर चांपा व सक्ती अंतर्गत पंजीयन कार्यालय (पंजीयक एवं मुद्रांक) में वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 20/02/2025 तक आदिवासी भूमियों की रजिस्ट्री हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? कितने आवेदनों का निराकरण किया गया एवं कितने लंबित हैं? वर्षवार तथा ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में गलत रजिस्ट्री में अनियमितता तथा रजिस्ट्री रोकने हेतु कितनी शिकायतें एवं आवेदन किस - किस ग्राम से प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों एवं आवेदन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत पंजीयन कार्यालय (पंजीयक एवं मुद्रांक) में वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 20.02.2025 तक आदिवासी भूमियों की रजिस्ट्री हेतु कुल 1066 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें समस्त 1066 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। इसी प्रकार जिला सक्ती अंतर्गत पंजीयन कार्यालय (पंजीयक एवं मुद्रांक) में वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 20.02.2025 तक आदिवासी भूमियों की रजिस्ट्री हेतु कुल 1668 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें समस्त 1668 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। प्रश्नांश की वर्षवार एवं ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जिला जांजगीर चांपा में प्रश्नांकित अवधि में गलत रजिस्ट्री में अनियमितता तथा रजिस्ट्री रोकने संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं होने से जानकारी निरंक है। जिला सक्ती में कंचनपुर तहसील के भूमि के संबंध में 01 आवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर छ.ग. के आदेश क्रमांक 3626/स्टेनो/2024, दिनांक 13.12.2024 द्वारा संबंधित उप पंजीयक के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई। शिकायत की विस्तृत जांच प्रक्रियाधीन है।

विभागीय योजनाओं हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश बजट

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

33. (क्र. 1576) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विभाग को विगत 4 वर्षों में किन-किन योजनाओं अंतर्गत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना केन्द्रांश एवं राज्यांश बजट प्राप्त हुआ है? उक्त बजट में कितनी-कितनी राशि व्यय एवं शेष है तथा कौन-कौन सी राशि व्यय नहीं की गई है? योजनावार जानकारी दें ? **(ख)** उक्तानुसार योजना अंतर्गत

बिल्हा विधानसभा अंतर्गत कराये गए कार्यों के संबंध में शिकायत कब-कब एवं किसको की गई है? इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही/जांच कब एवं किसके द्वारा की गई है? शिकायतवार जानकारी देवें? (ग) कंडिका 'ख' अनुसार कौन-कौन सी शिकायत पर कार्यवाही नहीं की गई है और इन शिकायतों की अद्यतन स्थिति क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विभाग में विगत 4 वर्षों में (वर्ष 2020-20, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अंतर्गत संचालित केन्द्र व राज्य पोषित योजनाओं अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश प्राप्त बजट, प्राप्त बजट में से व्यय एवं शेष राशि की योजनावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -अ एवं प्रपत्र -ब** अनुसार है। (ख) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित जिला-बिलासपुर के विकासखण्ड बिल्हा, मस्तुरी एवं जिला-मुंगेली के विकासखण्ड पथरिया में प्रश्नांश 'क'के अवधि वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में योजना अंतर्गत प्राप्त शिकायत की जानकारी निरंक है, अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश 'ख' अनुसार शिकायत से संबंधी जानकारी निरंक है।

जिला बिलासपुर एवं मुंगेली में क्रशर प्लांट का नियमानुसार फेंसिंग कार्य एवं वृक्षारोपण

[आवास एवं पर्यावरण]

34. (क्र. 1577) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी, 2025 की स्थिति में जिला बिलासपुर एवं मुंगेली में कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से क्रशर प्लांट कितने क्षेत्रफल में कब से, कितनी अवधि के लिए व किसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं? प्लांटवार जानकारी देवें ? शासन एवं पर्यावरण विभाग के इन क्रशर प्लांट में वृक्षारोपण व फेंसिंग कराये जाने के क्या नियम, व दिशा-निर्देश हैं? (ख) कंडिका 'क' अनुसार किन-किन क्रशर प्लांटों में वृक्षारोपण व फेंसिंग कार्य उक्त नियमानुसार किया गया व किन-किन में नहीं किया गया है? जिन प्लांटों में नियमानुसार वृक्षारोपण व फेंसिंग कार्य नहीं कराया गया है, उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? प्रकरणवार जानकारी देवें? (ग) कंडिका 'क' अनुसार नियम व दिशा-निर्देशों का क्रशर प्लांट द्वारा अनुपालन के संबंध में जांच किनके द्वारा व कब-कब किये जाने के नियम व निर्देश हैं तथा उक्त का पालन किया जा रहा है या नहीं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जनवरी, 2025 की स्थिति में जिला-बिलासपुर में 50 क्रशर प्लांट एवं जिला-मुंगेली में 10 क्रशर प्लांट संचालित हैं। क्रशर प्लांट का नाम, पता, क्षेत्रफल, अवधि एवं संचालनकर्ता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत क्रशर प्लांटो को जारी सम्मति / सम्मति नवीनीकरण में स्थानीय प्रजाति के सघन वृक्षारोपण किये जाने की शर्त निहित की जाती है। क्रशर प्लांटो को फेंसिंग कराये जाने के सम्बन्ध में शर्त अधिरोपित नहीं की जाती है। (ख) संचालित सभी क्रशर प्लांटों में नियमानुसार वृक्षारोपण किया गया है। क्रशर प्लांटो को फेंसिंग कराये जाने के सम्बन्ध में शर्त अधिरोपित नहीं की जाती है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वृहद् एवं माध्यम श्रेणी के क्रशर उद्योगों के लिये 06 माह तथा लघु श्रेणी के क्रशर उद्योगों के लिये 01 वर्ष निरीक्षण आवृत्ति निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सक्षम अधिकारियों के द्वारा निर्धारित आवृत्ति अनुसार निरीक्षण किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस"]

जांजगीर-चाम्पा जिले में संचालित छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

35. (क्र. 1584) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के बच्चों हेतु कितने आश्रम व छात्रावास संचालित हैं? क्षमतावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** जिले में संचालित आश्रम एवं छात्रावास हेतु 01 जनवरी 2023 से 31.01.2025 तक कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी राशि से क्रय की गई? क्या सामग्रियों के क्रय में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया? सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें। **(ग)** उपरोक्त सामग्री क्रय में भ्रष्टाचार/अनियमितता संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उन पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। छात्रावास/आश्रम हेतु सामग्रियों के क्रय में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है। **(ग)** सामग्री क्रय में भ्रष्टाचार//अनियमितता के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस" \]](#)

अनुसूचित जनजाति (मध्य क्षेत्र) विकास प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

36. (क्र. 1585) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-01 जनवरी, 2025 से जनवरी, 2025 तिथि तक जांजगीर-चाम्पा जिले में अनुसूचित जनजाति (मध्य क्षेत्र) विकास प्राधिकरण योजना के तहत कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी लागत राशि से, कहां-कहां स्वीकृत किए गए हैं? कार्यों की वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या है? सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : 01 जनवरी 2024 से जनवरी, 2025 तक जांजगीर-चाम्पा जिले में अनुसूचित जनजाति (मध्य क्षेत्र) विकास प्राधिकरण योजना के तहत कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। अतः जानकारी निरंक माना जावे।

मण्डी बोर्ड/मण्डी निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

37. (क्र. 1592) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक की अवधि में बालोद जिले में मण्डी बोर्ड/मण्डी निधि के अंतर्गत कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत कार्यों का वर्षवार, विधानसभा क्षेत्रवार विवरण दें। **(ख)** कण्डिका 'क' के कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? कितने कार्य पूर्ण, कितने प्रगतिरत एवं कितने कार्य किन कारणों से अप्रारंभ हैं? जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक की अवधि में बालोद जिले में मण्डी बोर्ड निधि अंतर्गत राशि ₹. 268.61 लाख एवं मण्डी निधि अंतर्गत राशि ₹. 2350.17 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। बोर्ड निधि एवं मण्डी निधि से स्वीकृत कार्यों का वर्षवार, विधानसभा क्षेत्रवार, कार्यवार विवरण क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** एवं **प्रपत्र-ब** अनुसार

है। **(ख)** कण्डिका 'क' के कार्यों की अद्यतन स्थिति (142 कार्य पूर्ण, कोई कार्य प्रगतिरत नहीं है एवं 86 कार्य अप्रारंभ है) की कार्यवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब** अनुसार है।

प्राधिकरण मदों से बालोद जिले में स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

38. (क्र. 1593) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक की अवधि में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छ0ग0 राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण मद के अंतर्गत कितनी राशि के, कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? वर्षवार, मदवार, विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। **(ख)** कण्डिका 'क' के कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? कितने कार्य पूर्ण, कितने प्रगतिरत एवं कितने कार्य किन कारणों से अप्रारंभ की स्थिति में हैं? जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक की अवधि में संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण एवं छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** कण्डिका "क" में उल्लेखित कार्यों में 12 कार्य पूर्ण, 10 कार्य प्रगतिरत एवं 06 कार्य चुनाव आचार संहिता लागू होने से प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त होने के कारण अप्रारंभ की स्थिति में है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं से मदवार प्राप्त राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

39. (क्र. 1609) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक किन-किन केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं हेतु कितनी राशि किस मदवार प्राप्त हुई है? मदवार राशियों का किन-किन कार्यों हेतु व्यय किया गया है? योजनावार, विकासखण्डवार एवं राशिवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नाधिन अवधि में कितने नेट एवं पैक हाउस, ग्रीन हाउस का निर्माण कराया गया है? उक्त का मूल्यांकन एवं भौतिक/वित्तीय सत्यापन विभाग के किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा को किया गया,वर्षवार बतावें? **(ग)** नेट एवं पैक हाउस, ग्रीन हाउस निर्माण के लिए विभाग द्वारा कृषकों का चयन किस आधार पर किया गया? नियम एवं शर्तों की जानकारी देवें? क्या यह सही है कि नेट हाउस, पैक हाउस एवं ग्रीन हाउस निर्माण में सामग्री आपूर्तिकर्ता का चयन, निविदा/कोटेशन के माध्यम से की गई है? यदि हां, तो विज्ञापन दिनांक की जानकारी देवें? चयनित आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता बतावें? **(घ)** क्या नेट हाउस, पैक हाउस एवं ग्रीन हाउस का निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है? यदि हां तो क्या कृषकों को विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है? यदि नहीं, तो कृषकों के द्वारा किस मानक मापदण्ड के अनुसार नेट हाउस, पैक हाउस एवं ग्रीन हाउस का निर्माण गुणवत्ता एवं मानक से किया गया है? बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओं हेतु प्राप्त राशि तथा व्यय राशि की मदवार/योजनावार/विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब**

अनुसार है।(ख) प्रश्राधिन अवधि में 144000 वर्गमीटर नेट हाउस, 14 पैक हाउस का निर्माण कराया गया है तथा ग्रीन हाउस का निर्माण नहीं कराया गया है। नेट हाउस का सत्यापन प्रिंसीसन फार्मिंग डेव्हलपमेंट सेंटर (पीएफडीसी), इ.गां., कृ.वि.वि. रायपुर एवं विभागीय अधिकारियों से तथा पैक हाउस का मूल्यांकन एवं भौतिक वित्तीय सत्यापन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के उप अभियंता से कराया गया है। वर्षवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।(ग)** नेट एवं पैक हाउस, निर्माण के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा ऐसे कृषक जिनकी कार्यक्रम क्रियान्वयन में रूचि हो, क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन हो, सुनिश्चित सिंचाई साधन हो तथा निजी स्वामित्व की भूमि हो, उनसे प्राप्त आवेदनों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर चयन किया गया है। पात्र हितग्राहियों की सूची का जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। यह सही नहीं है कि नेट हाउस पैक हाउस एवं ग्रीन हाउस का निर्माण में सामग्री आपूर्ति निविदा/कोटेशन के माध्यम से की गई है अपितु नेट हाउस हेतु किसानों द्वारा स्वयं संस्था का चयन कर निर्माण कराया गया है तथा पैक हाउस का निर्माण स्वयं के द्वारा किया गया है। अतः प्रश्न के शेष अंश की जानकारी निरंक है। **(घ)** जी नहीं। अपितु विभाग द्वारा नेटहाउस, पैक हाउस के निर्माण हेतु जारी किए गए मानक मापदण्ड अनुसार कृषकों द्वारा स्वयं संस्था का चयन कर निर्माण कराया गया है। नेट हाउस का निर्माण करने वाले कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती हेतु प्रशिक्षण दिया गया है न कि नेट हाउस निर्माण हेतु।

विधानसभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत चयनित ग्राम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

40. (क्र. 1610) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कसडोल के किन-किन ग्रामों का चयन किया गया है? योजना अन्तर्गत क्या-क्या सुविधाएं एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं? चयनित ग्रामों की सूची ग्राम पंचायत एवं विकासखण्डवार, बतावें? **(ख)** वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 तक किन-किन चयनित ग्रामों में कितनी-कितनी राशि के, क्या-क्या कार्य, किस दिनांक को कराये गए हैं? कराए गए कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय सत्यापन किनके द्वारा किया गया है? सत्यापन में क्या कमियां पायी गयी हैं? सत्यापनकर्ता के पदनाम बतावें? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' अनुसार योजना अन्तर्गत प्रदाय की गई सामग्री के आपूर्तिकर्ता का चयन किस आधार पर किया गया तथा कायदेशि जारी किया गया? कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :**(क)** प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कसडोल के 30 ग्रामों का चयन भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। उक्त ग्रामों में सी.सी.रोड़, नाली निर्माण, बोर खनन, मॉडल स्कूल, मॉडल आंगनबाड़ी, प्रशिक्षण स्वसहायता समूह, स्मार्ट क्लास एवं सोलर स्ट्रीट लाईट आदि सुविधाएँ दी जानी है। योजना के दिशा निर्देश अनुसार मूल्यांकन पत्रक-I, II, III का ग्राम स्तर से कार्य योजना तैयार कर ग्राम विकास योजना (VDP) तैयार कर जिला स्तरीय कंवर्जेंस समिति से अनुमोदन उपरांत प्रेषित किया जाता है। चयनित ग्रामों की सूची ग्राम पंचायत एवं विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।**(ख)** वर्ष 2022-23 से 31.01.2025 तक स्वीकृत कार्यों की जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

“ई-रजिस्ट्रेशन” हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों पर अतिरिक्त शुल्क एवं जी.एस.टी.

[वाणिज्यिक कर]

41. (क्र. 1613) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 मार्च 2017 के द्वारा “ई-रजिस्ट्रेशन” हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त रूपये 60.00 प्रति पृष्ठ अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य है? यदि हां, तो इस मद में जनवरी 2025 तक कितनी प्राप्तियां हुई, वर्षवार बताएं? **(ख)** उपरोक्त अतिरिक्त शुल्क पर क्या जी.एस.टी. भी देय है? यदि हां तो जी.एस.टी. मद में प्राप्त राशि या प्राप्ति योग्य राशि वर्षवार बताएं? यदि जी.एस.टी. नहीं लिया गया है तो उसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं? **(ग)** यदि जी.एस.टी. नहीं लिये जाने के कारण क्षति हुई है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार होगी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** अधिसूचना दिनांक 15 मार्च 2017 के तहत पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त रूपये 60.00 प्रति पृष्ठ अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य होता है। 31 जनवरी 2025 तक की वर्षवार प्राप्तियों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** उपरोक्त अतिरिक्त शुल्क पर जी.एस.टी. देय नहीं है। जी.एस.टी. देय नहीं होने से शेषांश की जानकारी उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के प्रकाश में जानकारी उद्भूत नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उच्चास"]

राज्यकर मुख्यालय में सामग्री की खरीदी

[वाणिज्यिक कर]

42. (क्र. 1619) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022 से दिनांक 31.01.2025 तक राज्यकर मुख्यालय में किन-किन सामग्रियों की खरीदी किन-किन फर्मों से की गयी है ? क्या उक्त खरीदी निविदा के माध्यम से की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ? जानकारी वस्तुवार/राशिवार देवें ? **(ख)** उक्त क्रय समिति में कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं ? **(ग)** क्या प्रश्नांक (क) अनुसार खरीदी की गयी सामग्रियों का ऑडिट कराया गया? यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** वर्ष 2022 से दिनांक 31.01.2025 तक राज्यकर मुख्यालय में किये गये सामग्रियों की खरीदी से संबंधित जानकारी **पुस्तकाल में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** क्रय समिति से संबंधित जानकारी **पुस्तकाल में रखे प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** ऑडिट से संबंधित जानकारी **पुस्तकाल में रखे प्रपत्र** अनुसार है।

खैरागढ़ व डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत किसान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

43. (क्र. 1620) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-खैरागढ़ व डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 की स्थिति में धान खरीदी हेतु कुल कितने किसान पंजीकृत हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : दिनांक **31.12.2024** की स्थिति में धान खरीदी हेतु खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में **51,795** किसान एवं डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में **46,565** किसान पंजीकृत है।

प्रदेश के विशेष रूप से पिछड़ी एवं कमजोर जनजाति समूह/समुदाय के लिए शासन की योजनाएं

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

44. (क्र. 1621) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में पी.वी.जी.टी. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह/समुदाय की जनसंख्या कितनी है और कौन-कौन सी जनजातियाँ हैं? जिला एवं विकासखंडवार जनजाति एवं जनसंख्या की जानकारी क्या है? (ख) क्या उक्त पी.वी.जी.टी. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह/समुदाय की पहचान कर किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किया गया है? अगर किया गया है तो किस-किस जनजाति के जिलावार एवं विकासखंडवार जानकारी दे? (ग) क्या उक्त जनजातियों को लाभ पहुंचाने हेतु कौन-कौन सी विशेष योजना का संचालन किया जा रहा है? विवरण दे? (घ) उक्त हेतु संचालित कौन-कौन सी योजना से कितने जनजाति को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुआ है? जिला एवं विकासखंड की जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में पी.व्ही.टी.जी. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित 05 जनजातीय समूह यथा कमार, बैगा, अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर तथा राज्य शासन राज्य की अन्य जनजातियों से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अधिक पिछड़ा होने के कारण मान्य विशेष पिछड़ी जनजाति अंतर्गत 02 जनजातीय समुदाय यथा भुंजिया एवं पण्डो जनजाति है। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सर्वेक्षण वर्ष 2015-16 अनुसार जनसंख्या 185785 (पुरूष 93074 महिला 92711) है। तथा राज्य शासन द्वारा अन्य जनजातियों से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अधिक पिछड़ा मान्य पण्डो एवं भुंजिया जनजाति की कुल जनसंख्या 42417 है। (स्रोत भारत की जनगणना 2011 अनुसार भुंजिया जनजाति की जनसंख्या 10603 है एवं पण्डो विकास अभिकरण अनुसार पण्डो जनजाति की जनसंख्या 31814 है) जिला एवं विकासखंडवार वांछित जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) पी.व्ही.टी.जी.विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह/समुदाय की पहचान कर किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। (ग) भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यथा कमार, बैगा, अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर को लाभ पहुंचाने हेतु त्रिवर्षीय (वर्ष 2023-24 से 2025-26) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) तथा पीव्हीटीजी विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास हेतु 10 पीव्हीटीजी आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मान्य 02 जनजाति समुदाय को लाभान्वित करने हेतु पण्डो विकास अभिकरण एवं भुंजिया विकास अभिकरण तथा मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। (घ) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है।

बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता एवं दिव्यांग मितानों के मानदेय में वृद्धि

[वित्त]

45. (क्र. 1641) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता एवं दिव्यांग मितानों के मानदेय वृद्धि के लिए वित्त विभाग में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? (ख) क्या कंडिका "क" के प्रस्ताव पर शासन विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो कारण सहित उल्लेख करें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ। (ख) कंडिका (क) के प्रस्ताव के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग को परामर्श दिया गया है।

महासमुन्द जिले में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित योजना एवं व्यय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

46. (क्र. 1647) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महासमुन्द जिले 01 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक की स्थिति में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, योजनावार प्राप्त आंबटन एवं व्यय (स्वीकृति) की जानकारी मदवार बतायें ? **(ख)** उक्तावधि में प्राप्त आवेदन, प्रस्ताव तथा लंबित प्रकरणों की संख्या योजनावार, मदवार बतायें ? उक्त प्रकरण का निराकरण (स्वीकृति) कब तक कर दी जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' 'ब' एवं 'स' अनुसार है। **(ख)** अंतर्जातीय विवाह योजना अंतर्गत 50 आवेदन पत्र प्राप्त, 36 स्वीकृत तथा 14 लंबित है। राहत योजना अंतर्गत 41 आवेदन पत्र प्राप्त, 37 स्वीकृत तथा 04 लंबित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित कृषकों के कृषि यंत्र, संयंत्रों के क्रय हेतु सहायता योजना

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

47. (क्र. 1648) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-महासमुंद में 01 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2025 की स्थिति तक कृषि यंत्रों, संयंत्रों के क्रय में सहायता की कौन-कौन से योजनायें संचालित हैं? योजनावार लाभान्वितों की संख्या विकासखंडवार बतायें ? **(ख)** महासमुंद जिले में कृषि यंत्र, संयंत्र के क्रय सुविधा हेतु लंबित आवेदन की संख्या योजनावार बतायें ? उक्त लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? **(ग)** कृषकों तक प्रशंश 'क' के योजनाओं की जानकारी देने हेतु क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? महासमुन्द जिले में उक्त जानकारी (विज्ञापन) हेतु उक्तावधि में की गई कार्यवाही विकासखण्डवार बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला-महासमुंद में 01 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2025 की स्थिति में कृषि यंत्रों/उपकरणों तथा संयंत्र (प्रोसेसिंग यूनिट) के क्रय हेतु सहायता की विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों की विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** **(ख)** महासमुंद जिले में कृषि यंत्र/उपकरणों के अनुदान पर क्रय हेतु प्राप्त, स्वीकृत एवं लंबित आवेदनों की योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** **(ग)** प्रशंश "क" की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु जिला/विकासखण्ड कार्यालय में प्लेक्सी बोर्ड, विभिन्न स्थानों में आयोजित किसान मेले तथा मैदानी अमलों एवं शासकीय आयोजनों में प्रचार-प्रसार द्वारा कृषकों को योजना की जानकारी दी जाती है। महासमुंद जिले के बागबहरा विकासखण्ड में दिनांक 29.02.2024 को जैविक कृषि मेला आयोजित किया गया था।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के संबंध में

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

48. (क्र. 1653) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कौन-कौन सी जाति को विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? विशेष पिछड़ी जनजाति के शैक्षणिक व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विशेष पिछड़ी

जनजाति के कितने छात्र-छात्राएं कक्षा पहली से 12वीं तक अध्ययन हेतु पंजीकृत है? जिलावार जानकारी देवे? **(ख)** विशेष पिछड़ी जनजाति के शैक्षणिक समाजिक उत्थान हेतु वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था? कितने कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? जिलेवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों यथा कमार, बैगा, अबूझाड़िया, पहाड़ी कोरवा, एवं बिरहोर जनजाति तथा राज्य शासन द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अधिक पिछड़ी होने के कारण 02 जनजातियों यथा पण्डो एवं भुजिया को विशेष पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के शैक्षणिक व्यवस्था हेतु प्रदेश के 09 जिलों में 10 विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालयों तथा 03 विशेष पिछड़ी जनजातीय आश्रमों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में विशेष पिछड़ी जनजातीय वर्ग के कक्षा पहली से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** विशेष पिछड़ी जनजातीय वर्ग के शैक्षणिक गतिविधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि बजट में प्रावधानित नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त विद्यालयों के संचालन हेतु केन्द्रांश मद में राशि प्रावधानित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य शासन द्वारा 10 विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु राशि रूपये 1300.00 लाख का प्रावधान मुख्य बजट में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में व्यय की गई राशि का जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा कराए गए तालाब निर्माण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

49. (क्र. 1656) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023- 24 एवं वित्तीय वर्ष 2024- 25 में 31 जनवरी, 2025 तक कृषि विभाग द्वारा कितने तालाबों का निर्माण किया गया है? तालाबों की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई सहित लागत राशि का विवरण दीजिये । **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित कितने तालाबों के निर्माण कार्य पूर्ण हैं? कितने कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे? विकासखंडवार जानकारी देवें ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से संबधित विकासखण्ड पंडरिया, कवर्धा एवं सहसपुर लोहरा में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी, 2025 तक कृषि विभाग द्वारा तालाब निर्माण नहीं कराया गया है। अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार जानकारी निरंक है।

बीज विकास निगम द्वारा जिला-राजनांदगांव अंतर्गत पंजीकृत किसान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

50. (क्र. 1660) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- विगत 3 वर्षों में राजनांदगांव जिले के कितने किसानों को बीज विकास निगम द्वारा पंजीकृत करते हुए किन-किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है एवं किन-किन योजनाओं के कितने कृषकों के आवेदन लंबित हैं? वर्षवार, विकासखंडवार, योजनावार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : विगत 3 वर्षों में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. द्वारा विभिन्न योजनाओं अंतर्गत अनुदान हेतु चैम्स प्रणाली के माध्यम से राजनांदगांव जिले में पंजीकृत कृषकों, लाभान्वित कृषकों एवं कृषकों के लंबित आवेदनों की वर्षवार, विकासखंडवार, योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

जिला राजनांदगांव अंतर्गत वन अधिकार मान्यता पत्रधारी हितग्राही

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

51. (क्र. 1661) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- क्या वर्ष 2023 से 31.1.2025 तक राजनांदगांव जिले में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो मान्यता पत्रधारी कितने हितग्राहियों को शासन की किन-किन योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया गया है? वर्षवार, विकासखंडवार, योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : वर्ष 2023 से 31.01.2025 की अवधि में वर्ष 2023-24 में राजनांदगांव जिले में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारक हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

जिला-राजनांदगांव व मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत हितग्राहियों हेतु बोरवेल खनन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

52. (क्र. 1663) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले में किन-किन हितग्राहियों की भूमि पर विगत 03 वर्षों में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत सिंचाई हेतु बोरवेल खनन किए गए ? उक्त बोरवेल खनन के लिए कौन-कौन सी एजेंसी को कितनी राशि प्रदान की गई ? वर्षवार, विधानसभार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के कार्यों में कितने बोरवेल सफल एवं कितने असफल हुए हैं? असफल बोरवेल के लिए क्या दोबारा खनन कार्य किया गया ? वर्षवार, विधानसभार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विभाग द्वारा बोरवेल खनन कार्य नहीं किया जाता है, अपितु किसानों द्वारा कराये गये नलकूप खनन पर विभागीय योजनाओं में प्रावधानित अनुदान प्रदाय किया जाता है। जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी में कृषि विभाग द्वारा किसान समृद्धि योजना अंतर्गत नलकूप खनन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार) अंतर्गत उथला नलकूप खनन हेतु अनुदान प्रदान किया गया है । हितग्राही कृषकों द्वारा प्रस्तुत नलकूप खनन के देयक के विरुद्ध योजना के प्रावधान अनुसार अनुदान राशि कृषकों के खाते में हस्तांतरित की गई है। अतः विगत 03 वर्षों में खनन एजेंसी को प्रदाय राशि की जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी अंतर्गत समस्त विकासखंडों में किये गये नलकूप/उथला नलकूप खनन की सफल/असफल की वर्षवार योजनावार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	वर्ष	किसान समृद्धि योजना		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उथला नलकूप)		योग	
			सफल	असफल	सफल	असफल	सफल	असफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजनांदगांव	2021-22	25	0	60	0	85	0
2		2022-23	25	2	0	0	25	2
3		2023-24	10	0	60	0	70	0
		योग	60	2	120	0	180	2
1	मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी	2021-22	0	0	0	0	0	0
2		2022-23	19	1	0	0	19	1
3		2023-24	7	0	6	0	13	0
		योग	26	1	6	0	32	1

असफल बोरवेल के लिए दोबारा खनन कार्य नहीं किया गया है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री के प्रकरणों का निराकरण

[वाणिज्यिक कर]

53. (क्र. 1664) श्री भोलाराम साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला अंतर्गत पंजीयन कार्यालय में वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2025 तक रजिस्ट्री के कितने प्रकरण प्राप्त हुए ? प्राप्त प्रकरणों में से कितने आवेदनों का निराकरण किया गया, एवं कितने शेष हैं? वर्षवार, विधानसभावार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांकित अवधि तक रजिस्ट्री में अनियमितता अथवा गलत रजिस्ट्री करने या गलत रजिस्ट्री रोकने की कितनी शिकायतें/आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदन/शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ? कितने प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है ? कितने लंबित हैं ? लंबित होने का कारण सहित जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत पंजीयन कार्यालय में वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2025 तक रजिस्ट्री के कुल 63201 प्रकरण प्राप्त हुए। प्राप्त प्रकरणों में से सभी आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। कोई भी प्रकरण शेष नहीं हैं। इसी प्रकार मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला अंतर्गत पंजीयन कार्यालय में वर्ष 2021-22 से 31 जनवरी, 2025 तक रजिस्ट्री के कुल 1825 प्रकरण प्राप्त हुए। प्राप्त प्रकरणों में से सभी आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। कोई भी प्रकरण शेष नहीं हैं। वर्षवार, विधानसभावार जानकारी **प्रपत्र अ** में **संलग्न** अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित अवधि तक राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिला अंतर्गत रजिस्ट्री में अनियमितता अथवा गलत रजिस्ट्री करने या गलत रजिस्ट्री रोकने की शिकायतें/आवेदन की जानकारी विधानसभावार **प्रपत्र ब** में **संलग्न** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

जिला राजनांदगांव व मोहला-मानपुर-अं.चौकी के छात्रावास एवं आश्रमों के रख-रखाव हेतु स्वीकृत राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

54. (क्र. 1665) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिलें वर्ष 2022-23 से 31 जनवरी 2025 तक छात्रावास एवं आश्रमों के रख-रखाव हेतु कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्य हेतु स्वीकृत की गई ? वर्षवार, विधानसभावार जानकारी देवें ? **(ख)** क्या प्रश्नांक "क" में स्वीकृत राशि का व्यय उसी मदवार किया गया है ? यदि हों तो किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? वर्षवार, विधानसभावार छात्रावास, आश्रमवार एवं मदवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जी हों। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

धमतरी जिले में कृषि यांत्रिकी सबमिशन योजना अंतर्गत स्वीकृत अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

55. (क्र. 1677) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** 1 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2025 तक कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के अंतर्गत धमतरी जिले में कौन-कौन से कृषि यंत्र, कितनी संख्या में दिए गए हैं? **(ख)** क्या अनुदान की राशि हितग्राही के खाते में प्रदान की जाती है या एजेंसी के बैंक खाते में? कितने कृषि यंत्रों की, कितनी अनुदान राशि देना बकाया है एवं कब तक अनुदान राशि जारी कर दी जाएगी? **(ग)** उक्त योजना क्या वर्तमान में संचालित है? प्रश्न "क" अवधि में योजना से धमतरी जिले में कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2025 तक कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत धमतरी जिले में कुल 749 हितग्राहियों को 1015 कृषि यंत्र/उपकरण अनुदान पर प्रदाय किये गये। वर्षवार, घटकवार एवं यंत्रवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख) कंपोनेंट क्र.-3 कृषि यंत्रों पर अनुदान** चैम्स प्रणाली अंतर्गत कृषकों को अनुदान राशि बैंक खाते में नहीं की जाती है, अपितु कृषकों से चयनित सामग्री की कुल कीमत में से अनुदान राशि छोड़कर शेष केवल कृषक अंश राशि बीज निगम के बैंक खाते में जमा की जाती है एवं प्रदायक द्वारा संबंधित कृषकों को सामग्री प्रदाय की जाती है, तत्पश्चात कृषकों द्वारा चयनित प्रदायक संस्था के बैंक खाते में (सामग्री की कुल कीमत) अनुदान राशि + कृषक अंश राशि का भुगतान किया जाता है। **हस्त/बैल चलित यंत्रों हेतु अनुदान** की राशि कृषकों के बैंक खाते में प्रदान नहीं की जाती है अपितु कृषकों से उप संचालक कृषि को कृषक अंश राशि प्राप्त होने पर प्रदायक संस्था छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा संबंधित कृषकों को सामग्री प्रदाय किए जाने के पश्चात् प्रदायक संस्था छ.ग. राज्य बीज निगम लिमिटेड धमतरी के बैंक खाते में सामग्री की कुल कीमत (अनुदान राशि + कृषक अंश राशि) का भुगतान किया जाता है। **कंपोनेंट क्र.-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना** अंतर्गत अनुदान राशि का भुगतान क्रेडिट लिंक बैंक इण्डेड सब्सिडी के रूप में आवेदक के ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक को किया जाता है। लंबित अनुदान राशि का वर्षवार एवं घटकवार विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** जी हां, उक्त योजना वर्तमान में संचालित है। प्रश्नांक "क" अवधि में योजनांतर्गत धमतरी जिले में कुल 749 कृषक लाभान्वित हुए वर्षवार एवं घटकवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन" \]](#)

एकल खिड़की प्रणाली द्वारा कालोनी विकास अनुमोदन लंबित होना

[आवास एवं पर्यावरण]

56. (क्र. 1679) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या एकल खिड़की प्रणाली द्वारा कालोनी विकास के अनुमोदन प्रदान करने हेतु कोई समयसीमा निर्धारित है? अगर है तो क्या है? **(ख)** दिसंबर, 2023 से 31जनवरी, 2025 तक जिला बिलासपुर अंतर्गत एकल खिड़की प्रणाली से कालोनी विकास अनुमोदन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? कितने आवेदनों का अनुमोदन प्रदान किया गया है और कितने और कौन-कौन से आवेदन लंबित हैं ? **(ग)** निर्धारित समय सीमा में कितने आवेदनों को अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है लंबित होने का क्या कारण है जानकारी क्या है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** विभागीय ज्ञापन क्रमांक एफ 03-05/2019/32 दिनांक 21.05.2020 द्वारा एकल खिड़की प्रणाली द्वारा कालोनी विकास के अनुमोदन हेतु निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की गई है:- (1) ए.डी.एम.-10 कार्या दिवस, (2) नगर तथा ग्राम निवेश-30 कार्या दिवस, (3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)-30 कार्या दिवस, (4) स्थानीय निकाय-30 कार्या दिवस। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में जिला बिलासपुर अंतर्गत एकल खिड़की प्रणाली से कालोनी विकास अनुमोदन हेतु कुल 38 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें 16 आवेदन में कालोनी विकास अनुमोदन किया गया है एवं 02 आवेदन निरस्त किया गया है। शेष 20 आवेदन लंबित हैं। लंबित आवेदनों का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** निर्धारित समय-सीमा में कुल लंबित 12 आवेदनों में अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। लंबित होने का कारण **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषक सूचना सलाह केंद्र भवन एवं प्रशिक्षण की जानकारी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

57. (क्र. 1681) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय में कृषक सूचना सलाह केंद्र हेतु भवन निर्मित है ? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार कितने सलाह केन्द्र जर्जर हैं तथा कितने केंद्र भवन विहीन हैं ? जानकारी दें ? **(ग)** क्या जर्जर एवं भवन विहीन कृषक सूचना सलाह केंद्र हेतु नवीन भवन निर्माण के लिए शासन की कोई योजना है ? यदि हाँ तो जर्जर एवं भवन विहीन केंद्रों में निर्माण कब तक कर लिया जाएगा तथा क्या सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में सुचारू रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखंड गुण्डरदेही के प्रत्येक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय में कृषक सूचना सलाह केन्द्र भवन निर्मित नहीं है। विकासखंड गुण्डरदेही अंतर्गत कुल 20 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय क्षेत्र हैं, जिसमें से सिर्फ 5 मुख्यालय में कृषक सूचना सलाह केन्द्र निर्मित हैं, **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार गुण्डरदेही विकासखंड अंतर्गत निर्मित कृषक सूचना सलाह केन्द्र जर्जर की स्थिति में नहीं हैं। 15 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय कृषक सूचना सलाह केन्द्र भवन विहीन हैं, **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ग)** राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत पूर्व वर्षों में कृषक सूचना सलाह केन्द्र निर्मित किये गये हैं नवीन कृषक सूचना सलाह केन्द्र निर्माण हेतु वर्तमान में प्रस्ताव नहीं है। कृषक सूचना सलाह केन्द्रों में प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्नांक की जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

जिला बस्तर अंतर्गत उद्यानिकी विभाग में की गई खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

58. (क्र. 1682) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बस्तर जिला में वर्ष 2022-2023 से 31.01.2025 अवधि तक उद्यानिकी विभाग को कितने विभाग से किस-किस योजना अंतर्गत कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? प्राप्त उक्त राशि का उपयोग कितने कार्यों/प्रयोजन के लिये किया गया ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या प्राप्त राशि का उपयोग सामग्री/उपकरण/मशीनरी/अन्य सामग्री खरीदी के लिये किया गया ? यदि हां, तो खरीदी कौन-कौन सी मशीनरी की, कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस फर्म/एजेंसी से की गयी ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : उद्यान विभाग जिला बस्तर को प्रश्नावधि में प्रशासकीय विभाग सहित अन्य स्त्रोतो यथा जिला खनिज न्यास संस्थान, नीति आयोग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना से कुल राशि रु. 3273.735 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आबंटन के विरुद्ध विभिन्न कार्यों/प्रयोजन में कुल राशि रु. 2794.419 लाख का व्यय किया गया। विकासखंडवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हां** प्राप्त राशि का उपयोग सामग्री/उपकरण/ मशीनरी/अन्य सामग्री खरीदी के लिये किया गया। राशि रु. 274.315 लाख की लागत से क्रय किये गये 1251 मशीनो की फर्म/एजेंसी सहित विकासखंडवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।**

बस्तर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के विभिन्न मदों से प्राप्त राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

59. (क्र. 1683) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2023-2024 से दिनांक 31.01.2025 अवधि तक बस्तर जिला में आदिमजाति कल्याण विभाग को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार, विकासखण्डवार मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' से प्राप्त राशि से कितने एवं कौन-कौन से कार्य किये गये ? क्या क्या सामग्री किस प्रक्रिया के अंतर्गत, कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर, किस-किस कंपनी/फर्म से क्रय की गई? (ग) क्या प्रश्नांश 'क' की खरीदी में अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां-तो प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। राशि विकासखण्डवार प्राप्त नहीं होती है।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" एवं 'स' अनुसार है। (ग) जी नहीं ।

बस्तर संभागान्तर्गत वनाधिकारी पट्टा के प्राप्त आवेदनों का निराकरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

60. (क्र. 1723) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति तक कुल कितने हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा प्रदत्त किये गये ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति में कितने प्रकरण लंबित व कितने पुनर्विचार से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिलेवार जानकारी बतावें ? **(ग)** इन लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग के द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति में 1,66,304 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 22,748 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदाय किए गए हैं। जिलावार जानकारी **संग्रह "प्रपत्र"** अनुसार है। (ख) 31 दिसंबर, 2024 की स्थिति में व्यक्तिगत वन अधिकार के 118 एवं सामुदायिक वन अधिकार के 07 प्रकरण लंबित हैं एवं व्यक्तिगत वन अधिकार के 4,491 एवं सामुदायिक वन अधिकार के 1,171 आवेदन पुनर्विचार के हैं। जिलेवार जानकारी संग्रह "प्रपत्र" अनुसार है। (ग) वन अधिकार हेतु प्राप्त प्रकरणों का निराकरण वन अधिकार अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित प्रक्रियानुसार किया जाता है। बस्तर संभाग के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार के 118 लंबित प्रकरणों एवं पुनर्विचार के 4,491 व्यक्तिगत वन अधिकार के आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है तथा बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में सामुदायिक वन अधिकार के 07 लंबित प्रकरणों में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा दस्तावेजों के अभाव के कारण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को वापस प्रेषित किया गया है जबकि कोण्डागांव जिले के सामुदायिक वन अधिकार के पुनर्विचार के 1,171 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।

[\[संग्रह "परिशिष्ट - उन्सठ" \]](#)

कृषकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं/कार्यक्रम से लाभान्वित कृषक

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

61. (क्र. 1724) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छ.ग. राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में कृषकों के कल्याणार्थ कौन-कौन से कार्यक्रम/योजनाएं संचालित हैं ? इन कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 में प्रावधानित बजट एवं व्यय की स्थिति बतावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के निरंतरता में संचालित कार्यक्रम/योजनाओं से बस्तर, जगदलपुर एवं चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में दिये गये लाभ सहित लाभान्वित कृषकों की संस्था की जानकारी दें? **(ग)** कृपया विधानसभा क्षेत्र बस्तर के संबंध में लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छ.ग. राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में कृषकों के कल्याणार्थ संचालित कार्यक्रम/योजनाओं, वर्ष 2024-25 में प्रावधानित बजट एवं व्यय की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र -ब अनुसार** है। (ख) संचालित कार्यक्रम/योजनाओं में बस्तर, जगदलपुर एवं चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के विकासखंडों में कृषकों को दिये गये लाभ, लाभान्वित कृषकों की संख्या की विकासखंडवार संख्यात्मक **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र -द अनुसार** है। (ग) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के संबंध में लाभान्वित हितग्राहियों की विकासखंडवार, वर्गवार संख्यात्मक जानकारी **पुस्तकालय में रखे रखे प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र -ई अनुसार** है।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट - एक
तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 950) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड में स्वीकृत	संचालित विद्यालय का नाम	स्वीकृत वर्ष	संचालित वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	बीजापुर	भैरमगढ़	पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैरमगढ़	2013	2013
2	बीजापुर	बीजापुर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बीजापुर	2019	2019
3	बीजापुर	उसूर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दुर्गाईगुड़ा	2020	2020
4	बीजापुर	भोपालपटनम	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रुद्रारम	2020	2020

Sudhanshu
अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-“ब”

जिला-बीजापुर में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक और शैक्षणिक संवर्ग के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त तथा रिक्त पदों पर रखे गए अतिथि शिक्षक एवं आउटसोर्स कर्मचारी की जानकारी

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	शैक्षणिक संवर्ग			गैर - शैक्षणिक संवर्ग			रिक्त पदों पर रखे गए		
				स्वीकृत	भरे	रिक्त	स्वीकृत	भरे	रिक्त	अतिथि शिक्षकों की संख्या	आउटसोर्स कर्मचारी की संख्या	गैर शिक्षकीय कर्मचारी संख्या
1	बीजापुर	भैरमगढ़	पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैरमगढ़	31	22	9	21	6	15	2	-	1
2	बीजापुर	बीजापुर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बीजापुर	31	22	9	21	5	16	-	-	-
3	बीजापुर	उसूर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दुगाईगुड़ा	31	18	13	21	5	16	-	-	-
4	बीजापुर	भोपालपटनम	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रूद्रारम	31	20	11	21	4	17	-	-	1

S. S. S.
अनुभाग अधिकारी
आ.जा.-सथम अनु.जा. वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - दो
तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1662) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

(राशि लाख में)

क्र.	जिले का नाम	वर्ष		
		2022-23	2023-24	2024-25 (31 जनवरी 2025 तक)
1	2	3	4	5
1	बालोद	141.18	326.35	0.00
2	मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी	27.65	109.50	0.00
3	कबीरधाम	331.00	381.74	0.00
4	दुर्ग	5.22	0.00	0.00
5	बेमेतरा	31.00	0.00	0.00
6	राजनांदगांव	0.00	3.69	0.00
7	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	0.00	0.00	0.00
योग:-		536.05	821.28	0.00

Leung
अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
संभल, नया रायपुर

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	प्राप्त राशि	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	ग्राम/स्थान का नाम	फर्मो/एजेंसियों का नाम	कार्यो की भौतिक स्थिति	वित्तीय स्थिति (व्यय राशि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालोद	2022-23	5.53	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास भर्सीटोला में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	भर्सीटोला	मं.आनंद जैन डौण्डी	पूर्ण	5.527
			5.53	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घोठिया में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	घोठिया		पूर्ण	5.527
			5.53	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डी-1 में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	डौण्डी		पूर्ण	5.524
			5.53	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मंगचुवा में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	मंगचुवा	मं.चंद्राकर ट्रेडर्स गुण्डरदेही	पूर्ण	5.53
			5.53	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डीलोहारा में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	डौण्डीलोहारा	मं.पी.एल.शुक्ला डौण्डी	पूर्ण	5.525
			5.53	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सुरेगांव में स्नानागार एवं शौचालय निर्माण	5.53	सुरेगांव		अप्रारंभ	0.00
			12.00	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास भर्सीटोला में अहाता निर्माण	12.00	भर्सीटोला	मं.आनंद जैन डौण्डी	पूर्ण	11.980
			12.00	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोटागांव में अहाता निर्माण	12.00	कोटागांव		पूर्ण	11.98
			12.00	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास दल्लीराजहरा में अहाता निर्माण	12.00	दल्लीराजहरा	होप कन्स्ट्र. डौंडीलोहारा	पूर्ण	11.98
			12.00	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास नरसीटोला में अहाता निर्माण	12.00	नरसीटोला	युवराज इन्फ्रा रायपुर	पूर्ण	10.97
			12.00	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डी में अहाता निर्माण	12.00	डौण्डी	मं.आनंद जैन डौण्डी	पूर्ण	11.980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	बालोद	2022-23	12.00	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रेंगाडबरी में अहाता निर्माण	12.00	रेंगाडबरी	-	अप्रारंभ	0.00
			12.00	प्री.मै. आदिवासी बालक आश्रम दुर्गीटोला में अहाता निर्माण	12.00	दुर्गीटोला	होप कस्ट्र. डौंडीलोहारा	पूर्ण	11.980
			12.00	प्री.मै. आदिवासी बालक आश्रम हितापठार में अहाता निर्माण	12.00	हितापठार		पूर्ण	11.982
			12.00	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौण्डी में आल वेदी एप्रोच रोड निर्माण	12.00	डौण्डी	मौ शक्ती कंस्ट्र. राजनादगांव	पूर्ण	12.00
			141.18		141.18				122.49
2	मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी	2022-23	5.53	आदिवासी बालकआश्रम बुटाकसा में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	5.53	बुटाकसा	में. ए.एन. इन्टरप्राइजेस राजनादगांव	छत कार्य पूर्ण	2.725
			5.53	आदिवासी कन्या आश्रम केशरीटोला में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	5.53	केशरीटोला		छत कार्य पूर्ण	2.624
			5.53	प्री0मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क-01 मोहला में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	5.53	मोहला	मे. साई ट्रेडर्स पुरानी बस्ती रायपुर	पूर्ण	3.50
			5.53	प्री0मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क-02 मोहला में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	5.53	मोहला	योगेश कुमार साहू कुतुलबोड, राजनादगांव	प्लास्टर कार्य प्रगति पर	2.676
			5.53	आदिवासी कन्या आश्रम भरीटोला में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	5.53	भरीटोला	राकेश कन्सक्ट्रक्शन कं. मानपुर	प्लास्टर कार्य पूर्ण	2.621
			27.65		27.65				14.446
3	कबीरधाम	2022-23	15.00	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास समनापुर में अहाता निर्माण	15.00	समनापुर	श्री सुखनंदन चन्द्रवंशी	पूर्ण	12.58
			18.00	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास झलमला में अहाता निर्माण	18.00	झलमला	श्री विजय पटेल	पूर्ण	15.11
			16.00	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास चिल्की में अहाता निर्माण	16.00	चिल्की	श्री आर.के.कंस्ट्रेशन	पूर्ण	13.74
			16.00	आदिवासी बालक आश्रम लब्दा में अहाता निर्माण	16.00	लब्दा	श्री कंच कुमार पाण्डेय	पूर्ण	13.37


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	राजनांदगांव	2022-23		निरंक					
7	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	2022-23		निरंक					
	योग (2022-23) :-		536.05		536.05				342.49
1	बालोद	2023-24		पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गुरुर का भवन निर्माण	83.33	गुरुर		अप्रारंभ	0.00
			11.39	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घीना में अहाता निर्माण	11.39	घीना	मै.हरी ओम वेलिंग वर्क सॉप बालोद)	पूर्ण	8.745
			11.39	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास डौण्डीलोहारा में अहाता निर्माण	11.39	डौण्डीलोहारा		पूर्ण	8.00
			11.39	प्री.मै. आदिवासी.बालक छात्रावास मंगलतराई में अहाता निर्माण	11.39	डौण्डी		पूर्ण	8.77
			5.90	आदिवासी कन्या आश्रम बड़ाजुंगेरा में अनुरक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	बड़ाजुंगेरा	मै.विनोद शर्मा बालोद	पूर्ण	4.71
			5.90	आदिवासी बालक आश्रम लुरकाझर में अनुरक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	लुरकाझर	मै.संकेत साहू गुण्डरदेही	पूर्ण	4.77
			5.90	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बंजारी, में अनुरक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	बंजारी	मै.गजेन्द्र साहू बालोद	पूर्ण	4.65
			5.90	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास भैसबोड में अनुरक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	भैसबोड		पूर्ण	4.70
			5.90	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास डौण्डी में अनुरक्षण अनुदान एवं वार्षिक मरम्मत कार्य	5.90	डौण्डी	मै.विनोद शर्मा बालोद	पूर्ण	4.65
			12.00	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास डौण्डीलोहारा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	12.00	डौण्डीलोहारा	मै.अनिल राजपुरिया बालोद	कालम कार्य प्रगति पर	3.00
			12.00	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बालोद में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	12.00	बालोद		कालम कार्य प्रगति पर	3.00
			6.57	आदिवासी क्षेत्रों के हॉट-बजारों में प्लेटफार्म निर्माण) ग्राम पंचायत देवारभाट	6.57	देवारभाट	जनपद पंचायत बालोद	पूर्ण भुगतान शेष	6.57
			11.96	आदिवासी क्षेत्रों में गोदाम सह उचित मुल्य की दुकान निर्माण- ग्राम पंचायत देवारभाट	11.96	रीवागहन		छत स्तर	5.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	बालोद	2023-24	11.96	आदिवासी क्षेत्रों में गोदाम सह उचित मूल्य की दुकान निर्माण- ग्राम पंचायत भेंडी (सू)	11.96	भेंडी-सू	जनपद पंचायत डोंणडीलोहारा	छत स्तर	5.98
			11.96	आदिवासी क्षेत्रों में गोदाम सह उचित मूल्य की दुकान निर्माण- ग्राम पंचायत झिटिया	11.96	झिटिया		पूर्णता पर	8.97
			11.96	आदिवासी क्षेत्रों में गोदाम सह उचित मूल्य की दुकान निर्माण- ग्राम पंचायत पुनारकसा	11.96	पुनारकसा		कार्य आदेश जारी	5.98
			11.96	आदिवासी क्षेत्रों में गोदाम सह उचित मूल्य की दुकान निर्माण- ग्राम पंचायत खेरथाडीह	11.96	खेरथाडीह	जनपद पंचायत बालोद	पूर्ण	11.96
			11.96	आदिवासी क्षेत्रों में गोदाम सह उचित मूल्य की दुकान निर्माण- ग्राम पंचायत मटिया बी.	11.96	मटिया-बी		स्लेब लेबल	5.98
			11.96	आदिवासी क्षेत्रों में गोदाम सह उचित मूल्य की दुकान निर्माण- ग्राम पंचायत कपरमेटा	11.96	कपरमेटा	जनपद पंचायत गुरुर	प्लीथ कार्य पूर्ण	5.98
			11.96	आदिवासी क्षेत्रों में गोदाम सह उचित मूल्य की दुकान निर्माण- ग्राम पंचायत कोचवाही	11.96	कोचवाही		कालम कार्य प्रगति पर	5.98
			273.25	योग	273.25				118.38
2	मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी	2023-24	83.33	50 सीटर पोस्ट मैट्रिक बालक अनुसूचित जनजाति छात्रावास भवन निर्माण	83.33	मानपुर	-	अप्रारंभ	0.00
			6.23	प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास टोहे में किचनशेड निर्माण	6.23	टोहे	मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर	सीट कार्य प्रगति पर	2.492
			6.23	आदिवासी कन्या आश्रम में किचनशेड निर्माण	6.23	मुकादाह	मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहला	कॉलम कार्य प्रगति पर	2.05
			6.57	आदिवासी हाट बाजार में प्लेटफार्म निर्माण ग्राम नेंडगांव	6.57	नेडगांव	मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर	पूर्ण	6.439
			102.36	योग	102.36				10.98
3	कबीरधाम	2023-24	83.53	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बोड़ला छात्रावास भवन निर्माण कार्य	83.53	बोड़ला	-	अप्रारंभ	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			11.39	आदिवासी कन्या आश्रम दलदली में अहाता निर्माण कार्य	11.39	दलदली	श्री झम्मन चन्द्रवंशी	दिवाल कार्य प्रगति पर	0.00
			11.39	आदिवासी कन्या आश्रम चेन्द्रादादर में अहाता निर्माण कार्य	11.39	चेन्द्रादादर	श्री कंच कुमार पाण्डेय	दिवाल कार्य प्रगति पर	0.00
			12.00	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास रेंगाखार में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	12.00	रेंगाखारकला	-	अप्रारंभ	0.00
			12.00	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास रेंगाखार में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	12.00	रेंगाखारकला	-	अप्रारंभ	0.00
			12.00	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कुकदूर पुराना में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	12.00	कुकदूर	श्री शिव गुप्ता पांडातराई	नीव कार्य प्रगति पर	0.00
			12.00	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कुकदूर नवीन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	12.00	कुकदूर	श्री सुखनंदन चन्द्रवंशी	नीव कार्य प्रगति पर	0.00
			12.00	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास दलदली में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	12.00	दलदली	श्री झम्मन चन्द्रवंशी	कार्य प्रगति पर	0.00
			12.00	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बोड़ला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	12.00	बोड़ला	मेसर्स प्रवीण इलेक्ट्रिकल	कार्य प्रगति पर	0.00
			12.00	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास तरेगांव जंगल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	12.00	तरेगांव जं.	श्री कंच कुमार पाण्डेय	नीव कार्य प्रगति पर	0.00
			12.00	पो. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बोड़ला में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	12.00	बोड़ला	श्री रूपेश कुमार चन्द्रवंशी	कार्य प्रगति पर	0.00
			12.00	पो. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कवर्धा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	12.00	कवर्धा	-	अप्रारंभ	0.00
			12.00	पो. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कवर्धा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	12.00	कवर्धा	-	अप्रारंभ	0.00
		2023-24	8.00	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कवर्धा में अधीक्षक आवासगृह निर्माण	8.00	कवर्धा	श्री रामविलास चन्द्रवंशी	लेंटर कार्य पूर्ण प्लास्टर कार्य प्रगति पर	0.00
			8.00	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बोड़ला में अधीक्षक आवासगृह निर्माण	8.00	बोड़ला	श्री हरविंदर	लेंटर कार्य पूर्ण फिनिशिंग कार्य प्रगति	0.00
			8.00	आदिवासी बालक आश्रम दामापुर मा.स्तर में अधीक्षक आवासगृह निर्माण	8.00	दामापुर	श्री कंच कुमार पाण्डेय	प्लीथ लेबल	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8.00	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पंडरिया में अधीक्षक आवासगृह निर्माण	8.00	पंडरिया	श्री रूपेश चन्द्रवंशी	नीव कार्य प्रगति पर	0.00
			3.02	प्री मै.आदिवासी बालक छात्रावास बोक्करखार में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु स्पॉट ड्रिंकिंग वाटर की स्थापना	3.02	बोक्करखार	-	अप्रारंभ	0.00
			3.02	प्री मै.आदिवासी कन्या छात्रावास चिल्फी में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु स्पॉट ड्रिंकिंग वाटर की स्थापना	3.02	चिल्फी	-	अप्रारंभ	0.00
			3.02	प्री मै.आदिवासी कन्या छात्रावास ठाठापुर में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु स्पॉट ड्रिंकिंग वाटर की स्थापना	3.02	ठाठापुर	-	अप्रारंभ	0.00
			3.02	प्री मै.आदिवासी कन्या आश्रम कोदवागोड़ान में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु स्पॉट ड्रिंकिंग वाटर की स्थापना	3.02	कोदवागोड़ान	-	अप्रारंभ	0.00
			3.02	प्री मै.आदिवासी बालक आश्रम देवसरा में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु स्पॉट ड्रिंकिंग वाटर की स्थापना	3.02	देवसरा	-	अप्रारंभ	0.00
			3.02	प्री मै.आदिवासी बालक आश्रम चेन्द्रादादर में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु स्पॉट ड्रिंकिंग वाटर की स्थापना	3.02	चेन्द्रादादर	-	अप्रारंभ	0.00
			3.02	प्री मै.आदिवासी बालक आश्रम पंडरीपानी में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु स्पॉट ड्रिंकिंग वाटर की स्थापना	3.02	पंडरीपानी	-	अप्रारंभ	0.00
			3.02	प्री मै.आदिवासी बालक आश्रम दलदली में पीने योग्य पानी की व्यवस्था हेतु स्पॉट ड्रिंकिंग वाटर की स्थापना	3.02	दलदली	-	अप्रारंभ	0.00
			52.97	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास सिल्हाटी भवन निर्माण	52.97	सिल्हाटी	मेसर्स आर.के. कंस्ट्रक्शन	अप्रारंभ	0.00
			335.44		335.44				0.00
4	योग दुर्ग	2023-24		निरंक					
5	बैमेतरा	2023-24		निरंक					
6	राजनांदगाँव	2023-24		निरंक					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	खैरागढ छुईखदान गंडई			निरंक					
	योग (2023-24)		711.05		711.05				129.36
1	बालोद	2024-25		निरंक					
2	मोहला-मानपुर अंबागढ चौकी	(31 जनवरी 2025 तक)		निरंक					
3	कबीरधाम			निरंक					
4	दुर्ग			निरंक					
5	बेमेतरा			निरंक					
6	राजनादगांव			निरंक					
7	खैरागढ छुईखदान गंडई			निरंक					


 अनुभाग अधिकारी
 आ.प्र.स. तथा अनु. जा. वि. विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र

पंजरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्डवार बीज की मांग एवं आपूर्ति की जानकारी
(मात्रा क्विं. में)

क.	विकासखण्ड का नाम	फसल	प्रमाणित बीज की मांग	प्रमाणित बीज की आपूर्ति (भण्डारित मात्रा)
1	2	3	4	5
1	कवर्धा	धान	1650.70	1470.60
		सोयाबीन	109.90	0.00
		अरहर	0.00	0.10
		योग	1760.60	1470.70
2	स.लोहारा	धान	1782.20	2118.00
		सोयाबीन	425.10	70.20
		कोदो	3.00	9.60
		अरहर	2.50	0.00
3	पंजरिया	योग	2212.80	2197.80
		धान	802.50	1019.10
		अरहर	10.00	0.00
		कोदो	0.00	5.20
कुल योग			4785.90	4692.80

(विकास निष्ठा)
सप सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1678) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नाधीन अवधि में मेसर्स पाटिल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, कोटा, जिला-बिलासपुर में की गई जांच की जानकारी

क्र.	भौतिक निरीक्षण / जांच की तिथि	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	16/05/2023	श्री राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2.	07/07/2023	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	निरीक्षण के दौरान उद्योग में पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण नहीं किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 07/07/2023 के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया।
3.	29/09/2023	श्री राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	उद्योग द्वारा वर्ष 2023 के मानसून सत्र में उद्योग परिसर तथा आस-पास कुल भूमि के एक तिहाई क्षेत्रफल में लगभग 2,000 नग वृक्षारोपण किया गया है। कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
4.	24/01/2024	श्री राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
5.	16/05/2024	श्री राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
6.	14/08/2024	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
7.	28/01/2025	श्री अभय मिश्रा प्रभारी रसायनज्ञ श्री हरीश तिवारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 01	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

रायपुर विकास प्राधिकरण में कमल विहार (कौशल्या विहार) प्रोजेक्ट अंतर्गत पक्का मकान बनाने हेतु स्वीकृत योजना तथा उसके अंतर्गत हितग्राहियों को आबंटन किये गये मकान की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	प्लेट्स/रो हाऊस की संख्या	स्वीकृति दिनांक	आबंटित हितग्राहियों की संख्या	आबंटन अवधि
1	प्राधिकरण की नगर विकास योजना क्र.-4 कमल विहार के विभिन्न सेक्टरों में रो हाऊसेस का निर्माण कार्य।	63 रो हाऊसेस	10-06-2016	55	10-06-2016 से 10-12-2024
2	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-04 में 512 एल.आई.जी. 3 बी.एच.के. अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	512 एल.आई.जी.-2 3 बी.एच.के.	08-02-2018	492	17-01-2018 से 22-11-2023
3	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-04 में 768 एल.आई.जी. 2 बी.एच.के. अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	768 एल.आई.जी.-1 2 बी.एच.के.	08-02-2018	742	06-03-2018 से 26-06-2024
4	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-04 में 128 यूनिट्स 2 बी.एच.के. ई.डब्ल्यू.एस. अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	128 ई.डब्ल्यू.एस. 2 बी.एच.के.	22-02-2018	704	16-03-2018 से 30-12-2022
5	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-04 में 640 यूनिट्स 2 बी.एच.के. ई.डब्ल्यू.एस. अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	640 ई.डब्ल्यू.एस. 2 बी.एच.के.	11-01-2019		
6	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-02 में 416 यूनिट एल.आई.जी. 3 बी.एच.के. अपार्टमेंट एवं 128 यूनिट 2 बी.एच.के. एल.आई.जी.-1 का निर्माण कार्य।	416 एल.आई.जी.-2 3 बी.एच.के. 128 एल.आई.जी.-1 2 बी.एच.के.	20-12-2018	538	05-10-2018 से 23-12-2024
7	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-7 ए में 96 यूनिट एल.आई.जी. 3 बी.एच.के. अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	96 एल.आई.जी.-2 3 बी.एच.के.	20-12-2018	95	15-05-2018 से 23-01-2024
8	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-08 ए में 320 यूनिट एल.आई.जी.-2, 3 बी.एच.के. अपार्टमेंट एवं 128 यूनिट 2 बी.एच.के. एल.आई.जी.-1 का निर्माण कार्य।	320 एल.आई.जी.-2 3 बी.एच.के. 128 एल.आई.जी.-1 2 बी.एच.के.	20-12-2018	440	08-03-2019 से 11-09-2024
9	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-10 में 544 यूनिट एल.आई.जी.-2, 3 बी.एच.के. अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	544 एल.आई.जी.-2 3 बी.एच.के.	20-12-2018	539	05-10-2018 से 08-04-2024
10	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-14 ए में 256 यूनिट 2 बी.एच.के. ई.डब्ल्यू.एस. अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	256 ई.डब्ल्यू.एस. 2 बी.एच.के.	20-12-2018	236	07-02-2019 से 19-01-2024
11	नगर विकास योजना क्र.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-08 बी में 128 यूनिट एल.आई.जी.-2, 3 बी.एच.के. अपार्टमेंट का निर्माण कार्य।	128 एल.आई.जी.-2 3 बी.एच.के.	22-12-2018	128	20-11-2018 से 15-02-2024

12	नगर विकास योजना क्रं.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-01 में 448 एल.आई.जी. 3 बी. एच. के. अपॉर्टमेंट एवं 64 यूनिट 2 बी. एच. के. ई. डब्ल्यू.एस. का निर्माण कार्य।	448 एल.आई.जी.-2 3 बी.एच.के. 64 ई.डब्ल्यू.एस. 2 बी.एच.के.	09-01-2019	502	16-05-2018 से 10-03-2024
13	नगर विकास योजना क्रं.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-14बी में 192 यूनिट एल.आई.जी.-2, 3 बी. एच. के. अपॉर्टमेंट का निर्माण कार्य।	192 एल.आई.जी.-2 3 बी.एच.के.	11-01-2019	191	05-05-2018 से 15-03-2024
14	नगर विकास योजना क्रं.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-11 बी में 768 यूनिट 2 बी. एच. के. ई. डब्ल्यू. एस. अपॉर्टमेंट का निर्माण कार्य।	768 ई.डब्ल्यू.एस. 2 बी.एच.के.	13-02-2019	740	08-03-2019 से 19-01-2024
15	नगर विकास योजना क्रं.-04 कमल विहार योजना के सेक्टर-1, 2, 8ए, 8बी, 10, 11बी, 14ए एवं 14बी में 253 यूनिट ई. डब्ल्यू. एस. 2 बी. एच. के. रो हाउस का निर्माण कार्य।	253 ई. डब्ल्यू. एस. 2 बी. एच. के. रो हाउस	07-03-2019	253	05-10-2018 से 08-03-2019
16	प्राधिकरण की कौशल्या माता विहार (कमल विहार) योजना के अंतर्गत सेक्टर-13 में 288 यूनिट एल.आई.जी 3 बी.एच.के. का निर्माण कार्य।	288 एल.आई.जी.-2 3 बी.एच.के.	24-07-2023	178	20-05-2022 से 28-11-2024
	योग	6140		5833	

52.
3.3.25 -
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के बीज प्रक्रिया केन्द्र मरौद एवं कलारतराई द्वारा सहकारी केन्द्रों को सप्लाई किये गये बीज की वर्षवार एवं सीजनवार जानकारी

क्र.	वर्ष	सीजन	फसल का नाम	आपूर्ति की गई बीज मात्रा (क्विन्टो)			योग
				बीज प्रक्रिया केन्द्र मरौद	बीज प्रक्रिया केन्द्र कलारतराई		
1	2	3	4	5	6	7	
1	2020-21	खरीफ 2020	धान	10425.90	4064.70	14490.60	
			चना	28.50	0.00	28.50	
			गेहूँ	20.00	0.00	20.00	
			सरसों	0.19	0.00	0.19	
2	2021-22	खरीफ 2021	धान	10372.30	3222.90	13595.20	
			चना	33.30	9.30	42.60	
			गेहूँ	68.80	112.80	181.60	
			सरसों	2.70	2.00	4.70	
3	2022-23	खरीफ 2022	धान	8343.00	2529.22	10872.22	
			अरहर	2.80	0.00	2.80	
			चना	0.90	13.80	14.70	
			गेहूँ	0.00	14.00	14.00	
4	2023-24	खरीफ 2023	धान	7970.10	1817.10	9787.20	
			चना	0.00	9.00	9.00	
			गेहूँ	0.00	29.60	29.60	
			सरसों	0.00	0.05	0.05	
5	2024-25	खरीफ 2024	धान	8424.00	1819.50	10243.50	
			चना	570.00	299.10	869.10	
			गेहूँ	169.20	140.80	310.00	
			सरसों	16.40	5.00	21.40	
			तिवड़ा	20.40	2.70	23.10	
		योग		46468.49	14091.57	60560.06	

(वि.स.)
नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

(वि.स.)
उप सचिव

उत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
संचालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1357) की जानकारी


प्रपत्र

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति बाहुल्य 37 ग्रामों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में शामिल किये जाने हेतु प्रेषित की गई ग्रामों की सूची

क्रमांक	विधानसभा	विकास खण्ड	ग्रामों का नाम	अनु. जनजाति का प्रतिशत
1.	मुंगेली	मुंगेली	पंचोटीया	71.32
2.	मुंगेली	मुंगेली	तुलसीकांपा	84.00
3.	मुंगेली	मुंगेली	कामता	56.67
4.	मुंगेली	मुंगेली	लोकईपुर	44.71
5.	मुंगेली	मुंगेली	महादेवगढ़	37.82
6.	मुंगेली	मुंगेली	हरदीडीह	37.04
7.	मुंगेली	मुंगेली	मोहमड़वा	34.40
8.	मुंगेली	मुंगेली	हेड़सपुर	33.97
9.	मुंगेली	मुंगेली	संमरचुआ	25.99
10.	मुंगेली	मुंगेली	मदनपुर	30.51
11.	मुंगेली	मुंगेली	जैतपुरी	30.36
12.	मुंगेली	पथरिया	तराईकापा	100.00
13.	मुंगेली	पथरिया	मोतीमपुर	85.00
14.	मुंगेली	पथरिया	मझरेठा	79.06
15.	मुंगेली	पथरिया	कंचनपुर	77.45
16.	मुंगेली	पथरिया	जेवरा	57.26
17.	मुंगेली	पथरिया	कोकड़ी	52.52
18.	मुंगेली	पथरिया	टोनहीचुवा	51.97
19.	मुंगेली	पथरिया	बगमुडवा	42.53
20.	मुंगेली	पथरिया	खैरी	38.51
21.	मुंगेली	पथरिया	जगताकापा	36.58
22.	मुंगेली	पथरिया	खैरझीटी	34.72
23.	मुंगेली	पथरिया	रौनाकापा	32.97
24.	मुंगेली	पथरिया	पुंछली	28.01
25.	मुंगेली	पथरिया	कुकुसदा	27.84
26.	बिल्हा	पथरिया	ढेलकी	74.86
27.	बिल्हा	पथरिया	लुकाऊकापा	62.69
28.	बिल्हा	पथरिया	टिकैतपेन्डी	37.52
29.	बिल्हा	पथरिया	सवंतपुर	29.55
30.	बिल्हा	पथरिया	बरगांव	28.84

Signature
अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक	विधानसभा	विकास खण्ड	ग्रामों का नाम	अनु. जनजाति का प्रतिशत
31.	बिल्हा	पथरिया	झुलनाकलन	28.47
32.	बिल्हा	पथरिया	सेनदारी	27.46
33.	बिल्हा	पथरिया	धुमा	27.03
34.	बिल्हा	पथरिया	पदैन	26.42
35.	बिल्हा	पथरिया	बिरकोनी	26.38
36.	बिल्हा	पथरिया	चुनचुनिआ	26.31
37.	बिल्हा	पथरिया	मुंडादेवरी	25.33


 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 829) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2021 में लिपिक वर्ग से राज्य कर निरीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची

क्र.	उत्तीर्ण उम्मीदवार का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान
1	श्री आकाश त्रिपाठी, लेखापाल	कार्यालय राज्य कर मुख्यालय रायपुर
2	श्री दिव्यप्रकाश वर्मा, सहायक ग्रेड-तीन	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-पांच
3	श्री भरत लाल साहू, आशुलिपिक	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त-एक
4	श्री ओम नारायण बघेल, सहायक ग्रेड-दो	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-एक
5	श्री सन्तु सलाम, सहायक ग्रेड-दो	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, वृत्त धमतरी
6	श्री नीरज श्रीवास्तव, लेखापाल	कार्यालय संयुक्त आयुक्त, अपील रायपुर
7	श्री अमित हुमने, सहायक ग्रेड-दो	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-सात
8	श्री भूषण कुर्रे, आशुलिपिक	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, वृत्त जांजगीर चांपा
9	श्री टोमनलाल भूआर्य, शीघ्रलेखक	कार्यालय राज्य कर मुख्यालय रायपुर
10	श्री यज्ञेश दीवान, सहा0ग्रेड-एक	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-पांच
11	श्री पुष्पेन्द्र कर्ष, डाटा एंट्री आपरेटर	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, वृत्त जांजगीर चांपा
12	श्री विधानरंजन कुलू, सहा0ग्रेड-तीन	कार्यालय राज्य कर मुख्यालय, रायपुर
13	श्री युगल किशोर साहू, लेखापाल	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-दो
14	श्री मालिकराम बांधे, सहा0 ग्रेड-दो	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-पांच
15	श्री लाल साय राम, सहा0ग्रेड-एक	कार्यालय राज्य कर मुख्यालय, रायपुर
16	श्री गोशिवेंद्र तांडे, डाटाएंट्री आपरेटर	कार्यालय संयुक्त आयुक्त, राज्य कर संभाग दुर्ग
17	श्री सत्यनारायण नेताम, सहा0ग्रेड-दो	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, अंबिकापुर वृत्त
18	श्रीमती मोनिका दीवान, लेखापाल	कार्यालय संयुक्त आयुक्त, राज्य कर रायपुर संभाग-एक
19	श्री जीतेन्द्र नेताम, सहा0ग्रेड-दो	कार्यालय संयुक्त आयुक्त, राज्य कर रायपुर संभाग-एक
20	श्री दुरुपसाय मांझी, सहा0ग्रेड-दो	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, भाटापारा वृत्त
21	श्री अनिल कुमार जांगडे, लेखापाल	कार्यालय संयुक्त आयुक्त, राज्य कर रायपुर संभाग-दो

वर्ष 2022 में लिपिक वर्ग से राज्य कर निरीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची

क्र.	आवेदक उम्मीदवार का नाम एवं पद	रोल नंबर	वर्ग	संभाग/मुख्यालय
1	श्री सुरेश कुमार गुप्ता, सहा0ग्रेड-दो	20464	अनारक्षित	रायपुर संभाग क्रमांक-एक
2	श्री प्रभातचंद्र तिवारी, सहा0ग्रेड-तीन	20377	अनारक्षित	बिलासपुर संभाग क्रमांक-दो
3	श्री अजय कौशिक, लेखापाल	20224	अनारक्षित	रायपुर संभाग क्रमांक-दो
4	श्री हितेश कुमार दुबे, डाटाएंट्री आपरेटर	20304	अनारक्षित	बिलासपुर संभाग क्रमांक-दो
5	श्रीमती दीपा उधवानी, सहा0ग्रेड-तीन	20264	अनारक्षित	रायपुर संभाग क्रमांक-दो
6	श्रीमती रितु सोनकर, सहा0 ग्रेड-तीन	20422	अनारक्षित	रायपुर संभाग क्रमांक-एक
7	श्री दीपेश कुमार साहू, सहा0ग्रेड-तीन	20281	अनारक्षित	रायपुर संभाग क्रमांक-दो
8	श्रीमती गायत्री सिन्हा, सहा0ग्रेड-दो	20287	अनारक्षित	राज्य कर मुख्यालय, रायपुर
9	श्री गजेन्द्र कुमार तिवारी, लेखापाल	20286	अनारक्षित	रायपुर संभाग क्रमांक-दो
10	श्री ओमप्रकाश साहू, आशुलिपिक	20368	अपिव	राज्य कर दुर्ग, संभाग
11	श्री मनीष चेलक, डाटाएंट्री आपरेटर	20346	अजा	रायपुर संभाग क्रमांक-एक
12	श्री ताम्रध्वज साहू, सहा0ग्रेड-तीन	20468	अपिव	राज्य कर मुख्यालय, रायपुर
13	श्रीमती नंदनी साहू, सहा0ग्रेड-तीन	20359	अपिव	रायपुर संभाग क्रमांक-एक
14	श्री दीपक तुर्याकर, सहा0ग्रेड-दो	20279	अजा	रायपुर संभाग क्रमांक-एक
15	श्री अमर सिंह कवंर, सहा0ग्रेड-दो	20228	अजजा	बिलासपुर संभाग क्रमांक-दो
16	श्री उदेराम ध्रुव, डाटाएंट्री आपरेटर	20474	अजजा	रायपुर संभाग क्रमांक-एक
17	श्री रमेश कुमार धृतलहरे, सहा0ग्रेड-तीन	20408	अजा	रायपुर संभाग क्रमांक-एक
18	कु0 दीप्ती मरकाम, सहा0ग्रेड-दो	20282	अजजा	राज्य कर मुख्यालय, रायपुर
19	श्री चंद्रकांत ठाकुर, सहा0ग्रेड-दो	20259	अजजा	राज्य कर दुर्ग, संभाग
20	श्री दीपक कुजूर, सहा0ग्रेड-तीन	20277	अजजा	राज्य कर मुख्यालय, रायपुर
21	श्री राकेश कुमार मिंज, सहा0ग्रेड-दो	20406	अजजा	बिलासपुर संभाग क्रमांक-एक

MFA-01

सचिव लोक आयोग
छत्तीसगढ़



अभियोजन

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

विषय : श्रीमती कल्पना तिवारी अपर आयुक्त द्वारा वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग में भर्ती घोषणा।

वाणिज्यिक कर विभाग में लिपिकवर्गीय कर्मचारियों से राज्य कर निरीक्षक की हाल ही में हुई विभागीय भर्ती परीक्षा में जम कर पैसों का लेन देन हुआ। इस भर्ती परीक्षा की सूत्रधार अपर आयुक्त कल्पना तिवारी हैं और इनके द्वारा एक साल में दो बार ऐसी परीक्षा का आयोजन कराया गया। पहली परीक्षा में रु 7.5 लाख प्रति अभ्यर्थी रेट रखा गया था दूसरी परीक्षा में इसे बढ़ा कर 10 लाख कर दिया गया पहली बार में 30 और दूसरी बार 22 लोगों को निरीक्षक बनाया गया। इस प्रकार करीब करीब 4.5 - 5 करोड़ रूपए इन्होंने अपनी पर्स में डाले। इस भर्ती परीक्षा में इन्होंने जो तरीका अपनाया वो ऐसा है :

परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और मॉडल उत्तर तैयार करने के लिए 30-35 विभागीय अधिकारियों को बाँट दिया जाता है, इनमें से ही कुछ लोगों की ड्यूटी उत्तर पुस्तिका जांच करने में भी लगाई जाती है। इन्हें पूर्ण गोपनीयता और पारदर्शिता का हवाला दिया जाता है और उत्तर पुस्तिका की जांच ईमानदारी से करने कहा जाता है। ऐसा माहौल बनाया जाता है कि यहाँ upsc से भी अधिक ईमानदारी से काम किया जा रहा है। जबकि असल में होता यह है कि प्रश्न पत्र और मॉडल उत्तर पहले से तय होते हैं, उत्तर पुस्तिका इस प्रकार तैयार करवाई गयी होती है कि उसके पहले पृष्ठ जिसमें नाम और रोल नंबर होता है उसे आसानी से बदला जा सके। पहले से चुने हुए अभ्यर्थियों जिनके द्वारा पूरा पैसा दिया गया है और गोपनीयता की शपथ ली गयी है उनको उत्तरपुस्तिकाएं व मॉडल उत्तर पहले से देकर लिखवा लिया जाता है और परीक्षा के बाद इनको परीक्षा हाल में जमा किये गए उत्तर पुस्तिकाओं से बदल दिया जाता है। परीक्षा हाल में किसी प्रकार की कोई संदेहास्पद गतिविधि नहीं होती। प्रश्न पत्र का स्तर इतना कठिन होता है कि बाकि अभ्यर्थी कुछ ज्यादा लिख ही नहीं पाते। इस बात का प्रमाण यह है कि जितने लोगों का चयन निरीक्षक के पद पर हुआ है उनके उत्तर शत प्रतिशत मॉडल उत्तर से मिलते हैं ऐसा संयोग लगभग असंभव है। यदि इन्हीं अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा ली जाये तो ये 50 में से 5 अंक भी नहीं ला पाएंगे।

ऐसी स्थिति में कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजना अनिवार्य हो जाता है जैसे :


1. परीक्षा के लिए कितने उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रश्न पत्रों को छपवाया गया था, कितने का उपयोग हुआ व कितने शेष रहे ? शेष बची उत्तर पुस्तिकाओं का संधारण किस प्रकार किया गया ?
2. परीक्षा के लिए छपे हुए प्रश्न पत्रों / उत्तर पुस्तिकाओं को जिला कोषालय के vault में रखे जाने का नियम है, इस नियम का पालन क्यों नहीं किया गया ?
3. प्रश्न पत्र और मॉडल उत्तर किसके द्वारा तैयार किया गया ? प्रश्न पत्र और मॉडल उत्तर के कितने सेट तैयार किये गए ? क्या परीक्षा में इन्हीं में से किसी एक का उपयोग किया गया ?
4. उत्तर पुस्तिकाओं की जांच किसके द्वारा की गयी ?
5. परीक्षा की तिथि व उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तिथि में कितने दिनों का अंतर रखा गया व क्यों ?
6. डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी परीक्षा में सम्मिलित किये जाने हेतु क्या भर्ती नियमों में संशोधन किया गया ? यदि भर्ती नियम में वर्ग तीन कर्मचारियों को पात्रता है तो वाहन चालकों को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया ?
7. सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जब psc चयन की भर्ती करने के लिए भी तैयार है तो उसे या vyapam को परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गयी ?

8. क्या भर्ती से पहले वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त की गयी ?

श्रीमती कल्पना तिवारी को एक अपर आयुक्त के रिटायरमेंट के बाद ज़ीएचटी अपील का प्रभार भी दिया गया है जबकि सेवा निवृत्ति की तिथि भी दिसम्बर २०२२ है इनके द्वारा बैंट अपील में भी भारी भ्रष्टाचार किया गया है अपील प्रकरणों का भी यदि ऑडिट कराया जाये तो सब सामने आ जायेगा। इनके पास स्थापना का प्रभार है इसलिए बड़ी आसानी से इन्होंने खुद ही अपील का भी चार्ज ले लिया गया जबकि रिटायर होने वाले अधिकारी को ऐसे संवेदनशील कार्य नहीं दिए जाने चाहिए।

इन्होंने भ्रष्टाचार से अकूत सम्पत्ति भी बनाई है। इनके बंगलें सुन्दर नगर रायपुर, नवा रायपुर और भिलाई में हैं। नौकरी में आने के बाद कान्हा और बांधवगढ़ के आसपास कई एकड़ जमीन इन्होंने दामाद और बेटे के नाम पर खरीदी है। ये और इनके पति शासकीय सेवा में हैं और इन्होंने अपनी पुत्री को नैजी मेडिकल कॉलेज में पढाया है जिसकी फीस भरना एक सरकारी अधिकारी के लिए असंभव है। यदि इनके पास आय का कोई और स्रोत है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया नहीं गया है, क्योंकि उसमें मुख्यतः वेतन से आय ही दिखाया गया है और इन्होंने सैलरी अडवांन्ट भी खर्च कर लिया तो सख्त सजा दी जायेगी कि ये उससे से पैसे निकालते ही नहीं हैं। इन्होंने अपने बेटे के लिए एक रेस्तरां भी 'मां-चा' के नाम से जी ई रोड पर खोला है।

इनकी जांच करा कर इनको सख्त सजा दी जानी चाहिए।


रमेश कुमार

सरोज विहार, बहतराई रोड
बिलासपुर

प्रति,

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी,
प्रधान मंत्री

लोकायुक्त,
गांधी चौक, रायपुर
छत्तीसगढ़

विषय: खुले आम किये गये भ्रष्टाचार, अयोग्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति दिये जाने बाबत।



महोदय जी, आयुक्त राज्य कर (वाणिज्यिक कर) मुख्यालय में पदस्थ प्रभार अधिकारी समीर विश्नाई द्वारा लिपिक वर्गीय कर्मचारी तृतीय वर्ग से राज्य कर निरीक्षक के पद पर कार्यालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारी के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया।

इस परीक्षा में 03 सदस्यों का समिति गठन किया गया जिसमें श्रीमती कल्पना तिवारी अपर आयुक्त श्री टी आर धुर्वे और श्री रौशन सिंह का नाम दर्ज किया गया।

यह परीक्षा दिनांक 19.12.2021 को दिन रविवार 10 से 02 पालियों में आयोजित की गयी।

यह परीक्षा प्रोफेसर जे.एन. पाण्डेय, शासकीय बहुदेशीय उच्चतर, माध्यमिक विद्यालय, नलघर चौक, रायपुर में आयोजित की गयी।

आयुक्त द्वारा यह दिखावा किया गया कि यह परीक्षा पूर्ण रूप से पारदर्शी होगा लेकिन ऐसा नहीं था। इस परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 24/12/2021 को रात्रि 12 घोषित किया गया। क्या कभी ऐसा हुआ है जहा परीक्षाफल की घोषण इस प्रकार रात्रि में किया जाये।

इसके परीक्षाफल में प्रायः उन्हीं कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है जो गठित समिति के कर निर्धारण प्रकरणों के वाचक के रूप में पदस्थ है जैसे आकाश त्रिपाठी जो तरुण किरण के वाचक है दिव्यप्रकाश वर्मा जो कल्पना तिवारी के वाचक है टोमन लाल भूआर्य, आयुक्त वाचक जितेन्द्र नेताम जो रौशन सिंह के वाचक विधान रंजन कुल्लु जो दीपक गिरि के वाचक है।

इसी प्रकार मंत्रालय में संबद्ध कर्मचारी ओम नारायण बघेल और अमित हुमने का चयन किया गया है।

इस चयन प्रक्रिया में केवल एक ही महिला का चयन किया गया है इस परीक्षा में लगभग 350 कर्मचारियों ने परीक्षा दिलाया जिसमें से केवल एक महिला का चयन किया गया है क्या ये महिला ने मोनिका दीवान ने ज्यादा पैसे दिये हैं।

इस चयन में आयुक्त तथा चयन समिति द्वारा 10-10 लाख रुपये लेकर चयन किया गया है।

सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यह है की इन्हें जहा वे पदस्थ थे उन्हीं कार्यालय में पदस्थ किया गया है एवं उनसे वही कार्य लिये जा रहे हैं जो पहले लिये जाते थे।

आपको यह भी बताना चाहता हू की टोमन लाल भूआर्य के खिलाफ लगभग 25 शिकायत प्रकरण चल रहे हैं जिसे विभाग द्वारा दबा दिया गया है जिसमें लाखों गबन पैसा लिये जाने अभद्र व्यवहार है।

आपसे करबद्ध निवेदन है कि इसकी जांच करवायी जाये और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी को लात मारकर बाहर किया जाये।

राकेश चौधरी
पीडीत कर्मचारी

प्रपत्र-स

श्रीमान् मुख्य मंत्री जी
छत्तीसगढ़ शासन,

19 JAN 2022
P.S.C.T.

SO
21.1.22



विषय: वाणिज्यिक कर विभाग में विभागीय परीक्षा (निरीक्षक) में की गई गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार उजागर करने विषयक।

आदरणीय महोदय,

निवेदन है कि वाणिज्यिक कर विभाग में विभागीय वाणिज्यिक कर निरीक्षक पद में पदोन्नती हेतु विभागीय तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की परीक्षा आयोजित कर पदोन्नती की जाती है। यह विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर होता है, जो किसी कर्मचारी के सेवाकाल में मुश्किल से 1 या 2 बार परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलता है, इस परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होता है। चयनित होने पर कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के कर्मचारी से अधिकारी वर्ग में पदोन्नती का लाभ प्राप्त होता है। यह परीक्षा मुख्यालय वाणिज्यिक कर विभाग नवा रायपुर द्वारा गत माह दिसम्बर 2021 में आयोजित किया गया, जिसमें विभाग के लगभग 350 कर्मचारी सम्मिलित हुए। किन्तु उक्त परीक्षा में निम्न लिखित कारणों से भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ी होने की स्थिति निर्मित हो रही है-

1. उक्त परीक्षा में चयनित कर्मचारियों का चयन किया गया है, जिन्हें न तो विभागीय नियमों की जानकारी है न ही विभाग में प्रचलित कार्यप्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है।
2. परीक्षा पद्धति में उपयोग में लाई गई उत्तर पुस्तिका को बहुत ही आसानी से बदला जा सकती है, जिसमें परीक्षा के पूर्व विभाग के द्वारा न ही अनुक्रमांक, मुहर या सत्यापित करने हेतु किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं किया गया। न ही परीक्षा के द्वारा परीक्षार्थी की जानकारी व पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर भी उत्तर पुस्तिका में नहीं करवाया गया, अपितु इस हेतु अलग से एक पृष्ठ अलग से संलग्न किया गया था, जिसे स्टेपलर के माध्यम से उत्तर पुस्तिका में जोड़ा गया था, जिसमें कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर एवं उत्तर पुस्तिका की जांच के दौरान प्रश्न क्रमवार प्राप्तांको को अंकित किया जाना था। उत्तर पुस्तिका में प्रयुक्त पन्ने बहुत ही साधारण रजिस्टर के पन्ने थे, जिन्हें बहुत ही आसानी से बदला जा सकता था।
3. पूर्व में उक्त परीक्षा का आयोजन व्यापम के द्वारा किये जाना प्रस्तावित था, विभाग द्वारा अकारण पत्र जारी कर फाईल व्यापम से वापस मंगवाकर बहुत ही हड़बड़ी में परीक्षा आयोजित किया गया है।
4. परीक्षा आयोजित करने हेतु विभाग द्वारा की गई हड़बड़ी, जिसमें निर्धारित विधानसभा सत्र समाप्ति के ठीक अगले दिन ही परीक्षा आयोजित किया जाना एवं नगर निगम चुनाव हेतु सामाग्री वितरण के दिन ही आयोजित किया गया है। अर्थात् हड़बड़ी में परीक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्य से अधिक महत्व दिया गया है। परीक्षा की तैयारी हेतु कर्मचारियों को 1 माह से भी कम समय दिया गया है। जबकि पाठ्यक्रम में विभागीय अधिनियम जिसमें वेट, जीएसटी एक्ट, ईटी एवं सीजीएसटी के साथ मूलगूत नियमों एवं अन्य कर्मचारी नियम से संबंधित लगभग 15 नियमावली एवं सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य गणित सम्मिलित किया गया था, जिसे दिये गये समयवाधि में कार्यालयीन कर्तव्य निर्वहन के साथ तैयारी कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था, बावजूद इसके पूछे गये प्रश्न विगत 2 परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों से अत्याधिक कठिन स्तर के पूछे गये थे, जिसमें बिना प्रश्न पत्र के विभाग के किसी भी कर्मचारी के द्वारा निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्त करना

S(GST)
0 JAN 2022

9

CHIEF SECRETARY OFFICE

No. 588

Date 20/11/2022

असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि हम विभाग में जमीनी स्तर पर लगभग 5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, हमारे द्वारा अचानक इतनी कठिन स्तर की परीक्षा की तैयारी इतने कम समय में परिवारिक एवं कार्यालयीन जिम्मेदारी के साथ किया जाना असंभव था, जिसका स्तर पीएससी एवं यूपीएससी का था।


5 विभाग द्वारा वर्गवार पदों के बंटवारे या पद विभाजन की जानकारी अंत तक एवं परीक्षा परीणाम घोषित होने के बाद भी जारी नहीं किया गया है एवं उक्त पद विभाजन में महिला हेतु आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया है, क्योंकि 21 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में मात्र 1 ही महिला को उत्तीर्ण कर चयनित किया गया है।

6 परीक्षा के अगले दिन ही रात के 3 बजे तक प्रश्न पत्रों की जांच पूर्ण होने के बाद भी परीक्षा परीणाम बिना किसी कारण के 5-6 दिनों तक जारी नहीं किया गया, जिस बीच लाखों में वित्तीय लेनदेन व सांठगांठ करके परीक्षा परिणाम बदले गये हैं।

7 परीक्षा में चयनित लगभग सभी परीक्षार्थी विशेष प्रभाव के थे, जैसे 3 कर्मचारी चयन समिति के सदस्यों के सहायक (पीए व वाचक) 2 कर्मचारी मंत्रालय में संबद्ध एवं 1 कर्मचारी संघ का प्रांतीय अध्यक्ष था, जिनके द्वारा आपस में सांठगांठ कर अपना एवं अपने परिचितों को लेन-देन कर भ्रष्टाचार किया गया है। इस प्रक्रिया में विभाग के माननीय आयुक्त महोदय के पी.ए. श्री टोमन लाल भूआर्य एवं वाचक श्री दिनेश धुव के द्वारा विशेष तौर पर संपर्क कर लेन देन कर सुनियोजित तरीके से परीक्षा में भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें उनके द्वारा प्रश्न पत्र परीक्षा पूर्व ही उपलब्ध कराया गया एवं प्रश्न पत्र प्राप्त होने के बाद भी कुछ नलायक कर्मचारियों से उत्तर पुस्तिका परीक्षा हाल में ठीक तरीके से नहीं लिख पाने के कारण बाद में मुख्यालय में बंद कमरे उत्तर पुस्तिका पुनः लिखवाकर बदली गई है इसके साथ ही कुछ कर्मचारियों को उत्तीर्ण करने हेतु वित्तीय लेनदेन एवं सांठगांठ पश्चात् अंको को बढ़ाया गया है। एवं अन्य कर्मचारियों को जानबूझ कर अनुत्तीर्ण करने हेतु बहुत ही बेरहमी से उत्तर पुस्तिका की जांच की गई एवं अंको को काटा गया है, जिससे उनके 50 प्रतिशत अंक भी न आ सकें, ताकि वें स्वमेव अपात्र हो जाए।

माननीय, कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस परीक्षा में व्यापक पैमाने पर सुनियोजित तरीके से धांधली की गई है एवं बड़ी संख्या में अयोग्य कर्मचारियों को चयनित किया गया है। महोदय इससे हम समस्त पीड़ित कर्मचारी अपने आप को ठगा सा एवं छला हुआ महसूस कर रहे हैं। साथ ही यह भी निवेदन है कि इस आवेदन/शिकायत पत्र में हमारे द्वारा व्यक्तिगत नाम का उल्लेख इसलिए नहीं किया जा रहा है, क्योंकि श्रीमान आयुक्त महोदय के द्वारा पीड़ित कर्मचारियों को आवाज उठाने पर, बिना किसी पुख्ता आधार के एवं बिना किसी निवेदन के कुछ कर्मचारियों को पदस्थापना एवं अन्य जिले में सम्बद्ध किया गया है, जो दमनकारी नीति के तहत किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि समस्त कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं उक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षा को अमान्य करते हुए, उच्च स्तरीय जांच समिति के द्वारा इसकी जांच करवाई जाये।




प्रार्थी

समस्त पीड़ित कर्मचारी

अग्रिम प्रतिलिपि :-

- 1 श्रीमान् माननीय मंत्री महोदय, श्री टी.एस. सिंहदेव जी, ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर निवेदन।
- 2 मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर निवेदन।



प्रार्थी

समस्त पीड़ित कर्मचारी

पंरिशेष्ट - नु

तररररकेत प्रश्न संख्या 20 (क्र. 731) की जनकररी

प्रपत्र-अ

वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 31.01.2025 तक जिला राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मानपुर-मोहला-चौकी अंतर्गत जीएसटी चोरी (जांच जप्ति) के कुल 83 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	व्यवसायी का नाम	जी.एस.टी.एन.	वर्ष	की गई कार्यवाही का विवरण	जमा राशि (लाख में)	जॉचकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	
1	मेसर्स प्रकाश कटपीस सेंटर, डोंगरगांव	22AFXPJ3792G1Z2	2023-24	व्यवसायी से जीएसटी अधिनियम 2017 में निहित प्रावधान अनुसार शास्ति राशि रु. 20000 डीआरसी 03 AD2202240005402 दिनांक 01.02.2024 के माध्यम से जमा करवाई गई है।	0.20	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त	
2	मेसर्स पवन पुत्र फ्लेवर्स, राजनांदगांव	22AEDPR5648Q2ZV	2023-24	धारा 67 के तहत जांच जब्ती प्रकरण अंतर्गत मेसर्स पवन पुत्र फ्लेवर्स, राजनांदगांव के GSTN-22AEDPR5648Q2ZV फर्म में जांच जब्ती की कार्यवाही कर राशि रु. 66.14 लाख जमा कराया गया।	66.14	श्री एस.एस. जानसन, सहायक आयुक्त कवर्धा वृत्त	
3	किसान बूट हाउस, राजनांदगांव	22AAGPN8777K1Z5	2024-25	जॉच उपरांत व्यवसायी के विरुद्ध डीआरसी 07 दिनांक 05/02/2025 को जारी किया गया है जिसमें कर, ब्याज एवं शास्ति सहित अतिरिक्त मांग की राशि रु.181306.08 निकाली गई है, जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है।	0.00	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त	
4	अजंता बूट हाउस	22AGQPN2218K1ZB	2024-25	जॉच उपरांत व्यवसायी के विरुद्ध डीआरसी 07 दिनांक 05/02/2025 को जारी किया गया है जिसमें कर, ब्याज एवं शास्ति सहित अतिरिक्त मांग की राशि रु.196941.10 निकाली गई है, जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है।	0.00	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त	
5	मेसर्स तनुज ट्रेडर्स, राजनांदगांव	22AXFPS8667R1ZF	2024-25	धारा 67 के तहत जांच जब्ती प्रकरण अंतर्गत मेसर्स तनुज ट्रेडर्स, राजनांदगांव के GSTN-22AXFPS8667R1ZF फर्म में जांच जब्ती की कार्यवाही कर राशि रु. 16.44 लाख जमा कराया गया।	16.44	श्रीमती जोसिता मिंज उपायुक्त दुर्ग संभाग	
6	मेसर्स एस.डी. ट्रेडर्स, राजनांदगांव	22NCJPS1311E1ZT	2024-25	धारा 67 के तहत जांच जब्ती प्रकरण अंतर्गत मेसर्स एस. डी. ट्रेडर्स, राजनांदगांव के GSTN-22NCJPS1311E1ZT फर्म में जांच जब्ती की कार्यवाही की गई। प्रकरण में निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।	0.00	श्री रामनरेश चौहान उपायुक्त दुर्ग संभाग	
7	पंकज कुमार गोयल	22AIGPG2810C1Z6	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04 NE1828	0.55	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
8	विजय कुमार रामचंदानी	22AEDPR5648Q2ZV	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG10 AL1486	4.47	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
9	मोहम्मद सलीम	22BSMPK4276M1ZA	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04NE1828	1.28	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
10	शांति लाल जैन	22ACJPJ0239P1ZJ	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04NE1828	1.09	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
11	आनंद चाण्डक	22ABYPC5755D1ZN	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG07BV5844	0.20	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त

क्र.	व्यवसायी का नाम	जी.एस.टी.एन.	वर्ष	की गई कार्यवाही का विवरण		जमा राशि (लाख में)	जॉचकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम
12	शिवा रेडीमेट	22ADXF59683D1ZE	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. UP72T5183	0.12	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
13	मुजीब अब्दुल खान	22APFPK3806A2ZM	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04NX1522	0.89	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
14	श्रीराम पॉलीमर इण्डस्ट्री	22AELF55084H1ZT	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG10AN1707	0.20	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
15	हर्षद मादुकर राव घार्ड	24AIJPG0356J1ZF	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04MV1462	0.15	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
16	तौसिफ रहिम कैदा	27JEJPK8166R1Z9	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. MH49AT5176	0.29	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
17	संदीप अग्रवाल	22ARTPA1615K1ZZ	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG24T 7121	0.83	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
18	नितेश कुमार वर्मा	22230000094TMP	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AL0474	0.20	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
19	यारो फैशन लिमिटेड	27AABCY4110B1ZW	2023-24	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG07CL6066	0.48	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
20	हर्ष इण्डस्ट्रीज	23AANFH4984K1ZU	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG07BL2997	0.59	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
21	हर्ष इण्डस्ट्रीज	23AANFH4984K1ZU	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG07BL2997	0.59	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
22	मोहम्मद इश्फाक अब्दुल	27AAOPV3440K1Z5	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04HM9851	1.37	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
23	अमित शर्मा	22ATZPS3369J1ZUI	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04PD1285	1.04	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
24	चन्द्र शेखर	22ACCPC4956H1ZY	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG09JN5750	0.18	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
25	सरफराज नवाज	22APUPN8058E2ZI	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG07CA4386	0.20	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
26	गजेन्द्र कुमार, एआ वर्मा	22AECVP4312A1Z7	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08L2741	0.20	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
27	टेकचंद लहरवानी	22ABAPL9177C1ZW	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AS6032	0.19	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
28	कमल साल्वेंट	22AABCK3552H1ZW	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AE2272	0.20	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
29	दिपाली हिरानी	22AMRPC9777A1ZX	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG07CA3236	0.19	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त

क्र.	व्यवसायी का नाम	जी.एस.टी.एन.	वर्ष	की गई कार्यवाही का विवरण		जमा राशि (लाख में)	जॉचकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम
30	कंचन गुप्ता	22ADWPG78251Z5	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AQ6340	0.31	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
31	संजय कुमार अग्रवाल	22AARPA47181Z5	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08L1934	1.54	श्रीमती कविता ठाकुर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, राजनांदगांव वृत्त
32	विजय कुमार हरिहरनो	22AANPH8511Q1ZC	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AW1325	0.06	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
33	भागीरथी गोपीलाल	22AAFFB5487P1Z0	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AX6709	0.09	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
34	दीपक कुमार लहरवानी	22ABRPL5981H1Z9	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08LB2056	0.11	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
35	सूरज नागवनी	22AWVPO762H1ZB	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08L2056	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
36	अशोक कुमार गुप्ता	22AAVPG9946J1Z2	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AY7254	0.12	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
37	भरत भिमनानी	22AGVPB1579L2Z1	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG05AQ4077	0.07	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
38	यागनीक कुमार लखनानी	22AJVPL2223N1ZY	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG05AJ8190	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
39	अमित शर्मा	22ATZPS3369J1ZU	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08Z7587	0.48	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
40	सूर्यकांत चितलन्या	22AANPC6940L1ZN	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08Z7592	0.58	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
41	राजू पोरवाल	22AASPP1920E1ZX	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08BB4917	0.15	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
42	सागर वाधवानी	22AEYPW8751J1ZI	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AA5505	0.09	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
43	रामचंद्र तेजवानी	22ADEPT6522H1ZN	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AU1729	0.07	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
44	हुसैन अब्बासी	22ACOPA3099D1ZW	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AV5064	0.21	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
45	कांती लाल प्रागीभाई	22AAEFA5505C1Z0	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AV5822	0.18	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
46	लक्ष्मीचंद जैन	22ACAPS5319Q2Z9	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AC8040	0.28	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
47	सोनाली चितलन्या	22AITPC3576G1Z8	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AB0911	0.99	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त

क्र.	व्यवसायी का नाम	जी.एस.टी.एन.	वर्ष	की गई कार्यवाही का विवरण		जमा राशि (लाख में)	जॉचकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम
48	सोनाली धितलन्धा	22AITPC3576G1Z8	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AT6653	1.15	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
49	तृप्ती देवी संखला	22AZRPS1122M1Z5	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AA5505	0.08	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
50	कृष्ण कुमार साहू	22ATAPS3942G1ZV	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04JA2270	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
51	प्रवीण शर्मा	22GMOP5471M1Z8	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04MP5966	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
52	मो. सहिर मेमन	22HAHPM0028J1ZW	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. MH24AQ4468	0.78	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
53	कुसुम खमानी	22ANPPK3315C1ZH	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AZ8351	0.55	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
54	गौरव गोलछा	22AWFPG6008F1Z3	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG07CA7057	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
55	दीपक कुमार	22AINPR3861R2Z9	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG24N9805	5.16	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
56	धीरज मोटवानी	22EJBPN8940R1ZI	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08BA1677	0.25	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
57	श्वेता जैन	22AIPJP3815M1Z2	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AY9711	0.77	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
58	शाहबाज खान	222500000008TMP	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG07CW1981	3.76	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
59	टिकम चंद साहू	222500000014TMP	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08W9667	0.58	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
60	प्रेरणा खण्डेलवाल	22CBVPK5170K1Z8	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG24N4845	0.69	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
61	अमित शर्मा	22ATZPS3369J1ZU	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG24U9357	0.83	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
62	ताहिर अली	22ARGPS5438F1ZA	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08L2120	0.33	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
63	अनुराग डागा	22BQZPD9624H1ZH	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04PQ1279	0.74	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
64	सुरेश कुमार लालवानी	22AAXPL8941NPZP	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AJ1082	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
65	अशोक कुमार गुप्ता	22AAVPG9946J1Z2	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AB9141	0.12	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त

क्र.	व्यवसायी का नाम	जी.एस.टी.एन.	वर्ष	की गई कार्यवाही का विवरण		जमा राशि (लाख में)	जॉचकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम
66	संजय कुमार झा	22AKPPJ4452L1ZX	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AV9974	0.28	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
67	वेता जैन	22AIPPJ3815M1Z2	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AY7911	0.77	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
68	अभिजीत झारे	22AYOPJ9199B1Z5	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04HS4138	0.40	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
69	अशोक मंजर	22CSAPN8241B1Z9	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AU1074	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
70	अब्दुल हुसैन	22ABPPH8761F1ZJ	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AX8928	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
71	अशोक कुमार बाफना	22AHSPP81213B2ZX	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AK2433	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
72	वानीविलास पटेल	22ASQPP3182J1ZD	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AU8899	1.18	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
73	अग्रहित वर्मा	222500000032TMP	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AH6774	0.69	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
74	प्रेमलता मून्दड़ा	22DHKPA7276L1ZR	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG24V5494	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
75	नीरज कुमार सिन्हा	22LVQPS0019B1ZO	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG07BK2756	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
76	ममता बुददुन	22ADFPB7916G1ZY	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08L2468	0.65	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
77	भोमराज कुमावत	22CLZPK7801F1ZW	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG24P2555	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
78	दामोदर भानुसाली	22AMKPB0605L1ZJ	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08AA8923	0.09	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
79	मनोज कुमार सिन्हा	22HBTSP8841C1Z6	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04JB9671	0.53	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
80	नवल कुमार डागा	22AERPDP3054L1ZI	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. MH34BG1902	1.57	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
81	डोमार सिंह साहू	222500000058TMP	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08L2705	0.40	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
82	गणेश सोनकर	22DQGPS7968C1ZI	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG04MS3454	0.68	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
83	विनोद कुमार गिदवानी	22AWQPG8975N1ZN	2024-25	ई-वे बिल की जांच	Vehicle No. CG08V7078	0.20	श्री पंकज श्रीरंगे, राज्य कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त
	योग —					129.24	

प्रपत्र-ब


जीएसटी लागू होने के बाद अविभाजित जिला राजनांदगांव में वन विभाग अंतर्गत जीएसटी चोरी के 04 प्रकरण दर्ज किए गए थे जिनका विवरण निम्नानुसार है

क्र.	व्यवसायी का नाम	जी.एस.टी.एन.	वर्ष	की गई कार्यवाही का विवरण	जमा राशि (लाख में)	जॉचकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम
1	रांदल इंटरप्राइजेस जीएसटीन.	22AMVPC5157F1Z3	2019-20	वर्ष 2017-18 (अवधि जुलाई 2017 से मार्च 2018) के प्रकरण की संवीक्षा कर व्यवसायी से 0.74 लाख जमा कराई गई है।	0.74	श्री हेमंत सिन्हा, सहायक आयुक्त राज्य कर राजनांदगांव वृत्त
2	जी.एस.कमीशन एजेंट	22AFOPC5781M1Z4	2019-20	वर्ष 2017-18 (अवधि जुलाई 2017 से मार्च 2018) तथा वर्ष 2018 -19 के प्रकरणों की संवीक्षा कर व्यवसायी से 1.67 लाख जमा कराई गई है।	1.67	श्री हेमंत सिन्हा, सहायक आयुक्त राज्य कर राजनांदगांव वृत्त
3	दुर्गा ट्रेडर्स	22ACBPC2631G1ZH	2019-20	दिनांक 31.03.2020 से जीएसटी नंबर विलोपित हो चुका है। जीएसटी अधिनियम अंतर्गत जीएसटी संबंधी अंतर परिलक्षित नहीं होने से कार्यवाही नहीं की गई तथा वेट अधिनियम अंतर्गत प्रकरण में कर, ब्याज व शारित सहित राशि रु. 3 लाख जमा कराया गया।	3.00	श्री हेमंत सिन्हा, सहायक आयुक्त राज्य कर राजनांदगांव वृत्त
4	के.डी.एम. इंटरप्राइजेस	URP	2019-20	व्यवसायी वेट से जीएसटी के अंतर्गत माइग्रेट (पंजीयत) नहीं होने से जीएसटी संबंधी अंतर परिलक्षित नहीं होने से कार्यवाही नहीं की गई तथा वेट अधिनियम अंतर्गत प्रकरण में कर, ब्याज व शारित सहित राशि रु. 0.10 लाख जमा कराया गया।	0.10	श्री हेमंत सिन्हा, सहायक आयुक्त राज्य कर राजनांदगांव वृत्त
	योग -				5.51	

परिशेष - दस
तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1608) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1608 के प्रश्नांश "ख" की जानकारी					
अन्य पिछड़ा वर्ग					
क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25	
		भुगतान विद्यार्थियों की संख्या	भुगतान राशि	भुगतान विद्यार्थियों की संख्या	भुगतान राशि
1	बालोद	39568	38720797.00	20561	14965560.00
2	बलौदाबाजार	60127	46465250.00	36855	16647383.00
3	बलरामपुर	8271	7085246.00	7182	3582560.00
4	बस्तर	8144	29613136.00	5832	14870412.00
5	बेमेतरा	53991	41805904.00	35906	27298523.00
6	बीजापुर	1324	743923.00	989	437558.00
7	बिलासपुर	63833	225664540.00	35899	32447379.00
8	दत्तेवाड़ा	1949	1847000.00	1309	724479.00
9	धमतरी	35893	48689347.00	12295	4655402.00
10	दुर्ग	61635	299841212.00	26439	10067206.00
11	गरियाबंद	28365	54377444.00	15771	10922141.00
12	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	6196	9163006.00	4770	6476445.00
13	जांजगीर-चापा	48068	74547341.00	29297	27077907.00
14	जशपुर	12957	14387124.00	11207	12749769.00
15	कबीरधाम	48410	50547523.00	27827	15567633.00
16	कांकेर	10871	14096820.00	6968	5860197.00
17	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	26794	27501610.00	14610	7291601.00
18	कोण्डागांव	8597	5033134.00	5984	2699454.00
19	कोरबा	23981	32514593.00	16088	9417260.00
20	कोरिया	5429	9140950.00	3679	5027959.00
21	महासमुंद	31486	30752147.00	23190	17746782.00
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	4483	6087120.00	3595	2708294.00
23	मोहला-मानपुर-चौकी	7413	5405897.00	4369	2543268.00
24	मुंगेली	35772	30114465.00	23758	20255979.00
25	नारायणपुर	1140	1728488.00	885	1173326.00
26	रायगढ़	29579	60636981.00	18505	25550590.00
27	रायपुर	87398	336105607.00	47553	94432156.00
28	राजनांदगांव	52361	77769755.00	28376	41516226.00
29	सक्ती	21767	21566786.00	13671	5812007.00
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	23488	20348454.00	13079	6507742.00
31	सुकमा	1698	1111361.00	1177	554272.00
32	सूरजपुर	15751	21156265.00	12077	9998743.00
33	सरगुजा	14509	36795764.00	12154	21419744.00
कुल		881248	1681364990.00	521857	479005957.00


 अमुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

पॉरीशेड - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1315) की जानकारी

प्रपत्र-अ

द्वारा लालजीत सिंह राठिया का प्रश्नांश "क" की जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	अनुदान पर वितरित ट्रेक्टर की संख्या	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	2022-23	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना योग 2022-23	95	95
2	2023-24	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना योग 2023-24	118	111
3	2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना योग 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) महायोग	81	77
			31	31
			7	5
			38	36
			237	224

(विकास-विभाग)

रूप सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

द्वारा लालजीत सिंह राठिया का प्रश्नांश 'क' की जानकारी


क्र.	वर्ष	योजना का नाम	निर्धारित लक्ष्य	
			भौतिक	वित्तीय
1	2022-23	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना (कंपोनेंट क्रमांक-6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकृत प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	95	0.00
2	2023-24	योग 2022-23 कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	115	158.00
3	2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	योग 2023-24 कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकृत प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	76	112.00
		योग 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) महायोग	268	338.00

(विकास मिश्र)
उप सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

द्वारा लालजीत सिंह राठिया का प्रश्नांश "ख" की जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	ट्रेक्टर पर अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण			रिमार्क
			प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	निरस्त आवेदनों की संख्या	
1	2022-23	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	314	95	219	219 प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने व कार्य अनुमोदन नहीं होने पर स्वमेव निरस्त हो गये। त्रीक ओपिनियन रिपोर्ट अप्राप्त होने के कारण एवं प्राप्त लक्ष्यानुसार पूर्ति कर शेष प्रकरण निरस्त किये गये
		योग 2022-23	356	111	245	
2	2023-24	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	664	66	598	598 प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने व कार्य अनुमोदन नहीं होने पर स्वमेव निरस्त हो गये।
		योग 2023-24	705	77	628	प्राप्त लक्ष्यानुसार पूर्ति कर शेष प्रकरण निरस्त किये गये
3	2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	806	31	0	775 प्रकरण प्रक्रियाधीन है, जिनका निराकरण लक्ष्य उपलब्धता के आधार पर प्रक्रियाधीन। 56 लंबित प्रकरण प्राप्त लक्ष्यानुसार अनुदान स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। आबंटन प्राप्त होने पर लंबित प्रकरणों की लक्ष्यानुसार पूर्ति की जायेगी।
		योग 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	867	36	0	
		महायोग	1928	224	873	



(विष्णुसिंह विष्णु)

उप सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - बारह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 54) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसल) अंतर्गत डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा की जानकारी

वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक	प्रति हे.बीमित राशि (रु.में)	प्रीमियम राशि (लाख में रु. में)	प्रदायित दावा भुगतान	
							कृषक अंश	कृषक संख्या	राशि लाख रु. में.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	खरीफ	बालोद	डौण्डी	उड़द	10	25000	0.035	7	0.199
2023	खरीफ	बालोद	डौण्डी	कोदो	8	15000	0.020	5	0.134
2023	खरीफ	बालोद	डौण्डी	धान सिंचित	2383	58000	31.290	339	24.926
2023	खरीफ	बालोद	डौण्डी	धान असिंचित	12139	44000	147.940	1437	218.211
2023	खरीफ	बालोद	डौण्डीलोहारा	उड़द	28	25000	0.051	28	0.869
2023	खरीफ	बालोद	डौण्डीलोहारा	कोदो	1	15000	0.002	1	0.008
2023	खरीफ	बालोद	डौण्डीलोहारा	धान सिंचित	4410	58000	57.745	445	7.697
2023	खरीफ	बालोद	डौण्डीलोहारा	धान असिंचित	10501	44000	130.133	826	239.637
2023	खरीफ	बालोद	डौण्डीलोहारा	अरहर	2	36000	0.003	2	0.009
खरीफ वर्ष 2023 योग					29482	-	367.219	3090	491.690
2023-24	रबी	बालोद	डौण्डी	अलसी	10	16000	0.021	-	-
2023-24	रबी	बालोद	डौण्डी	सरसों	78	23000	0.240	78	9.922
2023-24	रबी	बालोद	डौण्डीलोहारा	चना	85	39000	0.425	62	10.910
2023-24	रबी	बालोद	डौण्डीलोहारा	अलसी	117	16000	0.240	-	-
2023-24	रबी	बालोद	डौण्डीलोहारा	सरसों	16	23000	0.049	-	-
2023-24	रबी	बालोद	डौण्डीलोहारा	गेहूँ सिंचित	1	35000	0.013	-	-
रबी वर्ष 2023-24 योग					307	-	0.988	140	20.832
खरीफ एवं रबी वर्ष 2023-24 योग					29789	-	368.207	3230	512.522
2024	खरीफ	बालोद	डौण्डी	उड़द	7	25000	0.088	दावा गणना एवं भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
2024	खरीफ	बालोद	डौण्डी	कोदो	13	16000	0.040		
2024	खरीफ	बालोद	डौण्डी	धान सिंचित	1642	60000	24.468		
2024	खरीफ	बालोद	डौण्डी	धान असिंचित	13035	45000	161.810		
2024	खरीफ	बालोद	डौण्डीलोहारा	उड़द	19	25000	0.791		
2024	खरीफ	बालोद	डौण्डीलोहारा	कोदो	5	16000	0.017		
2024	खरीफ	बालोद	डौण्डीलोहारा	धान सिंचित	4371	60000	55.253		
2024	खरीफ	बालोद	डौण्डीलोहारा	धान असिंचित	11405	45000	143.862		
2024	खरीफ	बालोद	डौण्डीलोहारा	अरहर	2	38000	0.009		
खरीफ वर्ष 2024 योग					30499	-	386.338		
2024-25	रबी	बालोद	डौण्डी	अलसी	25	17000	0.106	फसल कटाई प्रयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
2024-25	रबी	बालोद	डौण्डी	सरसों	148	25000	0.598		
2024-25	रबी	बालोद	डौण्डीलोहारा	चना	204	40000	2.419		
2024-25	रबी	बालोद	डौण्डीलोहारा	अलसी	85	17000	0.150		
2024-25	रबी	बालोद	डौण्डीलोहारा	सरसों	650	25000	3.469		
2024-25	रबी	बालोद	डौण्डीलोहारा	गेहूँ सिंचित	37	35000	0.213		
रबी वर्ष 2024-25 योग					1149	-	6.955		
खरीफ एवं रबी वर्ष 2024-25 योग					31648	-	393.293		

(विकास विश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब'

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (उद्यानिकी फसल) अंतर्गत जौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा की जानकारी राशि रुपये लाख में रकबा हेक्टेयर में

क्रमांक	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील का नाम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा(हे)	बीमित राशि	प्रीमियम		वितरित बीमा दावा राशि की जानकारी	
									कृषक अंश	कृषक संख्या	दावा राशि	दावा राशि
1	2023	खरीफ	बालोद	जौण्डी	बैंगन	13	8.38	6.45	0.32	12	0.56	
2	2023	खरीफ	बालोद	जौण्डी	मिर्च	6	4.87	3.31	0.17	4	0.01	
3	2023	खरीफ	बालोद	जौण्डी	टमाटर	25	24.40	29.28	1.46	18	2.65	
4	2023	खरीफ	बालोद	जौण्डीलोहारा	बैंगन	1	2.00	1.54	0.08	1	0.12	
5	2023	खरीफ	बालोद	जौण्डीलोहारा	पपीता	2	3.51	3.05	0.15	2	0.46	
6	2023	खरीफ	बालोद	जौण्डीलोहारा	टमाटर	23	11.55	13.86	0.69	23	0.83	
7	2023	खरीफ	बालोद	मर्से बंगला देवरी	केला	2	1.91	1.62	0.08	0	0.00	
8	2023	खरीफ	बालोद	मर्से बंगला देवरी	पपीता	26	4.05	5.02	0.25	26	0.53	
9	2023	खरीफ	बालोद	मर्से बंगला देवरी	टमाटर	8	12.89	15.47	0.77	7	1.32	
योग खरीफ 2023						106	73.56	142.91	7.15	230	10.01	
10	2023-24	रबी	बालोद	जौण्डी	बैंगन	52	18.76	10.69	0.53	13	0.09	
11	2023-24	रबी	बालोद	जौण्डी	टमाटर	87	48.96	43.08	2.15	0	0.00	
12	2023-24	रबी	बालोद	जौण्डीलोहारा	बैंगन	3	1.30	0.96	0.05	3	0.02	
13	2023-24	रबी	बालोद	जौण्डीलोहारा	फूलगोभी	1	1.99	1.07	0.05	0	0.00	
14	2023-24	रबी	बालोद	जौण्डीलोहारा	प्याज	5	0.92	0.51	0.03	5	0.02	
15	2023-24	रबी	बालोद	जौण्डीलोहारा	टमाटर	23	12.96	11.40	0.57	0	0.00	
16	2023-24	रबी	बालोद	मर्से बंगला देवरी	फूलगोभी	1	0.17	0.09	0.00	0	0.00	
17	2023-24	रबी	बालोद	मर्से बंगला देवरी	प्याज	14	1.44	0.79	0.04	13	0.02	
18	2023-24	रबी	बालोद	मर्से बंगला देवरी	टमाटर	22	13.70	12.06	0.60	0	0.00	
योग रबी 2023-24						208	100.20	140.43	7.02	70	0.20	
योग वर्ष 2023-24						314	173.76	283.34	14.17	300	10.21	

A

क्रमांक	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील का नाम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा(हे.)	बीमित राशि	प्रीमियम		वितरित बीमा दावा राशि की जानकारी	
									कृषक अंश	कृषक संख्या	दावा राशि	दावा राशि
19	2024	खरीफ	बालोद	डौणडी	बैंगन	24	11.36	8.75	0.44			
20	2024	खरीफ	बालोद	डौणडी	टमाटर	93	57.78	69.34	3.47			
21	2024	खरीफ	बालोद	डौणडीलोहारा	पपीता	6	7.03	8.79	0.44			
22	2024	खरीफ	बालोद	डौणडीलोहारा	टमाटर	55	40.80	48.96	2.45			
23	2024	खरीफ	बालोद	मर्सी बंगला देवरी	पपीता	26	4.05	5.06	0.25			
24	2024	खरीफ	बालोद	मर्सी बंगला देवरी	टमाटर	64	38.03	45.64	2.28			
योग खरीफ 2024												
25	2024-25	रबी	बालोद	डौणडी	बैंगन	4	4.67	2.66	0.13			
26	2024-25	रबी	बालोद	डौणडी	प्याज	1	0.40	0.22	0.01			
27	2024-25	रबी	बालोद	डौणडी	टमाटर	30	17.33	15.25	0.76			
28	2024-25	रबी	बालोद	डौणडीलोहारा	बैंगन	3	1.00	0.57	0.03			
29	2024-25	रबी	बालोद	डौणडीलोहारा	फूलगोभी	4	0.27	0.15	0.01			
30	2024-25	रबी	बालोद	डौणडीलोहारा	प्याज	3	0.27	0.15	0.01			
31	2024-25	रबी	बालोद	डौणडीलोहारा	आलू	1	0.10	0.10	0.00			
32	2024-25	रबी	बालोद	डौणडीलोहारा	टमाटर	40	29.31	25.79	1.29			
33	2024-25	रबी	बालोद	मर्सी बंगला देवरी	फूलगोभी	1	0.40	0.22	0.01			
34	2024-25	रबी	बालोद	मर्सी बंगला देवरी	टमाटर	40	26.02	22.90	1.14			
योग रबी 2024-25												
						127	79.78	68.01	3.40			
						395	238.83	313.53	15.68			
										0.00		0.00

(दिकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण


तथा जैव डीजैनेटिकी विभाग

मंडल, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-स

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा (उद्यानिकी फसल) योजनांतर्गत
प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की जानकारी

क्रमांक	मौसम	अधिसूचित फसल का नाम	प्रति हेक्टेयर बीमित राशि
1	खरीफ	टमाटर	1,20,000
2		बैंगन	77,000
3		अमरुद	45,000
4		केला	1,65,000
5		पपीता	1,25,000
6		मिर्च	90,000
7		अदरक	1,50,000
1	रबी	टमाटर	1,20,000
2		बैंगन	77,000
3		फूलगोभी	70,000
4		पत्तागोभी	70,000
5		प्याज	80,000
6		आलू	1,20,000


 (विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

हस्ता/-
 संचालक
 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
 नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.

परिशेष - तेरह

प्रपत्र

परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 904) की जानकारी

जिला-बिलासपुर, कबीरधाम एवं मुंगेली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत जिला स्तर पर कम्प्यूटर, लेपटॉप अथवा अन्य क्रय की गई सामग्री की जानकारी


क्र.	जिला का नाम	सामग्री का नाम	नग/ली./मी. /बॉक्स	दर (रु.)	कुल राशि (रु.मे)	रिमार्क
1	बिलासपुर	कार्टेज रिफिल (जी.एस.टी.सहित)	30नग	354	10620	
		प्रिंटर कार्टेज खरीदी (जी.एस.टी.सहित)	34नग	4042	137428	
		कम्प्यूटर रिपेयरिंग (जी.एस.टी.सहित)	1नग	22644	22644	
		कम्प्यूटर रिपेयरिंग (जी.एस.टी.सहित)	1नग	17983	17983	
		सी.सी.टी.व्ही. रिपेयरिंग (जी.एस.टी.सहित)	1नग	15753	15753	
		कम्प्यूटर रिपेयरिंग (जी.एस.टी.सहित)	1नग	16402	16402	
		पंजीकृत इनएक्टिव किसानों की सूची प्रिंट पेज	5962नग	2	11924	
		पी.एम.किसान नया पंजीयन फार्म छपाई दोनो साईड (जी.एस.टी.सहित)	2000नग	4248	4248	
		अस्थाई अपात्र पंजीकृत किसानों की भौतिक सत्यापन फार्म एवं पंचनामा प्रपत्र दोनो साईड छपाई (जी.एस.टी.सहित)	30000नग	63720	63720	
		विकासखण्ड में इन्टरनेट ब्रॉण्डबेड का भुगतान	2नग	6006	12012	
		पेन स्टेंड	1नग	720	720	
		पेन स्टेंड	2नग	260	520	
		पेन	1नग	64	64	
		पेन	2नग	16	32	
		जे.के. ए-4 पेपर रिम	40नग	181.6	7264	
		पेन	6नग	30	180	
		ब्राउन टेप	2नग	25	50	
		फाईल पेड	100नग	9	900	
		फाईल कवर	50नग	4.1	205	
		कोबरा फाईल	10नग	65	650	
स्टाम्प पेड	20नग	181.6	3632			
कलर फ्लेग	10नग	35	350			
रबड़ सील	56नग	38	2128			
योग					329429	

क्र.	जिला का नाम	सामग्री का नाम	नग/ली./मी./बॉक्स	दर (रु.)	कुल राशि (रु.मे)	रिमार्क
2	कबीरधाम	कम्प्यूटर सेट	2नग	61000	122000	
		लेपटॉप	1नग	69000	69000	
		प्रिंटर	3नग	18500	55500	
		यू.पी.एस.	2नग	3000	6000	
		फलैक्स 7x4	1नग	560	560	
		मोमेंटो	2नग	140	280	
		बुके	4नग	250	1000	
		जियो फाइबर	1नग	5241	5241	
		कोबरा फाईल	10नग	40	400	
		पेन	10नग	25	250	
		पेड	10नग	25	250	
		पैन ड्राईव	1नग	500	500	
		फलैक्स 15x10	3नग	3000	9000	
		फलैक्स 15x5	1नग	1500	1500	
		बॉन्ड पेपर	5नग	50	250	
		फलैक्स 3x6	4नग	360	1440	
		फलैक्स 15x5	1नग	1500	1500	
फलैक्स 20x8	2नग	3200	6400			
योग					281071	
3	मुंगेली	लेपटॉप	1नग	59000	59000	
		आलमारी	1नग	10700	10700	
		सूचना के अधिकार पुस्तक	1नग	480	480	
		लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012	1नग	110	110	
		वित्तीय अधिकार पुस्तिका	1नग	500	500	
		भण्डार क्रय नियम पुस्तिका	1नग	300	300	
		हैण्डबुक छ.ग.	1नग	1048	1048	
		भारत का संविधान	1नग	450	450	
		पेपर रीम	40नग	280	11200	
		नोट पेड	24नग	30	720	
		फाईल कवर	100नग	12	1200	
		स्टाम्प पेड	12नग	80	960	
		कैलेंडर	6नग	70	420	
		पेड फाईल	100नग	15	1500	
		रजिस्टर	24नग	130	3120	
		ग्लू	12नग	30	360	
		रजिस्टर	24नग	70	1680	
कैल्कुलेटर	6नग	350	2100			
पेपर ट्रे	6नग	120	720			
स्टेपलर	6नग	70	420			
बस्ता क्लाथ	50नग	70	3500			

क्र.	जिला का नाम	सामग्री का नाम	नग/ली./मी./बॉक्स	दर (रु.)	कुल राशि (रु.मे)	रिमार्क
3	मुंगेली	टेग धागा	4नग	200	800	शासकीय वाहन रिपेरिंग व्यय
		स्टेपलर पीन	2नग	200	400	
		फलैंग	20नग	40	800	
		पेन	4नग	50	200	
		स्केच पेन	1नग	30	30	
		ब्यूरोसेल घड़ी सेल	10नग	20	200	
		वायजर मोटर	1नग	500	500	
		आईल	2 ली.	500	500	
		वाईपर ब्लेड	1नग	350	350	
		वाईपर पाईप	3 मी.	90	90	
		नोजल	1नग	80	80	
		कवर	1नग	400	400	
		सीट कवर	1नग	7500	7500	
		व्हील कवर	1नग	900	900	
		एरील	1नग	400	400	
		एक्द्रा मेट	1नग	350	350	
		मेट्रेस लेफ्ट	1नग	2150	2150	
		सायरन	1नग	1050	1050	
		फलेग	1नग	200	200	
		स्पीकर	1नग	1400	1400	
		स्क्रिनिंग	1नग	1600	1600	
		परफ्यूम	1नग	400	400	
		डी/बी. फ्यूज	1नग	200	200	
		लिविड बैट्री	1नग	4950	4950	
		लाईट वायरिंग	1नग	150	150	
		एचएल बल्ब	1नग	100	100	
		स्टेपनी	1नग	1500	1500	
		नंबर प्लेट	1नग	500	500	
		रेडियम स्टीकर	1नग	100	100	
		गाडी पर्दा	8नग	250	2000	
		सीट कवर	5नग	400	2000	
		शासकीय वाहन का सीट शीलिंग रिपेरिंग	1नग	4000	4000	
		एसी कम्प्रेसर	1नग	14500	14500	
सीट फिटिंग एवं ओपनिंग	1नग	4600	4600			
एसी गैस रिफिलिंग	1नग	1400	1400			
एसी आईल	1नग	800	800			
एसी होस	3नग	1067	3200			
एसी कन्डेंसर फेन मोटर	1नग	4850	4850			
डेंटिंग एवं बाडी वर्क	1नग	9500	9500			
पेंटिंग एवं आल बाडी वर्क	1नग	9200	9200			

क्र.	जिला का नाम	सामग्री का नाम	नग/ली./मी./बॉक्स	दर (रु.)	कुल राशि (रु.मे)	रिमार्क
3	मुंगेली	पलैक्स 4X6	10नग	600	6000	
		ऑफिस बोर्ड	4नग	2000	8000	
		पी.एम. किसान सम्मान निधि पंजीयन फार्म	5000नग	2	10000	
		कार्यालयीन शासकीय वाहन हेतु डीजल क्रय	37.16ली.	94	3500	
			45.96ली.	94	4335	
			46.71ली.	94	4400	
			43.52ली.	94	4100	
			10.62ली.	94	1000	
			10.6ली.	94	1000	
			10.62ली.	94	1000	
			60ली.	94	5652	
		माननीय केंद्रिय कृषि मंत्री जी के जिला दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन द्वारा भेजे गये बस का डीजल व्यय	41.88ली.	94	3946	
			142ली.	94	13396	
			155ली.	94	14623	
			142ली.	94	13396	
			41ली.	94	3868	
			30ली.	94	2830	
		कार्यालय में प्लंबिंग एवं इलेक्ट्रिक कार्य	कोना स्विच 16 एम्पीयर	10नग	70	700
			कोना साकेट 6 एम्पीयर	10नग	50	500
			कोना बेल	1नग	200	200
			फेन डाउन रॉड 2 फीट	1नग	60	60
			फीनॉलेक्स ट्यूबलाईट	6नग	250	1500
			एलईडी फीनॉलेक्स 12 वाट	2नग	450	900
			हैण्ड ड्रिल पावर	1नग	500	500
			कॉर्नर सेल्फ	1नग	600	600
			पीवीसी नल	6नग	110	660
			सीआई होस निप्पल	1नग	100	100
			जीआई निप्पल	1नग	60	60
			पीवीसी ब्राश एल्बो	4नग	65	260
			एंगल कौक	2नग	110	220
			पीवीसी पाईप	1नग	480	480
			पीवीसी एल्बो	6नग	50	300
पीवीसी साल्वेंट	1नग		230	230		
पलश कौक	1नग		425	425		
थ्री वे वाल	1नग		150	150		
पीवीसी ब्राश टी	1नग		80	80		
ट्यूबलाईट फीनालेक्स	2नग		250	500		
फीटिंग चार्ज	-		1000	1000		
सीलिंग फेन फीनालेक्स	1नग		1450	1450		
फीनालेक्स एकजार्स्ट फेन	2नग		1400	2800		
ट्यूबलाईट फीनालेक्स	2नग		250	500		
फीटिंग चार्ज	-		200	200		

क्र.	जिला का नाम	सामग्री का नाम	नग/ली./मी. /बॉक्स	दर (रु.)	कुल राशि (रु.मे)	रिमार्क
3	मुंगेली	कप	1 बॉक्स	410	410	
		ग्लास	2 बॉक्स	475	950	
		शेलो बाक्स	2नग	98	195	
		ट्रे नायसा	1नग	595	595	
		टी कोस्टर मिल्टन	1नग	330	330	
		पीपी	1नग	380	380	पेयजल संबंधी व्यय
		हाटकार्बन	1नग	580	580	
		एसवी	1नग	530	530	
		फीलो	2नग	250	500	
		सर्विस	—	300	300	
योग					317925	


(विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

हस्ता/-
 नोडल अधिकारी (वि.स.)
 संचालनालय कृषि
 छ.ग. रायपुर

परिशेष - चौदह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 985) की जानकारी

प्रपत्र-अ

सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन की अधिसूचना छ.ग. राजपत्र में दिनांक 24 अप्रैल 2015 को हुई है।

उद्देश्य -

सिरपुर एवं सिरपुर के आसपास के क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल होने के कारण उसे संरक्षित करने एवं सांस्कृतिक विकास हेतु गठित किया गया।

अध्यक्ष/सदस्यगण -

01.	अध्यक्ष	-	कोई नहीं
02.	उपाध्यक्ष	-	कलेक्टर, जिला-महासमुन्द
03.	सदस्य	-	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महासमुन्द
04.	सदस्य	-	वन मण्डलाधिकारी, महासमुन्द
05.	सदस्य	-	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग
06.	सदस्य	-	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर द्वारा नामांकित अधिकारी
07.	सदस्य	-	संचालक, संस्कृति एवं राज्य पुरातत्व द्वारा नामांकित अधिकारी
08.	सदस्य	-	संचालक, पर्यटन द्वारा नामांकित अधिकारी
09.	सदस्य	-	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द
10.	सदस्य	-	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, महासमुन्द
11.	सदस्य एवं संयोजक	-	सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, महासमुन्द

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्राधिकरण की 09 बैठकें आयोजित की गई (1) दिनांक 30.06.2015, (2) दिनांक 19.11.2015, (3) दिनांक 01.02.2016, (4) दिनांक 14.03.2016 (5) दिनांक 09.08.2016, (6) दिनांक 02.09.2016, (7) दिनांक 28.10.2016, (8) दिनांक 27.06.2017, (9) दिनांक 28.12.2022

उक्त बैठकों में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है:-

1.	साडा क्षेत्र में सम्मिलित 34 ग्रामों की सूची अधिसूचना, मानचित्र एवं राजपत्र प्रकाशित के संबंध में।
2.	अस्थाई कार्यालय ग्राम पंचायत भवन सिरपुर में संचालन हेतु।
3.	34 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग प्रकाशन के संबंध में।
4.	साडा का पृथक कार्यालय प्रारंभ नहीं होता है, तब तक अस्थाई रूप से ग्राम पंचायत भवन सिरपुर में संचालित तथा संबंधित उप-अभियंता, राजस्व निरीक्षक/पटवारी को अतिरिक्त दायित्व।
5.	कोई भी निर्माण/विकास बिना अनुमति नहीं किया जा सके, नगर तथा ग्राम निवेश एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से अनुमति हेतु निर्देश।
6.	साडा सिरपुर के लिए 11 पदों की स्वीकृति के संबंध में।
7.	साडा कार्यालय हेतु अस्थाई कर्मचारी विभिन्न विभागों से पदस्थ हेतु निर्णय।
8.	34 ग्रामों को पी.एम.जी.एस.वाई. के सहयोग से आपस में जोड़ने कनेक्टिविटी प्लान, मूलभूत सुविधाओं (हमर गांव हमर योजना) के तहत, पुरातात्विक स्मारकों के आसपास हरियाली योजना के तहत विकसित करने हेतु।
9.	ग्राम विकास नया रायपुर के तर्ज पर कार्य।
10.	शिल्प ग्राम स्थापना।
11.	एनर्जी पार्क डेवलपमेंट प्लान के संबंध में।
12.	पब्लिक कम्यूनिटी स्थल स्थापित करने संबंधी।
13.	कैफेटेरिया 25 टेबल का निर्माण।
14.	बड़े या पक्के निर्माण का भी सर्वेक्षण किया जाकर भवन स्वामियों की सूची बनाने हेतु।
15.	अवैधानिक निर्माण को रोकने हेतु भवन अधिकारी के लिए।
16.	बिना अनुमति निर्माण संबंधी।
17.	व्यक्ति विशेष द्वारा/संस्था द्वारा बड़े रकबे की खरीदी की जानकारी।
18.	जमीनों की खरीदी बिक्री पर तत्काल रोक।
19.	बोलबम कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले कावरियों हेतु 4-5 किमी रेडियस में शौचालय निर्माण हेतु बजट आबंटन संबंधी।
20.	गार्डन का सौन्दर्यीकरण लाईट/घास/सर्वसुविधायुक्त के संबंध में।
21.	सिरपुर महोत्सव 02 दिवस के स्थान पर 03 दिवस करने संबंधी।

3.3.25
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - पन्नाह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 1017) की जानकारी

वर्ष 2022-23 में संचालनालय कृषि के जिला अधिकारियों द्वारा राज्य पोषित, केंद्र की योजनाओं तथा अन्य मर्दों में प्राप्त राशि से राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीज क्रय की फसलवार, जिलावार एवं योजनावार जानकारी

प्रपत्र-अ

1

क्र	जिला	योजना/मद का नाम	योजना का प्रकार	फसल का नाम	दर प्रति किं. रू.
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	-	-	-	-
2	बलौदा बाजार	-	-	-	-
3	गरियाबंद	-	-	-	-
4	महासमुन्द	-	-	-	-
5	धमतरी	खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	उड़द रागी	12000 7000
6	दुर्ग	-	-	-	-
7	बालोद	-	-	-	-
8	बेमेतरा	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	मूंग उड़द	11000 12000
9	राजनांदगांव	खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	हाईब्रिड मक्का हाईब्रिड धान	19965 38000
10	नोहला-मानपुर-अं.चौकी	-	-	-	-
11	खैरागढ़-छुईखदान-गडई	-	-	-	-
12	कबीरघाम	सबामिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल- बीज ग्राम योजना खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	चना हाईब्रिड धान	7100 31900
13	बिलासपुर	-	-	-	-

क्र	जिला	योजना/मद का नाम	योजना का प्रकार	फसल का नाम	दर प्रति कि. रू.
1	2	3	4	5	6
14	गौरेला पेंड्रा	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया योजना खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना टारगेटिंग राईस फेलो एरिया योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	मूंगफली चना मटर रागी	11000 7100.00 7750.00 6000.00
15	मुंगली	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		रागी	6000.00
16	जांजगीर				
17	सक्की				
18	कोरबा	ग्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हाईब्रिड मक्का	19965
19	सायगढ़	खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	हाईब्रिड धान	33000
20	सारंगढ़ बिलाईगढ़				
21	सरगुजा				
22	सुरजपुर	खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना		हाईब्रिड मक्का	21660
23	बलरामपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	हाईब्रिड मक्का रागी	21660 6700
24	कोरिया				
25	भरतपुर-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी				
26	जशपुर				
27	जनादलपुर	खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	उड़द	12000

क्र	जिला	योजना/मद का नाम	योजना का प्रकार	फसल का नाम	दर प्रति विस्. रु.
1	2	3	4	5	6
28	कोण्डागांव	टारगेटिंग चार्जस फेलो एरिया	केन्द्र प्रवर्तित योजना	टना	7100
				मूंग	11000
				मसूर	9700
				उड़द	12000
				मूंगफल्ली	11000
29	दत्तेवाड़ा	—	—	रागी	6000
				मूंग	11000
30	सुकमा	—	—	—	—
31	कांकेर	—	—	—	—
32	बीजापुर	—	—	—	—
33	नारायणपुर	—	—	—	—

(विभागाध्यक्ष)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग


प्रपत्र-ब

वर्ष 2023-24 में संघालनालय कृषि के जिला अधिकारियों द्वारा राज्य पोषित, केंद्र की योजनाओं तथा अन्य मदों में प्राप्त राशि से राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीज क्रय की फसलवार, जिलावार एवं योजनावार जानकारी

क्र	जिला	योजना/मद का नाम	योजना का प्रकार	फसल का नाम	दर प्रति कि. रू.
1	रायपुर	श्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डब्रिड मक्का	21000
2	बलौदा बाजार	श्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डब्रिड मक्का	21890
3	गरियाबंद	श्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डब्रिड मक्का	21000
4	महासमुंद	श्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डब्रिड मक्का	21000
5	धमतरी	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार श्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	केंद्र प्रवर्तित योजना	रागी	6600
6	दुर्ग	श्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डब्रिड मक्का	21000
7	बालोद	श्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डब्रिड मक्का	21000
8	बेमेतरा	श्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डब्रिड मक्का	21000

क्र	जिला	योजना/मद का नाम	योजना का प्रकार	फसल का नाम	दर प्रति कि. रु.
1	2	3	4	5	6
9	राजनांदगांव	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना	राज्य पोषित योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना	हार्डब्रिड मक्का हार्डब्रिड धान	21000 38000
10	मोहला-मानपुर-अंजोकी	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डब्रिड मक्का	2100
11	खैरागढ़-छुईखदान-गाडई	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डब्रिड मक्का	21000
12	कबीरधाम	-	-	-	-
13	बिलासपुर	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डब्रिड मक्का	21000
14	गौरैया पेन्झा	-	-	-	-
15	मुंगेली	खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य पोषित योजना	चना हार्डब्रिड मक्का	7700 21000
16	जांजगीर	-	-	-	-
17	सक्की	-	-	-	-
18	कोरबा	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डब्रिड सूर्यमुखी	70000
19	रायगढ़	-	-	-	-
20	सारंगढ़ बिलाईगाढ़	-	-	-	-
21	सरगुजा	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डब्रिड मक्का	20500
22	सुरजपुर	-	-	-	-
23	बलरामपुर	-	-	-	-
24	कोरिया	-	-	-	-
25	भरतपुर-मनेन्द्रगाढ़-चिरमिशी	-	-	-	-

क्र	जिला	योजना/मद का नाम	योजना का प्रकार	फसल का नाम	दर प्रति विघ. रु.
1	2	3	4	5	6
26	जशपुर	ग्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हाईब्रिड मक्का	22500
27	जगदलपुर	—	केन्द्र प्रवर्तित योजना	—	—
28	कोण्डागाँव	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफार	राज्य पोषित योजना	रागी	6500
		द्विफसलीय क्षेत्र बढ़ान हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम		गेहूँ	3850
29	दंतेवाड़ा	ग्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	—	हाईब्रिड मक्का	22500
		—		—	—
30	सुकमा	द्विफसलीय क्षेत्र बढ़ान हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम	राज्य पोषित योजना	मूंग	11500
		ग्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन		सूर्यमुखी	70000
31	कांकर	द्विफसलीय क्षेत्र बढ़ान हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम	राज्य पोषित योजना	हाईब्रिड मक्का	21000
32	बीजापुर	सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल-बीज ग्राम योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	सरसों	9700
		—		उज्जद	11500
33	नारायणपुर	—	—	—	—


विकास मिश्र
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-स

वर्ष 2024-25 (दि: 31.01.2025) की स्थिति में) में संचालनालय कृषि के जिला अधिकारियों द्वारा राज्य पोषित, केंद्र की योजनाओं तथा अन्य मदों में प्राप्त राशि से राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीज क्रय की फसलवार, जिलावार एवं योजनावार जानकारी

क्र	जिला	योजना/मद का नाम	योजना का प्रकार	फसल का नाम	दर प्रति क्वि. रू.
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	-	-	-	-
2	बलौदा बाजार	खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	धान	3900
			राज्य पोषित योजना	हाईब्रिड मक्का मूंग	22500 14000
3	गरियाबंद	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हाईब्रिड मक्का	22500
4	महासमुन्द	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हाईब्रिड मक्का	22500
5	धमतरी	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	केन्द्र प्रवर्तित योजना	हाईब्रिड मक्का	22500
			राज्य पोषित योजना	सरसों चना	9300 8800
6	दुर्ग	-	-	-	-
7	बालोद	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हाईब्रिड मक्का	22500
			केन्द्र प्रवर्तित योजना	मूंगफल्सी	14000
8	बेमेतरा	खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना	राज्य पोषित योजना	मूंगफल्सी	12000
			केन्द्र प्रवर्तित योजना	मक्का	22500
9	राजनादगाव	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हाईब्रिड धान	38000
			केन्द्र प्रवर्तित योजना	हाईब्रिड मक्का	22500
10	मोहला-मानपुर-अ.चौकी	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हाईब्रिड मक्का	22500
11	खैरागढ़-छुईखदान-गडई	सर्वमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल- बीज ग्राम योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	मूंग	14000

क्र	जिला	योजना/मद का नाम	योजना का प्रकार	फसल का नाम	दर प्रति किं. रु.
1	2	3	4	5	6
12	कबीरधाम	सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल- बीज ग्राम योजना	केंद्र प्रवर्तित योजना	सोयाबीन	7400
				मूंग	13000
				उरुद	14000
				तिल	22500
				मटर	9200
				सरसों	9300
				हाईब्रिड धान	38000
				सोयाबीन	7400
				सरसों	9300
				सरसों	9300
13	बिलासपुर	-	-	-	-
14	गौरेला पेंड्रा	-	-	-	-
15	मुंगेली	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना	केंद्र प्रवर्तित योजना	चना	8800
			वाय्व पोषित योजना	हाईब्रिड धान	38000
16	जांजगीर	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	केंद्र प्रवर्तित योजना	मूंग	14000
			वाय्व पोषित योजना	मूंग	14000
17	सक्की	-	-	-	-
18	कोरवा	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	वाय्व पोषित योजना	हाईब्रिड मक्का	22500
			केंद्र प्रवर्तित योजना	हाईब्रिड धान	38000
19	रायगढ़	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना	केंद्र प्रवर्तित योजना	सूर्यमुखी	70000
			वाय्व पोषित योजना	हाईब्रिड धान	38000
20	सारंगढ़ बिलाईगढ़	-	-	-	-
21	सरगुजा	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	वाय्व पोषित योजना	हाईब्रिड मक्का	22500
22	सुरजपुर	श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	केंद्र प्रवर्तित योजना	हाईब्रिड मक्का	22500
23	बलरामपुर	-	-	-	-
24	कोरिया	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना	केंद्र प्रवर्तित योजना	हाईब्रिड धान	38000
25	भरतपुर-मनेन्द्रगढ़-विरसिरी	-	-	-	-

क्र	जिला	योजना/मद का नाम	योजना का प्रकार	फसल का नाम	दर प्रति किं. रु.
1	2	3	4	5	6
26	जशपुर	ग्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना टारगेटिंग सार्ईस फेलो एरिया	राज्य पोषित योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना	हाईब्रिड मक्का हाईब्रिड धान सूरजमुखी	22500 38000 70000
27	जगदलपुर	द्विफसलीय क्षेत्र बहान हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम ग्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना	राज्य पोषित योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना	हाईब्रिड मक्का हाईब्रिड मक्का	70000 22500 22500
28	कोण्डागाँव	द्विफसलीय क्षेत्र बहान हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम ग्रीष्म कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य पोषित योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना	मूंग हाईब्रिड मक्का	11500 22500 7200
29	दंतेवाड़ा	जैविक खेती मिशन द्विफसलीय क्षेत्र बहान हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम दलहन उत्पादन प्रोत्साहन योजना द्विफसलीय क्षेत्र बहान हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम	राज्य पोषित योजना	धान मूंग मूंग मूंग धान	7200 14000 14000 14000 14000
30	सुकमा	जैविक खेती मिशन परम्परागत कृषि विकास योजना खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	धान रानी मूंग हाईब्रिड धान मूंग रानी मूंग	7200 7000 7000 38000 14000 7000 14000

क्र	जिला	योजना/मद का नाम	योजना का प्रकार	फसल का नाम	दर प्रति कि. रू.
1	2	3	4	5	6
31	कांकेर	खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	हार्डबीड धान	38000
		टारगेटिंग राईस फेलो एरिया		तिल	22500
		श्रीष कालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल प्रदर्शन	राज्य पोषित योजना	हार्डबीड मक्का	22500
		जिला खनिज न्यास	अन्य मद	हार्डबीड मक्का	22500
32	बीजपुर	परम्परागत कृषि विकास योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	धान	8500
		जैविक खेती मिशन	राज्य पोषित योजना	धान	8500
33	नारायणपुर	-	-	-	-

(विकास मिश्र)
उप सचिव

उत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग


परिशेष - सोलह
परिवर्तित अतारोकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1043) की जानकारी

प्रपत्र-अ

रबी फसल हेतु किसानों के लिए खाद की व्यवस्था

क्र.	उर्वरक का नाम	रबी वर्ष 2024-25 हेतु भारत सरकार को खाद उपलब्धता हेतु प्रस्तावित मांग	भारत सरकार से खाद आबंटन की स्वीकृति मात्रा	दिनांक 27.02.2025 की स्थिति में	
				मंडारण	वितरण
1	2	3	4	5	6
1	यूरिया	270000	240000	346081	219067
2	डीएपी	110000	70000	128706	82215
3	एमओपी	50000	15000	49161	14639
4	एनपीके	50000	60000	88402	47172
5	एसएसपी	70000	80000	176259	49559
योग		550000	465000	788609	412652

इकाई मेटन


नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
रु.ग.रायपुर


(विकास मिश्र)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

जिला रायगढ़ में रबी 2024 हेतु उर्वरक लक्ष्य उपलब्धता, वितरण एवं बचत की जानकारी
(दिनांक 01.10.2024 से 27.02.2025 की स्थिति में)

इकाई - में. टन में

क्र.	उर्वरक का नाम	लक्ष्य रबी 2024	उपलब्धता	वितरण	शेष
1	2	3	4	5	6
1	यूरिया	9700.00	12173.06	7460.11	4712.95
2	डी.ए.पी.	3300.00	3158.19	2094.34	1063.85
3	एम.ओ.पी.	500.00	1019.60	445.75	573.85
4	एस.एस.पी.	3000.00	3629.15	2081.05	1548.10
5	एन.पी.के.	2500.00	6367.75	1238.80	5128.95
	योग	19000.00	26347.75	13320.05	13027.70

(विनायक मिश्रा)
उप सचिव
जिला रायगढ़ शासन
कृषि विस्तार एवं किसान कल्याण
& लक्ष्य एवं प्रोड्यूसिबिलिटी विभाग
भूमि विभाग, नया रायगढ़, अटल नगर

(विनायक मिश्रा)
नोडल अधिकारी (वि.स.)
संचालनालय कृषि
क. ग. रायपुर

परिशेष - सत्रह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1316) की जानकारी

प्रपत्र

जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित छात्रावास/आश्रमों हेतु कय की गई सामग्री एवं राशि की जानकारी
वर्ष 2023-24 से 31 जनवरी 2025 तक

क	सामग्री का नाम	राशि
1	2	3
वर्ष 2023-24		
1	एलईडह बल्ब 20 वॉट	459390.00
2	एल.ई.डी. स्ट्रीक लाईट	644347.00
3	कढ़ाई	65641.00
4	कुकर	221809.00
5	कटोरी	45647.00
6	मच्छरदानी	1024839.00
7	थाली	593027.00
8	फिनाईल	1740719.00
9	गिलास	160682.00
10	भगोना	56331.00
11	पंखा	602444.00
12	पलंग	2171601.00
13	स्टूडेंट चेयर	1075676.00
14	स्टूडेंट टेबल	1085665.00
15	वॉल फेन	583337.00
16	गद्दा	2052910.00
योग		12584065.00
वर्ष 2024-25		
सामग्री कय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।		


 अनुभाग अधिकारी
 अनु.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 नवा रायपुर, अटल नगर

परोशेष्ट - अट्टारह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1319) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	प्रकोष्ठ का नाम	प्रकोष्ठ गठन दिनांक	विकासखण्ड का नाम	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	लक्षित परिवार संख्या	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7
1	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ बिलासपुर	14 सितम्बर 2022	कोटा	4	104	वि.खं. कोटा में सम्मिलित ग्राम- पंचायत का नाम शक्तिबहरा सेमरिया उमरियादादर उमरियादादर
2			मस्तूरी	2	39	वि.खं. मस्तूरी में सम्मिलित ग्राम- जेवरा खैरवारपारा
			योग :-	6	143	

अनुभाग अधिकारी
-आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
मन्त्रालय, नया रायपुर

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	योजना अंतर्गत प्रगतिरत/प्रस्तावित कार्य का नाम	ग्राम का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति दिनांक	कार्य की अद्यतन वित्तीय स्थिति		कार्य की अद्यतन भौतिक स्थिति
							स्वीकृत राशि	व्यय राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2022-23	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	पीव्हीटीजी हेतु आवास निर्माण	सेमरिया	प्रगतिरत	14.03.2024	2.50	1.25	प्रगतिरत
2	2023-24	प्रधानमंत्री जनमन योजना	पक्का आवास (PMAY(G))	सेमरिया (बिरहोरपारा)	प्रगतिरत	08.01.2024	12.00	5.40	प्रगतिरत
3	2023-24			उमरियादादर (बिरहोरपारा)	प्रगतिरत	02.07.2024	44.00	14.20	प्रगतिरत
	जेवरा			प्रगतिरत	08.01.2024	33.00	14.00	प्रगतिरत	
	खैरवारपारा			प्रगतिरत	12.06.2024	8.00	5.80	प्रगतिरत	
	सेमरिया से औरापानी पक्की सड़क निर्माण			प्रगतिरत	22.02.2024	165.00	29.64	अर्धवर्क कार्य पूर्ण, 0.15 कि.मी. जी.एस.बी. कार्य पूर्ण, 3 पुल-पुलिया पूर्ण, शेष कार्य प्रगतिरत।	
	बिरहोरपारा से बिरहोरपारा तक पक्की सड़क निर्माण			प्रगतिरत	22.02.2024	307.79	39.87	अर्धवर्क कार्य पूर्ण, 0.30 कि.मी. जी.एस.बी. कार्य पूर्ण, 6 पुल-पुलिया पूर्ण, शेष कार्य प्रगतिरत।	
2023-24	पुडू, उपरियादादर रोड से कोईलारीपारा तक पक्की सड़क निर्माण	प्रगतिरत	कोईलारीपारा	प्रगतिरत	22.02.2024	204.20	32.75	अर्धवर्क पूर्ण, 2.00 कि.मी. जी.एस.बी. कार्य पूर्ण, 1.00 कि.मी. डब्ल्यू.एम.एम. पूर्ण, 1-पुल पुलिया पूर्ण, एवं शेष कार्य प्रगतिरत	
2023-24		विद्युतीकरण	उमरियादादर (बिरहोरपारा)	पूर्ण	09.01.2024	0.40	0.30	पूर्ण	
4	2024-25		बिरहोरपारा उमरियादादर से बिजराभौना तक पक्की सड़क निर्माण	बिरहोरपारा उमरियादादर से बिजराभौना	अनुबंध प्रक्रियाधीन	21.11.2024	366.00	0.00	अनुबंध प्रक्रियाधीन

अनुभाग अधिकारी
आ.जा. त्पम् अनु.जा. वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र - "अ"

विधानसभा क्षेत्र मुंगेली अंतर्गत संचालित प्री मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक बालक/कन्या अनुसूचित जाति छात्रावासों के स्वीकृत सीट, प्रवेशित सीट एवं रिक्त सीटों की जानकारी दिनांक 31.01.2025 की स्थिति में

क्र.	छात्रावासों का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	रिक्त सीट	अतिरिक्त सीट	कुल प्रवेशित सीट
पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास						
1	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास मुंगेली	150	150	0	10	160
2	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास	50	50	0	0	50
3	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास मुंगेली	150	100	50	0	100
	योग-	350	300	50	10	310
प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास						
1	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक पुराना छात्रावास	110	110	0	0	110
2	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक नवीन छात्रावास	60	60	0	10	70
3	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जरहागांव	50	50	0	0	50
4	प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मुंगेली	50	50	0	30	80
5	प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जरहागांव	50	43	7	0	43
6	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास फास्टरपुर	50	50	0	0	50
	योग-	370	363	7	40	403



अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
इंदौर, नवा रायपुर, अटल बर

वर्ष 2023-24 व 2024-2025 में सक्षम अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक, अधिकारी का नाम, शिकायत एवं कार्यवाही की जानकारी

क्र	छात्रावास/आश्रम का नाम	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	शिकायत	निराकरण
वर्ष 2023-24							
1	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मुंगेली	150	135	11-09-2023	श्री अजय कुमार शतरंज	विद्युत वायरिंग	विद्युत वायरिंग पूर्ण कर दी गई है।
2	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मुंगेली	150	98	21-11-2023	श्री अजय कुमार शतरंज	सी.सी. कैमरा खराब	सी.सी. कैमरा सुधार कर लिया गया है।
3	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास फास्टरपुर	50	50	04-10-2023	श्री अजय कुमार शतरंज	-	-
4	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति नवीन बालक छात्रावास मुंगेली	60	60	11-09-2023	श्री अजय कुमार शतरंज	भवन विहीन	किराये की भवन में संचालित
5	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति पुराना बालक छात्रावास मुंगेली	110	110	11-09-2023	श्री अजय कुमार शतरंज	शौचालय की कमी	शौचालय निर्माण किया गया है।
6	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जरहागांव	50	24	16-11-2023	श्री अजय कुमार शतरंज	-	-
7	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास फास्टरपुर	50	50	04-10-2023	श्री अजय कुमार शतरंज	विद्युत वायरिंग	विद्युत वायरिंग पूर्ण कर दी गई है।
8	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मुंगेली	50	70	21-11-2023	श्री अजय कुमार शतरंज	-	-
9	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जरहागांव	50	31	16-11-2023	श्री अजय कुमार शतरंज	-	-
वर्ष 2024-2025							
1	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मुंगेली	150	160	17-12-2024	श्री एल.पी. पटेल	अतिरिक्त कक्ष की कमी	अतिरिक्त कक्ष निर्माण किया गया है।
2	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मुंगेली	150	100	22-07-2024	श्रीमती ज्योति मिश्रा	सी.सी. कैमरा खराब	सी.सी. कैमरा सुधार कर लिया गया है।
3	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास फास्टरपुर	50	50	09-11-2024	श्री एल.पी. पटेल	-	-
4	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति नवीन बालक छात्रावास मुंगेली	60	70	06-12-2024	श्री एल.पी. पटेल	भवन विहीन	किराये की भवन में संचालित
5	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति पुराना बालक छात्रावास मुंगेली	110	110	17-12-2024	श्री एल.पी. पटेल	विद्युत वायरिंग	विद्युत वायरिंग पूर्ण हो गया है।
6	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जरहागांव	50	50	21-12-2024	श्री एल.पी. पटेल	शौचालय की कमी	शौचालय की कमी पूर्ण कर ली गई है।
7	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास फास्टरपुर	50	50	09-11-2024	श्री एल.पी. पटेल	विद्युत वायरिंग	विद्युत वायरिंग पूर्ण कर दी गई है।
8	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मुंगेली	50	80	01-08-2024	श्री एल.पी. पटेल	-	-
9	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जरहागांव	50	50	16-12-2024	श्री एल.पी. पटेल	पानी टंकी की कमी	पानी टंकी लगा दी गई है।


अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
संस्कृत, नवा रायपुर, अटल मगर

प्रपत्र - "स"

छात्रावासों में पुराने छात्र-छात्राओं का नवीनीकरण एवं प्रवेश की जानकारी

क्र.	छात्रावासों का नाम	स्वीकृत सीट	नवीनीकरण	नवीन	अतिरिक्त नवीन सीट	कुल प्रवेशित सीट
पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास						
1	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास मुंगेली	150	95	55	10	160
2	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास फास्टरपुर	50	19	31	0	50
3	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास मुंगेली	150	44	56	0	100
	योग-	350	158	142	10	310
प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास						
1	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक पुराना छात्रावास मुंगेली	110	70	40	0	110
2	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक नवीन छात्रावास मुंगेली	60	33	27	10	70
3	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जरहागांव	50	16	34	0	50
4	प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मुंगेली	50	46	4	30	80
5	प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जरहागांव	50	26	17	0	43
6	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास फास्टरपुर	50	26	24	0	50
	योग-	370	217	146	40	403



अनुभाग अधिकारी
 वि.म. सेवा अनु.जा.वि. विभाग
 केंद्राधिकारी, नया रायपुर, अटल भवन


वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक छात्रावासों में रख-रखाव/मरम्मत एवं व्यय राशि की वर्षवार जानकारी

क्र	संस्था का नाम	कार्य का नाम	विधानसभा क्षेत्र	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2022-23					
निरंक					
वर्ष 2023-24					
1	प्री.मै. अनुजाति बालक (पुराना) छात्रावास मुंगेली	में कारु केचर, टिन शेड, शौचालय निर्माण एवं फ्लोरिंग कार्य	मुंगेली	9.67	9.64
2	प्री.मै. अनुजाति बालक (नवीन) छात्रावास मुंगेली	में शौचालय निर्माण, आहाता मरम्मत एवं उंचाई, दरवाजा खिड़की मरम्मत, फ्लोरिंग एवं पुट्टी कार्य, 02 नग शौचालय निर्माण कार्य एवं भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेन्ट)	मुंगेली	13.05	11.32
3	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मुंगेली	में सेप्टिक टैंक मरम्मत, टाईल्स, बोर खनन सबमर्जिबल पंप, फ्लोरिंग, बाऊंड्रीवाल उंचाई एवं खिड़की-दरवाजा मरम्मत	मुंगेली	16.31	6.33
4	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जरहागांव	का भवन जीर्णोद्धार कार्य एवं आहाता निर्माण कार्य	मुंगेली	26.19	26.19
5	पो.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मुंगेली	के भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेन्ट)	मुंगेली	4.00	4.00
6	पो.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मुंगेली	के भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेन्ट)	मुंगेली	4.00	4.00
7	प्री.मै. अनुजाति बालक छात्रावास फास्टरपुर	के भवन की रंगाई-पुताई (गोबर पेन्ट)	मुंगेली	2.00	2.00
				75.22	63.48
योग :-					
वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक					
1	प्री.मै. अनुजाति कन्या छात्रावास मुंगेली	जीर्णोद्धार कार्य	मुंगेली	7.82	0.00
2	प्री.मै. अनुजाति कन्या छात्रावास लालपुर	जीर्णोद्धार कार्य	मुंगेली	2.83	0.00
3	प्री.मै. अनुजाति बालक छात्रावास पथरिया	जीर्णोद्धार कार्य	मुंगेली	1.49	0.00
4	पो.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मुंगेली	जीर्णोद्धार कार्य	मुंगेली	8.49	0.00
5	पो.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मुंगेली	जीर्णोद्धार कार्य	मुंगेली	8.49	0.00
6	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पथरिया	जीर्णोद्धार कार्य	मुंगेली	0.61	0.00
7	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पथरिया	जीर्णोद्धार कार्य	मुंगेली	1.78	0.00
				31.51	0.00
योग :-					

अनुभाग अधिकारी
श्री.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2025 तक छात्रावासों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को भुगतान की गई भोजन सहाय एवं शिष्यवृत्ति राशि की वर्षवार जानकारी

क्र	संस्था का नाम	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25 दिनांक 31.01.2025 की स्थिति में	
		प्रवेशित सीट संख्या	भुगतान की गई राशि	प्रवेशित सीट संख्या	भुगतान की गई राशि	प्रवेशित सीट संख्या	भुगतान की गई राशि
पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास							
1	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास मुंगेरी	152	1009680	135	1642000	160	540000
2	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास फास्टरपुर	50	347900	50	610000	50	180000
3	पोस्ट मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास मुंगेरी	116	710037	98	1105000	100	360000
	योग-	318	2067617	283	3357000	310	1080000
प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास							
1	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक पुराना छात्रावास मुंगेरी	110	1155000	110	1732500	110	1732500
2	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक नवीन छात्रावास मुंगेरी	60	630000	60	945000	70	1102500
3	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जरहागांव	14	147000	24	378000	50	787500
4	प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मुंगेरी	50	525000	70	1102500	80	1260000
5	प्री.मै.अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जरहागांव	15	157500	30	472500	43	677250
6	प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास फास्टरपुर	50	525000	50	787500	50	787500
	योग-	299	3139500	344	5418000	403	6347250


 अनुभाग अधिवक्त्री
 शिक्षा तथा अनु.जा.वि. विभाग
 दिल्ली, नवा रायपुर, जटल कवर

परिशेष - बीस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1400) की जानकारी

प्रपत्र

उद्योग में दूषित जल निकासी के संबंध में विगत 02 वर्षों में की गई जाँच की जानकारी

क्र.	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अवलोकित स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	23/11/2023	श्री जितेन्द्र सिंह, रसायनज्ञ श्री संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई। परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2.	04/03/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता श्री राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक, श्री के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ	<ol style="list-style-type: none"> 1. निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर में दो स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्य किया गया। जिसका परिणाम निर्धारित मानक से अधिक पाया गया। 2. उद्योग के पॉवर प्लांट इकाई के एफ.बी.बी. 04 एवं एफ.बी.बी. 06 में चिमनी उत्सर्जन मापन कार्य किया गया। जिसका परिणाम निर्धारित मानक से अधिक पाया गया। 3. उद्योग में ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण एवं निपटान किया जाना नहीं पाया गया। 4. गारलैण्ड ड्रेन का संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। 5. सी.एच.पी. यार्ड में कोल अनलोडिंग के दौरान प्रदूषण की स्थिति पायी गई। 6. रॉ मटेरियल (आयरन ओर) का भण्डारण नियमानुसार किया जाना नहीं पाया। 7. उद्योग से दूषित जल बिना उपचारित किये उद्योग से बाहर छोड़ा जाना पाया। 8. किल्ल नं. 03 से 06 तक भारी मात्रा में फ्युजीटिव डस्ट का उत्सर्जन पाया गया। 9. परिसंकटमय अपशिष्ट का भण्डारण निर्धारित अवधि (180 दिन) से अधिक दिनों तक किया जाना पाया। 10. फैक्ट्री गेट पर परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु स्थापित डिस्प्ले बोर्ड को नियमानुसार अद्यतन किया जाना नहीं पाया। 	उद्योग को पत्र दिनांक 05/03/2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।

3.	27.03.2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता श्री राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक, श्री के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ	जारी नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 09/04/2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत निर्देश जारी करते हुए रूपये 7,20,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी।
4.	30/05/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। उद्योग द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 7,20,000/- दिनांक 22/05/2024 को जमा कर दी गई है।
5.	03/06/2024	श्री के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ	वायु विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाया गया	उद्योग पर पत्र दिनांक 29/10/2024 के माध्यम से रूपये 30,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी। उद्योग द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि दिनांक 05/11/2024 को जमा कर दी गई है।
6.	07/08/2024	श्री संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई। परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
7.	28/11/2024	श्री के-सी साहू वैज्ञानिक श्री अजय भगत कनिष्ठ वैज्ञानिक	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई। परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
8.	24/01/2025	श्री अभय मिश्रा प्रभारी रसायनज्ञ श्री हरीश तिवारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 01	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई। परिसर के बाहर शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।


 अखंड सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारोशेष्ट - इक्कोस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1545) की जानकारी


प्रपत्र-अ

वर्ष 2020-21					
क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	कृषि यंत्र/उपकरण का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	धरसीवा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कल्टीवेटर	2	0.28
			मिनी राईस मिल	1	0.53
			पॉवर टिलर	2	1.54
			रोटावेटर	6	2.22
			स्व-चलित रीपर	1	0.50
			थ्रेसर	2	1.97
			ट्रैक्टर	15	55.59
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	रोटावेटर	1	0.50
			थ्रेसर	1	0.98
			थ्रेसर	1	0.98
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - चावल	बैटरी चलित स्प्रेयर	150	3.20
			नेपसेक स्प्रेयर	150	1.12
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन	नेपसेक स्प्रेयर	20
		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना हस्त/बैल चलित यंत्र	अम्बिका पेडीविडर	116	0.68
			सायकल व्हील हो	25	0.19
		केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	2	14.00
			थ्रेसर		
			स्ट्रा रीपर		
			स्प्रेयर		
			कल्टीवेटर		
			लेबलर		
केजव्हील					
डायरेक्ट राईस सीडर					
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (उद्यानिकी यंत्रिकीकरण)	सीडड्रिल	58	36.54		
	पॉवर वीडर				
योग				14	8.40
2	तिल्दा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	केज व्हील	1	0.06
			कल्टीवेटर	2	0.26
			लेवलर	2	0.22
			पॉवर टिलर	6	5.10
			रोटावेटर	1	0.34
			स्व-चलित रीपर	2	1.28
			थ्रेसर	3	2.93
			ट्रैक्टर	16	59.94
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - चावल	थ्रेसर	3	2.76
			नेपसेक स्प्रेयर	100	0.75
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन	नेपसेक स्प्रेयर	30	0.22
		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना हस्त/बैल चलित यंत्र	अम्बिका पेडीविडर	118	0.75
			सायकल व्हील हो	25	0.19

क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	कृषि यंत्र/उपकरण का नाम	लामावित कृषक संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
		राष्ट्रीय बागवानी मिशन (उद्यानिकी यंत्रीकरण)	पॉवर वीडर	26	16.38
			मिनी पल्वेराइजर	11	6.60
			प्रिजर्वेशन युनिट	1	1.00
		योग		347	98.78
		योग वर्ष 2020-21		914	228.15
वर्ष 2021-22					
1	धरसीवा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	मिनी राईस मिल	2	1.26
			पॉवर टिलर	2	1.70
			पॉवर वीडर	1	0.49
			रोटावेटर	1	0.45
			स्व-चलित राईस ट्रांसप्लांटर	1	1.33
			ट्रैक्टर	7	28.23
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	पॉवर टिलर	1	0.85
			रोटावेटर	3	1.51
			थ्रेसर	1	0.78
			बैटरी चलित स्प्रेयर	35	0.75
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन	नेपसेक स्प्रेयर	40	0.30
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चॉवल	बैटरी चलित स्प्रेयर	65	1.39
		शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	14	2.02
		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना हस्त/बैल चलित यंत्र	अम्बिका पेडीविडर	169	0.99
		केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	4	28.00
			केजव्हील		
			सीडड्रिल		
			थ्रेसर		
			स्प्रेयर		
रोटावेटर					
कम्बा. हार्वेस्टर					
लेजर लेबलर					
रीज्ड प्लांटर					
जिला खनिज न्याय निधि (गुलाल निर्माण कार्य)	पल्वेराइजर	1	0.95		
	योग		347	70.99	
2	तिल्दा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	पॉवर टिलर	1	0.70
			स्व-चलित राईस ट्रांसप्लांटर	1	1.33
			स्व-चलित रीपर	3	1.78
			थ्रेसर	3	2.98
			ट्रैक्टर	1	3.26
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	कल्टीवेटर	2	0.31
			लेवलर	1	0.10
			एम.बी. प्लाऊ	1	0.15

क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	कृषि यंत्र/उपकरण का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	पॉवर टिलर	1	0.85
			बैटरी चलित स्प्रेयर	35	0.75
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन	नेपसेक स्प्रेयर	40	0.30
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चॉवल	बैटरी चलित स्प्रेयर	65	1.39
		शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	21	2.80
		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना हस्त/बैल चलित यंत्र	अम्बिका पेडीविडर	171	1.00
2	तिल्दा	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	2	20.00
			हार्वैस्टर किट		
			श्रेसर		
			रोटावेटर		
			सीडड्रिल		
			कल्टीवेटर		
			स्प्रेयर		
			केजव्हील		
			कम्बाईन हार्वैस्टर		
योग				348	37.69
योग वर्ष 2021-22				695	108.69
वर्ष 2022-23					
1	धरसीवा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वैस्टर	2	22.00
			मिनी दाल मिल	2	2.21
			मिनी राईस मिल	2	2.37
			ऑयल मिल	2	2.28
			पॉवर टिलर	2	1.70
			रोटावेटर	1	0.45
			ट्रैक्टर	18	77.42
			पॉवर टिलर	1	0.85
			पॉवर वीडर	1	0.50
			बैटरी चलित स्प्रेयर	9	0.20
		शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	1	0.16
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दलहन	पॉवर टिलर	1	0.85
			पॉवर वीडर	1	0.50
			बैटरी चलित स्प्रेयर	9	0.20
			सिंचाई पंप	1	0.16
			नेपसेक स्प्रेयर	20	0.150
			बैटरी चलित स्प्रेयर	11	0.24
	पॉवर वीडर	1	0.37		
	पल्वेराईजर	4	5.00		
	पॉवर स्प्रेयर	1	0.07		
	जिला खनिज न्याय निधि (उद्यानिकी यंत्रिकीकरण)	पॉवर स्प्रेयर	35	1.53	
		पॉवर वीडर	22	16.24	
योग				135	133.74
			कम्बाईन हार्वैस्टर	1	11.00
			मिनी राईस मिल	1	1.67
			पॉवर टिलर	1	0.85

क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	कृषि यंत्र/उपकरण का नाम	लामावित कृषक संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
2	तिल्दा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	रोटावेटर	2	0.81
			स्व-चलित राईस ट्रांसप्लान्टर	3	9.99
			स्व-चलित रीपर	2	1.48
			थ्रेसर	2	2.00
			ट्रैक्टर	10	39.95
2	तिल्दा	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	पॉवर टिलर	1	0.85
			पॉवर वीडर	2	1.00
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- चावल	रोटावेटर	1	0.50
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन	नेपसेक स्प्रेयर	50	0.375
		शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	3	0.44
		केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पों-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	ट्रैक्टर	2	14.00
			कल्टीवेटर		
			सीडड्रिल		
			स्प्रेयर		
			हार्वैस्टर किट		
		जिला खनिज न्यास निधि (उद्यानिकी यंत्रिकीकरण)	पावर स्प्रेयर	25	1.10
			पावर वीडर	11	8.12
योग				117	94.14
योग वर्ष 2022-23				252	227.87
महायोग (वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं वर्ष 2022-23)				1861	564.71


 विकास मिश्रा
 उप सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क्र.	योजना का नाम	पंजीकृत प्रदायक कंपनी का नाम व पता
1	2	3
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कृष्णा नेचुरल मल्टीट्रेड, महासमुंद
2		एग्रीकेनिक मशीनरी प्रा.लि., रायपुर
3		यशस्वी एग्रोटेक एण्ड रिनेवेबल एनेर्जी, महासमुंद
4		खन्ना स्टील ट्रेडर्स, रायपुर
5		इण्डियन इलेक्ट्रिकल्स, रायपुर
6		बाम्बे मशीनरी स्टोर्स, रायपुर
7		कोठारी ट्रेड लिंक, दुर्ग
8		केशरी एग्रो इंडस्ट्रीज, दुर्ग
9		मास्किथो गास्पारदो इण्डिया प्रा.लि., पुणे
10		मानव मोटर्स, रायपुर
11		किसान क्राफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., बैंगलोर
12		रिलायबल कार्पोरेशन, रायपुर
13		रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर
14		शिव मंगलम मोटर्स, राजनांदगांव
15		पंजाब एग्रीकल्चर वर्क्स, बेमेतरा
16		पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज, मालोट
17		पी एण्ड टी चेन्स प्रा.लि., रायपुर
18		पटेल मोटर्स, महासमुंद
19		प्रीतम ट्रैक्टर्स, जांजगीर
20		सुयोक्ता मोटर्स, रायपुर
21		सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, दुर्ग
22		सनशाईन मोटर्स, रायपुर
23		दीपक ट्रैक्टर्स एण्ड एग्रीकल्चर, रायपुर
24		वर्धमान एजेंसीज, रायपुर
25		अरुण उद्योग, रायपुर
26		आशुतोष इलेक्ट्रिकल्स, दुर्ग
27		ओम एग्रो, रायपुर

(विकास मिश्रा)
उप सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

योजना का नाम	पंजीकृत प्रदायक कंपनी का नाम व पता	
	2	
केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कम्पॉनेंट-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	मेसर्स सी.आर.आई. पंपस् प्रा.लि.	गोकुल नगर कोटा रोड रायपुर
	मेसर्स लूबी इंडस्ट्रीज एल.एल.पी, अग्रवाल एस्टेट	हीरापुर रोड महोबा बाजार रायपुर
	मेसर्स महिन्द्रा पंप प्रा.लि.	मोवा रायपुर
	मेसर्स पटेल एग्री क्लीनिक एंड बिजनेस सेंटर	मेन रोड कापसी जिला कांकेर।
	मेसर्स माता दी इलेक्ट्रिकल्स	फिरोश्वर रोड राजिम जिला गरियाबंद
	मेसर्स जान डियर प्रा.लि.	क्रिस्टल टावर जी.ई. रोड तेलीबांधा रायपुर।
	मेसर्स सी.एन.एच. इंडस्ट्रीयल (इं) प्रा.लि.	उद्योग केन्द्र ग्रेटर नोएडा जिला-गौतम बुद्ध नगर उ.प्र.
	मेसर्स विरेंची सेल्स	ब्रह्मपुरी रायपुर
	मेसर्स एग्रोटैक कार्पोरेशन	स्टेशन रोड रायपुर
	मेसर्स गुप्ता मोटर्स	सेक्टर-3 देवेन्द्र नगर रायपुर
	मेसर्स गुप्ता टेडर्स	कचहरी रोड बैकुण्ठपुर जिला कोरिया
	मेसर्स भरत एग्रो डी-117	सेक्टर-1 देवेन्द्र नगर रायपुर
	मेसर्स टैक्टर्स एण्ड फार्म इक्यूपमेंट लि.	हुजूर गार्डन चेन्नई
	मेसर्स वर्धमान एजेंसीज	टाटीबंध चैक रायपुर
	मेसर्स किसान क्राफ्ट लिमिटेड	ट्रांसपोर्ट नगर रांवाभाठा रायपुर
	मेसर्स पनेसर एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रीज	रिंग रोड नं. 1 गगन पैलेस के पीछे, टाटीबंध रायपुर
	मेसर्स डिवाइन पंप टेबर रोड	साऊथ अटिका राजकोट
	मेसर्स शुभम् एग्रीकल्चर	रिंग रोड नं. 1 बजरंग बली मंदिर के सामने कुशालपुर रायपुर
	मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा टैक्टर डिवीजन (स्वराज टैक्टर्स)	आफिस नं. 323, 324 तृतीय तल मैगनेटो आफिजो मैगनेटो माल लार्भाडी रायपुर
	मेसर्स मानव मोटर्स	खमतराई पुलिस स्टेशन के पास रायपुर
	मेसर्स मंकू एग्रोटैक प्रा.लि.	पो.बो.न. 04 सेहाजपुरा रोड समाना-147101 जिला-पटियाला (पंजाब)
	मेसर्स एस.एच. इन्टरप्राइजेस	शिव जी चैक आमपारा राजिम जिला गरियाबंद
	मेसर्स जी.सी. एग्रीकल्चर स्टोर्स	स्टेशन रोड सक्ती जिला जांजगीर चांपा
	मेसर्स के.एस. एग्रोटैक प्रा.लि.	रायकोट रोड मलेर कोटला पंजाब
	मेसर्स सोनालिका इण्डस्ट्रीज (A Unit of ICML)	ग्राम चाक गुजरन जालंधर रोड होशियारपुर पंजाब
	मेसर्स करतार एग्रो इन्डस्ट्रीज प्रा.लि.	अमलोह रोड भादसोन जिला पटियाला पंजाब
	मेसर्स रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर्स	विशाल नगर रोड तेलीबांधा रायपुर तेलीबांधा रायपुर
	मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड	ग्राउण्ड फ्लोर चावला टावर बाटल हाऊस के पास शंकर नगर रायपुर
	मेसर्स गुरूनानक एग्रीकल्चर इंडिया प्रा.लि.	ग्राम कंठरका जिला दुर्ग
	मेसर्स केरला एग्रो मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड	अठानी जिला अर्नाकुलम केरला
	मेसर्स एशियन मशीनरी स्टोर	स्टेशन रोड रायपुर
	मेसर्स अरूण एग्रो कम्बाईन	माना रोड देवपुरी रायपुर
	मेसर्स गह्वीर एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	बस स्टैंड के पास गांव कुलर खुर्द जिला सनगुरूर पंजाब
	मेसर्स अरूण टेड कम्बाईन्स	माना रोड देवपुरी रायपुर
मेसर्स फील्ड वर्दी इक्यूपमेंट प्रा.लि.	प्रियदर्शी काम्पलेक्स बाईपास चैक सारंगढ़ रोड रायगढ़	
मेसर्स रंजीत इन्जीनियरिंग वर्क्स	स्टेशन रोड रायपुर	
मेसर्स टैफे मोटर्स एंड टैक्टर्स लिमिटेड बी 15 19	चतुर्थ तल मोती महल पैलेडियम जी.ई. रोड तेलीबांधा रायपुर	
मेसर्स श्वेता हार्डवेयर फरसगांव	मेन रोड फरसगांव जिला जगदलपुर	
मेसर्स श्री राम बोरवेल्स	कुरूद जिला धमतरी	
मेसर्स चन्द्राकर एग्रो इंडस्ट्रीज	रिंग रोड नं. 1 कुशालपुर रायपुर	
मेसर्स सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज	कुम्हारी अहिवारा रोड गांव मुर्सा जिला दुर्ग	
मेसर्स एक्शन कंसल्टेशन इक्यूपमेंट्स लिमिटेड	फरीदाबाद	
मेसर्स पाण्डे कृषि पंप केन्द्र	मोती तालाब पारा जगदलपुर	
मेसर्स वी.एस.टी. टिलर्स टैक्टर लिमि.	दयावसुन्धरा इंडस्ट्रीयल लेय आउट व्हाइटफील्ड रोड महादेवपुरा पो. बैंगलोर	
मेसर्स पटेल इलेक्ट्रिकल्स	मेन रोड शिवरीनारायण जिला - जांजगीर चांपा	
मेसर्स बाम्बे मशीनरी स्टोर्स	स्टेशन रोड रायपुर	
मेसर्स तीर्थ एग्रो टेक्नोलॉजी प्रा.लि.	राजकोट गुजरात	
मेसर्स मारूती एग्रीकल्चर	बलौदाबाजार	
मेसर्स ऋषि एग्रो	इंडस्ट्रीयल एरिया भनपुरी रायपुर	
मेसर्स जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र	पुराना नाका चैक केशकल जिला कोण्डगांव	

योजना का नाम	पंजीकृत प्रदायक कंपनी का नाम व पता
	2
	मेन रोड पाटन जिला- दुर्ग
मेसर्स सुयोक्ता मोटर्स	पंजीकृत कार्यालय पंजज प्लाजा-1 प्लाट नं. 2 कॉम्प्लेक्स कर्करूडुमा दिल्ली 110092
मेसर्स इंटरनेशनल टेक्स्टर लिमि.	वर्षा काम्प्लेक्स रविग्राम रायपुर।
मेसर्स एकासब इंजिनियरिंग	पोस्ट आफिस रोड सरायपाली महासमुंद
मेसर्स नायक फार्म मशीनरी	प्लाट नं. 36 गैलाक्सी इंडस्ट्रीयल एस्टेट एन.एच. 27, राजकोट गुजरात
मेसर्स अटलांटिस एग्रीटेक प्रा.लि.	एच.पी. पेट्रोल पंप के सामने, अंबुजा मॉल के पास मेन रोड सड़्डू रायपुर
मेसर्स टेक्समो इंडस्ट्रीज	रतनपुर रोड गतौरी जिला बिलासपुर
मेसर्स किसान एग्रो	ए.जे.आई. इंडस्ट्रीयल एस्टेट 80 फीट रोड राजकोट गुजरात
मेसर्स मार्शल मोटर्स	धोबी तलो सुमद्री रेखाएं मुंबई
मेसर्स एनको मोटर्स	दशहरा बाग हैदरगढ़ रोड बाराबंकी (उ.प्र.)
मेसर्स गोविन्द एलायंस लिमिटेड	81-86 अमरनाथ इंडस्ट्रीयल एस्टेट नरोडा रोड अहमदाबाद
मेसर्स उन्नति पंप प्रा.लि.	फरीदाबाद हरियाणा
मेसर्स एस्कार्टस लिमिटेड	19/1 जनहित चैक गुडियारी रोड कोटा रायपुर
मेसर्स उषा इंटरनेशनल लिमि.	केनाल रोड किल्पोक गार्डन चेन्नई (तमिलनाडु)
मेसर्स ओ एण्ड सी टेक्स्टाइल प्रा.लि.,	चंपारण चैक गोबरा, नवापारा राजिम
मेसर्स श्री विश्वनाथ टेक्स्ट	भोपाल
मेसर्स सुदर्शन टेक्स्टाइल कंपनी	इंडियन बैंक के पास धमतरी रोड अभनपुर
मेसर्स ए.एन. आटोमोबाईल	प्लाट नं. 184/11 जी.आई.डी.सी. नरोडा अहमदाबाद
मेसर्स एशियन पंप इंडस्ट्रीज	पिथालिया काम्प्लेक्स के.के. रोड रायपुर
मेसर्स मारूति इंटरप्राइजेस	मजरकटा देवभोग रोड गरियाबंद
मेसर्स लक्ष्मी टेक्स्टर्स	प्लाट नं.-38, सेक्टर-6 फरीदाबाद हरियाणा
मेसर्स सिप्टेज टेक्नोलॉजिज इण्डिया प्रा.लि.	4 सम्राट इंडस्ट्रियल एरिया गौडल रोड राजकोट (गुजरात)
मेसर्स जलगंगा इलेक्ट्रिकल्स	प्लाट नं. 788, प्रकाश इंडस्ट्रीयल एस्टेट वस्ताल राड अमराइवाडी अहमदाबाद (गुजरात)
मेसर्स परेश इंडस्ट्रीज	यू/110 आर.डी.ए. कालोनी महादेवघाट रोड रायपुरा रायपुर
मेसर्स अयान कंपनी (इंडिया)	स्टेशन रोड रायपुर
मेसर्स नेता मिल स्टोर्स	सेक्टर-1 देवेन्द्र नगर रायपुर
मेसर्स के.एस.बी. पंपस् लिमि.	2153/1 राधा स्वामी रोड, अर्जुन नगर गिल रोड लुधियाना पंजाब
मेसर्स शक्ति एग्रो इंडस्ट्रीज	भनपुरी, रायपुर
मेसर्स वासुदेव इक्वीफार्म इंडिया प्रा.लि.	स्टेशन रोड रायपुर
मेसर्स खन्ना स्टील टेक्स्टर्स	12/5 नेहरू स्टीट अविनाशी रोड पालीयेदू कोयम्बटूर
मेसर्स वी. विद्या इण्डस्ट्रीज	महावीर कालोनी दुर्ग
मेसर्स कमला मोटर्स	स्टेशन रोड रायपुर
मेसर्स इंडियन इलेक्ट्रिकल्स	2-उमाकांत पंडित उद्योग नगर मावडी प्लाट राजकोट
मेसर्स टापलैंड इंजिन्स प्रा.लि.	पटियाला रोड नाभा पंजाब
मेसर्स प्रीत एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	एफ-168C राजौरी गार्डन नई दिल्ली
मेसर्स मितुशी इंटरप्राइजेस	प्लाट नं. 311/312 राजकोट अहमदाबाद
मेसर्स जीत पंपस् प्रा.लि.	214 अधीयूर रोड कूत्रपूर तिरुपुर (तमिलनाडु)
मेसर्स गोमाधी इंजीनियरिंग सर्विस	110 हैरिटेज प्लाजा ड्राइव-इन रोड अहमदाबाद
मेसर्स राॅली प्लास्ट इंडस्ट्रीज	ई-27 भाठागांव चैक राधास्वामी नगर रायपुर
मेसर्स श्रीराम इंटरप्राइजेस	सरखेज बावला रोड अहमदाबाद
मेसर्स वाटरमेन इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	नगरी रोड जालमपुर धमतरी
मेसर्स पंजाब एग्रीकल्चर वक्रस	व्यापार विहार बिलासपुर
मेसर्स एस.एस. स्टील सेंटर	बी.जी.-103, वार्ड नं.-17 सुमंगल अपार्टमेंट फेस-1 विनोबा नगर लिंक मार्ग बिलासपुर।
मेसर्स शुद्धि इंटरप्राइजेस	मेन रोड विश्रामपुर जिला-सूरजपुर
मेसर्स गोयल एजेंसी	रायपुर
मेसर्स एमसन आटो 9 ब्लाक भनपुरी	मेनरोड केशकाल जिला कोण्डागांव
मेसर्स रामदेव कृषि सेवा केन्द्र	कारगील चैक कुरूद जिला धमतरी
मेसर्स कुलेश्वर सी बोरवेल्स	होटल ग्रैंड इंटरनेशनल के सामने, स्टेशन रोड रायपुर
मेसर्स पूजा सेल्स कार्पोरेशन	प्लाट-5 सेक्टर-सी, सिरगढी बिलासपुर
मेसर्स गुडलक आटोमोबाईल	गरियाबंद जिला गरियाबंद
मेसर्स देव मोटर्स रायपुर रोड	कुरूद जिला धमतरी
मेसर्स महामाया एग्रो	कुशालपुर रायपुर
मेसर्स ला गज्जर मशीनरी प्रा.लि.	

केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कम्पॉनेंट-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना

योजना का नाम	पंजीकृत प्रदायक कंपनी का नाम व पता	
	2	
केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कम्पौनेट-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	मेसर्स अबिका इंजीनियरिंग वर्क्स गुजरात एग्रो	पेट्रोल पंप के सामने नवा गाम जिला सूरत गुजरात
	मेसर्स अजय कृषि केन्द्र,	अवति विहार कालोनी, सेन्ट जेवियर स्कूल रोड, रायपुर
	मेसर्स के.एस. पावरटेक	रायकोट रोड मलेरकोटला (पंजाब)
	मेसर्स भगवान इंजीनियरिंग वर्क्स	रायकोट रोड मलेरकोटला (पंजाब)
	मेसर्स मनवीर एग्रो इंडस्ट्रीज	मलोट पंजाब
	मेसर्स किसान एगोटेक	धमधा रोड दुर्ग
	मेसर्स भोगल कम्बाईन स्पेयर पाटर्स्	शाप नं. 8-9 चटर्जी काम्प्लेक्स रावनभाटा रायपुर
	मेसर्स एस.बी. एगो 204 एस.डी.एस चेम्बर	भैसथान रायपुर
	मेसर्स भारत इंजीनियरिंग कंपनी शाम नगर	जी.टी. रोड करनाल हरियाणा
	मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीज मदनपुर रोड,	बंसल मोटर के पास करनाल हरियाणा-132001
	मेसर्स जय गुरुदेव इंडस्ट्रीज	सी 19/20 इंडस्ट्रीयल एस्टेट यू.एस. नगर रूद्रपुर (उत्तराखण्ड)
	मेसर्स क्लास एग्रीकल्चर मशीनरी प्रा.लि.	15/3 मथुरा रोड फरीदाबाद हरियाणा
	मेसर्स रेडलैंडस अशलीन मोटर्स	पी.एल.सी., मालूममचछमपट्टी, कोयंबटूर तमिलनाडू
	मेसर्स एवन एगो इण्डस्ट्रीज	स्टेशन लाईन भवानीपटना, उड़ीसा
	मेसर्स डीलक्स एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट प्रा.लि.	स्टेशन रोड मलोट पंजाब
	मेसर्स नेताजी ई एण्ड एम कंपनी	रिंग रोड नमनाकला अंबिकापुर
	मेसर्स न्यू स्वान मल्टीटेक लिमि.	कोहाडा माछीवाड़ा रोड गांव राईयां लुधियाना
	मेसर्स एगोटेक इंडिया	एन.एच.-53 मेन रोड सरायपाली जिला-महासमुंद
	मेसर्स एस.के. इंटरप्राइजेस	कुरूद, जिला-धमतरी
	मेसर्स ग्रोमेक्स एग्री इक्विपमेंट लिमि.	विश्वमित्री के पास वड़ोदरा, गुजरात
	मेसर्स सेमसन एग्री पावर इक्यूपमेंट्स प्रा.लि.	प्लाॅट नं. 132 लक्ष्मी सागर चैक कटक रोड, भुवनेश्वर उड़ीसा
	मेसर्स श्री बालाजी कृषि केन्द्र	छ.ग. स्कूल काम्प्लेक्स सितली नाला मेन रोड महामसुंद
	मेसर्स आशुतोष इलेक्ट्रिकल्स,	जी.ई. रोड गंजपारा दुर्ग
	मेसर्स वीर पंप इंडस्ट्रीज	बिलेश्वर इस्टेट गुजरात
मेसर्स गुरूनानक एग्री इंजीनियरिंग वर्क्स	भटिडा रोड हंडिया जिला बरनाला पंजाब	
मेसर्स कुबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी इंडिया प्रा.लि.	15 मेडावक्कम रोड सोलिंगानाल्लुर चेन्नई	
मेसर्स के.एस. एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रीज प्रा.लि.	रायकोट रोड मलेर कोटला पंजाब	
मेसर्स प्रताप आयरन वर्क्स	एच.एस.आई.डी.सी. करनाल (हरियाणा)	
मेसर्स रवि इंटरप्राइजेस	वि.ख. - छुरा जिला गरियाबंद	
केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना कम्पौनेट-4 एवं 6 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	मेसर्स कृष्णा एगो इण्डस्ट्रीज	रतनपुर रोड गतौरी जिला बिलासपुर
	मेसर्स महेश मोटर पंप सर्विस गोवर्धन चैक	गरियाबंद रोड राजिम
	मेसर्स Ecosol Energy,	खैरागढ़ राजनांदगांव
	मेसर्स शारदा एगो जांजगीर	रोड कुलीपोता जिला जांजगीर-चांपा
	मेसर्स सन शाइन मोटर्स	एन.एच. 43 कमल विहार गेट के सामने नया धमतरी रोड हुमरतराई रायपुर
	मेसर्स अंजली एगो जैन टावर	मेन रोड देवपुरी रायपुर
	मेसर्स फोर्स मोटर्स लिमिटेड	आकुर्डी पुणे (महाराष्ट्र)
	मेसर्स अरिहंत टेक्स्टर्स	पुलगांव चैक, दुर्ग
	मेसर्स शक्तिमान एगो इण्डस्ट्रीज बैरन गेट	शिव मंदिर के पास संगरूर रोड नाभा (पंजाब)
	मेसर्स भारत बोरवेल्स	शाप नं-210 ग्राउण्ड फ्लोर सिटी प्लाजा रायपुर
	मेसर्स मलकीट एगोटेक प्रा.लि.	गोविंदगण रोड नाभा पटियाला, पंजाब
	मेसर्स रिलायबल कार्पोरेशन	विशाल नगर तेलीबांधा रायपुर
	मेसर्स आशीवाद मार्केटिंग	स्टेशन रोड रायपुर
	मेसर्स जिंदल इंटरप्राइजेस	स्टेशन रोड, सक्ती जिला जांजगीर चांपा
	मेसर्स राधा इंटरप्राइजेस	राजू डाबा के सामने मंदिर हसोद रायपुर
मेसर्स परम टेकिंग कार्पोरेशन	परम प्लाजा जी.ई. रोड तेलीबांधा रायपुर	
मेसर्स विकास मोटर्स,	फिंगेश्वर रोड, राजिम	

(विकास मिश्रा)
उपसचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पॅरिशिष्ट - बाईस

पॅरिवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1554) को जानकारी

प्रपत्र "अ"

आदिम जाति कल्याण विभाग अन्तर्गत जिला बिलासपुर को मदवार प्राप्त राशि एवं किये गये कार्यों की वर्षवार जानकारी

वर्ष 2023-24		क्र0	मार्ग संख्या / मुख्य शीर्ष / योजना का नाम एवं क्रमांक	प्राप्त आबंटन	किये गये कार्य
1	33-2202-02-109-0000-0363 आदर्श समाधि:-24-11 अनुक्षण कार्य		500000	छात्रावास-आश्रमों का मरम्मत एवं रंगाई पोताई	
2	33-2225-02-001-0000-1483 जिला प्रशासन		34134519	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि	
3	33-2225-02-001-0000-1483 जिला प्रशासन 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस		130000	अधिवक्ताओं का मानदेय	
4	33-2225-02-001-0000-6130 संचालनालय-04 -007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई		50000	अ.जा., जनजाति एवं अ.पि.वर्गों के छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र की छपाई	
5	33-2515-00-101-0000-5495 मुका0अ0का वेतन		1375927	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि	
6	41-2202-01-101-0102-0495 आश्रम शाला		29738995	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि	
7	41-2202-02-109-0102-1395 छात्रावास		67631982	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि	
8	41-2202-02-109-0102-1395 छात्रावास-18000 अधीक्षक प्रोत्साहन		22500	अच्छे कार्य करने वाले अधीक्षकों को प्रोत्साहन राशि	
9	41-2202-01-101-0102-5092- मेघावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय योजना 14-011		1126000	8 छात्रों के शिक्षण एवं मेस शुल्क राशि मुगतान	
10	41-2202-02-109-0102-6140- छात्र भोजन सहाय योजना 11-007		4455000	पो.मै.अ.ज.जा.छात्रावास में मेस संचालन हेतु	
11	41-2202-02-109-0102-2194- विशेष कोचिंग केंद्र योजना 14-012		325000	अनु.जनजाति के छात्रावासी छात्र-छात्राओं को विशेष कोचिंग	
12	41-2202-02-109-0102-7363-युवा कैरियर निर्माण योजना-05-002		7050000	अनु.जनजाति के विद्यार्थियों को पीएमटी/पीईटी कोचिंग हेतु अनुबंधित संस्था को मुगतान	
13	41/64/66-2202-1395/495-25-008 कपड़े तथा बिस्तर		3307000	जानकारी परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।	
14	41-2202-01-109-0102-7437-मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (प्रयास आवासीय विद्यालय)		48577970	कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि	
15	41-2202-02-110-0102-0307-अशासकीय संस्थाओं को अशदान 14-006		1100000	अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था वनवासी सेवा मण्डल के कर्मचारियों का वेतन-भत्ते	
16	41-2202-02-110-0102-0307-अशासकीय संस्थाओं को अशदान 14-001		1100000	अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था वनवासी सेवा मण्डल के कर्मचारियों का वेतन-भत्ते	

क्र०	मार्ग संख्या / मुख्य शीर्ष / योजना का नाम एवं क्रमांक	प्राप्त आबंटन	किये गये कार्य
17	41-2202-02-109-0102-7592-खाद्य सुरक्षा अधिनियम 25-सामग्री पूर्ति-005-राशन व्यव	3905000	छात्रावास-आश्रम में निवासरत अनु.जनजाति के विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु चावल सबसीडी राशि का भुगतान
18	41-2225-02-0102-0102-9853- आदि संस्कृति का परि.एवं विकास-14-002 (देवगुड़ी)	1200000	150000 प्रति देवगुड़ी के मान से 07 देवगुड़ी निर्माण कार्य
19	41 / 64 / 66-2202-1395 / 495-25-001 भण्डारत तथा कच्चा माल	4611000	जानकारी परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।
20	1-2225-02-0102-0102-9853- आदि संस्कृति का परि.एवं विकास-14-011	200000	प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण राशि समर्पित
21	1-2225-02-0102-0102-9853- आदि संस्कृति का परि.एवं विकास - 14-012	48000	04 पो0मै0अनु0जनजाति छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह जयंती कार्यक्रम
22	41-2225-02-277-0102-7627-व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएं (10-009)(नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु अनुदान)	5571944	68 अनुजनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क, भाजन एवं छात्रावास किराये की राशि का भुगतान
23	41-2225-02-0102-0802-6672-वन अधिकारी अधिनियम 14-012	637530	पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु
24	41 / 64 / 66-2202-1395 / 495-25-00 अन्य व्यय	5432000	जानकारी परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।
25	41-2225-02-0102-0102-7995-मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण डाटा एण्ट्री आपरेटर का मानदेय 14-012	226600	वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय
26	41-4202-01-202-0102-1400-छात्रावास तथा आश्रम(निर्माण) 97-001	4000000	छात्रावास-आश्रमों का मरम्मत एवं रंगाई पोताई
27	41-4202-01-202-0102-1395-छात्रावास-27-लघुनिर्माण-002-भवन निर्माण	1655000	छात्रावास-आश्रमों का मरम्मत एवं रंगाई पोताई
28	41-4225-02-102-0102-7995-45-001 मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	1000000	ग्राम बकलीभाटा मस्तुरी के गौठान में समतलीकरण कार्य
29	64-2202-01-101-0103-0495 आश्रम और शालाएं	15035822	अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
30	64-2202-02-109-0103-1395 अनु.जा.छात्रावास	67897728	अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
31	64-2202-02-109-0103-6140-छात्र भोजन सहाय योजना 11-007	7800000	पो.मै.अनु.जाति छात्रावास में मेस संचालन हेतु
32	64-2202-01-101-0103-5092- मंघावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय 14-011	492000	07 अनु0जाति के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं मेस शुल्क की राशि का भुगतान
33	64-2202-02-109-0103-2194- विशेष कोचिंग केन्द्र योजना 14-012	725000	अनु.जाति के छात्रावासी छात्र-छात्राओं को विशेष कोचिंग
34	64-2202-02-109-0103-7363-युवा कैरियर निर्माण योजना (05-002)	3906000	अनु.जाति के विद्यार्थियों को पीएमटी/पीईटी कोचिंग हेतु अनुबंधित संस्था को भुगतान
35	64-2202-02-109-0103-7592-खाद्य सुरक्षा अधिनियम 25-सामग्री पूर्ति-005-राशन व्यव	3035000	छात्रावास-आश्रम में निवासरत अनु.जाति के विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु चावल सबसीडी राशि का भुगतान
36	64-2202-02-109-0103-7363-युवा कैरियर निर्माण योजना	571000	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर के प्रश्न पत्र छपाई

क्र०	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष / योजना का नाम एवं क्रमांक	प्राप्त आइटम	किये गये कार्य
37	64-2202-02-110-0103-0307-14-001-अशासकीय संस्था का अंशदान	16000000	अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था हरिजन सेवक संघ के कर्मचारियों का वेतन-भत्ते
38	64-2202-02-110-0103-0307-14-012-अशासकीय संस्था का अंशदान	16000000	अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था हरिजन सेवक संघ के कर्मचारियों का वेतन-भत्ते
39	64-2225-01-102-0103-6990-रविदास चर्मशिल्प योजना 14-012	10000	निरंक
40	41/64/66-2202-1395/495-25-004 गैर कार्यालयीन फर्नीचर	4591000	जानकारी परिशिष्ट 'ब' में संलग्न है।
41	64-2225-01-277-0103-7627-व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएं (10-009) (नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु अनुदान) / वाहन चालक प्रशिक्षण रू 1.20हजार	7593526	अन.जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क, भाजन एवं छात्रावास किराया राशि का भुगतान
42	64-2225-01-102-0103-7628- अनु.जाति संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास (लोककला महोत्सव) 14-012	265000	11 पो.मै.अनु.जाति छात्रावासों में गुरुघासीदास जयंती कार्यक्रम हेतु
43	64-4202-01-201-0103-0495-आश्रम (निर्माण) 27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	1569000	श्री यूनिट आदिवासी बालक छात्रावास बिलासपुर में नवीन टाईल्स एवं छत मरम्मत कार्य
44	64-4202-01-201-0103-1395-छात्रावास (निर्माण) 27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	986000	आदर्श अ.जा. कन्या आश्रम देवरीखुर्द में वार्षिक मरम्मत कार्य
45	64-4202-01-202-0103-1400- छात्रावास तथा आश्रम(निर्माण) 97-001	1600000	छात्रावास-आश्रमों का मरम्मत एवं रंगई पोताई
46	64-4202-01-202-0103-1400- छात्रावास तथा आश्रम(निर्माण) 27-006	9840000	पो.मै.अ.जा.क.छात्रा. बिलासपुर का जीर्णोद्धार कार्य
47	64-4225-01-102-0103-5631-अनु.जाति विकास प्राधिकरण (45-001)	6000000	सीसीरोड समतलीकरण एवं पुरभीकरण कार्य
48	66-2202-02-109-0101-6140-छात्र भोजन सहाय योजना (11-007)	761000	पो.मै.पि.वर्ग .छात्रावास में मेस संचालन हेतु
49	66-2202-01-109-0102-7437-मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (प्रयास आवासीय विद्यालय) पिछड़ा वर्ग	12145000	कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि
50	66-2202-02-109-0101-1395 छात्रावास	3452000	कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि
51	66-2202-02-109-0101-979-पि0वर्ग क्रीडा परिसर	4100000	कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि
52	66-2202-02-109-0101-7592- खाद्य सुरक्षा अधिनियम 25-सामग्री पूर्ति-005-राशन व्यव	172000	छात्रावास में निवासरत पिछड़ावर्ग के विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु चावल सबसीडी राशि का भुगतान
वर्ष 2024-25 (जनवरी 2025 तक)			
1	33-2202-02-109-0000-0979-24-011 क्रीडा परिसर अनुक्षण कार्य	666000	पि.वर्ग बा. क्रीडा परिसर बिलासपुर का मरम्मत, रंगई पोताई कार्य
2	33-2225-02-001-0000-1483 जिला प्रशासन	32040583	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि

क्र0	भां. संख्या / मुख्य शीर्ष / योजना का नाम एवं क्रमांक	प्राप्त आबंटन	किये गये कार्य
3	33-2225-02-001-0000-6130 संचालनालय-04-007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	50000	निरंक
4	33-4225-02-102-0000-0979-कीड़ा परिसर 27-006-	666000	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
5	33-4225-02-102-0000-1483-27-006	178000	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
6	33-2515-00-101-0000-5495 मु0का0अ0कावेतन	0	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
7	41-2202-01-101-0102-0495 आश्रम शाला	28910274	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
8	41-2202-01-109-0102-7437-मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (प्रयास आवासीय विद्यालय)	45945000	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
9	41-2202-02-109-0102-1395 छात्रावास	72896000	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
10	41/64/66-2202-1395/495-25-008 कपड़े तथा बिस्तर	2498000	जानकारी परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।
11	41-2202-01-101-0102-5092- मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय योजना 14-011	844000	8 अनु.जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क एवं मेस शुल्क की राशि का भुगतान
12	41-2202-02-109-0102-6140- छात्र भोजन सहाय योजना 11-007	165000	मेस संचालन हेतु पो0मै0,अ0ज0जा0 छात्रावासों के भोजन व्यवस्था
13	41-2202-02-109-0102-2194- विशेष कोचिंग केन्द्र योजना 14-012	1470000	अनु.जनजाति के छात्रावासी छात्र-छात्राओं को विशेष कोचिंग
14	41/64/66-2202-1395/495-25-001 भण्डार तथा कच्चा माल	3740000	जानकारी परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।
15	41-2202-02-109-0102-7363-युवा कैरियर निर्माण योजना-05-002	656000	अनु.जनजाति के विद्यार्थियों को पीएमटी / पीईटी कोचिंग हेतु 01 अनुबंधित संस्था को भुगतान
16	41-2202-02-110-0102-0307-अशासकीय संस्थाओं को अंशदान 14-006	1100000	अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था वनवासी सेवा मण्डल के कर्मचारियों का वेतन-भत्ते
17	41-2202-02-110-0102-0307-अशासकीय संस्थाओं को अंशदान 14-001	1175920	अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था वनवासी सेवा मण्डल के कर्मचारियों का वेतन-भत्ते
18	41-2202-02-109-0102-7592-खाद्य सुरक्षा अधिनियम 25-सामग्री पूर्ति-005-राशन व्यय	3940000	अ0ज0जा0 छात्रावास-आश्रमों में मेस संचालन हेतु चावल सबसीडी राशि का भुगतान
19	41-2225-02-0102-0102-9853- आदि संस्कृति का परि.एवं विकास 14-011	200000	
20	41-2225-02-0102-0102-9853- आदि संस्कृति का परि.एवं विकास 14-012	48000	04 पो0मै0अनु0जनजाति छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह जयंती कार्यक्रम
21	41/64/66-2202-1395/495-25-006 अन्य व्यय	3673000	जानकारी परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

क्र०	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष / योजना का नाम एवं क्रमांक	प्राप्त आबंटन	किये गये कार्य
22	41-2225-02-277-0102-7627-व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएं (10-009)(नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु अनुदान)	3517690	38 अनुजनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क, भोजन एवं छात्रावास किसये की राशि का भुगतान
23	41-2225-02-102-0102-6687-मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि 14-सहा.अनु. 012-अन्य अनुदान	850000	अनु.जनजाति के परंपरा एवं तीज त्यहार को संरक्षित करने हेतु अनुसूचित क्षेत्र कोटा के 85 ग्राम पंचायतों को प्रति 10000 के मान से मु0का0अ0 जन0प0 कोटा को प्रदाय किया गया
24	41-4202-01-202-0102-1400-छात्रावास तथा आश्रम(निर्माण 27-006	105000	एक छात्रावास का रंगई पोताई कार्य
25	41-4202-01-202-0102-0495-आश्रम (निर्माण) 27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	834000	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
26	41-4202-01-202-0102-1395-छात्रावास (निर्माण) 27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	1655000	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
27	64-2202-01-101-0103-0495 आश्रम और शालाएं	13275886	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
28	64-2202-02-109-0103-1395 अनु.जा.छात्रावास	77042321	अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
29	41/64/66-2202-1395/495-25-004 गैर कार्यालयीन फर्नीचर	2940000	जानकारी परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।
30	64-2202-02-109-0103-6140-छात्र भोजन सहाय योजना 11-007	0	पोमै0,अ0जा0 छात्रावासों के मेस संचालन हेतु भोजन व्यवस्था (राशि सीधे अधीक्षकों को)
31	66-2202-02-109-0103-6140-छात्र भोजन सहाय योजना 11-007	0	पोमै0,अ0पि0वर्ग छात्रावासों के मेस संचालन हेतु भोजन व्यवस्था (राशि सीधे अधीक्षकों को)
32	64-2202-01-101-0103-5092- मंघावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय 14-011	1230000	07 अनु0जाति के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं मेस शुल्क की राशि का भुगतान
33	64-2202-02-109-0103-2194- विशेष कोचिंग केंद्र योजना 14-012	235000	अनु.जाति के छात्रावासी छात्र-छात्राओं को विशेष कोचिंग
34	64-2202-02-109-0103-7363-युवा कैरियर निर्माण योजना (05-002)	354000	अनु.जाति के विद्यार्थियों को पीएमटी/पीईटी कोचिंग हेतु अनुबंधित संस्था को भुगतान
35	64-2202-02-109-0103-7592-खाद्य सुरक्षा अधिनियम 25-सामग्री पूर्ति-005-राशन व्यय	3070000	अ0जा0 छात्रावास-आश्रमों में मेस संचालन हेतु चावल सबसीडी राशि का भुगतान
36	64-2202-02-110-0103-0307-14-001- अशासकीय संस्था का अंशदान	1750330	अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था हरिजन सेवक संघ के कर्मचारियों का वेतन-भत्ते
37	64-2202-02-110-0103-0307-14-012- अशासकीय संस्था का अंशदान	1600000	अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था हरिजन सेवक संघ के कर्मचारियों का वेतन-भत्ते

क्र०	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष / योजना का नाम एवं क्रमांक	प्राप्त आर्बटन	किये गये-कार्य
38	64-2225-01-277-0103-7627-व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएं (10-009)(नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु अनुदान)	5947988	69 अनु.जाति के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क, भोजन एवं छात्रावास किराये की राशि का भुगतान
39	64-2225-01-102-0103-7628- अनु.जाति संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास (लोककला महोत्सव) 14-012	265000	11 पो.मै.अनु.जाति छात्रावासों में गुरुघासीदास जयंती कार्यक्रम हेतु
40	64-4202-01-201-0103-0495-आश्रम (निर्माण) 27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	1569000	अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
41	64-4202-01-201-0103-1395-छात्रावास (निर्माण) 27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	3944000	अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
42	64-4202-01-202-0103-1400- छात्रावास तथा आश्रम(निर्माण) 27-006	265000	एक छात्रावास का रंगई पोताई मरम्मत कार्य
43	64-4202-01-202-0103-1400- छात्रावास तथा आश्रम(निर्माण) 97-001	6454000	छात्रावास का रंगई पोताई/मरम्मत कार्य जारी
44	64-4225-01-102-0103-6631-अनु.जाति विकास प्राधिकरण (45-001)	16700000	सीसीरोड, जैतखाम, सेड निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण
45	66-2202-01-109-0102-7437-मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (प्रयास आवासीय विद्यालय) पिछड़ा वर्ग	24575000	अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
46	66-2202-02-109-0101-1395 छात्रावास	2861000	अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
47	66-2202-02-109-0101-979-पि0वर्ग कीडा परिसर	4291000	अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भत्ते आदि
48	66-2202-02-109-0101-7592-खादय सूखा अधिनियम 25-सामग्री पूर्ति-005-राशन व्यय	252000	अन्य पिछड़ावर्ग छात्रावासों में मेस संचालन हेतु चांवल सबसीडी राशि का भुगतान
49	66-4202-01-202-0101-1400-छात्रावास तथा आश्रम (निर्माण) 97-001 (27-लघुनिर्माण कार्य / 006-अन्य लघु निर्माण कार्य)	13000000	0
50	66-4202-01-202-0101-1400-छात्रावास तथा आश्रम (निर्माण) 27-002	116000	0
51	66-4202-01-202-0101-1395-छात्रावास 27-002 (27-लघुनिर्माण कार्य / 006-अन्य लघु निर्माण कार्य)	186000	0



अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 कालिदास, नवा रायपुर, अटल नगर

जिला बिलासपुर अंतर्गत संचालित छात्रावास/आश्रमों के लिए क्रय की गई सामग्री का नाम, मात्रा, दर एवं कम्पनी/फर्म एवं सामग्री क्रय की प्रक्रिया की वर्षवार जानकारी

वर्ष 2023-24

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	फर्म का नाम	क्रय का माध्यम
1	गद्दा	260	4932	उन्ती वेंचर, रायपुर	सीएसआईडीसी
2	डायनिंग टेबल	30	28500	रानीसती उद्योग, बिलासपुर	सीएसआईडीसी
3	सेनेटरी पेड	40000	3.50	डेस्टीनी मेडिकल सर्विस, रायपुर	सीएसआईडीसी
4	सेनेटरी पेड	10000	4.50	डेस्टीनी मेडिकल सर्विस, रायपुर	सीएसआईडीसी
5	पलंग	200	4010	अजय इंडस्ट्रीज, बिलासपुर	सीएसआईडीसी
6	चेयर-टेबल	150	2465	रानीसती उद्योग, बिलासपुर	सीएसआईडीसी
7	गद्दा	100	4500	छत्तीसगढ़ सुपरसेल्स, सुरजपुर	सीएसआईडीसी
8	मच्छरदानी	1000	277	छत्तीसगढ़ सुपरसेल्स, सुरजपुर	सीएसआईडीसी
9	क्वाटर प्लेट	275किग्रा	160किग्रा	छत्तीसगढ़ सुपरसेल्स, सुरजपुर	सीएसआईडीसी
10	कढ़ाही	170किग्रा	160किग्रा	छत्तीसगढ़ सुपरसेल्स, सुरजपुर	सीएसआईडीसी
11	भगोना	680किग्रा	290किग्रा	छत्तीसगढ़ सुपरसेल्स, सुरजपुर	सीएसआईडीसी
12	फिनाईल	3497ली.	101ली	नलीन मेडिकल स्टोर, सुरजपुर	सीएसआईडीसी
13	ट्यूब लाइट	700	328	आर.के.ट्रेडिंग, रायपुर	सीएसआईडीसी
14	सिलिंग फैन	500	2220	गोल्डन सर्विस, रायपुर	सीएसआईडीसी
15	एलईडी बल्ब	1000	213	एस.एस.इंटरप्राइसेस, बिलासपुर	सीएसआईडीसी
16	स्टूडेंट टेबल कुर्सी	100	2134	वर्षा इंडस्ट्रीज, बेमेतरा	सीएसआईडीसी
17	पलंग	100	4654	महावीर इंडस्ट्रीज, दुर्ग	सीएसआईडीसी
18	गद्दा	50	3800	सक्ती स्टील इंडस्ट्रीज, दुर्ग	सीएसआईडीसी
19	भगोना	210किग्रा	396किग्रा	ओरियेंटल सेल्स कोपरेशन, रायपुर	सीएसआईडीसी
20	गद्दा	200	3800	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज, बांकीमोगरा	सीएसआईडीसी
21	तकिया	1000	600	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज, बांकीमोगरा	सीएसआईडीसी
22	टायलेट ब्रश	400	250	छत्तीसगढ़ सुपरसेल्स, सुरजपुर	सीएसआईडीसी

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	फर्म का नाम	कय का माध्यम
23	प्लास्टिक बाल्टी	300	400	छत्तीसगढ़ सुपरसेल्स, सुरजपुर	सीएसआईडीसी
24	वाइपर	300	489	छत्तीसगढ़ सुपरसेल्स, सुरजपुर	सीएसआईडीसी
25	आलमारी	10	8000	रानीसती उद्योग, बिलासपुर	सीएसआईडीसी
26	रेक छोटा	50	1770	रानीसती उद्योग, बिलासपुर	सीएसआईडीसी
27	अधीक्षक टेबल	8	8500	रानीसती उद्योग, बिलासपुर	सीएसआईडीसी
28	अधीक्षक चेयर	8	2700	रानीसती उद्योग, बिलासपुर	सीएसआईडीसी
29	ट्यूब लाइट	800	328	आर.के.ट्रेडिंग, रायपुर	सीएसआईडीसी
30	सिलिंग फैन	200	2030	आर.के.ट्रेडिंग, रायपुर	सीएसआईडीसी
31	स्टील थाली	150किग्रा	360	ओरियेंटल सेल्स कोर्पोरेशन, रायपुर	सीएसआईडीसी
32	स्टील गिलास	125किग्रा	360	ओरियेंटल सेल्स कोर्पोरेशन, रायपुर	सीएसआईडीसी
33	स्टील बाल्टी	175किग्रा	360	ओरियेंटल सेल्स कोर्पोरेशन, रायपुर	सीएसआईडीसी
34	स्टील पानीटंकी	205किग्रा	378	ओरियेंटल सेल्स कोर्पोरेशन, रायपुर	सीएसआईडीसी
वर्ष 2024-25 (जनवरी 2025 तक)					
1	मच्छरदानी	1000	250.50	श्री बालाजी इटर.बाकीमोगरा	जेम पोर्टल
2	मच्छरदानी	1000	250.50	मां मनमौरी ट्रेडिंग सुरजपुर	जेम पोर्टल
3	मच्छरदानी	1000	300	ए.एस.इटरप्राइसेस, मुम्बई	जेम पोर्टल
4	मच्छरदानी	1000	300	डेस्टीनी मेडिकल सर्विस रायपुर	जेम पोर्टल
5	फिनाईल	2520	119	नलीन मेडिकल, सुरजपुर	जेम पोर्टल
6	फिनाईल	840	120	धवंतरी केमिकल्स, गोरिला	जेम पोर्टल
7	थाली	1000	133	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
8	सिलिंग फैन	200	2139	छग इंटरप्रा. सुरजपुर	जेम पोर्टल
9	पानी जग	400	519	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
10	स्टील बाल्टी	100	1335	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
11	रंगीन चादर	1000	450.10	हाथ करघा सह.संघ.रायपुर	हाथ करघा
12	सेनेटरी पेड	100000	5	अमन सेल्स, बिलासपुर	जेम पोर्टल
13	झारा	50	400	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
14	कड़ाही	20	2927	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
15	स्टील गिलास	2000	49.50	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	फर्म का नाम	क्रय का माध्यम
16	स्टील पल्टा	50	400	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
17	स्टील रोक बड़ा	100	4860	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
18	स्टील रोक छोटा	100	3500	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
19	डस्टबीन	120	2124	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
20	डेस्क बैच	150	8100	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
21	दरी	100	3200	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
22	तकिया	1000	450	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
23	नास्ता प्लेट	1000	126	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
24	टाटपट्टी	100	755	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
25	आलमारी	8	19000	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
26	अनाज कोठी	80	3159	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
27	गंज बड़ा	20	6541	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
28	गद्दा	200	3894	प्रयाग स्टील इंडस्ट्रीज कोरबा	जेम पोर्टल
29	गद्दा	220	4499	छ.ग. इंटरप्राइसेंस, सुरजपुर	जेम पोर्टल
30	लोहा पलंग	250	4950	रानीसती इंडस्ट्रीज बिलासपुर	जेम पोर्टल



अनुमान अक्षय
 प्र.जा. तथा अनु.जा.दि. विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, जटल नगर

परिशेष - तेईस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1559) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2021-2022 से 20 फरवरी 2025 तक की अवधि में मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, जिला सक्ती एवं मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, जिला-सक्ती के किये गए निरीक्षण/जाँच का विवरण

क्र.	उद्योग का नाम	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिंडा, बड़ापाली, धीवरा एवं धोबनीपाली, पोस्ट-धूरकोट, ब्लॉक एवं तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	18/06/2021	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		05/01/2022	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		09/01/2023	चिमनी से अत्यधिक उत्सर्जन, आंतरिक मार्गों में डस्ट का जमाव, गारलैण्ड ड्रेन का उचित रख-रखाव नहीं रखा जाना, सी.एच.पी. एरिया में जल छिड़काव नहीं किया जाना, फ्यूजिटिव डस्ट नियंत्रण हेतु जल छिड़काव नहीं किया जाना, ऐश ड्राईक में प्रदूषण नियंत्रण नहीं किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 10/01/2023 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
		13/02/2023	जारी नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 13/02/2023 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन बंद / विद्युत विच्छेदन करने हेतु निर्देश जारी किया गया।
		27/02/2023	जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		26/12/2023	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		05/07/2024	सी.एच.पी. एरिया में जल छिड़काव नहीं किया जाना, आंतरिक मार्गों में कोल स्लज का जमाव, फ्यूजिटिव डस्ट नियंत्रण हेतु व्यवस्था नहीं किया जाना, हाउसकीपिंग संतोषप्रद नहीं होना पाया गया।	उद्योग को निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों के सम्बन्ध में दिनांक 08/07/2024 को पत्र जारी किया गया।
		08/08/2024	जारी पत्र के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		23/12/2024	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2.	मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, जिला-सक्ती	18/06/2021	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		02/09/2021	अत्यधिक मात्रा में फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन तथा वायु प्रदूषण की स्थिति पाई गई।	उद्योग को पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
		25/10/2021	जारी नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		24/02/2022	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		10/06/2022	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		06/07/2023	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
23/12/2024	उद्योग की स्थिति सामान्य पायी गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।		

05/03/25
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर


पंरोशष्ट - चौबीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1591) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 31 जनवरी 2025 की स्थिति में विभाग द्वारा संचालित शासकीय बालक/बालिका आश्रम, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की जिलेवार जानकारी

क्रं.	जिले का नाम	आश्रम		प्री. मैट्रिक छात्रावास		पोस्ट मैट्रिक छात्रावास		कुल छात्रावास/ आश्रमों की संख्या
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बालोद	12	5	50	7	6	7	87
2	बलौदाबाजार	2	5	39	17	8	7	78
3	बलरामपुर	38	28	47	21	8	7	149
4	बस्तर	60	42	63	30	19	19	233
5	बेमेतरा	0	1	10	5	5	3	24
6	बीजापुर	95	42	27	15	5	5	189
7	बिलासपुर	16	3	36	15	8	10	88
8	दंतेवाड़ा	50	20	26	12	10	10	128
9	धमतरी	4	9	27	9	4	4	57
10	दुर्ग	0	0	10	3	10	11	34
11	गरियाबंद	17	14	32	9	3	4	79
12	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	13	4	26	30	4	3	80
13	जांजगीर-चांपा	0	1	18	25	5	6	55
14	जशपुर	50	31	52	38	15	16	202
15	कबीरघाम	24	16	35	15	5	4	99
16	कांकेर	43	33	71	30	10	10	197
17	खैरागढ़-छुईखदान	2	0	8	7	3	3	23
18	कोण्डागांव	28	26	42	22	9	7	134
19	कोरबा	32	27	82	27	8	8	184
20	कोरिया	12	10	16	9	4	3	54
21	महासमुन्द	11	13	50	28	6	7	115
22	मेनेन्द्रगढ़	4	6	24	18	3	3	58
23	मोहला-मानपुर	8	16	35	21	4	5	89
24	मुंगेली	3	3	13	9	4	5	37
25	नारायणपुर	63	25	12	9	5	3	117
26	रायगढ़	10	20	61	23	13	14	141
27	रायपुर	0	6	19	11	11	10	57
28	राजनांदगांव	4	4	13	13	6	6	46
29	सक्ती	14	3	22	12	3	1	55
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	15	5	31	23	5	2	81
31	सुकमा	60	35	21	12	7	6	141
32	सूरजपुर	17	16	39	23	6	8	109
33	सरगुजा	33	15	40	31	9	9	137
	योग	740	484	1097	579	231	226	3357


 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परोशेष्ट - पचोस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1611) को जानकारी

प्रपत्र- "अ"

क्र.	जिला का नाम	विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट		प्रवेशित सीट वर्ष 2023-24		प्रवेशित सीट वर्ष 2024-25	
				बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	धमतरी	कमार आवासीय विद्यालय, मुकुंदपुर	2018-19	100	100	49	49	66	73
2	सरगुजा	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय, घंघरी	2021-22	100	100	56	54	74	72
3	गरियाबंद	कमार आवासीय विद्यालय, केसोडोर	2022-23	100	100	40	40	60	60
4	मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी	बैगा आवासीय विद्यालय, नौढ़िया	2022-23	100	100	40	40	57	58
5	कबीरधाम	बैगा आवासीय विद्यालय, पोलमी	2017-18	100	100	89	89	100	100
6		बैगा आवासीय विद्यालय, चौरा	2020-21	100	100	80	80	100	100
7	जशपुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय, रूपसेरा	2022-23	100	100	70	70	80	80
8	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय, भेलवाडीह	2017-18	100	100	90	90	100	100
9	गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही	बैगा आवासीय विद्यालय, धनौली	2020-21	100	100	60	60	80	80
10	नारायणपुर	अबुझमाड़िया आवासीय विद्यालय, ओरछा	2022-23	100	100	35	37	59	59
कुल योग				1000	1000	609	609	776	782


 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र- "ब"

क्र.	मद का नाम	व्यय राशि रूपयों में	
		वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1	2	3	4
1.	कर्मचारी वेतन भत्ता	10854466	24777169
2.	विद्यार्थियों पर व्यय (पोषण आहार/शिष्यवृत्ति)	11364818	29211667
3.	कार्यालय व्यय	1815805	3407539
4.	अतिरिक्त कोचिंग	792595	487899
5.	रनिंग पेयजल/वाटर हार्वेस्टिंग/किचन गार्डन/खाना बनाने का संयंत्र/शैक्षणिक भ्रमण/सामग्री पूर्ति	3084521	5504835
6.	साइंस ओलंपियाड, NTSE, अन्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु, पुस्तकालय	1055474	1170026
	योग	28967679	64559135

Seema
 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - छब्वीस

प्रपत्र

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1623) की जानकारी

जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा अंतर्गत संचालित वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग/खदानों द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक की स्थिति में किए गए वृक्षारोपण की जानकारी।

क्र	उद्योग का नाम एवं पता		वृक्षारोपण का लक्ष्य (एकड़ में)	परिसर के अंदर रोपित वृक्षों की जानकारी		परिसर के बाहर रोपित वृक्षों की जानकारी		जीवित वृक्षों की संख्या		लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष वृक्षारोपण का क्षेत्रफल
				संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परिसर के अंदर	परिसर के बाहर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	मेसर्स नूवोको विस्तार कापरिशन लिमिटेड, सोनाडीह सीमेंट प्लांट ग्राम-रसेड़ा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	सीमेंट प्लांट	75.59	88050	80.30	107050	80	82000	101700	निरंक
		खदान	223.87	367667	223.87	90656	68	286780	80193	निरंक
2-	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी सीमेंट वर्क्स, हिरमी, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा	सीमेंट प्लांट	137.64	219330	144.31	89096	111.37	157804	74282	निरंक
		खदान	195.09	240943	195.09	59397	74.24	200837	49521	निरंक
3-	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट-रावन सीमेंट वर्क्स, पोस्ट-ग्रासिम विहार, ग्राम-रावन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	सीमेंट प्लांट	319.8	371284	386.06	15000	14.5	297000	5000	निरंक
		खदान	272.9	281790	272.9	5424	4.50	218211	2115	निरंक
4-	मेसर्स अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड, पोस्ट-रावन तहसील, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	सीमेंट प्लांट	196.84	246234	205.09	88437	90.89	202261	76156	निरंक
		खदान	67.53	143659	67.53	0	0	114658		निरंक
5-	मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, (यूनिट-श्री रायपुर सीमेंट प्लांट) ग्राम-खपरीडीह, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	सीमेंट प्लांट	131.177	134176	144.38	63686	60.69	116659	54348	निरंक
		खदान	212.44	214886	212.44	0	0	169760		निरंक
6-	मेसर्स एनयू विस्ता लिमिटेड, ग्राम-रिसदा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	सीमेंट प्लांट	114.61	140569	138.92			116892	28462	निरंक
		खदान	58.27	145674	58.27	33000	32.61	94867		निरंक
7-	मेसर्स नीरज पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, हरिनभट्टा, सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा		8.51	10220	13.79	0	0	8750	0	निरंक
8-	मेसर्स अनिमेश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम - खजुरी, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा		8.0	14590	9.0	4585	4.5	12423	3918	निरंक
9-	मेसर्स श्री श्याम स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बछेरा, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा		3.015	3300	3.53	650	0.5	2100	300	निरंक
10-	मेसर्स ए.पी.एल. अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रिगनी एवं केसदा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा		20.45	50334	20.45	0	0	49400	0	निरंक
11-	मेसर्स अर्थ स्टाहल एंड एलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम दुलदुला, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा		4.3	3790	4.3	0	0	3550	0	निरंक

53-25
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारोशेष - सत्ताईस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1639) की जानकारी

प्रपत्र

जनवरी 2023 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में उद्योग प्रारंभ करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों की वर्षवार जानकारी

जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023			
क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता	आवेदन प्राप्ति दिनांक	वर्तमान स्थिति
1.	मेसर्स महालक्ष्मी कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-चिराईपानी, तहसील व जिला - रायगढ़	15.04.2023	निरस्तीकरण दिनांक 24.01.2024
2.	मेसर्स सेंट्रल सीमेंट इण्डस्ट्रिज, ग्राम-सरोरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर	10.05.2023	निरस्तीकरण दिनांक 06.10.2023
3.	मेसर्स बस्तर बाटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-धुरागांव, तहसील-लोहाडीगुड़ा, जिला-बस्तर	12.05.2023	टीओआर जारी दिनांक 30.11.2023
4.	मेसर्स साल्यूस फ्यूल्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, 11/146, शर्मा काम्प्लेक्स, चिकनी मंदिर के पास, मालवीय रोड, जिला-रायपुर	07.07.2023	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक 16.01.2024
5.	मेसर्स एपीएल अपोलो बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रिंगनी एवं केसदा, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार	01.08.2023	निरस्तीकरण दिनांक 02.05.2024
6.	मेसर्स श्री श्याम एथेनाल एंड स्पीट्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रो.- श्री अभिनव सुल्तानिया), ग्राम-मुड़पार, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	21.10.2023	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक 02.04.2024
7.	मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (डायरेक्टर-श्री जितेन्द्र व्यास), ग्राम-हरिनछपरा, तहसील-बोडला, जिला-कबीरधाम	02.11.2023	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक 22.08.2024
जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024			
1.	मेसर्स एन.एम.डी.सी. - सी.एम.डी.सी. लिमिटेड, ग्राम-भांसी, तहसील-बड़े बचेली, जिला-साउथ बस्तर दंतेवाड़ा	25.01.2024	प्रक्रियाधीन

2.	मेसर्स मां कुदरगढ़ी मिनरल्स एण्ड रिफेक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-03), ग्राम-सिलसिला, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा	05.02.2024	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक 28.09.2024
3.	मेसर्स एन्होमा स्पेशलिटी केमिकल मैनुफेक्चर युनिट, (प्रो.- श्री हिमाद्री घोष), ग्राम-बरतोरी, तहसील-तिल्दा, जिला- रायपुर	04.03.2024	टीओआर जारी दिनांक 25.10.2024
4.	मेसर्स भाटिया एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिएशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-लोखण्डी, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर	04.03.2024	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक 23.10.2024
5.	मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो-साफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-बरबसपुर, तहसील व जिला-कोरबा	17.05.2024	प्रक्रियाधीन
6.	मेसर्स छत्तीसगढ़ सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फार सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट), ग्राम-घुलघुल, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर	22.05.2024	प्रक्रियाधीन
7.	मेसर्स तेथीस हाईड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड, जिला-दुर्ग	23.09.2024	प्रक्रियाधीन
8.	मेसर्स मां कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राइवेट, ग्राम-रेवतीपुर, तहसील-रामचंद्रपुर, जिला- बलरामपुर	16.10.2024	प्रक्रियाधीन
9.	मेसर्स मां कुदरगढ़ी मिनरल्स एण्ड रिफेक्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-04), ग्राम-सिलसिला, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा	14.12.2024	प्रक्रियाधीन


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 अख्यान एवं पर्यावरण विभाग
 रायपुर

पारोक्ष - अट्टाईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1646) की जानकारी

प्रपत्र-अ

महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसल) की जानकारी


क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील का नाम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)	बीमित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2023	खरीफ	महासमुंद	बागबहारा	उड़द	26	22.070	4.635
2	2023	खरीफ	महासमुंद	बागबहारा	धान सिंचित	7139	9875.135	5727.578
3	2023	खरीफ	महासमुंद	बागबहारा	धान असिंचित	5721	7136.018	3139.848
खरीफ 2023 बागबहारा योग						12886	17033.222	8872.061
4	2023	खरीफ	महासमुंद	बसना	उड़द	23	8.270	1.737
5	2023	खरीफ	महासमुंद	बसना	मूंग	1	0.690	0.138
6	2023	खरीफ	महासमुंद	बसना	मूंगफली	8	1.050	0.420
7	2023	खरीफ	महासमुंद	बसना	धान सिंचित	6345	8544.696	4955.924
8	2023	खरीफ	महासमुंद	बसना	धान असिंचित	18358	24981.671	10991.935
खरीफ 2023 बसना योग						24735	33536.377	15950.154
9	2023	खरीफ	महासमुंद	कोमाखान	उड़द	21	20.690	4.345
10	2023	खरीफ	महासमुंद	कोमाखान	धान सिंचित	5985	7435.726	4312.721
11	2023	खरीफ	महासमुंद	कोमाखान	धान असिंचित	10893	12945.549	5696.041
खरीफ 2023 कोमाखान योग						16899	20401.965	10013.107
12	2023	खरीफ	महासमुंद	महासमुंद	उड़द	1	1.020	0.214
13	2023	खरीफ	महासमुंद	महासमुंद	मूंगफली	10	5.900	2.360
14	2023	खरीफ	महासमुंद	महासमुंद	धान सिंचित	13143	15182.861	8806.059
15	2023	खरीफ	महासमुंद	महासमुंद	धान असिंचित	3945	4200.765	1848.336
खरीफ 2023 महासमुंद योग						17099	19390.546	10656.970
16	2023	खरीफ	महासमुंद	पिथौरा	उड़द	7	5.150	1.082
17	2023	खरीफ	महासमुंद	पिथौरा	मूंग	2	0.340	0.068
18	2023	खरीफ	महासमुंद	पिथौरा	मूंगफली	8	9.590	3.836
19	2023	खरीफ	महासमुंद	पिथौरा	धान सिंचित	12161	17788.744	10317.472
20	2023	खरीफ	महासमुंद	पिथौरा	धान असिंचित	14416	20918.821	9204.281
खरीफ 2023 पिथौरा योग						26594	38722.645	19526.739
21	2023	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	उड़द	12	6.310	1.325
22	2023	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	मूंग	3	0.870	0.174
23	2023	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	मूंगफली	9	3.560	1.424
24	2023	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	धान सिंचित	7257	8939.443	5184.877
25	2023	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	धान असिंचित	18322	28201.007	12408.443
खरीफ 2023 सरायपाली योग						25603	37151.190	17596.243
जिला महासमुंद मौसम खरीफ 2023 योग						123816	166235.945	82615.273

महासमुंद जिले मे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसल) की जानकारी

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील का नाम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)	बीमित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	2023-24	रबी	महासमुंद	बसना	गेहूँ सिंचित	293	441.040	141.132
	रबी 2023-24 बसना योग					293	441.040	141.132
27	2023-24	रबी	महासमुंद	महासमुंद	गेहूँ सिंचित	15	18.375	5.880
	रबी 2023-24 महासमुंद योग					15	18.375	5.880
28	2023-24	रबी	महासमुंद	पिथौरा	गेहूँ सिंचित	5	19.600	6.272
	रबी 2023-24 पिथौरा योग					5	19.600	6.272
29	2023-24	रबी	महासमुंद	सरायपाली	गेहूँ सिंचित	512	977.916	312.933
30	2023-24	रबी	महासमुंद	सरायपाली	गेहूँ असिंचित	18	23.890	5.495
	रबी 2023-24 सरायपाली योग					530	1001.806	318.428
	जिला महासमुंद मौसम रबी 2023-24 योग					843	1480.821	471.712
	जिला महासमुंद मौसम खरीफ एवं रबी 2023-24 योग					124659	167716.766	83086.985
31	2024	खरीफ	महासमुंद	बागबहारा	उड़द	5	1.710	0.393
32	2024	खरीफ	महासमुंद	बागबहारा	धान सिंचित	7401	9907.735	5944.641
33	2024	खरीफ	महासमुंद	बागबहारा	धान असिंचित	6091	7376.086	3319.239
	खरीफ 2024 बागबहारा योग					13497	17285.531	9264.273
34	2024	खरीफ	महासमुंद	बसना	उड़द	7	4.310	0.991
35	2024	खरीफ	महासमुंद	बसना	मूंग	2	0.950	0.219
36	2024	खरीफ	महासमुंद	बसना	मूंगफली	4	1.020	0.428
37	2024	खरीफ	महासमुंद	बसना	धान सिंचित	7249	7994.409	4796.646
38	2024	खरीफ	महासमुंद	बसना	धान असिंचित	17212	24369.260	10966.167
	खरीफ 2024 बसना योग					24474	32369.949	15764.451
39	2024	खरीफ	महासमुंद	कोमाखान	उड़द	3	3.480	0.800
40	2024	खरीफ	महासमुंद	कोमाखान	धान सिंचित	6712	7189.812	4313.887
41	2024	खरीफ	महासमुंद	कोमाखान	धान असिंचित	10347	12729.559	5728.302
	खरीफ 2024 कोमाखान योग					17062	19922.851	10042.989
42	2024	खरीफ	महासमुंद	महासमुंद	मूंगफली	1	0.330	0.139
43	2024	खरीफ	महासमुंद	महासमुंद	धान सिंचित	15664	15858.835	9515.301
44	2024	खरीफ	महासमुंद	महासमुंद	धान असिंचित	4701	4851.063	2182.978
	खरीफ 2024 महासमुंद योग					20366	20710.228	11698.418
45	2024	खरीफ	महासमुंद	पिथौरा	उड़द	18	20.340	4.678

महासमुंद जिले मे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसल) की जानकारी

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील का नाम	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हे.)	बीमित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	2024	खरीफ	महासमुंद	पिथौरा	मूंगफली	2	0.860	0.361
47	2024	खरीफ	महासमुंद	पिथौरा	धान सिंचित	11903	15918.993	9551.396
48	2024	खरीफ	महासमुंद	पिथौरा	धान असिंचित	14413	21588.778	9714.950
खरीफ 2024 पिथौरा योग						26336	37528.971	19271.385
49	2024	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	उड़द	10	6.100	1.403
50	2024	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	मूंग	9	3.090	0.711
51	2024	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	मूंगफली	5	3.651	1.533
52	2024	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	धान सिंचित	8029	8822.759	5293.655
53	2024	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	धान असिंचित	17914	27719.070	12473.582
खरीफ 2024 सरायपाली योग						25967	36554.670	17770.884
जिला महासमुंद मौसम खरीफ 2024 योग						127702	164372.200	83812.400


(विकास मिश्रा)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (उद्यानिकी फसल) अंतर्गत महासमुंद जिले मे फसल बीमा, बीमा दावा भुगतान की जानकारी

राशि रुपये लाख में रकबा हेक्टेयर में

वर्ष	मौसम	तहसील	फसल	बीमित कृषक	बीमित रकबा	बीमित राशि	भुगतान किये गये दावा राशि का विवरण		लंबित दावा राशि का विवरण	
							कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि
2023	खरीफ	बागबाहरा	केला	3	2.08	3.10	0	0.00	0	0
2023	खरीफ	बागबाहरा	अदरक	1	0.49	0.74	1	0.02	0	0
2023	खरीफ	बागबाहरा	अमरुद	1	1.45	0.65	1	0.26	0	0
2023	खरीफ	बागबाहरा	पपीता	2	0.88	0.77	2	0.14	0	0
2023	खरीफ	बागबाहरा	टमाटर	6	10.34	12.41	6	0.27	0	0
2023	खरीफ	बसना	बैंगन	3	1.40	1.08	0	0.00	0	0
2023	खरीफ	बसना	मिर्च	4	0.81	0.55	4	0.01	0	0
2023	खरीफ	बसना	अमरुद	1	0.02	0.01	1	0.00	0	0
2023	खरीफ	बसना	पपीता	1	0.02	0.02	1	0.00	0	0
2023	खरीफ	बसना	टमाटर	8	1.50	1.80	0	0.00	0	0
2023	खरीफ	कोमाखान	बैंगन	1	0.10	0.08	0	0.00	0	0
2023	खरीफ	कोमाखान	मिर्च	1	0.40	0.27	1	0.02	0	0
2023	खरीफ	कोमाखान	टमाटर	1	0.10	0.12	0	0.00	0	0
2023	खरीफ	महासमुंद	बैंगन	8	1.94	1.49	7	0.04	0	0
2023	खरीफ	महासमुंद	मिर्च	2	0.71	0.48	2	0.01	0	0
2023	खरीफ	महासमुंद	अदरक	1	1.32	1.98	1	0.16	0	0
2023	खरीफ	महासमुंद	पपीता	2	1.83	1.59	2	0.47	0	0
2023	खरीफ	महासमुंद	टमाटर	10	4.17	5.00	7	0.10	0	0
2023	खरीफ	पिथौरा	केला	2	1.79	1.52	0	0.00	0	0
2023	खरीफ	पिथौरा	बैंगन	1	0.40	0.31	0	0.00	0	0
2023	खरीफ	पिथौरा	मिर्च	21	6.10	5.18	20	0.20	0	0
2023	खरीफ	पिथौरा	टमाटर	6	1.73	2.08	4	0.01	0	0
2023	खरीफ	सरायपाली	बैंगन	4	4.76	3.67	2	0.11	0	0
2023	खरीफ	सरायपाली	मिर्च	3	1.05	0.71	3	0.06	0	0
2023	खरीफ	सरायपाली	टमाटर	5	4.07	4.88	4	0.13	0	0
योग खरीफ 2023				98	49.46	50.49	69	2.01	0	0
2023	रबी	बागबाहरा	बैंगन	2	1.54	0.88	0	0.00	0	0
2023	रबी	बागबाहरा	पत्तागोभी	4	1.62	0.87	3	0.01	0	0
2023	रबी	बागबाहरा	फूलगोभी	2	1.20	0.65	1	0.00	0	0
2023	रबी	बागबाहरा	प्याज	1	0.30	0.17	0	0.00	0	0
2023	रबी	बागबाहरा	आलू	1	0.97	0.93	1	0.02	0	0
2023	रबी	बागबाहरा	टमाटर	11	10.64	9.36	0	0.00	0	0
2023	रबी	बसना	बैंगन	2	1.51	0.86	0	0.00	0	0
2023	रबी	बसना	पत्तागोभी	1	0.30	0.16	1	0.00	0	0
2023	रबी	बसना	प्याज	2	1.42	0.78	1	0.00	0	0
2023	रबी	बसना	आलू	1	1.39	1.33	0	0.00	0	0
2023	रबी	बसना	टमाटर	3	3.32	2.92	0	0.00	0	0
2023	रबी	कोमाखान	प्याज	4	0.80	0.44	4	0.04	0	0
2023	रबी	कोमाखान	टमाटर	14	2.07	2.48	0	0.00	0	0
2023	रबी	महासमुंद	बैंगन	1	0.20	0.11	0	0.00	0	0

वर्ष	मौसम	तहसील	फसल	बीमित कृषक	बीमित रकबा	बीमित राशि	भुगतान किये गये दावा राशि का विवरण		लंबित दावा राशि का विवरण	
							कृषक संख्या	राशि	कृषक संख्या	राशि
2023	रबी	महासमुंद	टमाटर	4	2.62	3.07	0	0.00	0	0
2023	रबी	पिथौरा	बैंगन	21	4.95	3.70	0	0.00	0	0
2023	रबी	पिथौरा	पत्तागोभी	2	0.75	0.41	1	0.00	0	0
2023	रबी	पिथौरा	फूलगोभी	3	1.01	0.55	2	0.00	0	0
2023	रबी	पिथौरा	प्याज	5	2.32	1.28	0	0.00	0	0
2023	रबी	पिथौरा	आलू	2	1.07	1.03	1	0.00	0	0
2023	रबी	पिथौरा	टमाटर	9	10.44	9.44	1	0.04	0	0
2023	रबी	सरायपाली	बैंगन	1	1.01	0.58	0	0.00	0	0
2023	रबी	सरायपाली	फूलगोभी	3	1.01	0.55	1	0.02	0	0
2023	रबी	सरायपाली	प्याज	9	3.28	1.80	9	0.02	0	0
2023	रबी	सरायपाली	आलू	1	0.40	0.38	1	0.00	0	0
2023	रबी	सरायपाली	टमाटर	8	2.33	2.05	0	0.00	0	0
योग रबी 2023-24				117	58.47	46.78	27	0.17	0	0
योग वर्ष 2023-24				215	107.93	97.27	96	2.18	0	0
2024	खरीफ	बागबाहरा	बैंगन	21	3.23	2.49	टमाटर फसल हेतु दावा राशि की गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। गणना उपरांत नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। शेष फसलों (बैंगन, अमरुद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक) की फसल अवधि समाप्त होना शेष है। फसल अवधि की समाप्ति उपरांत दावा राशि की गणना कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।			
2024	खरीफ	बागबाहरा	मिर्च	17	1.21	1.09				
2024	खरीफ	बागबाहरा	अदरक	1	1.38	2.07				
2024	खरीफ	बागबाहरा	अमरुद	1	1.45	0.65				
2024	खरीफ	बागबाहरा	पपीता	1	0.40	0.35				
2024	खरीफ	बागबाहरा	टमाटर	3	1.21	1.45				
2024	खरीफ	बसना	केला	1	1.64	2.71				
2024	खरीफ	बसना	बैंगन	2	0.73	0.56				
2024	खरीफ	बसना	मिर्च	4	2.20	1.50				
2024	खरीफ	बसना	टमाटर	1	0.40	0.48				
2024	खरीफ	कोमाखान	बैंगन	1	0.40	0.31				
2024	खरीफ	कोमाखान	टमाटर	16	2.87	3.44				
2024	खरीफ	महासमुंद	बैंगन	8	2.94	2.26				
2024	खरीफ	महासमुंद	मिर्च	4	3.56	3.04				
2024	खरीफ	महासमुंद	अदरक	1	0.40	0.60				
2024	खरीफ	महासमुंद	अमरुद	1	0.40	0.18				
2024	खरीफ	महासमुंद	टमाटर	12	5.52	6.62				
2024	खरीफ	पिथौरा	बैंगन	1	0.20	0.15				
2024	खरीफ	पिथौरा	मिर्च	6	2.66	1.81				
2024	खरीफ	सरायपाली	बैंगन	1	1.37	1.05				
2024	खरीफ	सरायपाली	टमाटर	2	1.05	1.27				
योग खरीफ 2024				105	35.22	34.08				

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, नई रायपुर, अटल नगर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसल) अंतर्गत बीमा दावा भुगतान की जानकारी

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील का नाम	फसल का नाम	दावा भुगतान	
						कृषक संख्या	राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2023	खरीफ	महासमुंद	बागबहारा	धान सिंचित	473	92.841
2	2023	खरीफ	महासमुंद	बागबहारा	धान असिंचित	52	6.000
खरीफ 2023 बागबहारा योग						525	98.841
3	2023	खरीफ	महासमुंद	बसना	धान सिंचित	605	164.454
4	2023	खरीफ	महासमुंद	बसना	धान असिंचित	1557	303.156
खरीफ 2023 बसना योग						2162	467.610
5	2023	खरीफ	महासमुंद	कोमाखान	धान सिंचित	626	117.748
6	2023	खरीफ	महासमुंद	कोमाखान	धान असिंचित	581	22.395
खरीफ 2023 कोमाखान योग						1207	140.143
7	2023	खरीफ	महासमुंद	महासमुंद	धान सिंचित	401	27.895
8	2023	खरीफ	महासमुंद	महासमुंद	धान असिंचित	184	4.081
खरीफ 2023 महासमुंद योग						585	31.976
9	2023	खरीफ	महासमुंद	पिथौरा	मूंगफली	7	0.674
10	2023	खरीफ	महासमुंद	पिथौरा	धान सिंचित	484	89.529
11	2023	खरीफ	महासमुंद	पिथौरा	धान असिंचित	98	11.382
खरीफ 2023 पिथौरा योग						589	101.585
12	2023	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	उड़द	2	0.026
13	2023	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	मूंगफली	1	0.011
14	2023	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	धान सिंचित	1664	403.849
15	2023	खरीफ	महासमुंद	सरायपाली	धान असिंचित	3197	829.904
खरीफ 2023 सरायपाली योग						4864	1233.790
जिला महासमुंद मौसम खरीफ 2023 योग						9932	2073.945

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसल) अंतर्गत बीमा दावा भुगतान की जानकारी

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील का नाम	फसल का नाम	दावा भुगतान	
						कृषक संख्या	राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	2023-24	रबी	महासमुंद	बसना	गेहूँ सिंचित	217	33.398
	रबी 2023-24 बसना योग					217	33.398
17	2023-24	रबी	महासमुंद	महासमुंद	गेहूँ सिंचित	15	1.095
	रबी 2023-24 महासमुंद योग					15	1.095
18	2023-24	रबी	महासमुंद	पिथौरा	गेहूँ सिंचित	5	3.228
	रबी 2023-24 पिथौरा योग					5	3.228
19	2023-24	रबी	महासमुंद	सरायपाली	गेहूँ सिंचित	461	197.523
	रबी 2023-24 सरायपाली योग					461	197.523
	जिला महासमुंद मौसम रबी 2023-24 योग					698	235.244
	जिला महासमुंद मौसम खरीफ एवं रबी 2023-24 योग					10630	2309.191


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसल) अंतर्गत लंबित बीमा दावा भुगतान की जानकारी

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील का नाम	फसल का नाम	दावा भुगतान हेतु लंबित		भुगतान हेतु की जा रही कार्यवाही
						कृषक संख्या	राशि (रु.में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				बसना	धान असिंचित	1	26288.650	संबंधित कृषकों का बैंक खाता त्रुटिपूर्ण होने के कारण बीमा दावा राशि का भुगतान विफल हुआ है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषकों का बैंक खाता सत्यापित होने के पश्चात् डिजी क्लेम के माध्यम से दावा राशि का भुगतान किया जावेगा।
2	2023	खरीफ	महासमुंद	महासमुंद	धान सिंचित	1	13036.180	
3				पिथौरा	धान असिंचित	1	191.600	
योग						3	39516.430	

(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
संभालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - उन्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 1652) की जानकारी

प्रपत्र - अ

प्रदेश में वर्ष 2023-24 तक शासन द्वारा संचालित जिलेवार छात्रावास/आश्रम भवन-विहीन की जानकारी

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	भवन विहीन संख्या	किराये के भवन की संख्या	अन्य वैकल्पिक भवन की संख्या	वर्ष 2024-25 में निर्मित भवनों की संख्या	जनवरी, 2025 की स्थिति में भवन-विहीन छात्रावास/आश्रम की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
जिला- बस्तर						
1	बस्तर	4	0	4	1	3
2	नारायणपुर	1	0	1	0	1
3	बास्तानार	4	0	4	0	4
4	चित्रकोट	13	0	13	0	13
5	जगदलपुर	2	0	2	2	0
योग :-		24	0	24	3	21
जिला- कांकेर						
1	कांकेर	16	0	16	0	16
2	भानुप्रतापपुर	23	0	23	1	22
3	अंतागढ़	31	0	31	1	30
योग :-		70	0	70	2	68
जिला- दंतेवाड़ा						
1	दंतेवाड़ा	4	0	4	1	3
योग :-		4	0	4	1	3
जिला- कोण्डागांव						
1	कोण्डागांव	3	0	3	1	2
2	नारायणपुर	2	0	2	0	2
3	केशकाल	15	1	14	2	13
योग :-		20	1	19	3	17

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	भवन विहीन संख्या	किराये के भवन की संख्या	अन्य वैकल्पिक भवन की संख्या	वर्ष 2024-25 में निर्मित भवनों की संख्या	जनवरी, 2025 की स्थिति में भवन-विहीन छात्रावास/आश्रम की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
जिला- नारायणपुर						
1	नारायणपुर	32	0	32	1	31
	योग :-	32	0	32	1	31
जिला- बीजापुर						
1	बीजापुर	29	0	29	0	29
	योग :-	29	0	29	0	29
जिला- सुकमा						
1	कोंला	9	0	9	0	9
	योग :-	9	0	9	0	9
जिला- सरगुजा						
1	अम्बिकापुर	11	3	8	3	8
2	लुण्ड्रा	8	3	5	2	6
3	सीतापुर	10	1	9	2	8
	योग :-	29	7	22	7	22
जिला- जशपुर						
1	जशपुर	27	1	26	6	21
2	कुनकुरी	16	2	14	3	13
3	पथलगांव	12	1	11	1	11
	योग :-	55	4	51	10	45
जिला- कोरिया						
1	भरतपुर-सोनहत	5	0	5	0	5
2	बैकुंठपुर	1	0	1	0	1
	योग :-	6	0	6	0	6
जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर						
1	भरतपुर-सोनहत	4	0	4	0	4


क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	भवन विहीन संख्या	किराये के भवन की संख्या	अन्य वैकल्पिक भवन की संख्या	वर्ष 2024-25 में निर्मित भवनों की संख्या	जनवरी, 2025 की स्थिति में भवन-विहीन छात्रावास/आश्रम की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
2	मनेन्द्रगढ़	3	0	3	0	3
योग :-		7	0	7	0	7
जिला- बलरामपुर						
1	समरी	3	0	3	0	3
2	रामानुजगंज	3	0	3	0	3
3	प्रतापपुर	2	0	2	0	2
योग :-		8	0	8	0	8
जिला- सूरजपुर						
1	प्रेमनगर	3	0	3	0	3
2	भटगौव	6	0	6	0	6
3	प्रतापपुर	2	0	2	0	2
योग :-		11	0	11	0	11
जिला- बिलासपुर						
1	कोटा	3	0	3	0	3
2	बिल्हा	1	0	1	0	1
3	तखतपुर	1	1	0	0	1
4	मस्तुरी	1	0	1	0	1
5	बिलासपुर	3	1	2	0	3
योग :-		9	2	7	0	9
जिला- गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही						
1	मरवाही	2	0	2	1	1
2	कोटा	2	0	2	1	1
योग :-		4	0	4	2	2

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	भवन विहीन संख्या	किराये के भवन की संख्या	अन्य वैकल्पिक भवन की संख्या	वर्ष 2024-25 में निर्मित भवनों की संख्या	जनवरी, 2025 की स्थिति में भवन-विहीन छात्रावास/आश्रम की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
जिला- जांजगीर-चांपा						
निरंक						
जिला- कोरबा						
1	रामपुर	6	0	6	0	6
2	कोरबा	1	0	1	0	1
3	कटघोरा	2	0	2	0	2
4	पाली-तानाखार	3	0	3	0	3
	योग :-	12	0	12	0	12
जिला- मुंगेली						
1	मुंगेली	1	1	0	0	1
2	लोरमी	7	1	6	0	7
	योग :-	8	2	6	0	8
जिला- रायगढ़						
1	रायगढ़	2	0	2	0	2
2	धरमजयगढ़	16	3	13	0	16
3	लैलूंगा	8	0	8	0	8
4	खरसिया	7	0	7	0	7
	योग :-	33	3	30	0	33
जिला- सक्ती						
1	जैजैपुर	1	0	1	0	1
	योग :-	1	0	1	0	1
जिला- सांरगढ़-बिलाईगढ़						
1	सांरगढ़	2	0	2	0	2
2	बिलाईगढ़	5	1	4	0	5

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	भवन विहीन संख्या	किराये के भवन की संख्या	अन्य वैकल्पिक भवन की संख्या	वर्ष 2024-25 में निर्मित भवनों की संख्या	जनवरी, 2025 की स्थिति में भवन-विहीन छात्रावास/आश्रम की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
3	रायगढ़	3	1	2	0	3
योग :-		10	2	8	0	10
जिला- दुर्ग						
1	वैशाली नगर	3	3	0	0	3
2	साजा	2	1	1	0	2
3	पाटन	1	0	1	0	1
4	दुर्ग शहर	1	0	1	0	1
योग :-		7	4	3	0	7
जिला- राजनांदगाँव						
1	खुज्जी	2	0	2	0	2
2	राजनांदगाँव	2	0	2	0	2
योग :-		4	0	4	0	4
जिला- मोहला-मानपुर-अं0चौकी						
1	मोहला-मानपुर	2	0	2	0	2
2	खुज्जी	2	0	2	0	2
योग :-		4	0	4	0	4
जिला- खैरागढ़-छुईखदान-गड़ई						
1	खैरागढ़	5	0	5	0	5
योग :-		5	0	5	0	5
जिला- कबीरधाम						
1	कवर्धा	6	0	6	0	6
2	पंडरिया	2	0	2	0	2
योग :-		8	0	8	0	8

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	भवन विहीन संख्या	किराये के भवन की संख्या	अन्य वैकल्पिक भवन की संख्या	वर्ष 2024-25 में निर्मित भवनों की संख्या	जनवरी, 2025 की स्थिति में भवन-विहीन छात्रावास/आश्रम की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
जिला- बालोद						
1	गुण्डरदेही	1	0	1	0	1
योग :-						
1	बेमेतरा	1	0	1	0	1
योग :-						
जिला- बेमेतरा						
1	बेमेतरा	2	0	2	0	2
योग :-						
जिला- रायपुर						
1	आरंग	8	7	1	0	8
2	रायपुर दक्षिण	3	3	0	0	3
3	रायपुर ग्रामीण	3	3	0	0	3
4	अभनपुर	3	3	0	1	2
5	धरसीवा	1	1	0	0	1
योग :-						
जिला- महासमुंद						
1	महासमुंद	2	1	1	0	2
2	खल्लारी	5	2	3	0	5
3	सरायपाली	6	5	1	0	6
4	बसना	4	4	0	0	4
योग :-						
जिला- गरियाबंद						
1	बिन्द्रावनागढ़	2	0	2	0	2
योग :-						
2						

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	भवन विहीन संख्या	किराये के भवन की संख्या	अन्य वैकल्पिक भवन की संख्या	वर्ष 2024-25 में निर्मित भवनों की संख्या	जनवरी, 2025 की स्थिति में भवन-विहीन छात्रावास/आश्रम की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
जिला- धमतरी						
1	सिहावा	4	0	4	0	4
योग :-						
जिला- बलौदाबाजार						
निरंक						
महायोग :-		453	54	399	30	423


 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
 मन्त्रालय, नया रायपुर

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2024-25 प्रावधानित राशि में से कम खर्च होने के कारण	वर्ष 2024-25 प्रावधानित राशि में से कम खर्च होने के कारण
		प्रावधानित राशि	व्यय राशि	प्रावधानित राशि	व्यय राशि	प्रावधानित राशि	व्यय राशि	प्रावधानित राशि	व्यय राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	बस्तर	0.00	0.00	957.55	0.00	-					निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण
2	नारायणपुर	191.51	0.00	0.00	0.00						-
3	कांकेर	390.00	327.00	65.17	38.65						कार्य की प्रगति अनुसार व्यय किया जा रहा है।
4	दंतेवाड़ा	2613.90	0.00	191.51	0.00						निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण
5	कोण्डागांव	200.00	154.80	66.07	50.00						कार्य की प्रगति अनुसार व्यय किया जा रहा है।
6	बीजापुर	4693.01	0.00	0.00	0.00						-
7	सुकमा	745.42	0.00	0.00	0.00						-
8	सरगुजा	944.98	494.45	659.90	465.01						कार्य की प्रगति अनुसार व्यय किया जा रहा है।
9	जशपुर	2191.29	1997.97	334.07	185.23						आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण
10	कोरिया	191.51	0.00	0.00	0.00						-
11	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	0.00	0.00	0.00	0.00						-
12	बलरामपुर	572.10	0.00	0.00	0.00						-
13	सूरजपुर	325.52	0.00	574.53	0.00						निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण
14	बिलासपुर	739.94	164.72	0.00	0.00						जमीन विवाद होने के कारण।
15	गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही	100.00	0.00	66.66	0.00						निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण
16	जांजगीर-चांपा	0.00	0.00	0.00	0.00						-

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2023-24 प्रावधानित राशि में से कम खर्च होने के कारण	वर्ष 2024-25 प्रावधानित राशि में से कम खर्च होने के कारण
		प्रावधानित राशि	व्यय राशि	प्रावधानित राशि	व्यय राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	कोरबा	690.38	61.10	1252.15	0.00	आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण।	आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण।
18	मुंगेली	1167.45	700.37	466.98	291.86	कार्य की प्रगति अनुसार व्यय किया जा रहा है।	कार्य की प्रगति अनुसार व्यय किया जा रहा है।
19	रायगढ़	735.00	225.89	722.94	62.66	निविदा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण।	निविदा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण।
20	सक्ती	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
21	सांगरगढ़-बिलाईगढ़	0.00	0.00	167.73	79.27	-	कार्य की प्रगति अनुसार व्यय किया जा रहा है।
22	दुर्ग	552.00	552.00	262.43	262.43	निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण	निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण
23	राजनांदगांव	22.65	7.08	6.00	0.00	कार्य की प्रगति अनुसार व्यय किया जा रहा है।	-
24	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
25	खैरागढ़-छुईखदान-गड़ई	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
26	कबीरधाम	191.51	83.52	0.00	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण	-
27	बालोद	191.51	0.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण	-
28	बेमेतरा	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
29	रायपुर	123.65	96.88	46.50	46.20	कार्य की प्रगति अनुसार व्यय किया जा रहा है।	कार्य की प्रगति अनुसार व्यय किया जा रहा है।
30	महासमुंद	768.69	130.95	0.00	0.00	कार्य की प्रगति अनुसार व्यय किया जा रहा है एवं निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण।	-
31	गरियाबंद	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
32	धमतरी	170.00	33.50	275.94	198.44	वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाने के कारण	-
33	बलौदाबाजार	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2023-24 प्रावधानित राशि में से कम खर्च होने के कारण	वर्ष 2024-25 प्रावधानित राशि में से कम खर्च होने के कारण
		प्रावधानित राशि	व्यय राशि	प्रावधानित राशि	व्यय राशि		
1	2	3	4.	5	6	7	8
	योग :-	18512.02	5030.23	6116.13	1679.75		



अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
मंत्रालय, नया रावपुर


परिशिष्ट - तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 1659) की जानकारी

प्रपत्र-अ

माह जनवरी 2023 से 31.01.2025 तक राजनांदगांव जिले में धान बीज उपार्जन वर्षवार, विकासखंडवार पंजीकृत कृषक एवं रकबा व मात्रा, भुगतान की जानकारी

क्रं	वर्ष	जिला	विकासखंड	फसल	बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत कृषक संख्या	बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत रकबा (हेक्टे.में)	पास रकबा (हेक्टे.में)	उपार्जित कृषक संख्या	उपार्जित रकबा (हेक्टे.में)	उपार्जित बीज मात्रा (क्वि.में)	पैकड बीज मात्रा (क्वि.में)	अंतिम भुगतान की गई (राशि रूपयें में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	खरीफ 2023-24	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	धान	35	92.800	80.200	15	35.400	1,735.68	1,482.90	42,64,881
2			राजनांदगांव		12	31.730	31.730	6	18.400	1,023.38	815.05	19,95,242
3			डोंगरगढ़		6	12.140	10.481	5	10.481	462.90	385.95	10,99,299
4			छुरिया		1	2.000	2.000	0	-	-	-	-
योग					54	138.670	124.411	26	64.281	3,221.96	2,683.90	73,59,422



(सि.को.स. विभाग)
उप सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

माह जनवरी 2023 से 31.01.2025 तक राजनांदगांव जिले में धान बीज उपार्जन वर्षवार, विकासखंडवार पंजीकृत कृषक एवं रकबा व मात्रा, भुगतान की जानकारी

क्रं	वर्ष	जिला	विकासखंड	फसल	बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत कृषक संख्या	बीज प्रमाणीकरण संस्था में रकबा (हेक्टे.में)	पास रकबा (हेक्टे.में)	उपार्जित कृषक संख्या	उपार्जित रकबा (हेक्टे.में)	उपार्जित बीज मात्रा (क्वि.में)	पैकड बीज मात्रा (क्वि.में)	अग्रिम भुगतान की गई (राशि रूपयें में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	खरीफ 2024-25	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	धान	82	161.510	143.160	39	80.750	4,245.13	-	78,30,275		
2			राजनांदगांव		188	282.170	182.580	56	106.967	5,094.39	-	-	93,73,678	
3			डोंगरगांव		82	107.730	57.300	16	26.581	1,618.80	-	-	-	29,78,592
4			छुरिया		4	4.400	4.400	1	2.200	138.00	-	-	-	2,53,920
			योग		356	555.810	387.440	112	216.498	11,096.32	-	2,04,36,465		

टीप :- खरीफ 2024 में उपार्जित बीज का अग्रिम भुगतान किया जा चुका है शेष राशि का भुगतान निर्धारित उपार्जन दर पर बीज प्रमाणीकरण संस्था से बीज परीक्षण उपरंत पैकड बीज की मात्रा के अनुसार किया जावेगा।

(विकास मिश्र)
उप सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
पॉरीशेष्ट - इक्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 733) की जानकारी


प्रपत्र

जिला- राजनांदगांव

क्र	वर्ष	प्राप्त राशि के मद का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि	भुगतान राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	01 जनवरी 2021 से 31 मार्च, 2021	निरंक				
1	2021-22	डी.एम.एफ.	डिजीटर स्मार्ट क्लास की स्थापना	44.00	44.00	पूर्ण
		योग -				
1	2022-23	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	पो. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास खैरागढ़ में सोलर लाइट हाई मास्क कार्य।	6.087	6.087	पूर्ण
2	2022-23	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	पो. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास खैरागढ़ में सोलर लाइट हाई मास्क कार्य।	6.087	6.087	पूर्ण
3	2022-23	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	पो. मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास खैरागढ़ में सोलर लाइट हाई मास्क कार्य।	6.087	6.087	पूर्ण
4	2022-23	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खैरागढ़ में सोलर लाइट हाई मास्क कार्य।	6.087	6.087	पूर्ण
5	2022-23	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास खैरागढ़ में सोलर लाइट हाई मास्क कार्य।	6.087	6.087	पूर्ण
6	2022-23	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जालबांधा में सोलर लाइट हाई मास्क कार्य।	6.087	6.087	पूर्ण
7	2022-23	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन, उरईडबरी में सोलर लाइट हाई मास्क कार्य।	6.087	0	पूर्ण
8	2022-23	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन छुईखदान में सोलर लाइट हाई मास्क कार्य।	6.087	0	पूर्ण
9	2022-23	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन, सालहेवारा में सोलर लाइट हाई मास्क कार्य।	6.087	0	पूर्ण
10	2022-23	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन समुन्दपानी में सोलर लाइट हाई मास्क कार्य।	6.087	0	पूर्ण

11	2022-23	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	आदिवासी बालक आश्रम कैम्पस बकरकट्टा में सोलर लाईट हाई मास्क कार्य।	6.087	0	पूर्ण
		योग -		66.957	124.52	
1	2023-24	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	पो. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मड़ियान में सोलर हाई मास्ट लाईट कार्य।	6.21	0	जेम पोर्टल के माध्यम से BID के द्वारा BID क्रमांक/जेम/2024/B/57198 54 के द्वारा कार्यवाही किया जा रहा है।
2	2023-24	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बोरतलाव में सोलर हाई मास्ट लाईट कार्य।	6.21	0	
3	2023-24	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कोठीटोला में सोलर हाई मास्ट लाईट कार्य।	6.21	0	
4	2023-24	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चारभावा में सोलर हाई मास्ट लाईट कार्य।	6.21	0	
5	2023-24	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	आदिवासी बालक आश्रम दीवानटोला में सोलर हाई मास्ट लाईट कार्य।	6.21	0	
6	2023-24	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कोठीटोला में सोलर हाई मास्ट लाईट कार्य।	6.21	0	
7	2023-24	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	आदिवासी कन्या आश्रम सीतागोटा में सोलर हाई मास्ट लाईट कार्य।	6.21	0	
8	2023-24	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास डोंगरगांव में सोलर हाई मास्ट लाईट कार्य।	6.21	0	
9	2023-24	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास तुमड़ीबोड़ में सोलर हाई मास्ट लाईट कार्य।	6.21	0	
10	2023-24	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	पो. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास डोंगरगांव में सोलर हाई मास्ट लाईट कार्य।	6.21	0	
		योग -		62.10	0	
1	अप्रैल 2024 से 31.01.2025 तक		निरंक		0	
		महायोग -		173.057	80.522	
जिला- मोहला मानपुर अं. चौकी						
1	2023-24	SCA-LWE	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापना	10.276	10.04	पूर्ण
		योग -		10.276	10.04	

1	2024-25	SCA-LWE	शास.लाल श्यामशाह महाविद्यालय मानपुर में कम्प्यूटर लैब स्थापना हेतु कम्प्यूटर इंटेल कोर 13 (32 नग), प्रिंटर (1नग) क्रय	28.531	26.749	पूर्ण
2	2024-25	SCA-LWE	आदिवासी कन्या छात्रावास/आश्रम में सी.सी.टी.वी. कैमरा (13 नग सम्पूर्ण सेट)	18.767	9.38	पूर्ण
3	2024-25	SCA-LWE	छात्रावास/आश्रम में 100 एल.पी.एच. जलशुद्धिकरण संयंत्र स्थापना टकी पाइपलाईन विस्तार कार्य (5 नग)	9.750	5.85	पूर्ण
4	2024-25	SCA-LWE	छात्रावास/आश्रम में 40 वाट ऑल इन-वन स्टीट लाइट स्थापना कार्य (12 नग)	9.750	5.85	पूर्ण
				66.798	47.83	
योग -				77.074	57.87	
महायोग -						


 अनुभाग अधिकारी
 आ.ज. तथा अनु.जा. वि. विभाग
 मन्त्रालय, नया रायपुर

पॉरीशेष्ट - बत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 734) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

कमांक	जिला नाम	01 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2025		
		कुल प्रकरण	भौतिक एवं वित्तीय प्रगति	
			लाभांवित	प्रदत्त राशि
1	2	3	4	5
1	राजनांदगांव	192	117	292.50
2	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	21	8	20.00
3	खैरागढ-छुईखदान-गंडई	6	5	12.50
	योग	219	130	325.00



अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र "ब"

अत्याचार निवारण पुनर्वासि राहत सहायता योजना की जानकारी

क्रमांक	जिला नाम	01 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2025		
		कुल प्रकरण	भौतिक एवं वित्तीय प्रगति	
			लाभांवित प्रकरण	प्रदत्त राशि
1	2	3	4	5
1	राजनांदगांव	126	107	213.81
2	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	9	10	18.50
3	खैरागढ-छुईखदान-गंडई	8	3	0.75
	योग	143	120	233.06



अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशिष्ट - तैतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 912) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2022-23 में प्राप्त आबंटन के विरुद्ध विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत संचालित योजनाएं/योजनावार व्यय की जानकारी

(राशि रुपये में)

क्र.	मांग संख्या, मुख्यशीर्ष योजना का नाम का विवरण	जिले में कुल प्राप्त आबंटन	जिले में कुल व्यय	सचिव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंडवार व्यय				स्थान का नाम	विभाग
				गरियाबंद	फिरोज़पुर	धुरा	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	41/2202/6140 - छात्र योजना सहाय 11/007/0102	3479000	3479000	1638500	0	790135	2448635	विकासखंड गरियाबंद-पो.मै.कन्या एवं बालक छात्रावास गरियाबंद विकासखंड धुरा-पो.मै.कन्या एवं बालक छात्रावास धुरा	-
2	41/2202/02/109/0102/14/012/2194 - विशेष कोचिंग योजना	330000	160500	43500	0	13500	57000	विकासखंड गरियाबंद-पो.मै.कन्या एवं बालक छात्रावास गरियाबंद तथा पी.मै.कन्या छात्रा. गरियाबंद विकासखंड धुरा-पी.मै.आदि.कन्या छात्रा.धुरा	-
3	41/2225/02/102/0102/14/012/9853 - देवगुड़ी	2400000	2400000	600000	600000	450000	1650000	विकासखंड गरियाबंद- ग्राम पावसगोबदा, कसे.नहरवाला,खहरी, विकासखंड फिरोज़पुर- ग्राम महराजिह,मोहर,कोसमखुटा,घरौदा विकासखंड धुरा-ग्राम कैंटीन,कुटेना,बकनी	-
4	41/2225/02/102/0102/14/012/9853 - नेशनल डोंस कंस्ट्रिक्टल हेतु एच शहीद की नारायण सिंह स्मृति यो. 14/012	184000	183921	33619	0	24000	57619	विकासखंड गरियाबंद-पो.मै.कन्या एवं बालक छात्रावास गरियाबंद विकासखंड धुरा-पो.मै.कन्या एवं बालक छात्रावास धुरा	-
5	41/4225/7995/45/001- मध्य क्षेत्र आदि.वि.प्राधिकरण 45/001	25500000	25500000	3000000	0	10500000	13500000	विकासखंड धुरा-ग्राम पटारपाली,जामली, सोरिलखुर्द,अंजोली, अकसनारा,नवापारा,कसेकरा, परसरखुर्द,सईपाली विकासखंड गरियाबंद-ग्राम बहेरबुडा,बालुका,फुलकटटा, थिलली	-
6	64/2225/7629 - अत्याचार निवारण एवं अन्य	0	3882500	350000	1812500	375000	2537500	विकासखंड गरियाबंद- गरियाबंद, विकासखंड धुरा- ग्राम सडकवाडा,कसेकरा,मोहराहीह,पादसिबनी विकासखंड फिरोज़पुर-ग्राम बकनी,पतारा,खेडिटी,बासीह,तरीगाट,सिरौखुर्द,जंजारा,किरखुर्द,नरौदा, सिंझी,पिपईबंद,परसदाजोशी, पण्डा,नहर,पुलवर,खुडसा,तपजुंग	-
7	64/4225/01/102/0103/45/001/5631 - अनुजाति विकास प्राधिकरण	2800000	2800000	0	500000	650000	1150000	विकासखंड फिरोज़पुर- ग्राम चौबेबाबा विकासखंड धुरा-ग्राम साकरा	-
8	66/2202/8050/11/001 छात्रवृत्ति	19120	19120	3824	3824	3824	11472	विकासखंड गरियाबंद/फिरोज़पुर/धुरा अंतर्गत आने वाले शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में पो.मै.आनलाईन छात्रवृत्ति हेतु प्रचार-प्रसार क्रिया गया है।	-
9	66/2202/8050 पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति 11/010	18580	18580	3716	3716	3716	11148		-
10	66/2202/8050 पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति 10/009	7140	7140	1428	1428	1428	4284		-
	कुल योग :-	34737840	38450761	5694587	2921468	12811603	21427658		-



अनुभाग अधिकारी
श्री. आ. आ. आ. विधानसभा क्षेत्र राजिम
नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

वर्ष 2023-24 में प्राप्त आबंटन के विरुद्ध विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत संचालित योजनाएं/योजनावार व्यय की जानकारी

क्र.	मांग संख्या/मुख्यशीर्ष योजना का नाम का विवरण	जिले में कुल प्राप्त आबंटन	जिले में कुल व्यय	राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्डवार व्यय				स्थान का नाम	रिमाक
				गरियाबंद	फिरोश्वर	धुरा	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	41/2202/02/109/0102/14/012/2194 - विशेष कोविड योजना	315000	165450	49500	0	31500	81000	विकासखण्ड गरियाबंद-पो.मै.कन्या एवं बालक छात्रा. गरियाबंद तथा प्री.मै.कन्या छात्रा. गरियाबंद विकासखण्ड धुरा-पो.मै.आदि.कन्या छात्रा.धुरा	-
2	41/2225/02/102/0102/14/012/9853 - देवगुड़ी	3300000	3300000	2400000	900000	0	3300000	विकासखण्ड गरियाबंद-ग्राम कोकडी, कसैरू,तेंदूदाय,कस.बेहराबुडा,कोदोबल्लर,मालगांव,बारुका, मजकट्टा,सढौली विकासखण्ड फिरोश्वर-ग्राम सेंदर,परसदौरी,रोहिणा, सेम्हराडीह, सिरैलुदं, धुरसा	-
3	41/2225/02/102/0102/14/012/9853 - नेचनल डॉस फॉस्टिवल हेतु वीर नारायण सिंह	84000	84000	36000	0	24000	60000	विकासखण्ड गरियाबंद-पो.मै.कन्या एवं बालक छात्रावास गरियाबंद विकासखण्ड धुरा-पो.मै.कन्या एवं बालक छात्रावास धुरा	-
4	41/2202/02/109/0102/18 - पारितोषिक 1395 - अशोक पुरस्कार योजना	22500	22500	5000	10000	7500	22500	विकासखण्ड फिरोश्वर-अशोक, प्री.मै.अनु.जाति बालक छात्रा.फिरोश्वर विकासखण्ड धुरा-अशोक,प्री.मै.आदि.कन्या छात्रा.पीपरसेडी विकासखण्ड गरियाबंद-अशोक,आदि.कन्या आश्रम गरियाबंद	-
5	66/2225/04/800/0101/27/006/7631 - अल्प सव्यक कब्रिस्तान आहता निर्माण	500000	500000	0	500000	0	500000	ग्राम पंचायत कोसम्बुटा	-
कुल योग :-		4221500	4071950	2490500	1410000	63000	3963500	-	-



अनुभाग अधिकारी
श्री. जे. तथा अनु. जा. वि. विभाग
भिरसिंह, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-स

वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 की स्थिति) में प्राप्त आबंटन के विरुद्ध विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत संघालित योजनाएं/योजनावार व्यय की जानकारी

क्र.	मांग संख्या, मुख्यशीर्ष योजना का नाम का विवरण	जिले में कुल प्राप्त आबंटन	जिले में कुल व्यय	राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्डवार व्यय				स्थान का नाम	रिमांक
				गरियाबंद	फिंगोखर	छुरा	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	41/2202/6140/0102/11/007 - छात्र भोजन सहाय	220000	220000	144000	0	28800	172800	विकाखण्ड गरियाबंद-पो.मै.कन्या एवं बालक छात्रावास गरियाबंद विकाखण्ड छुरा-पो.मै.कन्या एवं बालक छात्रावास छुरा	-
2	41/2225/02/277/0102/10/009/7627 - नर्सिंग प्रशिक्षण	207666	0	0	0	0	0	-	-
3	41/2202/02/109/0102/25/005/7592 - खाद्य सुरक्षा अभियान	5670000	0	0	0	0	0	-	-
4	41/2202/02/109/0102/14/012/2194 - विशेष कोचिंग योजना	360000	0	0	0	0	0	-	-
5	41/2225/02/102/0102/14/012/9853 - देवगुडी	2250000	0	0	0	0	0	-	-
6	41/2225/02/102/0102/14/011/9853 - आदि.सा.दलो.को.सहायता	200000	0	0	0	0	0	-	-
7	41/2225/02/102/0102/14/012/9853 - नेशनल डॉस फेस्टिवल हेतु	84000	84000	36000	0	24000	60000	विकाखण्ड गरियाबंद-पो.मै.कन्या एवं बालक छात्रावास गरियाबंद विकाखण्ड छुरा-पो.मै.कन्या एवं बालक छात्रावास छुरा	-
8	41/4225/7995/45/001- मध्य क्षेत्र आदि.वि.प्राधिकरण	3000000	0	0	0	0	0	-	-
9	41/2225/6687/14/012-मुख्यमंत्री आदिवासी परव सम्मान निधि	2100000	0	0	0	0	0	-	-
10	64/2202/02/109/0103/25/005/7592 - खाद्यान सुरक्षा राशन व्यय	525000	0	0	0	0	0	-	-
11	64/2225/7628/14/012 अनुसूचित जाति का संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास अनुदान सहायक	50000	0	0	0	0	0	-	-
12	66/2225/04/800/0101/27/006/7631 - अल्प संख्यक कनिष्ठान आहता निर्माण	711000	0	0	0	0	0	-	-
	योग:-	15377666	304000	180000	0	52800	232800	-	-



अनुभाग अधिकारी


 अनु.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 परिसर, नवा रायपुर, जटल मगर

पारोक्ष - चौतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 986) की जानकारी

प्रप्रत्र अ

स.क्र	जिला	संपादित कार्य
1.	बस्तर	<ol style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण किया गया है। डिजिटल एच.बी. मीटर प्रदान करके सभी केन्द्रों में विशेष एनिमिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया गया, गर्भवति माताओं के लिए प्री-बर्थ वेटिंग रूम बनाये गए हैं। जिले के 100 आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों में विकसित किया गया है। चयनित शालाओं में भौतिक अद्योसंरचना उन्नयनीकरण। ऑयल पॉम, काफी, हल्दी एवं ईमली में कार्य किया जाता रहा है।
2.	बीजापुर	<ol style="list-style-type: none"> जिले के अंदुरुनी क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य एवं प्रिय फेब्रीकेट भवन, उप स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण, फर्नीचर, संविदा पद पर नियुक्ति, सिंचाई हेतु चेकडेम निर्माण के कार्य किये गये हैं गॉरमेंट फ़ैक्ट्री की स्थापना जिसमें 200 से 250 महिलाएं कार्य कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।
3.	दंतेवाडा	<ol style="list-style-type: none"> इसके अंतर्गत पीएमजीएसवाई, मनरेंगा और आईसीडीएस जैसे केन्द्रीय योजनाओं में अतिरिक्त संसाधन आबंटित कर कार्य किया गया है। कौशल विकास एवं आजीविका क्षेत्र में सुधार के कार्य, महिलाओं नेतृत्व वाले स्व सहायता समूह में योगदान के कार्य, स्वच्छ पेयजल एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान किया गया है।
4.	कोंडागाँव	<ol style="list-style-type: none"> 200 स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरण, संवेदनशील क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि (मासिक), नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण, उप स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव पूर्व प्रतीक्षा कक्ष और पेयजल सुविधा, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नये भवनों का निर्माण, नदी किनारे सिंचाई व्यवस्था और लाईन विस्तार, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए ड्रिप सौर और ट्यूबवेल की स्थापना, स्व सहायता समूहों के लिए शेड एवं गोदाम निर्माण, उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण। ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता निगरानी समिति (नवा बेस्ट नार) के लिए मोबाईल एप्लीकेशन, 20 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नये भवनों का निर्माण, दो आंगनबाड़ी का निर्माण, 30 किलोमीटर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों को बढ़ावा देने/समर्थन देने के लिए नदी के दोनों किनारों पर बिजली लाइनों का विस्तार, पहुंच विहीन क्षेत्रों में सड़क/पुल निर्माण (2 स्थान), 2 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) में उन्नयन किया गया, 4 पीएचसी/सीएचसीएस में प्रसव पूर्व कक्षा का निर्माण, 30 आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों में अपग्रेड किया गया।


अनुभाग अधिकारी
 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

प्रप्रत्र अ

स.क्र	जिला	संपादित कार्य
		3. 100 आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों में अपग्रेड करना। 4. स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना।
5.	कोरबा	1. जिले में कृषि, शिक्षा, पशु पालन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ई-डिस्ट्रीक्ट, पीएमजीएसवाई, इत्यादि विभागों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य सम्पादित कराए गए हैं।
6.	महासमुंद	1. कुपोषण को कम करने और बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य सेवा में सुधार और गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने में सुधार। 2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकारी और निजी स्कूलों में सुधार, स्कूल छात्रों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा दिया। 3. जैविक खेती, सिंचाई सुधार और किसानों की आय दोगुनी करने तथ जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए माइक्रो-इरीगेशन तकनीकी को लागू करना।
7.	नारायणपुर	1. स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु पहाड़ी सुदूर क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृणीकरण कार्य, कुपोषण से निपटने के लिए और रोजगार सृजन के लिए अंडा उत्पादन ईकाईयों की स्थापना कार्य, उपस्वास्थ्य केन्द्रों में सोलर लाइट स्थापना कार्य। 2. शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के सुदृणीकरण हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों का सौर्दयीकरण कार्य, खिलौने वितरण तथा न्यूट्री गार्डन एवं सब्जी बीज कार्य एवं 3. अरली चाईल्डहुड केयर और शिक्षा (ईसीसीई) गतिविधियों का क्रियान्वयन। 4. एग्रीकल्चर सेक्टर में नारियल खेती से आर्य वर्धन कार्य, ब्री-ब्रिडिंग स्थापना कार्य, मधुमक्खी पालन/शहद निष्कासन संबंधी उपकरण एवं सामग्री निर्माण केन्द्र, वनोपज एवं खाद्य प्रसंस्करण ईकाई के माध्यम से जनजातीय लोगों की आजीविका वृद्धि, लाख कल्टीवेशन कार्यक्रम के विस्तार से आय सृजन कार्य।
8.	राजनांदगाँव	1. दुरस्थ पहुच विहीन आदिवासी अंचलों में शासकीय अस्पतलों एवं 2. 80 आंगनबाड़ी उन्नयन कर जीवन रक्षक चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता, 3. कुपोषित बच्चों की विशेष देखभाल गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम, श्री धन्वतरी योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, हमर लैब, (आदिवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए) मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र। 4. शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के सुदृणीकरण हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों का सौर्दयीकरण कार्य, 297 विद्यालयों में स्मार्ट कक्ष, तकनीकी कौशल विकास

अनुभाग अधिकारी
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

प्रप्रत्र अ


स.क्र	जिला	संपादित कार्य
		कार्यक्रम, 30 मॉडल प्राथमिक शाला ,आकांक्षी जिला अंतर्गत प्राप्त रूपये 200.00 लाख से 30 प्राथमिक शालाओं का उत्कृष्टीकरण कार्य किया गया है। 5. दाल, तिलहन की खेती का बढ़ावा, किसानों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उन्नत गुणवत्ता के बीजों का वितरण ।
9.	सुकमा	1. गाँव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने। 2. जिले के सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हिस्सों, गगनपल्ली, कोलाईगुडा, नागारम, तिम्मापुरम, उर्सांगल चिमलिपेंटा पोटकपल्ली, बांदा, मेहता में 09 पूर्व स्वीकृत (भवन विहीन) उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) का प्रीफेब्रिक भवन का निर्माण किया गया। 3. पीएचसी और एसएचसी (गादीरास, बुडदी, चिंगावरम, जीरमपाल, कुकानार, तोंगापाल, पुसपाल, चिपुरपाल, कुन्दनपाल, कोर्रा) का उन्नयन 4. प्रारंभिक ग्रेड साक्षरता को बढ़ाना शिक्षा संस्थानों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण (हाई स्कूल नीलावरम, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरलापाल) 5. सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में विभिन्न प्रकार के फलों के पौधों के प्रसार और सब्जी के पौधों के उत्पादन के लिए नवीन तकनीकों के लिए एक हाई-टेक नर्सरी स्थापित करना। 6. जिले की अंदरूनी क्षेत्र के प्रमुख सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करना
10.	कांकेर	1. अनीमिया मुक्त अभियान, टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, संवेदनशील इलाकों में निः शुल्क स्वास्थ्य शिविर, डायबिटिस-हाईपर टेंशन स्क्रीनिंग शिविर, पोषण जागरूकता अभियान, वितरण कार्यक्रम, 2. वृक्षा रोपण कार्य (एक पेड़ माँ के नाम), 3. सिकल सेल जांच कैंप, 4. पूरक आहार गतिविधियां, 5. कौशल विकास कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता अभियान, लावली हुड कार्यक्रम 6. अतिथि भोज कार्यक्रम, 7. किताब वितरण कार्यक्रम, 8. आदिवासी बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम, 9. लखपति दीदी कार्यक्रम, 10. स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम, 11. नशामुक्ति कार्यक्रम, 12. मल्टीलेयर फारमिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम, मृदा परीक्षण कार्यशाला, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण कार्यक्रम, बीज वितरण कार्यक्रम ऑर्गेनिक खाद्य वितरण कार्यक्रम, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 13. नियद नेल्लानार कार्यक्रम, 14. विद्यालय और आंगवाड़ी में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था।

अनुभाग अधिकारी

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, कटक नगर, रायपुर


प्रप्रत्र अ

स.क्र	जिला	संपादित कार्य
11.	मोहला- मानपुर- अम्बागढ़ चौकी	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिले में स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए परिचालन दिशानिर्देश, 2. राज्य और जिला कार्यक्रम अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए कार्यवाही और विभिन्न स्वास्थ्य पहलों को लागू करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान किया गया है। 3. जिले के आगंबाड़ियों में सुदृढीकरण का कार्य संपादित किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
 मंत्रालय, जटल नगर, रायपुर

क्र	जिले का नाम	मार्च, 2024 की स्थिति में उन्नयन (इम्प्रूवमेंट) (प्रतिशत में)				
		स्वास्थ्य एवं पोषण	शिक्षा	कृषि एवं जल संसाधन	वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास	आधारमूल संरचना
1.	बस्तर	21.19	24.17	43.06	9.23	14.1
2.	बीजापुर	6.59	32.88	16.96	5	13.7
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	15.66	29.61	36.97	19.27	14.57
4.	कोण्डागांव	14.91	32.48	15.63	16.91	8.76
5.	कोरबा	9.83	31.96	16.88	19.46	13.7
6.	महासमुंद	14.13	35.71	13.56	14.88	13.09
7.	नारायणपुर	19.62	27.66	14.46	18.77	20.56
8.	राजनांदगांव	16.87	30.82	18.86	14.61	10.84
9.	सुकमा	63.05	26.26	57.15	10.71	16.67
10.	उत्तर बस्तर कांकेर	21.37	36.65	19.05	20.29	14.31

नोट :- भारत सरकार, नीति आयोग के डैशबोर्ड पर मार्च, 2024 के पश्चात् आंकड़े उपलब्ध नहीं है।



अनुभाग अधिकारी
 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

प्रपत्र स

भारत वर्ष में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग

क्रमांक	आकांक्षी जिला	सितम्बर 2024
1	बस्तर	111
2	बीजापुर	26
3	दंतेवाडा (द.ब.)	1
4	कोंडागाँव	14
5	कोरबा	78
6	महासमुंद	28
7	नारायणपुर	9
8	राजनांदगाँव	49
9	सुकमा	13
10	कांकेर (उ.ब.)	34
11	मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी	

नीति आयोग भारत सरकार द्वारा चैम्पीयन-ऑफ-चेंज डैशबोर्ड में मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के लिये पृथक से डेल्टा रैंकिंग जारी नहीं की गई है।


अनुभाग अधिकारी
 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

पॉरीशेष्ट - पेंतीस

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 11 (क. 1026) की जानकारों

प्रपत्र

SL NO	MR NO 2021	CURRENT STATUS	MR NO 2031	As per 2031 status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MR 01	विकसित	MR 01	यथावत
2	MR 02	अविकसित	MR 02	यथावत
3	MR 03	विकसित	MR 03, MR 12	यथावत
4	MR 04(बी-पी- पुजारी मार्ग)	विकसित	MR 04	यथावत
5	MR 05	विकसित	MR 05	यथावत
6	MR 06	विकसित	MR 06 & 07	यथावत
7	MR 07(रविशंकर शुक्ला मार्ग का भाग)	विकसित	MR 07	यथावत
8	MR 08(एम.जी. रोड)	विकसित	MR 08	यथावत
9	MR 09	आंशिक विकसित	MR 09	यथावत
10	MR 10	विकसित	MR 10	यथावत
11	MR 10 A	अविकसित	MR 10 A	परिवर्तित
12	MR 10 B	आंशिक विकसित	MR 10 B	आंशिक परिवर्तन
13	MR 11	अविकसित	MR 11	यथावत
14	MR 12	विकसित	MR 12	यथावत
15	MR 12 A	आंशिक विकसित	MR 12 A	परिवर्तित
16	MR 13	विकसित	MR 13	यथावत
17	MR 13 A	विकसित	MR 13A	यथावत
18	MR 14(महादेव घाट रोड)	विकसित	MR 06,14	यथावत
19	MR 14 A	आंशिक विकसित	MR 14 A	यथावत
20	MR 15	विकसित	MR 15	यथावत
21	MR 15 A	आंशिक विकसित	MR 15 A	आंशिक परिवर्तन
22	MR 16	आंशिक विकसित	MR 16	आंशिक परिवर्तन
23	MR 16 A	अविकसित	-	विलोपित
24	MR 17	विकसित	MR-17	यथावत
25	MR 17A	अविकसित	-	विलोपित
26	MR 18	अविकसित	MR 18	यथावत
27	MR 19	विकसित	MR 19	यथावत
28	MR 20	विकसित	MR 20	यथावत
29	MR 21	आंशिक विकसित	MR 21	आंशिक परिवर्तन
30	MR 22	विकसित	MR 22	यथावत
31	MR 22A	विकसित	MR 22A	यथावत
32	MR 23	आंशिक विकसित	MR 23	यथावत
33	MR 24	आंशिक विकसित	MR 24	आंशिक परिवर्तन
34	MR 24 A	आंशिक विकसित	MR 24A	यथावत
35	MR 25	आंशिक विकसित	MR 25	आंशिक परिवर्तन
36	MR 25A	आंशिक विकसित	MR 25A	परिवर्तित
37	MR 26	अविकसित	MR 26	परिवर्तित
38	MR 26 A	विकसित	MR 26A	यथावत

39	MR 27	विकसित	MR 27	यथावत
40	MR 28	विकसित	MR 28	यथावत
41	MR 29	आंशिक विकसित	MR 29	यथावत
42	MR 30	विकसित	MR 30	यथावत
43	MR 31	विकसित	MR 31	यथावत
44	MR 32	अविकसित	MR 32	आंशिक परिवर्तन
45	MR 33	अविकसित	MR 33	आंशिक परिवर्तन
46	MR 34	आंशिक विकसित	MR 34	यथावत
47	MR 35	विकसित	MR 35	यथावत
48	MR 36	अविकसित	MR 36	परिवर्तित
49	MR 36A	अविकसित	MR 36A	परिवर्तित
50	MR 36B	आंशिक विकसित	-	विलोपित
51	MR 37	अविकसित	MR 37	यथावत
52	MR 38	आंशिक विकसित	MR 38	यथावत
53	MR 39	विकसित	MR 39	यथावत
54	MR 39A	आंशिक विकसित	MR 39A	यथावत
55	MR 40	आंशिक विकसित	MR 40	आंशिक परिवर्तन
56	MR 41	विकसित	MR 41	यथावत
57	MR 42	विकसित	MR 42	यथावत
58	MR 43	अविकसित	MR 43	परिवर्तित
59	MR 44	अविकसित	MR 44	यथावत
60	MR 45	विकसित	MR 45	यथावत
61	MR 45 A	अविकसित	-	विलोपित
62	MR 46	अविकसित	MR 46	यथावत
63	MR 47	आंशिक विकसित	MR 47	यथावत
64	MR 48	आंशिक विकसित	MR 48, RR 05	आंशिक परिवर्तन
65	MR 48 A	विकसित	MR 48 A	यथावत
66	MR 48 B	विकसित	MR 48 B	यथावत
67	MR 49	आंशिक विकसित	MR 49	परिवर्तित
68	MR 50	विकसित	MR 50	परिवर्तित
69	MR 51	विकसित	MR 51	यथावत
70	MR 52	विकसित	MR 52	यथावत
71	BALODABAZAR ROAD	विकसित	BALODABAZAR ROAD	यथावत
72	BILASPUR ROAD (मालवीय मार्ग का भाग)	विकसित	BILASPUR ROAD	यथावत
73	DHAMTARI ROAD	विकसित	DHAMTARI ROAD	यथावत
74	RING ROAD 1	विकसित	RING ROAD 1	यथावत
75	RING ROAD 2	विकसित	RING ROAD 2	यथावत
76	RING ROAD 3	अविकसित	RING ROAD 3	परिवर्तित
77	RING ROAD 4	आंशिक विकसित	RING ROAD 4	परिवर्तित

टीप - उक्त मार्गों की वर्तमान स्थिति मार्गों की लंबाई के आधार पर दी गई है।


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पॉरीशेष्ट - छत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1202) की जानकारी

प्रपत्र-अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1202 द्वारा श्री रोहित साहू, माननीय सदस्य, छ.ग. विधानसभा

सदन में उत्तर देने का तिथि: 10.03.2025

क्र.	छ.ग. शासन अथवा केंद्र शासन द्वारा अनुदान दिये जाने की योजनाओं का नाम
1.	केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय/विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाएँ
1	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (एसएमएई) -एक्सटेंशन रिफॉर्स (आत्मा)
2	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल (एसएमएसपी) के अंतर्गत बीज ग्राम योजना
3	रेनफेड एरिया डेव्लपमेंट योजना (आरएडी)
4	स्वायल हैल्थ कार्ड योजना (एसएचसी)
5	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेव्हीवाय)
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाय)
i.	पर ड्राप मोर क्राप
ii.	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन (आईडब्ल्यूएम)
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेव्हीवाय) (रफ्तार)
8	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (फुड एंड न्यूट्रिशन सेक्युरिटी)
i.	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - चावल
ii.	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - मोटे अनाज
iii.	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन - दलहन
iv.	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - पोषक अनाज
v.	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)- दलहन
9	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयलसीड्स)
i.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयलसीड्स)
ii.	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.) -तिलहन
10	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय)
11	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
12	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत
i.	कृषि यंत्रों का वितरण
ii.	फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना
iii.	चयनित ग्रामों में फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना
II.	राज्य पोषित योजनाएँ
1	कृषक उन्नति योजना
2	कृषक समग्र विकास योजना
i.	अक्ती बीज संवर्धन योजना।
ii.	रामतिल बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना।
iii.	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना।
iv.	राज्य गन्ना विकास योजना।
3	फसल प्रदर्शन योजना
i.	उपयोजना -द्वि-फसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम
ii.	उपयोजना -ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल को प्रोत्साहन योजना
iii.	फसल प्रदर्शन योजनांतर्गत पैडी टून्सप्लार्टन मशीन से कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान
4	जैविक खेती मिशन
5	शाकम्भरी योजना
6	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) निर्माण
7	किसान समृद्धि योजना (के.एस.वाय.)
8	गन्ना कृषकों को बोनस

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

Digitized by eGangotri (YEAR 2015 FAP12025A CE 1202 AGRA)

प्रपत्र -ब

कृषकों के लिए राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा उद्यानिकी विभाग में अनुदान पर संचालित योजनायें
सदन में उत्तर देने का तिथि: 10.03.2025

क्र.	संचालित योजनाओं का नाम	घटक
1	2	3
1	राज्य पोषित योजनाएं -	
	फल पौध रोपण हेतु अनुदान योजना	-
	बी.पी.एल. एवं लघु/सीमांत कृषक बाड़ी में टपक सिंचाई योजना (500 वर्गमी.)	-
	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	-
	कम्यूनिटी फेसिंग योजना	-
	पोषण बाड़ी विकास योजना	-
	उद्यानिकी कृषक प्रशिक्षण	-
	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप) योजना	-
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	फल क्षेत्र विस्तार अमरुद
		फल क्षेत्र विस्तार केला
		फल क्षेत्र विस्तार पपीता
		फल क्षेत्र विस्तार लीची
		फल क्षेत्र विस्तार आम
		सब्जी क्षेत्र विस्तार
		मसाला क्षेत्र विस्तार
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मसाला क्षेत्र विस्तार (बहुवर्षीय)
		पुष्प क्षेत्र विस्तार (गेंदा)
		ग्राफटेड बैंगन एवं टमाटर सिडलिंग प्रदर्शन
		पैक हाउस
		पावर पल्वराईजर
		पावर वीडर
		पावर स्प्रेयर
		शेडनेट हाउस
		प्लास्टिक मल्लिंग
		पाली हाउस
2	कृषक प्रशिक्षण राज्य के भीतर	
	कृषक प्रशिक्षण जिले के भीतर	
	कृषक भ्रमण राज्य के बाहर	
	कृषक भ्रमण जिले के भीतर	
3.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	ड्रिप
		स्प्रिंकलर
4	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना	अधिसूचित उद्यानिकी फसल - 1. खरीफ- टमाटर, बैंगन, पपीता, केला, अमरुद,

क्र.	संचालित योजनाओं का नाम	घटक
1	2	3
		मिर्च, अदरक 2. रबी- टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज, आलू
5	नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (ऑयल पॉम)	रोपण सामग्री (इंडिजिनियस)
		रोपण सामग्री (इम्पोर्टेंट)
		रखखाव (प्रथम वर्ष)
		रखखाव (द्वितीय वर्ष)
		रखखाव (तृतीय वर्ष)
		रखखाव (चतुर्थ वर्ष)
		इंटर क्रॉपिंग (प्रथम वर्ष)
		इंटर क्रॉपिंग (द्वितीय वर्ष)
		इंटर क्रॉपिंग (तृतीय वर्ष)
		इंटर क्रॉपिंग (चतुर्थ वर्ष)
		बोरवेल
		पंप सेट
		वर्मी कम्पोस्ट यूनिट का निर्माण
		टूल्स -कटर
		टूल्स -वायरमेस
		टूल्स -मोटराइस चिसल
टूल्स - चाफ कटर		
टूल्स -ट्रेक्टर		
किसान प्रशिक्षण		
अधिकारियों का प्रशिक्षण		
6	सबमिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री	नर्सरियों में पौध उत्पादन
7	पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन	ब्लॉक/बाउंडरी प्लान्टेशन-रोपण वर्ष
		ब्लॉक/बाउंडरी प्लान्टेशन-प्रथम वर्ष रखरखाव
		ब्लॉक/बाउंडरी प्लान्टेशन-द्वितीय वर्ष रखरखाव
8	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1. रोपण अधोसंरचना विकास
		हाईटेक नर्सरी- निजी क्षेत्र
		छोटी नर्सरी- निजी क्षेत्र
		पुरानी नर्सरियों का जीर्णोद्धार- निजी क्षेत्र
		नवीन टिशूकल्चर की स्थापना- निजी क्षेत्र

क्र.	संचालित योजनाओं का नाम	घटक
1	2	3
1	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	विद्यमान टिशूकल्चर यूनिटों का पुनर्वास-निजी क्षेत्र
		संकर सब्जी बीज उत्पादन-निजी क्षेत्र
		फल क्षेत्र विस्तार
		केला (प्रथम वर्ष)
		केला (द्वितीय वर्ष)
		पपीता (प्रथम वर्ष)
		पपीता (द्वितीय वर्ष)
		अमरुद (प्रथम वर्ष)
		अमरुद (द्वितीय वर्ष)
		अमरुद (तृतीय वर्ष)
		ड्रेगन फूट (प्रथम वर्ष)
		ड्रेगन फूट (द्वितीय वर्ष)
		ड्रेगन फूट (तृतीय वर्ष)
		लीची (प्रथम वर्ष)
		लीची (द्वितीय वर्ष)
		लीची (तृतीय वर्ष)
		नाशपाती (प्रथम वर्ष)
		नाशपाती (द्वितीय वर्ष)
		नाशपाती (तृतीय वर्ष)
		नींबू (प्रथम वर्ष) (प्रति हे.)
		नींबू (द्वितीय वर्ष) (प्रति हे.)
		नींबू (तृतीय वर्ष) (प्रति हे.)
		कटहल (प्रथम वर्ष) (प्रति हे.)
		कटहल (द्वितीय वर्ष) (प्रति हे.)
		कटहल (तृतीय वर्ष) (प्रति हे.)
		सब्जी क्षेत्र विस्तार
		मशरूम प्रोडक्शन यूनिट-निजी क्षेत्र
		स्पॉन प्रोडक्शन यूनिट-निजी क्षेत्र
		पुष्प क्षेत्र विस्तार
		गुलाब
		ग्लेडियोलस
		रजनीगंधा
		गेंदा
मसाला क्षेत्र विस्तार (धनिया, हल्दी)		
मसाला- बहुवर्षीय- कालीमिर्च		
औषधी एवं सुगंधित क्षेत्र विस्तार (एलोवेरा, लेमनग्रास, मिन्ट, पचौली, स्टीविया इत्यादि)		
8	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	गुलाब
		ग्लेडियोलस
		रजनीगंधा
		गेंदा
		मसाला क्षेत्र विस्तार (धनिया, हल्दी)
		मसाला- बहुवर्षीय- कालीमिर्च
		औषधी एवं सुगंधित क्षेत्र विस्तार (एलोवेरा, लेमनग्रास, मिन्ट, पचौली, स्टीविया इत्यादि)
		गुलाब
		ग्लेडियोलस
		रजनीगंधा

क्र.	संचालित योजनाओं का नाम	घटक
1	2	3
		प्लांटेशन क्षेत्र विस्तार
		काजू (सामान्य दूरी) प्रथम वर्ष
		काजू (सामान्य दूरी) द्वितीय वर्ष
		काजू (सामान्य दूरी) तृतीय वर्ष
		काजू (सघन दूरी) प्रथम वर्ष
		काजू (सघन दूरी) द्वितीय वर्ष
		काजू (सघन दूरी) तृतीय वर्ष
		संरक्षित खेती
		ग्रीन हाऊस फेन एण्ड पेड सिस्टम
		नेचुरली वेंटिलेटेड ट्यूबलर स्ट्रक्चर
		शेडनेट हउस निर्माण
		पॉली हाउस में उगाये गये उच्च मूल्य सब्जियों की सामग्री की लागत
8	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पॉली हाउस में उगाये गये कार्नेशन एवं जरबेरा की बगान सामग्री की लागत
		प्लास्टिक मल्लिंग
		मधुमक्खी पालन द्वारा परागण सहायता
		हनी बी कॉलोनी
		छत्ते
		शहद निकालने का उपकरण
		उद्यानिकी में यंत्रिकरण
		पॉवर वीडर
		पॉवर स्प्रेयर
		मानव संसाधन विकास मद
		कृषक प्रशिक्षण-राज्य के अंदर
		किसानों का भ्रमण-राज्य के बाहर
		पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट
		पैक हाउस
		कोल्ड रूम सोलर बेस्ड
		कोल्ड स्टोरेज-टाईप 01-सामान्य क्षेत्र
		कोल्ड स्टोरेज-टाईप 01-अधिसूचित क्षेत्र
		प्राईमरी/मोबाईल/मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क्र.	जिला-गरियाबंद में संचालित योजनाओं का नाम
1.	केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय/विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाएँ
1	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (एसएमएई) -एक्सटेंशन रिफॉर्स (आत्मा)
2	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल (एसएमएसपी) के अंतर्गत बीज ग्राम योजना
3	रेनफेड एरिया डेव्लपमेंट योजना (आरएडी)
4	स्वायल हेल्थ कार्ड योजना (एसएचसी)
5	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेव्हीवाय)
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाय)
i.	पर ड्राप मोर क्राप
ii.	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन (आईडब्ल्यूएम)
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेव्हीवाय) (रफ्तार)
8	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (फुड एंड न्यूट्रिशन सेक्यूरिटी)
i.	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - मोटे अनाज (मक्का)
ii.	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन - दलहन
iii.	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.) - दलहन
9	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयलसीड्स)
i	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयलसीड्स)
ii	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (टी आर एफ ए.) -तिलहन
10	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय)
11	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
12	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत
i	कृषि यंत्रों का वितरण
ii	फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना
iii	चयनित ग्रामों में फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना
II.	राज्य पोषित योजनाएँ
1	कृषक उन्नति योजना
2	कृषक समग्र विकास योजना
i.	अक्ती बीज संवर्धन योजना।
ii.	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना।
3	फसल प्रदर्शन योजना
i.	उपयोजना -द्वि-फसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम
ii.	उपयोजना -श्रीभकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल को प्रोत्साहन योजना
iii.	फसल प्रदर्शन योजनांतर्गत पैडी ट्रन्सप्लान्टन मशीन से कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान
4	जैविक खेती मिशन
5	शाकम्भरी योजना
6	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) निर्माण
7	किसान समृद्धि योजना (के.एस.वाय.)

(विकास मिश्र)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र -द

जिला गरियाबंद में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाये

1	राज्य पोषित योजना	
i	फल पौध रोपण हेतु अनुदान योजना	
ii	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	
iii	कम्यूनिटी फेसिंग योजना	
iv	पोषण बाड़ी विकास योजना	
v	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप) योजना	
vi	उद्यानिकी प्रशिक्षण	
2	केन्द्र पोषित योजना	
i	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	फल क्षेत्र विस्तार
		सब्जी क्षेत्र विस्तार
		मसाला क्षेत्र विस्तार
		पुष्प क्षेत्र विस्तार
		सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार
		संरक्षित खेती
		पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट
		उद्यानिकी यंत्रिकरण
ii	सबमिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री	मानव संसाधन विकास एवं मिशन मैनेजमेंट
iii	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	वानिकी पौध का उत्पादन कर वितरण
		सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अंतर्गत-
		1. ड्रिप 2. स्पिंकलर

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रश्नार्थ "ख" - वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत प्राप्त, निराकृत एवं लंबित आवेदन प्रकरणों की जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत विकासखण्डवार प्राप्त, निराकृत एवं लंबित आवेदन प्रकरणों की वर्षवार संख्या														
			विकासखण्ड-गरियाबंद				विकासखण्ड-सुरा				विकासखण्ड-किनेश्वर				योग		
			प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्रत्या	प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्रत्या	निराकृत	लंबित	प्रत्या	निराकृत	लंबित	प्रत्या	निराकृत
1	2		5	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3															
1		किसान समृद्धि योजना	17	17	0	28	28	0	4	4	0	0	0	49	49	0	0
2		राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत उथला नलकूप प्रतिस्थापन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2023-24	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
4		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन (टीआरएफए)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग - 2023-24	18	18	0	28	28	0	4	4	0	0	0	50	50	0	0
1		किसान समृद्धि योजना	25	25	0	16	16	0	6	6	0	0	0	47	47	0	0
2		राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत उथला नलकूप प्रतिस्थापन	69	69	0	83	83	0	18	18	0	0	0	170	170	0	0
3	2024-25	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	3	3	0	0
4		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन (टीआरएफए)	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3	0	0
		योग - 2024-25	96	96	0	100	100	0	27	27	0	0	0	223	223	0	0
		महायोग	114	114	0	128	128	0	31	31	0	0	0	273	273	0	0

नोट :- प्रश्नार्थीन अवधि में विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत विकासखण्डवार प्राप्त शिकायत प्रकरण निरंक है।

(विकास विभाग)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क.	वर्ष	योजना का नाम	घटक का नाम	गरियाबाद				फिरोजर				धुरा				योग			
				प्राप्त कुल प्रकरण	निराकृत प्रकरण सं.	लंबित आवेदन संख्या	प्राप्त कुल प्रकरण	निराकृत प्रकरण सं.	लंबित आवेदन संख्या	प्राप्त कुल प्रकरण	निराकृत प्रकरण सं.	लंबित आवेदन संख्या	प्राप्त कुल प्रकरण	निराकृत प्रकरण सं.	लंबित आवेदन संख्या				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2023-24	राज्य पोषित योजना	राज्य पोषित योजना	46	46	0	65	65	0	26	26	0	137	137	0				
				कल पीघ रोपण हेतु अनुदान योजना	27	27	0	42	42	0	26	26	0	95	95	0			
				नदी के कछार/तलों पर लघु सब्जी उत्पादक समूहों को प्रोत्साहन	1095	1095	0	1830	1830	0	1095	1095	0	4020	4020	0			
				पोषण बाड़ी	134	134	0	139	139	0	69	69	0	342	342	0			
				कम्यूनिटी केंद्रों में	3	1	0	14	3	0	8	0	0	25	4	0			
				राज्य पोषित ग्राम शिक्षाई (डिग)	1305	1303	0	2090	2079	0	1224	1216	0	4619	4598	0			
				योग -	12	12	0	42	42	0	115	115	0	169	169	0			
				कल क्षेत्र विस्तार	99	99	0	195	195	0	71	71	0	365	365	0			
				सब्जी क्षेत्र विस्तार	15	15	0	12	12	0	18	18	0	45	45	0			
				मसाला क्षेत्र विस्तार	29	29	0	0	0	0	41	41	0	70	70	0			
				संगठित कसल क्षेत्र विस्तार	40	40	0	86	86	0	29	29	0	155	155	0			
				संरक्षित	1	1	0	26	26	0	3	3	0	30	30	0			
				उद्योगिकी यंत्रोत्पन्न	60	60	0	60	60	0	80	80	0	200	200	0			
				मानव संसाधन	7	7	0	27	27	0	21	21	0	55	55	0			
				पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट	263	263	0	448	448	0	378	378	0	1089	1089	0			
				योग :-	1568	1566	0	2538	2527	0	1602	1594	0	5708	5687	0			
राज्य पोषित योजना																			
कल पीघ रोपण हेतु अनुदान योजना				28				28				104							
नदी के कछार/तलों पर लघु सब्जी उत्पादक समूहों को प्रोत्साहन				54				80				159							
पोषण बाड़ी				618				1540				3082							
कम्यूनिटी केंद्रों में				180				120				400							
राज्य पोषित ग्राम शिक्षाई (डिग)				1				6				11							
योग				1				6				11							
2	2023-24	राज्य पोषित योजना	राज्य पोषित योजना																
3	2024-25	राज्य पोषित योजना	राज्य पोषित योजना																

10

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	पटक का नाम	गरीबावत			फिरोबर			छुरा			योग		
				प्राप्त कुल प्रकरण	निराकृत प्रकरण सं.	लंबित आवेदन संख्या	प्राप्त कुल प्रकरण	निराकृत प्रकरण सं.	लंबित आवेदन संख्या	प्राप्त कुल प्रकरण	निराकृत प्रकरण सं.	लंबित आवेदन संख्या	प्राप्त कुल प्रकरण	निराकृत प्रकरण सं.	लंबित आवेदन संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		योग -		881	881	0	1801	1801	0	1074	1074	0	3756	3756	0
		केंद्र पोषित योजना													
			फल क्षेत्र विस्तार	11	0	11	30	0	30	94	0	94	135	0	135
			रब्बी क्षेत्र विस्तार	44	32	12	43	43	0	40	40	0	127	115	12
			पुष्प क्षेत्र विस्तार	14	0	14	7	0	7	27	0	27	48	0	48
			मसाला क्षेत्र विस्तार	11	6	5	13	5	8	10	8	2	34	19	15
			सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार	5	0	5		0	0	17	0	17	22	0	22
4	2024-25	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	सरक्षित	14	14	0	27	27	0	21	21	0	62	62	0
			वर्धमानिकी यंत्रीकरण	0	0	0	26	26	0	14	14	0	40	40	0
			मानव संसाधन	20	0	20	40	0	40	20	0	20	80	0	80
			वेस्ट हार्बर क्षेत्रजोड़	3	0	3	5	0	5	6	0	6	14	0	14
			संयोजित इन्टरवेंशन (प्राथमिक क्षेत्र विस्तार)	9	0	9	25	2	23	13	0	13	47	2	45
			योग :-	131	52	79	216	103	113	262	83	179	609	238	371
			ड्रिप	4	2	2	22	10	12	12	11	1	38	23	15
			स्प्रिंकलर	19	15	4	84	49	35	16	15	1	119	79	40
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	23	17	6	106	59	47	28	26	2	157	102	55
5		योग (वर्ष 2024-25)		1035	950	85	2123	1963	160	1364	1183	181	4522	4096	426
		महायोग (वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक)		2603	2516	85	4661	4490	160	2966	2777	181	10230	9783	426

टीप :- वर्ष 2023-24 में राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप) योजना अंतर्गत कुल 25 आवेदन प्राप्त हुये, जिनमें से कुल 4 कृषकों को कृषि यंत्र प्राप्त/निराकृत हुये,शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने व कार्य अनुमोदन नहीं होने पर स्वमेव निरस्त हो गये। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) अंतर्गत कुल 157 आवेदन प्राप्त हुये, जिनमें से कुल 102 कृषकों को कृषि यंत्र प्राप्त/निराकृत हुये, शेष 55 प्रकरण लंबित है, जिनका निराकरण लक्ष्य उल्लंघना के आधार पर प्राकियमाधीन है।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

धर्तीसम्राट शासन

कृषि सचिव

(किसान मित्र)

कृषि सचिव

पारोशिष्ट - सैंतीस

अतारोकेत प्रश्न संख्या 20 (क. 1318) की जानकारी

प्रश्न

जिला-रायगढ़ के आश्रम/छात्रावास भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं व्यय राशि की जानकारी

(राशि लाखों में)

क्र	स्वीकृत कार्य का नाम	विकास खण्ड	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5
वर्ष 2022-23				
1	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक भवन निर्माण छात्रावास बरडुला	सारगढ़	36.80	36.80
2	प्री.मै अनुसूचित जाति बालक छात्रावास गोबरसिंघा भवन निर्माण	बरसकेला	36.80	36.80
3	प्री.मै अनुसूचित जाति बालक छात्रावास नाचनपाली	सारगढ़	36.80	36.80
4	अनुसूचित जाति बालक आश्रम रेडा भवन निर्माण	सारगढ़	36.80	36.80
5	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन निर्माण पुसौर	पुसौर	56.00	56.00
6	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बिच्छीनारा भवन निर्माण	घरघोड़ा	56.00	56.00
7	50 सीटर पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास रायगढ़ भवन निर्माण	रायगढ़	191.51	0.00
8	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास उरबा (तमनार) में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	तमनार	5.53	5.0783
9	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सराईपाली (तमनार) में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	तमनार	5.53	5.07331
10	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बरगढ़ (खरसिया) में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	खरसिया	5.53	5.3194
11	नवीन संचालित 100 सीटर प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खम्हार (खरसिया) में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	खरसिया	5.53	5.13482
12	आदिवासी कन्या आश्रम बड़े डुमरपाली (खरसिया) में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	खरसिया	5.53	5.14118
13	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास पाराघाटी (धरमजयगढ़) में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	धरमजयगढ़	5.53	1.8782
14	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास विजयनगर (धरमजयगढ़) में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	धरमजयगढ़	5.53	5.17811
15	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गनपलपुर (धरमजयगढ़) में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	धरमजयगढ़	5.53	5.10263
16	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बाकारुमा (धरमजयगढ़) में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	धरमजयगढ़	5.53	0.00
17	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बंगरसुला (धरमजयगढ़) में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	धरमजयगढ़	5.53	5.53
18	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोडासिया में शौचालय-स्नानागार निर्माण	लैलूंगा	5.53	5.53
19	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बगुडेगा में शौचालय-स्नानागार निर्माण	लैलूंगा	5.53	5.53
20	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण	लैलूंगा	5.53	5.53
21	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास खम्हार (धरमजयगढ़) में आहाता निर्माण	धरमजयगढ़	10.00	8.97675
22	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास खड़गांव (धरमजयगढ़) में आहाता निर्माण	धरमजयगढ़	12.00	10.26889
23	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास छाल क-01 (धरमजयगढ़) में आहाता निर्माण	धरमजयगढ़	12.00	10.14092
24	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास छाल क-02 (धरम.) में आहाता निर्माण	धरमजयगढ़	12.00	10.15037
25	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास झारसुडा (पुसौर) में आहाता निर्माण	पुसौर	15.00	13.27413
26	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास जामगांव में आहाता निर्माण	रायगढ़	6.00	6.00

27	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास महापल्ली में आहाता निर्माण	रायगढ़	4.00	4.00	4.00
28	आदिवासी बालक आश्रम बसंतपुर (लैलूंगा) में आहाता निर्माण	लैलूंगा	9.00	9.00	8.8099
योग:-					
वर्ष 2023-24					
1	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक भवन निर्माण छात्रावास बरदुला	सारंगढ़	4.00	4.00	4.00
2	प्री.मै अनुसूचित जाति बालक छात्रावास नाचनपाली	सारंगढ़	49.00	49.00	49.00
3	अनुसूचित जाति बालक आश्रम रेडा भवन निर्माण	सारंगढ़	58.00	58.00	58.00
4	प्री.मै अनुसूचित जाति बालक छात्रावास गोबरसिंघा भवन निर्माण	बरमकेला	49.00	49.00	49.00
5	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन निर्माण पुसौर	पुसौर	35.00	35.00	25.54
6	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बिच्छीनारा भवन निर्माण	घरघोड़ा	85.00	85.00	39.17
7	100 सीटर पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास धरमजयगढ़ भवन निर्माण	धरमजयगढ़	100.00	100.00	0.00
8	50 सीटर पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास खरसिया भवन निर्माण	खरसिया	25.00	25.00	0.00
9	50 सीटर पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास खरसिया भवन निर्माण	खरसिया	25.00	25.00	1.178
10	50 सीटर प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बंगरसुला भवन निर्माण	धरमजयगढ़	0.00	0.00	0.00
11	50 सीटर प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बीरसिंघा भवन निर्माण	लैलूंगा	0.00	0.00	0.00
12	50 सीटर आदिवासी बालक आश्रम कीन्धा भवन निर्माण	धरमजयगढ़	0.00	0.00	0.00
13	100 सीटर पो.मै आदिवासी कन्या छात्रावास छाल भवन निर्माण	धरमजयगढ़	0.00	0.00	0.00
14	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांठा भवन निर्माण	तमनार	0.00	0.00	0.00
15	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार भवन निर्माण	तमनार	0.00	0.00	0.00
16	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घरघोड़ा भवन निर्माण	घरघोड़ा	0.00	0.00	0.00
17	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा भवन निर्माण	लैलूंगा	0.00	0.00	0.00
18	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घटगांव भवन निर्माण	लैलूंगा	0.00	0.00	0.00
19	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बाकारुमा भवन निर्माण	धरमजयगढ़	0.00	0.00	0.00
20	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धरमजयगढ़ भवन निर्माण	धरमजयगढ़	0.00	0.00	0.00
योग:-					
			430.00	430.00	225.89
वर्ष 2024-25					
1	100 सीटर पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास धरमजयगढ़ भवन निर्माण	धरमजयगढ़	65.00	65.00	0.00
2	50 सीटर पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास खरसिया भवन निर्माण	खरसिया	25.00	25.00	25.00

3	50 सीटर पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास खरसिया भवन निर्माण	खरसिया	30.00	25.00
4	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास विच्छीनारा भवन निर्माण	घरघोड़ा	0.00	0.00
5	50 सीटर पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास रायगढ़ भवन निर्माण	रायगढ़	0.00	0.00
6	50 सीटर प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बंगरसुता भवन निर्माण	धरमजयगढ़	0.00	0.000
7	50 सीटर प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास वीरसिंघा भवन निर्माण	लैलूगा	0.00	0.00
8	50 सीटर आदिवासी बालक आश्रम क्रीन्धा भवन निर्माण	धरमजयगढ़	0.00	0.00
9	100 सीटर पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास छाल भवन निर्माण	धरमजयगढ़	0.00	0.00
10	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धौरामांठा भवन निर्माण	तमनार	0.00	0.00
11	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार भवन निर्माण	तमनार	0.00	0.00
12	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घरघोड़ा भवन निर्माण	घरघोड़ा	0.00	0.00
13	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लैलूगा भवन निर्माण	लैलूगा	0.00	0.00
14	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घटगांव भवन निर्माण	लैलूगा	0.00	0.00
15	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बाकारुमा भवन निर्माण	धरमजयगढ़	0.00	0.00
16	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धरमजयगढ़ भवन निर्माण	धरमजयगढ़	0.00	0.00
			120.00	50.00

योग:-

भरमात (अनुरक्षण मद) अन्तर्गत कार्य
कार्यों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं व्यय राशि

वर्ष 2022-23

1	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास धरमजयगढ़ में उन्नयन कार्य (टाईल्स, सीपेज रोधी कार्य, नवीन स्लेब निर्माण, प्लास्टर, ग्रेडिंग, दरवाजे-खिडकी, पानी पाईप लाईन, विद्युत अन्य कार्य एवं साज-सज्जा सामग्री)	धरमजयगढ़	17.07973
2	आदिवासी बालक आश्रम मधिदा में उन्नयन कार्य	पुरसौर	12.54016
3	कन्या क्रीडा परिसर धरमजयगढ़ में उन्नयन कार्य	धरमजयगढ़	33.96879
4	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास घरघोड़ा में उन्नयन कार्य	घरघोड़ा	17.29362
5	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम परसकोल में उन्नयन कार्य	खरसिया	13.71994
6	आदिवासी कन्या आश्रम महलोई में उन्नयन कार्य	तमनार	20.11257
7	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास केवड़ाबाड़ी रायगढ़ में उन्नयन कार्य	रायगढ़	7.50694
8	आदिवासी कन्या आश्रम कुर्य में उन्नयन कार्य	लैलूगा	6.00
9	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास छिन्ध में उन्नयन कार्य	सारंगढ़	20.00
10	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास लेन्धा में उन्नयन कार्य	बरमकेला	18.00
11	पो.मै. पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास रायगढ़ में अनुरक्षण एवं लघु निर्माण कार्य	रायगढ़	5.50
			327.46

12	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास पाराघाटी में आहाता लघु मूल कार्य	धरमजयगढ़	8.00
13	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास केशला में शौचालय- स्नानागार लघु मूल कार्य	लैलूंगा	5.50
14	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास तमनार में किचन शेड लघु मूल कार्य	तमनार	3.65
15	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास नंदेली में बाउन्डीवाल लघुमूल कार्य	रायगढ़	3.50
16	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कापू में बाउन्डीवाल लघुमूल कार्य	धरमजयगढ़	3.50
योग:-			327.46

वर्ष 2023-24

1	शासकीय आवासगृह चकधर नगर रायगढ़ में बाउन्डीवाल पुनर्निर्माण, विद्युत/पेयजल व्यवस्था	रायगढ़	0.48725
2	शासकीय आवासगृह चकधर नगर रायगढ़ में विद्युत कार्य	रायगढ़	0.22394
3	शासकीय आवासगृह चकधर नगर रायगढ़ में भवन अनुरक्षण, शौचालय-स्नानागार, पेयजल	रायगढ़	0.75940
4	कार्यालय भवन रायगढ़ में पोताई/पेंटिंग एवं दरवाजा फिटिंग कार्य	रायगढ़	0.28032
5	प्री.मै.अनुजाति बालक छात्रावास रायगढ़ में गोबर पेंट कार्य	रायगढ़	1.60404
6	प्री.मै.अनुजाति कन्या छात्रावास रायगढ़ में गोबर पेंट कार्य	रायगढ़	1.35986
7	प्री.मै. अनुजाति कन्या छात्रावास इरवी (सारंगढ़) में गोबर पेंट कार्य	सारंगढ़	1.68501
8	प्री.मै.अनुजाति कन्या छात्रावास उलखर (सारंगढ़) में गोबर पेंट कार्य	सारंगढ़	1.64125
9	प्री.मै.अनुजाति बालक छात्रावास सारंगढ़ में गोबर पेंट कार्य	सारंगढ़	1.68788
10	प्री.मै.अनुजाति कन्या छात्रावास बोदा (बरमकेला) में गोबर पेंट कार्य	बरमकेला	1.69688
11	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास खरसिया में छत ग्रेडिंग, प्लास्टर, फर्श, पोताई-पेंटिंग, नवीन शौचालय निर्माण एवं अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	खरसिया	2.05951
12	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सरिया (बरमकेला) में छत मरम्मत, बिजली मरम्मत, नवीन शौचालय निर्माण एवं अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	बरमकेला	14.00
13	प्री.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बोन्दा (बरमकेला) में शौचालय में अनुरक्षण, भवन में प्लास्टर, पोताई-पेंटिंग एवं विद्युत वायरिंग एवं अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	बरमकेला	9.00
14	प्री.मै.अनुजाति कन्या छात्रावास गोडम (सारंगढ़) में गोबर पेंट कार्य	सारंगढ़	2.00
15	आदिवासी बालक आश्रम कुकरीझरिया (खरसिया) में गोबर पेंट कार्य	खरसिया	1.49346
16	आदिवासी कन्या आश्रम सराईपाली (तमनार) में गोबर पेंट कार्य	तमनार	1.64719
17	आदिवासी कन्या आश्रम कया (घरघोड़ा) में दरवाजे-खिड़की, पोताई-पेंटिंग, अनुरक्षण/लघु	घरघोड़ा	8.10915
18	आदिवासी कन्या आश्रम लारीपानी (लैलूंगा) में स्लेब ग्रेडिंग, शौचालय-स्नानागार, पोताई-पेंटिंग, अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	लैलूंगा	6.98662
19	आदिवासी कन्या आश्रम तेन्दुमूड़ी (खरसिया) में स्लेब कार्य, शौचालय-स्नानागार, दरवाजे-खिड़की, अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	खरसिया	12.00
20	आदिवासी कन्या आश्रम लक्ष्मीपुर (धरमजयगढ़) में पोताई-पेंटिंग, सी.सी. अनुरक्षण/लघु निर्माण	धरमजयगढ़	7.59863
21	आदिवासी कन्या आश्रम कुर्य (लैलूंगा) में गोबर पेंट कार्य	लैलूंगा	1.74442
22	आदिवासी बालक आश्रम जीवी (खरसिया) में शौचालय-स्नानागार, पोताई-पेंटिंग, अनुरक्षण/लघु	खरसिया	4.25615
योग:-			45.27

23	आदिवासी कन्या आश्रम खम्हार (खरसिया) में शौचालय-स्नानागार, दरवाजे-खिडकी, पोताई-पेंटिंग, अनुक्षण/लघु निर्माण कार्य	खरसिया	1.16438
24	प्री.मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास खरसिया में छत ग्रेडिंग, प्लास्टर, फर्श, पोताई-पेंटिंग, अनुक्षण/लघु निर्माण कार्य	खरसिया	5.06685
25	पो.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रायगढ़ में शौचालय-स्नानागार, पोताई-पेंटिंग, स्लेब ग्रेडिंग, अनुक्षण/लघु निर्माण कार्य	रायगढ़	4.20811
26	अनुसूचित जाति बालक आश्रम पिण्डरी (सारगढ़) में नवीन बोर खनन एवं नवीन स्लेब निर्माण एवं अनुक्षण/लघु निर्माण कार्य	सारगढ़	15.99606
27	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रायगढ़ क्र-2 में गोबर पेंट कार्य	रायगढ़	1.60036
28	पो.मै. शासकीय कर्मचारी पुत्र बालक छात्रावास रायगढ़ में टाइल्स/पुट्टी, पोताई-पेंटिंग,	रायगढ़	5.11836
29	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सराईपाली (तमनार) में गोबर पेंट कार्य	तमनार	1.64719
30	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मुरा (खरसिया) में गोबर पेंट कार्य	खरसिया	1.64719
31	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खरसिया में फर्श, दरवाजे-खिडकी, विद्युत, पोताई-पेंटिंग,	खरसिया	6.99635
32	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार में गोबर पेंट कार्य	तमनार	1.66174
33	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गोरपार (खरसिया) में गोबर पेंट कार्य	खरसिया	1.60344
34	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास झारमुड़ा (पुरौरी) में गोबर पेंट कार्य	पुरौरी	1.65499
35	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास कोझसिया (लैलूंगा) में प्लास्टर, दरवाजे-खिडकी, पोताई-पेंटिंग	लैलूंगा	8.47548
36	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रायगढ़ क्र-01 में शौचालय-स्नानागार, सीपेजरोधी कार्य, पोताई-पेंटिंग, अनुक्षण/लघु निर्माण कार्य	रायगढ़	5.12278
37	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुंजपुरा (तमनार) में शौचालय- स्नानागार, फर्श, प्लास्टर, दरवाजे-खिडकी, पोताई-पेंटिंग, अनुक्षण/लघु निर्माण कार्य	तमनार	9.12886
38	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास रायगढ़ में सीपेज रोधी कार्य, प्लास्टर, शौचालय- स्नानागार, नाली, पोताई-पेंटिंग, अनुक्षण/लघु निर्माण कार्य	रायगढ़	9.06413
39	पो.मै. शा. कर्मचारी पुत्री कन्या छात्रावास रायगढ़ में स्लेब ग्रेडिंग, प्लास्टर, दरवाजे- खिडकी, पोताई-पेंटिंग, शौचालय-स्नानागार अनुक्षण/लघु निर्माण कार्य	रायगढ़	5.93390
40	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास रायमेर (धरमजयगढ़) में शौचालय-स्नानागार, विद्युत, पोताई, अनुक्षण/लघु निर्माण कार्य	धरमजयगढ़	6.97645
41	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास महापल्ली (रायगढ़) में पोताई-पेंटिंग, विद्युत, सी.सी.	रायगढ़	8.37667
42	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास निरीगुड़ा (धरमजयगढ़) में प्लास्टर, फर्श, दरवाजे-खिडकी, पोताई-पेंटिंग, अनुक्षण/लघु निर्माण कार्य	धरमजयगढ़	9.21752
43	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास पाराघाटी (धरमजयगढ़) में गोबर पेंट कार्य	धरमजयगढ़	1.68
44	प्री.मै. आदि. बालक छात्रावास हनीरपुर (तमनार) में अनुक्षण/लघु निर्माण कार्य	तमनार	5.91807
45	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास उरवा (तमनार) में अनुक्षण/लघु निर्माण कार्य	तमनार	5.12038

9.86

25.08

46	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास महाराजगंज (धरमजयगढ़) में सीपेजरोधी, शौचालय-स्नानागार, पोताई, टाईल्स, अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	धरमजयगढ़	10.81429
47	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास हालहुली (खरसिया) एवं अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	खरसिया	5.00
48	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास खरसिया में स्लेब कार्य, प्लास्टर, पोताई-पेंटिंग, अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	खरसिया	9.38751
49	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार में गोबर पेंट कार्य	तमनार	1.65
50	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास लैलूंगा में गोबर पेंट कार्य	लैलूंगा	1.55370
51	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास मुकडेगा (लैलूंगा) में स्लेब कार्य एवं अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	लैलूंगा	-
52	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बहिरकेला (घरघोड़ा) में गोबर पेंट कार्य	घरघोड़ा	1.65
53	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बरमकेला में नवीन स्लेब निर्माण एवं अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य (वर्तमान संचालित भवन में)	बरमकेला	14.85
54	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कनकबीरा (सारगढ़) में छात्रावास रस्सोई कक्ष मरम्मत, प्लास्टर, पोताई पेंटिंग अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	सारगढ़	8.10
55	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास डोगरीपाली (बरमकेला) में विद्युत, दरवाजे मरम्मत एवं पानी टकी, पोताई पेंटिंग एवं अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	बरमकेला	8.55
56	प्री.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास बरमकेला में गोबर पेंट कार्य	बरमकेला	2.00
योग:-			303.33
वर्ष 2024-25			267.50

1	आदिवासी बालक आश्रम बसंतपुर में गोबर पेंट कार्य	लैलूंगा	1.71001
2	आदिवासी बिरहोर बालक आश्रम धरमजयगढ़ में सीपेजरोधी, पुट्टी, विद्युत, टाईल्स अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	धरमजयगढ़	8.42220
3	आदिवासी कन्या आश्रम खम्हार (खरसिया) में शौचालय-स्नानागार, दरवाजे-खिडकी, पोताई-पेंटिंग, अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	खरसिया	8.00
योग:-			34.55
महायोग:-			1817.94
			18.13221
			1148.24



अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
मन्त्रालय, नया रायपुर

पौरिशेष्ट - अड़तीस

अतारोकेत प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1336) को जानकारो

प्रपत्र

(माह जनवरी 2025 की स्थिति में)

जिला-महासमुन्द

(राशि लाखों में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	गतिविधि का नाम	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	पूर्ण	अपूर्ण	पूर्णता तिथि	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	क्रियान्वयन की पद्धति	फर्म का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022-23										
2	2023-24	डिल्लोमा एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिल्लोमा पाठ्यक्रम सिपेट रायपुर	2.43	2.43	2.43	पूर्ण	-	03-07-2023		छात्रा की पढाई हेतु फीस	डिल्लोमा एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिल्लोमा पाठ्यक्रम सिपेट रायपुर
3	2023-24	जिले में संचालित 18 छात्रावास / आश्रमों हेतु नवीन बोर खनन सह सबमर्सिबल पंप स्थापना	37.80	18.90	18.90	पूर्ण	-	10-07-2023		सक्षिप्त निविदा	एम/एस श्री साई शक्ति बोरोवेल रायपुर
4	2023-24	जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग हेतु भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना एवं सामग्री क्रय हेतु	12.00	12.00	12.00	पूर्ण	-	03-03-2023	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुन्द	जिला स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदन पश्चात् जेम पोर्टल से क्रय किया गया है।	1.डेस्टनी एजुवर्ड रायपुर 2. उन्ती वेंचर रायपुर
5	2023-24	35 कन्या छात्रावास / आश्रमों हेतु सी0सी0 टी0व्ही0 केमरा स्थापना	21.70	21.70	21.70	पूर्ण	-	08-02-2023		जिला स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदन पश्चात् जेम पोर्टल से क्रय किया गया है।	एसेंट टेक्नोलॉजी फार सीसीटीवी
6	2024-25	जिले में संचालित अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग बालक / कन्या छात्रावास / आश्रमों में आवश्यक सामग्री तथा मूलभूत सुविधा	74.62	37.31	0.00	अपूर्ण	-	-		जिला स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदन पश्चात् जेम पोर्टल से क्रय किया जा रहा है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है
योग :-			148.55	92.34	55.03						

Seems
अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
मन्त्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - उनतालीस

अतारोकेत प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1337) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिये कितनी-कितनी राशि, किन्-किन् एजेंसियों, फर्मों व एनजीओ को प्रदान की गई है		एजेंसी का नाम
			राशि		
1	2	3	4	5	
1	2022-23		266.66		सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुन्द
2	2023-24		172.70		सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुन्द
3	2024-25 (30 जनवरी 2025 तक)	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	0.00		-
		योग :-	439.36		
4	2022-23		7.50		जनपद पंचायत महासमुन्द
5	2023-24		10.00		जनपद पंचायत बागबाहरा
6	2024-25		0.00		-
7	2024-25 (30 जनवरी 2025 तक)	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (कमार प्रकोष्ठ)	0.00		-
		योग :-	17.50		
8			6.00		
9			16.50		भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (एन0एस0क्यू0एफ) छ0ग0 स्वामी
10			6.00		विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय भिलाई
11			19.74		
12			6.00		
13			10.00		सहायक अभियंता केडा विभाग महासमुन्द
14			5.50		जनपद पंचायत बागबाहरा
15			40.00		उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं महासमुन्द
16			0.37		प्रचार्य जी0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्था महासमुन्द
			110.11		
17			6.00		भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (एन0एस0क्यू0एफ) छ0ग0 स्वामी
18			4.00		विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय भिलाई
19			10.00		
			20.00		
20	2024-25 (30 जनवरी 2025 तक)		0.00		-

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिये कितनी-कितनी राशि, किन-किन एजेंसियों, फर्मों व एनजीओ को प्रदान की गई है	
			राशि	एजेंसी का नाम
1	2	3	4	5
21			3.00	
22			16.50	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (एन0एस0क्यू0एफ) छ0ग0 स्वामी
23			14.56	विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय भिलाई
24			4.66	
25	2022-23		10.50	प्रचार्य जी0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्था महासमुंद
26			0.37	
27		विशेष केन्द्रीय सहायता मॉडल	4.00	सहायक संचालक मतस्य विभाग महासमुंद
28		पॉकेट-02	2.75	
	योग :-		56.34	
29	2023-24		11.00	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (एन0एस0क्यू0एफ) छ0ग0 स्वामी
30	2024-25 (30 जनवरी 2025 तक)		0.00	विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय भिलाई
31			2.08	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (एन0एस0क्यू0एफ) छ0ग0 स्वामी
32			1.33	विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय भिलाई
33	2022-23		1.75	सहायक संचालक मतस्य विभाग महासमुंद
34			0.93	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बागबहारा
35		कमार प्रकोष्ठ	0.40	कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी महासमुंद
36			1.20	
	योग :-		7.70	
37	2023-24		0.00	
38	2024-25 (30 जनवरी 2025 तक)		0.00	
	महायोग :-		662.01	

टीप :- सरल क्र. 8 से 38 तक की राशि पूर्व वर्षों में स्वीकृत राशि है। जो प्रश्नांश अवधि में एजेंसियों को प्रदाय किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
मंत्रालय, नया रावपुर


पॉरीशिट - चालीस

अतारोकेत प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1344) की जानकारी

प्रपत्र-अ

मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज, हथनेवरा, जांजगीर-चांपा द्वारा जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक
जनित फ्लाई ऐश की माहवार जानकारी

क्रमांक	माह	जनित फ्लाई ऐश की कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)
1	जनवरी 2024	42866
2	फरवरी 2024	44642
3	मार्च 2024	51881
4	अप्रैल 2024	46990
5	मई 2024	62452
6	जून 2024	59676
7	जुलाई 2024	59616
8	अगस्त 2024	62994
9	सितंबर 2024	62718
10	अक्टूबर 2024	60769
11	नवंबर 2024	46846
12	दिसंबर 2024	42396
13	जनवरी 2025	46586
	कुल	690432


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

प्रश्राधीन अवधि में मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज, हथनेवरा, जांजगीर-चांपा में की गई जाँच का विवरण

क्र.	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अवलोकित स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	05/01/2022	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2.	24/02/2022	श्री के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ श्री हरिशंकर सोनी, प्रयोगशाला सहायक	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
3.	19/05/2022	श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
4.	26/05/2022	श्री संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2 श्री हरिशंकर सोनी, प्रयोगशाला सहायक	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
5.	20/06/2022	श्री के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ श्री संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
6.	17/08/2022	श्री के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ श्री संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
7.	07/10/2022	श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
8.	15/11/2022	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता श्री राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक, श्री जितेन्द्र सिंह, रसायनज्ञ श्री संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	उद्योग के पीछे ग्राम सावरिया डेरा के पास उद्योग से अनुपचारित काला पानी छोड़ा जाना पाया गया। उक्त पानी आगे हसदेव नदी में मिलना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 23/11/2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
9.	13/12/2022	श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी	जारी नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
10.	23/11/2023	श्री जितेन्द्र सिंह, रसायनज्ञ श्री संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
11.	04/03/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता श्री राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक, श्री के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ	1. निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर में दो स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्य किया गया। जिसका परिणाम निर्धारित मानक से अधिक पाया गया। 2. उद्योग के पॉवर प्लांट इकाई के एफ.बी.बी. 04 एवं एफ.बी.बी. 06 में चिमनी उत्सर्जन मापन कार्य किया गया। जिसका परिणाम निर्धारित मानक से अधिक पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 05/03/2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।

			<ol style="list-style-type: none"> 3. उद्योग में ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से भण्डारण एवं निपटान किया जाना नहीं पाया गया। 4. गारलैण्ड ड्रेन का संधारण कार्य किया जाना नहीं पाया गया। 5. सी.एच.पी. यार्ड में कोल अनलोडिंग के दौरान प्रदूषण की स्थिति पायी गई। 6. रॉ मटेरियल (आयरन ओर) का भण्डारण नियमानुसार किया जाना नहीं पाया। 7. उद्योग से दूषित जल बिना उपचारित किये उद्योग से बाहर छोड़ा जाना पाया। 8. किल्ल नं. 03 से 06 तक भारी मात्रा में फ्युजीटिव डस्ट का उत्सर्जन पाया गया। 9. परिसंकटमय अपशिष्ट का भण्डारण निर्धारित अवधि (180 दिन) से अधिक दिनों तक किया जाना पाया। 10. फैक्ट्री गेट पर परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु स्थापित डिस्प्ले बोर्ड को नियमानुसार अद्यतन किया जाना नहीं पाया। 	
12.	27/03/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता श्री राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक, श्री के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ	जारी नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 09/04/2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत निर्देश जारी करते हुए रूपये 7,20,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी।
13.	30/05/2024	श्री मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। उद्योग द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 7,20,000/- दिनांक 22/05/2024 को जमा कर दी गई है।
14.	03/06/2024	श्री के.पी. तिवारी, प्रभारी रसायनज्ञ	वायु विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाया गया	उद्योग पर पत्र दिनांक 29/10/2024 के माध्यम से रूपये 30,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी। उद्योग द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि दिनांक 05/11/2024 को जमा कर दी गई है।
15.	07/08/2024	श्री संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
16.	28/11/2024	श्री के.सी. साहू वैज्ञानिक श्री अजय भगत कनिष्ठ वैज्ञानिक	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
17.	24/01/2025	श्री अभय मिश्रा प्रभारी रसायनज्ञ श्री हरीश तिवारी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 01	उद्योग में स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

3.3.25

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

8.	ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चापा, जिला-जाजगीर- चापा खसरा नंबर - 397/16, कुल क्षेत्रफल - 0.259 हेक्टेयर	5,000	0	0	0	0	0	0	1780	3081	0	0	0	0	0	4861
9.	ग्राम-सारागाव, तहसील- सारागाव, जिला- जाजगीर-चाम्पा खसरा नंबर - 315/3, 315/7, कुल क्षेत्रफल - 0.271 हेक्टेयर	13,000	0	0	0	0	0	0	11810	1078	0	0	0	0	0	12888
10.	ग्राम-देवरहा, पंचायत उदेबद, तहसील- जाजगीर, जिला- जाजगीर-चापा खसरा नंबर - 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, कुल क्षेत्रफल - 0.866 हेक्टेयर	2,00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7830	9052	3882	5356	0	26120
11.	ग्राम-कोटाडबरी, ब्लॉक- बम्हनीडीह, जिला-जाजगीर- चापा खसरा नंबर - 1142/9 ग, कुल क्षेत्रफल - 0.494 हेक्टेयर	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारोक्ष - इकतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1456) की जानकारी


प्रपत्र

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण दौरान पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स करणीकृपा पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खैरझिटी एवं कौवाझर, तहसील व जिला-महासमुंद	06.02.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		14.06.2024	उद्योग द्वारा आई-बिन प्रभाग से संलग्न बैग फिल्टर संचालित नहीं होने के कारण अत्यधिक मात्रा में फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन, क्लिन क्रमांक 1 के ई.एस.पी. से सम्बद्ध चिमनी में ओपेसिटी मीटर अपने नियत स्थान पर नहीं पाया गया, आई-बिन व डे-बिन प्रभाग में अत्यधिक मात्रा में डस्ट का जमाव पाया गया तथा हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को पत्र दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा "31 क" के तहत नोटिस जारी किया गया।
		30.07.2024	नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 01.08.2024 के माध्यम से रूपये 5,52,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई, जिसे उद्योग प्रबंधन द्वारा दिनांक 26.11.2024 को जमा कराया गया।
		03.10.2024	हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को दिनांक 08.10.2024 को पत्र प्रेषित किया गया।
		24.10.2024	पत्र के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		26.10.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		14.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		29.01.2025	उद्योग में घरेलू दूषित जल उपचार हेतु स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित नहीं पाया गया। उद्योग में परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं स्टेक मॉनिटरिंग के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाये गये, परिसर में ई.एस.पी. डस्ट का अधिक मात्रा में जमाव होना तथा हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को पत्र दिनांक 30.01.2025 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा '33 क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
		22.02.2025	नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 24.02.2025 के द्वारा रूपये 2,88,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा किया जाना शेष है।
		2.	मेसर्स बी.के. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बेन्दीडीह, ब्लॉक-तुमगांव, जिला-महासमुंद	25.06.2024
18.10.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।			कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
25.10.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।			कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
18.11.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।			कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
3.	मेसर्स 9 एम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, परसवानी रोड, एन.एच.-6, ग्राम-बिरकोनी, जिला-महासमुंद	07.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		14.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		07.02.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
4.	मेसर्स वामा डेयरी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तुमगांव, जिला-महासमुंद	22.03.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		14.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		18.11.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		18.01.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
5.	मेसर्स बालाजी पावर बेलसोन्डा, जिला-महासमुंद	29.04.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		31.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		25.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
6.	मेसर्स मनोरमा इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. ग्राम-बिरकोनी, जिला-महासमुंद	25.06.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		18.11.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
7.	मेसर्स डी.एम.के. इंटरप्राइजेज, प्लॉट नं.-105, औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला-महासमुंद	24.04.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		24.10.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		20.11.2024	उद्योग द्वारा प्रारंभिक हीटिंग हेतु लकड़ी का उपयोग किया जाना पाया गया तथा परिसर के भीतर लकड़ी का भण्डारण भी किया जाना पाया गया। उद्योग में पर्याप्त संख्या में सेंसर नहीं लगाये गये हैं। उद्योग में दूषित जल उपचार हेतु स्थापित ई.टी.पी. संचालित नहीं पाया गया। हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को पत्र दिनांक 22.11.2024 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33 क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
		16.12.2024	नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया	उद्योग को पत्र दिनांक 03.01.2025 के द्वारा रूपये

			जाना पाया गया।	1,30,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई, जिसे उद्योग प्रबंधन द्वारा दिनांक 06.01.2025 को जमा कराया गया।
8.	मेसर्स ए.एस.जी. इंटरप्राइज, प्लॉट न.-104, औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला-महासमुंद	20.11.2024	उद्योग द्वारा प्रारंभिक हीटिंग हेतु लकड़ी का उपयोग किया जाना पाया गया तथा परिसर के भीतर लकड़ी का भण्डारण भी किया जाना पाया गया। उद्योग में पर्याप्त संख्या में सेंसर नहीं लगाये गये हैं। उद्योग में दूषित जल उपचार हेतु स्थापित ई.टी.पी. संचालित नहीं पाया गया। हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को पत्र दिनांक 22.11.2024 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा '33 क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
		16.12.2024	नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 02.01.2025 के द्वारा रूपये 1,30,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई, जिसे उद्योग प्रबंधन द्वारा दिनांक 06.01.2025 को जमा कराया गया।
9.	मेसर्स श्री तुलसी फॉस्फेट लिमिटेड, प्लॉट 212, 213, 214, इंडस्ट्रीयल एरिया, बिरकोनी, जिला- महासमुंद	10.01.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		06.02.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		29.06.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		30.07.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		19.11.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
10.	मेसर्स ग्लोबल ग्रीन एनर्जी, (पूर्व नाम मेसर्स श्रीधाम इण्डस्ट्रीज), प्लॉट नं.-237 (पाट), औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला-महासमुंद	17.03.2024	उद्योग में पायरो गैस के दहन से अत्यधिक मात्रा में वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित की गई। उद्योग द्वारा प्रारंभिक हीटिंग हेतु लकड़ी का उपयोग किया जाना पाया गया तथा परिसर के भीतर लकड़ी का भण्डारण भी किया जाना पाया गया। उद्योग में पर्याप्त संख्या में सेंसर नहीं लगाये गये हैं। हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को पत्र दिनांक 18.03.2024 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
		09.04.2024	नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 18.04.2024 के द्वारा रूपये 92,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
		29.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		20.11.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
11.	मेसर्स स्काईरल साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला-महासमुंद	25.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
12.	मेसर्स गुलाब ट्रेडर्स (पूर्व नाम-मेसर्स गोयल राईस इण्डस्ट्रीज), ग्राम-लभराखुर्द, जिला-महासमुंद	16.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		07.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
13.	मेसर्स श्री सालासर बालाजी राईस मिल, ग्राम-छिदौली, जिला-महासमुंद	26.06.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		13.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
14.	मेसर्स रामचण्डी फूड प्रोडक्ट्स एण्ड राईस इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, प.ह.न.-39, ख.नं.-846/1 रकबा-0.25 हेक्टेयर, ग्राम-झगरिनडीह, तहसील-पिथौरा, जिला-महासमुंद	17.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		16.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
15.	मेसर्स रूही स्टोन क्रशर, ग्राम-नोगढी, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद	06.03.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		07.02.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
16.	मेसर्स बेल्सन क्रशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बेलसोण्डा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	10.01.2024	उद्योग में मुख्य रूप से अत्यधिक मात्रा में फ्यूजिटिव डस्ट का उत्सर्जन होना, परिसर में स्टेन डस्ट का अधिक मात्रा में जमाव होना, तथा हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को पत्र दिनांक 11.01.2024 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
		06.02.2024	नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 09.02.2024 के द्वारा रूपये 67,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई, जिसे उद्योग प्रबंधन द्वारा दिनांक 09.03.2024 को जमा की गई है।
		03.10.2024	उद्योग में मुख्य रूप से अत्यधिक मात्रा में फ्यूजिटिव डस्ट का उत्सर्जन होना, परिसर में स्टेन डस्ट का अधिक मात्रा में जमाव होना, तथा हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को पत्र दिनांक 07.10.2024 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा '31 क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
		26.10.2024	नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	उद्योग को पत्र दिनांक 19.12.2024 के द्वारा रूपये 1,15,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई, जिसे उद्योग प्रबंधन द्वारा दिनांक 23.12.2024 को जमा की गई है।

17.	मेसर्स आर एन राईस मिल बागबहरा, तह.-बागबाहरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	17.01.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		25.01.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
18.	मेसर्स हरीकेश एग्रोटैक प्रा. लि. ग्राम-काशीबहरा, तह.- बागबहरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	17.01.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		25.01.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
19.	मेसर्स मनीष एण्ड एसोसिएट्स ग्राम-कासीबहरा, तह.- बागबहरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	17.01.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
20.	मेसर्स राधे कृष्णा आयल इण्डस्ट्रीज ग्राम-बैतारी, तह.- सरायपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	20.01.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		24.04.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		31.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		28.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
21.	मेसर्स श्री श्याम जी एग्रोटैक ग्राम-सुनसुनिया, तह.- बागबहरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	16.02.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
22.	मेसर्स तथास्तु एग्रोटैक ग्राम-ओकारबंद, तह.- बागबहरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	16.02.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		29.04.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		03.07.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
23.	मेसर्स श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज, ग्राम-छिंदौली, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	22.03.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
24.	मेसर्स खेतावत इण्डस्ट्रीज ग्राम-कापा, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	22.03.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
25.	मेसर्स शिव शंकर चावल उद्योग ग्राम चोरभट्टी, तह.-बसना, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	24.04.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		25.10.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
26.	मेसर्स बालाजी राईस इण्डस्ट्रीज यूनिट -2 ग्राम-दुधीपाली, तह.-बसना, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	24.04.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		06.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
27.	मेसर्स भगवती इण्डस्ट्रीज ग्राम-बेलसोन्डा, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	29.04.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		11.07.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
28.	मेसर्स नाकोडा राईस इण्डस्ट्रीज ग्राम-मोंगरा, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	12.03.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		16.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
29.	मेसर्स बी.एस. सी. पी. एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ग्राम-घोड़ारी, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	12.04.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		16.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
30.	मेसर्स श्री दुर्गा राईस मिल ग्राम-जोगनीपाली, तह.- सरायपाली, जिला-महासमुंद	17.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
31.	मेसर्स ताराचंद प्रेमचंद ग्राम-खेमड़ा, तह.-बसना, जिला-महासमुंद	17.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		26.11.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
32.	मेसर्स श्री महावीर राईस मिल ग्राम-राजासेवइया, तह.- पिथौरा, जिला-महासमुंद	17.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
33.	मेसर्स गणपति नमकीन भंडार प्रा. लि. यूनिट-2, ग्राम-मोंगरा, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	26.06.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		25.12.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

34.	मेसर्स श्री राम इण्डस्ट्रीज ग्राम-कोसरगी, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	26.06.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
35.	मेसर्स कमल राईस इण्डस्ट्रीज ग्राम - परसकोल, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	21.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		03.07.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
36.	मेसर्स अर्थिका एग्री ग्राम-मोंगरा, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	09.07.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		25.01.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
37.	मेसर्स अभिनंदन इन्टरप्राइजेस (यूनिट-2), ग्राम-झालखमरिया, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	09.07.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
		25.01.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
38.	मेसर्स एन.एल. इण्डस्ट्रीज ग्राम-घोड़ारी, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	25.01.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
39.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राईस इण्डस्ट्रीज ग्राम-राजासेवैया, तह.- पिथौरा, जिला-महासमुंद	31.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
40.	मेसर्स आदित्य मिल, प.ह.न.-78, ख.नं.-3391, ग्राम-शेर, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	11.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
41.	मेसर्स गर्ग इण्डस्ट्रीज, ग्राम-खोपली, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	11.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
42.	मेसर्स श्री आदिश्वर राईस मिल, ग्राम-मोंगरा, जिला- महासमुंद (छ.ग.)	11.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
43.	मेसर्स ड्राइकेम इण्डिया प्रा. लि. औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	24.10.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
44.	मेसर्स अरिहंत राईस टेक प्रा.लि. ग्राम-काशीबाहरा (मौलीमुड़ा), तह.-बागबाहरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	26.11.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
45.	मेसर्स शुभम आर्गेनिक औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	25.01.2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
46.	मेसर्स पी.एस.सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं.-225 एवं 226, औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला-महासमुंद	16.05.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
47.	मेसर्स सालासार बालाजी फूड, भालेसर रोड, जिला- महासमुंद	13.09.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
48.	मेसर्स जय बजरंग स्टोन, ग्राम-घोड़ारी, जिला- महासमुंद	21.03.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
49.	मेसर्स पी.एस.ब्रिक्स, ग्राम-शेर, तह. व जिला- महासमुंद (छ.ग.)	07.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
50.	मेसर्स आर.के.ब्रिक्स, ग्राम-शेर, तह. व जिला- महासमुंद (छ.ग.)	07.08.2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।


 अवसर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पॉरीशेड - बयालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1546) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर जिले में मौसम आधारित फसल बीमा की जानकारी

राशि रुपये लाख में रकबा हेक्टर में

वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या			दावा राशि से लाभान्वित कृषक संख्या			वितरित बीमा दावा राशि			कृषक संख्या जिन्हें बीमा दावा राशि दिया जाना शेष है			लंबित बीमा दावा राशि			क्रियान्वयक बीमा कंपनी का नाम	
		ऋणी	अऋणी	योग	ऋणी	अऋणी	योग	ऋणी	अऋणी	योग	ऋणी	अऋणी	योग	ऋणी	अऋणी	योग		
2022-23	खरीफ	8	111	119	6	100	106	1.49	17.84	19.33	0	2	2	0.00	0.29	0.29	बजाज एलायंस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	
	रबी	13	110	123	1	10	11	0.10	0.12	0.22	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
योग वर्ष	2022-23	21	221	242	7	110	117	1.59	17.96	19.55	0	2	2	0.00	0.29	0.29		
2023-24	खरीफ	41	63	104	41	44	85	0.66	5.25	5.91	0	0	0	0.00	0.00	0.00	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	
	रबी	10	79	89	7	25	32	0.04	0.14	0.17	0	1	1	0.00	0.006	0.006		
योग वर्ष	2023-24	51	142	193	48	69	117	0.70	5.38	6.08	0	1	1	0.00	0.006	0.006		
2024-25	खरीफ	23	23	46	टमाटर फसल हेतु दावा राशि की गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। गणना उपरांत नियमानुसार बीमा दावा भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। शेष अधिसूचित फसलों (बैंगन, अमरुद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक) की फसल अवधि समाप्त होना शेष है।													एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
	रबी	13	23	36	अधिसूचित समस्त उद्यानिकी फसलों (टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू) की फसल अवधि समाप्त होना शेष है। अतः दावा भुगतान से संबंधित जानकारी निरक है।													
योग वर्ष	2024-25	36	46	82														

(विकास मिश्रा)

उप संचिव

छत्तीसगढ़ शासन


कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

रायपुर जिले अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पोस्ट/प्री.मैट्रिक बालक/कन्या छात्रावासों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	छात्रावास का नाम	स्वीकृत सीट
पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास			
1	धरसीवा	पो. मै. अनु. जाति बालक छात्रा. पेंशनबाडा रायपुर	100
2	धरसीवा	शास. स्नानकोत्तर अनु. जाति बालक छात्रावास देवपुरी	50
3	धरसीवा	शास. पो. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास चौक टिकरापारा	100
4	आरंग	शास. पो. मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास आरंग	50
योग			300
पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास			
5	धरसीवा	पो. मै. अनु जाति कन्या छात्रा. शंकर नगर रायपुर	100
6	धरसीवा	पो. मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास कालीबाडी (पु.) रायपुर	100
7	आरंग	पो. मै. अनु. जा. कन्या छात्रा. आरंग	50
योग			250
पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास			
8	धरसीवा	शास. पो. मैट्रिक परियोजना बालक छात्रावास सुन्दर नगर रायपुर	30
9	धरसीवा	पी.एम.टी. बालक छात्रावास डीडीयु नगर डंगनिया रायपुर	75
10	धरसीवा	शास. नवीन पो. मै.अनु.जनजाति बालक छात्रावास पं. रवि.वि.वि. परि.	50
11	धरसीवा	राज्य स्तरीय पो. मैट्रिक अनु. जनजाति बालक छात्रावास पेंशनबाडा (ब.पै.)	50
12	धरसीवा	पो. मै. आदि. बालक छात्रा. पेंशनबाडा रायपुर	100
13	धरसीवा	स्नातकोत्तर स्तरीय आदि. बालक छात्रा. स्वागत विहार डूंडा रायपुर	50
योग			355
पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास			
14	धरसीवा	रा. महा. आदि. कन्या छात्रा. रवि.वि.वि.परि. रायपुर	300
15	धरसीवा	नवीन पो. मै. आदि. कन्या छात्रा. रवि विवि परि रायपुर	50
16	धरसीवा	राज्य स्तरीय पो. मै. आदि. कन्या छात्रा. रवि विवि परि रायपुर	50
17	धरसीवा	परि. कन्या छात्रा. शंकर नगर रायपुर	30
18	धरसीवा	नवीन पो. मै. आदि. कन्या छात्रा. शंकर नगर रायपुर	50
19	धरसीवा	पो. मै. आदि. कन्या छात्रा. कालीबाडी रायपुर	100
योग			580
प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास			
20	धरसीवा	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास, धरसीवा	50
21	धरसीवा	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास पेंशनबाडा रायपुर	100
22	अभनपुर	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास सिवनी	50
23	अभनपुर	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास कोलर	50

क.	विकासखण्ड	छात्रावास का नाम	स्वीकृत सीट
24	अमनपुर	आदर्श शास. प्री. मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास अमनपुर	50
25	आरंग	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास आरंग	40
26	आरंग	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास भानसोज	25
27	आरंग	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास मंदिरहसौद	20
28	आरंग	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास समोदा	50
29	आरंग	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति. बालक छात्रावास भंडारपुरी	20
30	तिल्दा	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति बालक छात्रावास तिल्दा	50
31	तिल्दा	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जा. बालक छात्रावास खौना	20
32	तिल्दा	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जा. बालक छात्रावास खरोरा	50
योग			575
प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास			
33	धरसीवा	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास, धरसीवा	50
34	धरसीवा	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास सरोरा	50
35	धरसीवा	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास कालीबाडी (नया)	40
36	धरसीवा	शास. प्री. मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास कालीबाडी (पुराना)	50
37	आरंग	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास आरंग	50
38	आरंग	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति. कन्या छात्रावास भिलाई	50
39	आरंग	नवीन प्री. मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास मंदिरहसौद	50
40	तिल्दा	शास. प्री. मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास तिल्दा	50
योग			390
प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास			
41	धरसीवा	शास. प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, पेंशनबाडा, रायपुर	50
42	अमनपुर	शास. प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बेन्द्री	50
43	अमनपुर	शास. प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास अमनपुर	50
44	अमनपुर	शास. प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पारागांव	50
45	तिल्दा	शास. प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास तिल्दा	50
योग			250
प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास			
46	तिल्दा	शास. प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास तिल्दा	50
47	धरसीवा	शास. प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कालीबाडी रायपुर	50
योग			100
महायोग			2800


 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - चवालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1560) की जानकारी

प्रपत्र

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राखड़ के अवैध निष्पादन के संबंध में प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही
(दिनांक 01 जनवरी 2024 से दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक)

क्र.	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत का बिन्दु	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1.	27/02/2024	ग्राम खम्हारडीह पोस्ट खजुरानी तहसील जैजैपुर, जिला-सक्ती में अवैध रूप से राखड़ डंपिंग के संबंध में।	27/02/2024	श्री तोरन सिंह, सहायक अभियंता श्री राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक श्री संजय मिश्रा, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	अवैध भू-भराव नहीं पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
2.	17/10/2024	ग्राम कचंदा के शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 887/1क में फ्लाई ऐश डंपिंग पर रोक लगाने बाबत।	17/10/2024	श्री एस.के. धुर्वे, मुख्य रसायनज्ञ श्री अजय कुमार भगत, कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान नियमानुसार फ्लाई ऐश का भराव किया जाना पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
			18/12/2024	श्री आलोक साहू, कार्यपालन अभियंता श्री एस.के. धुर्वे, मुख्य रसायनज्ञ	निरीक्षण के दौरान समतल किये गये फ्लाई ऐश की ऊपर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य नियमानुसार किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
			22/12/2024	श्री आलोक साहू, कार्यपालन अभियंता श्री अजय कुमार भगत, कनिष्ठ वैज्ञानिक श्री एच.के. तिवारी, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	निरीक्षण के दौरान समतल किये गये फ्लाई ऐश की ऊपर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - पेंतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 1577) की जानकारी

प्रपत्र

जनवरी, 2025 की स्थिति में जिला-बिलासपुर एवं जिला-मुंगेली में संचालित क्रशर प्लांट का नाम, पता, क्षेत्रफल, अवधि एवं संचालनकर्ता की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	उद्योग संचालक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में उपलब्ध अभिलेख अनुसार संचालन प्रारंभ दिनांक	वैधता दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	मेसर्स दुबे स्टोन, ग्राम-चिचिरदा पोस्ट सैदा, संकरी तहसील तखतपुर, जिला-बिलासपुर	श्री हीरामणी दुबे	0.242	स्टोन चिप्स -2400 टन वर्ष /	14/08/1997	31/01/2026
2.	मेसर्स मल्हार इन्टरप्राइजेस कोसमडीह रोड, पोस्ट व तहसील मस्तूरी, जिला-बिलासपुर	श्री कौशल सिंह	1.011	स्टोन चिप्स -10575 मीट्रिक टनवर्ष/	30/03/1999	31/12/2025
3.	मेसर्स बिलासपुर माइनिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, क्रशर उद्योग, ग्राम-घौराभाठा, बिल्हा, जिला-बिलासपुर	श्री नरेश कुमार अग्रवाल	2.007	विभिन्न प्रकार की गिट्टी - (स्टोन चिप्स) 90000 मीट्रिक टन / वर्ष	01/09/2000	31/10/2027
4.	मेसर्स पाटिल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यूनिट नं.2, ग्राम.गतवा, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	श्री बलजीत सिंह	2.197	वेरियस साइज ऑफ स्टोन चिप्स-24000 मीट्रिक टनवर्ष/	30/12/2002	31/12/2027
5.	मेसर्स सेन्ट्रल इण्डिया स्टोन माइंस, ग्राम-हिरी, तहसील बिल्हा, जिला-बिलासपुर	श्री नरेश कुमार अग्रवाल	1.067	डोलोमाइट स्टोन लाईम -36,000 मीट्रिक टन वर्ष /	10/12/2004	31/03/2025
6.	मेसर्स तुलाराम शर्मा स्टोन क्रशर पुराना नाम श्री प्रणय वर्मा स्टोन क्रशर, ग्राम-खैरा, जयराम नगर, तहसील मस्तूरी, जिला-बिलासपुर	श्री तुलाराम शर्मा	0.639	विभिन्न प्रकार की गिट्टी -4,000 मीट्रिक टन वर्ष /	22/04/2004	31/12/2024
7.	मेसर्स जिंदल कंस्ट्रक्शन स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बीजराकापा गमजू तखतपुर, जिला-बिलासपुर	श्री मनोज कुमार अग्रवाल	0.995	विभिन्न प्रकार की गिट्टी -48000 मीट्रिक टन वर्ष /	10/12/2004	31.12.2027

8.	मेसर्स शर्मा स्टोन क्रशर उद्योग, ग्राम-जयराम नगर खैरा तहसील मस्तूरी, जिला-बिलासपुर	श्री त्रिलोकचंद्र शर्मा	0.809	विभिन्न प्रकार की गिट्टी -5250 मीट्रिक टन वर्ष /	19/05/2020	21/08/2029
9.	मेसर्स रियाज अहमद सिद्दीकी, जयराम नगर, खैरा तहसील मस्तूरी, जिला-बिलासपुर	रियाज अहमद सिद्दीकी	0.866	विभिन्न प्रकार की गिट्टी -10,000 मीट्रिक टन वर्ष /	04/09/2004	31/08/2028
10.	मेसर्स अग्रवाल मिनरल्स ग्राम बिल्हा जिला बिलासपुर	श्री विनोद कुमार अग्रवाल	0.404	डोलोमाईट चिप्स - 2,00,000 टनवर्ष/	20/06/2006	01/01/2025
11.	मेसर्स शाह स्टोन सप्लायर ग्राम घौराभाटा हिरी पोस्ट बिल्हा, जिला-बिलासपुर	श्री हरीश कुमार शाह	1.011	डोलोमाईट स्टोन चिप्स -3,50,000 मीट्रिक टन वर्ष /	07/03/2005	31/07/2028
12.	मेसर्स जय बजरंग मिनरल्स, ग्राम-जयरामनगर, तह-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर	श्री वीरेन्द्र प्रताप मिश्रा	1.618	माईनिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ लाईम स्टोन-13273 टनवर्ष/	04/01/2018	30/09/2027
13.	मेसर्स सिंह स्टोन माईस स्टोन क्रशर, धौराभाटा बिल्हा, जिला-बिलासपुर	श्री रघुराज सिंह	1.494	डोलोमाईट चिप्स -1 लाख मीट्रिक टन / वर्ष	14/08/2015	31/10/2025
14.	मेसर्स मुरारी लाल केदारमल डोलोमाईट माईस, बिल्हा, जिला-बिलासपुर	श्रीमती पार्वती बाई अग्रवाल,	2.09	डोलोमाईट चिप्स - 48000 मीट्रिक टन / वर्ष	31/05/1997	31/12/2029
15.	मेसर्स परमाणु मिनरल्स, ग्राम मोहतारा, तहसील जिला-बिलासपुर	श्री परमानंद विधानी	1.822	विभिन्न प्रकार की गिट्टी -10000 मैटन . वर्ष /	02/08/2019	12/08/2025
16.	मेसर्स डायमंड क्रशिंग इण्डस्ट्रीज ग्राम.मस्तूरी कोसमडीह जिला-बिलासपुर	श्री दौलत राम विधानी	1.618	माईनिंग ऑफ लाईम स्टोन -58368.75 मीट्रिक टनवर्ष/, वेरियस साईज स्टोन चिप्स -50000 मीट्रिक टनवर्ष/	21/08/2019	20/08/2025
17.	मेसर्स हरिकृपा मिनरल्स ग्राम कनेरी तहसील बिल्हा, जिला-बिलासपुर	श्री कुनाल राजपाल	1.335	विभिन्न प्रकार के गिट्टी -5000 मीट्रिक टन वर्ष /, स्टोरेज ऑफ स्टोन चिप्स -10000 मीट्रिक टन एक समय पर	10/06/2022	09/06/2033
18.	मेसर्स आदर्श स्टोन माईस, ग्राम बोडसरा, तहसील तखतपुर, जिला-बिलासपुर	श्री इन्द्रजीत सिंह चांवला	4.04	स्टोन चिप्स -50752 मीट्रिक टन वर्ष /	11/05/2016	31/03/2027
19.	मेसर्स बिलासपुर माईनिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट 2, ग्राम खरकेना,	श्री नरेश कुमार अग्रवाल	0.202	विभिन्न प्रकार की गिट्टी -2,40,000 मीट्रिक टनवर्ष/	13/10/2006	31/12/2027


	तहसील तखतपुर, जिला-बिलासपुर					
20.	मेसर्स एसोसिएटेड माइनिंग कम्पनी, यूनिट 02 ग्राम हरदी, तहसील बिल्हा, जिला-बिलासपुर	श्री नरेन्द्र सिंह सहगल	0.202	डोलोमाइट चिप्स - 40000 मीट्रिक टन / वर्ष डोलोमाइट - पाँवडर 10000 मीट्रिक टनवर्ष/	23/01/2008	30/09/2028
21.	मेसर्स महामाया मिनरल्स ग्राम.कोटा तहसील कोटा जिला-बिलासपुर	श्री पंकज सिंह	2.023	स्टोन चिप्स -5000 मीट्रिक टन वर्ष /	25/07/2008	30/11/2025
22.	मेसर्स कोल मेन लाजिस्टिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ग्राम गतौरी तहसील व जिला-बिलासपुर	श्री राजकुमार केडिया	1.776	मिनरल क्रशिंग - 600000 मीट्रिक टन/ वर्ष	22/11/2011	30/06/2028
23.	मेसर्स जय दुर्गा मिनरल्स पूर्वनाम मेसर्स सरजू प्रसाद मिश्रा स्टोन क्रशर ग्राम अमाली, तहसील कोटा, जिला-बिलासपुर	श्री पियूष मिश्रा	1.384	स्टोन चिप्स -50000 मीट्रिक टनवर्ष /	13/07/2022	12/07/2028
24.	मेसर्स छत्तीसगढ़ मेटल एण्ड मिनरल्स यूनिट-2 करगीरोड, कोटा, बिलासपुर	श्री संजय अग्रवाल	1.185	स्टोन चिप्स 45000 मीट्रिक टन एक समय पर	07/06/2010	31/07/2029
25.	मेसर्स गोयल क्रशर उद्योग, ग्राम-बाकीघाट, तहसील -कोटा, जिला-बिलासपुर	श्री राजकुमार गोयल	2.023	माइनिंग आफ आर्डिनरी स्टोन एण्ड स्टोन चिप्स -10,000 मीट्रिक टनवर्ष /	17/07/2018	16/07/2029
26.	मेसर्स योगेश खत्री स्टोन माइंस ग्राम बेलसरा, तहसील तखतपुर, जिला-बिलासपुर	श्री योगेश कुमार खत्री	0.679	स्टोन चिप्स -4000 मीट्रिक टनवर्ष /	05/03/2012	31/10/2026
27.	मेसर्स महामाया स्टोन क्रशर, ग्राम कनेरी, तहसील बिल्हा, जिला-बिलासपुर	श्रीमती माया देवी शर्मा	0.404	स्टोन चिप्स -10,000 मीट्रिक टनवर्ष /	11/10/2013	12/01/2029
28.	मेसर्स जे.आर.सी. एसोसिएट्स, ग्राम-हरदी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर	श्री जसबीर सिंह चावला	0.202	डोलोमाइट चिप्स - 1,50,000 मीट्रिक टनवर्ष / डोलोमाइट पावडर - 42,000 मीट्रिक टन / वर्ष	23/01/2014	31/03/2028

29.	मेसर्स शिव शंकर मिनरल्स एण्ड डोलोमाईट, ग्राम-बिल्हा, बिल्हा, जिला-बिलासपुर	श्रीमती शोभा अग्रवाल	0.202	डोलोमाईट चिप्स - 1,20,000 मीट्रिक टनवर्ष /	19/08/2014	31/07/2028
30.	मेसर्स साई कंस्ट्रक्शन, ग्राम-भदौरा, मस्तुरी, बिलासपुर	श्री अतुल शुक्ला	0.728	स्टोन चिप्स -30000 मीट्रिक टनवर्ष/	30/10/2014	28/02/2023
31.	मेसर्स चंद्राकर क्रशर ग्राम बेलसरा, तखतपुर, बिलासपुर	श्री शत्रुहन चन्द्राकर	2.623	माईनिंग आफ लाईम स्टोन -3600 मीट्रिक टन वर्ष / स्टोन क्रशड-3600 मीट्रिक टनवर्ष /	30/03/2015	26/08/2025
32.	मेसर्स वंदना इंटरप्राइजेस, ग्राम दर्री, तखतपुर, बिलासपुर	श्री सुनील अग्रवाल	0.971	स्टोन चिप्स -35000 मीट्रिक टनवर्ष/ स्टोरेज ऑफ स्टोन चिप्स -5000 मीट्रिक टन एक समय पर	21/03/2017	31/03/2028
33.	मेसर्स श्रवण मिनरल्स पूर्वनाम कान्हा मिनरल्स, ग्राम-खैरा, जयराम नगर, तहसील-मस्तुरी, जिला- बिलासपुर	श्री कपिलेन्द्र शर्मा	0.372	स्टोन चिप्स - 1,00,000 मीट्रिक टनवर्ष/ स्टोरेज ऑफ लाईम स्टोन -5000 मीट्रिक टन एक समय पर	24/11/2021	23/11/2027
34.	मेसर्स सरकार मिनरल्स, ग्राम-मोहतरा, मस्तुरी-जिला-बिलासपुर	श्रीमती सुरईया बानो	1.335	स्टोन चिप्स -10,000 टनवर्ष/	30/10/2017	28/10/2028
35.	मेसर्स जय नहरिया बाबा मिनरल्स मेसर्स हरिशंकर राठौर माईस ग्राम मोहतरा, तहसील मस्तुरी, जिला-बिलासपुर	श्री राहुल गोयल, पार्टनर	3.072	माईनिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ लाईम स्टोन - 30000 मीट्रिक टनवर्ष/	29/06/2018	28/06/2029
36.	मेसर्स जय नहरिया बाबा मिनरल्स मेसर्स हरिषंकर राठौर माईस ग्राम जयरामनगर तहसील मस्तुरी, जिला-बिलासपुर	श्री राहुल गोयल	1.076	माईनिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ लाईम स्टोन - 14235 मीट्रिक टनवर्ष/	29/06/2018	28/06/2029
37.	मेसर्स जी.एस. मिनरल, कोसमडीह, बिलासपुर	श्री संजय सिंह पवार	1.656	माईनिंग ऑफ स्टोन बोल्डर चिप्स स्टोन - -19200 मीट्रिक टनवर्ष/	13/07/2018	29/05/2024 (नवीनीकरण आवेदन प्रक्रियाधीन है)
38.	मेसर्स जी.एस. भारती स्टोन क्रशर, मनपहरी, बिलासपुर	श्री घनश्याम भारद्वाज	1.143	माईनिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ लाईम स्टोन- 8999 मीट्रिक टनवर्ष/	24/07/2018	31/03/2025

39.	मेसर्स कन्हैया मिनरल्स, ग्राम-मोहतरा, मस्तुरी, बिलासपुर	श्री प्रकाश चनानी	0.404	लाईम स्टोन चिप्स - 50000 टनवर्ष/	10/08/2018	14/02/2029
40.	मेसर्स भास्कर स्टोन, ग्राम-नरगोड़ा, तहसील- मस्तुरी, जिला-बिलासपुर	श्रीमती ममता शर्मा	0.607	स्टोन चिप्स -1750 मीट्रिक टनवर्ष/, माईनिंग ऑफ लो ग्रेड लाईम स्टोन -2546 टनवर्ष/	28/03/2019	27/03/2025
41.	मेसर्स ब्लूमिंग स्टोन भडहा डोलोमाईट बेनिफिसिएबल ग्रेड, ग्राम भडहा, तह-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर	श्री गौरव बांधी	4.00	क्रशिंग एण्ड स्टोरेज ऑफ स्टोन चिप्स- 30000 मीट्रिक टनवर्ष/	30/12/2019	29/12/2028
42.	मेसर्स श्री परमानंद विधानी, ग्राम-मोहतरा, तहसील-मस्तुरी, जिला- बिलासपुर	श्री परमानंद विधानी	1.456	माईनिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ लो ग्रेड लाईम स्टोन -34872 टनवर्ष/	29/06/2020	28/06/2026
43.	मेसर्स महामाया मिनरल्स, ग्राम-खरगहनी, तहसील- कोटा, जिला-बिलासपुर	सुजाता मित्रा	1.79	माईनिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ लो ग्रेड लाईम स्टोन -25263.92 टनवर्ष/	15/10/2020	14/10/2026
44.	मेसर्स कमल कुमार चन्द्रा, ग्राम-कर्मा, तहसील- बिल्हा, जिला-बिलासपुर	श्री कमल कुमार चन्द्रा	1.21	माईनिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ लो ग्रेड लाईम स्टोन -3131 टनवर्ष/	15/10/2020	14/10/2026
45.	मेसर्स शाह स्टोन सप्लायर्स, ग्राम-धौराभाठा, तहसील-बिल्हा, जिला- बिलासपुर	श्री हरिश्च कुमार शाह	0.664	डोलोमाईट लम्पस एण्ड चिप्स - 3,50,000 मीट्रिक टनवर्ष/	03/08/2021	02/08/2027
46.	मेसर्स मैकल मिनरल्स, ग्राम-तेंदुआ, तहसील कोटा, जिला-बिलासपुर	श्री सुनील कुमार शुक्ला,	4.0	माईनिंग एण्ड क्रशिंग ऑफ लो ग्रेड लाईम स्टोन -44655 टनवर्ष/	14/09/2021	13/09/2027
47.	मेसर्स एसोसिएटेड माईनिंग कंपनी क्रशर यूनिट, ग्राम-बिल्हा, डोलोमाईट रेलवे साईडिंग के पास, पो.आ.बिल्हा, जिला-बिलासपुर	श्री एन.एस. शैगल	1.149	डोलोमाईट लम्पस- 90,000 मीट्रिक टन / वर्ष, डोलोमाईट चिप्स-20,000 मीट्रिक टनवर्ष /, डोलोमाईट पाउडर- 20,000 मीट्रिक टन / वर्ष	20/07/2018	31/08/2029
48.	मेसर्स हिरीं माईस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्राम चकरभाठा तहसील बिल्हा, जिला- बिलासपुर	श्री अनिर्बन दास गुप्ता	5.41	डोलोमाईट क्रशिंग- 20,00,000 मीट्रिक टनवर्ष/, स्टोरेज ऑफ डोलोमाईट-3,00,000 मीट्रिक टन एक समय पर	04/07/2023	03/07/2027

49.	मेसर्स विमल कुमार अग्रवाल, ग्राम-खपराखोल, तहसील-कोटा, जिला-बिलासपुर	श्री विमल कुमार अग्रवाल	0.314	स्टोन क्रशड-16000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष	09/01/2025	08/01/2026
50.	मेसर्स गुप्ता स्टोन माइंस यूनिट - 2 स्टोन क्रशर, ग्राम-हरदी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर	प्रोपश्री द्वारिका . प्रसाद गुप्ता	0.380	डोलोमाइट -50000 मीट्रिक टन वर्ष /	28/02/2006	31/05/2028
51.	मेसर्स अरविन्द मिनरल्स, ग्राम भखुरीडीह तहसील मुंगेली, जिला-मुंगेली	श्री अरविन्द गोयल	0.234	विभिन्न प्रकार की गिट्टी -8000 मीट्रिक टन वर्ष /	03/07/2002	30/04/2027
52.	मेसर्स यश मिनरल्स ग्राम-भखुरीडीह, तहसील-मुंगेली, जिला-मुंगेली	श्री पवन अग्रवाल	0.222	विभिन्न प्रकार की गिट्टी -12000 मीट्रिक टनवर्ष/	24/02/2006	31/01/2028
53.	मेसर्स गोपाल स्टोन क्रशर ग्राम-भखुरीडीह, तहसील- मुंगेली, जिला-मुंगेली	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल	0.311	वेरियस साईज ऑफ स्टोन चिप्स -10,000 मीट्रिक टनवर्ष/	30/12/2002	06/11/2026
54.	मेसर्स. देवसर स्टोन माइंस, ग्राम-भखुरीडीह, तहसील मुंगेली, जिला-मुंगेली	श्री मुरारी लाल अग्रवाल	0.768	स्टोन चिप्स -10,000 मीट्रिक टन वर्ष /	05/12/2014	31/05/2029
55.	मेसर्स आलोक मिनरल्स क्रशर यूनिट ग्राम-मोहभटठा, तहसील मुंगेली जिला-मुंगेली	श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल	0.562	स्टोन चिप्स -6000 मीट्रिक टन वर्ष /	24/07/2009	30/04/2027
56.	मेसर्स जिंदल निर्माण क्रशर उद्योग ग्राम-ढोलगी, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली	श्री मुकेश कुमार अग्रवाल	2.023	विभिन्न प्रकार की गिट्टी -48,000 मीट्रिक टनवर्ष/	20/10/2005	31/08/2027
57.	मेसर्स लक्ष्मी मिनरल्स, ग्राम-मोहभट्टा, तहसील-पथरिया मुंगेली, जिला-मुंगेली	श्रीमती विनीता राय	0.457	लाईम स्टोन चिप्स - 5000 मीट्रिक टन / वर्ष	03/01/2006	30/11/2028
58.	मेसर्स गोपाल स्टोन क्रशर ग्राम-भखुरीडीह, तहसील मुंगेली, जिला-मुंगेली	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल	0.445	स्टोन चिप्स -1000 मीट्रिक टन वर्ष/ स्टोरेज ऑफ लो ग्रेड लाईम स्टोन -1000 टन एक समय में	20/06/2008	30/09/2027
59.	मेसर्स पुष्पा अग्रवाल, ग्राम-किरना, सरगांव, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली	श्रीमति पुष्पा अग्रवाल	0.343	क्रशिंग ऑफ लाईम स्टोन -1,44,000 मीट्रिक टनवर्ष/, स्टोरेज ऑफ लाईम स्टोन -5000 मीट्रिक टन एक समय के लिए	17/09/2020	16/09/2026

60.	मेसर्स नर्मदा मिनरल्स, ग्राम-किरना, सरगांव, तहसील-पथरिया, जिला- मुंगेली	श्री मोहन लाल अग्रवाल	1.238	क्रशिंग ऑफ डोलोमाईट स्टोन - 3,60,000 मीट्रिक टनवर्ष/, स्टोरेज ऑफ डोलोमाईट स्टोन - 20,000 मीट्रिक टनएक समय के/ लिए	17/09/2020	16/09/2026
-----	--	--------------------------	-------	---	------------	------------


 31/3/25
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - छियालीस

अतारोकेत प्रश्न संख्या 35 (क्र. 1584) को जानकारी

प्रपत्र-अ

क	संस्था का प्रकार	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		कुल	
		संस्था	स्वीकृत सीट	संस्था	स्वीकृत सीट	संस्था	स्वीकृत सीट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्री मैट्रिक छात्रावास	38	1710	4	200	42	1910
2	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	9	450	2	100	11	550
3	आश्रम	1	50	0	0	1	50
योग		48	2210	6	300	54	2510



अनुभाग अधिकारी
अ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल बजर

प्रपत्र-ब

जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत संचालित आश्रम एवं छात्रावास हेतु 01 जनवरी 2023 से 31.01.2025 तक कय की गई सामग्री एवं राशि की जानकारी

क्र0	सामग्री का नाम	राशि (रूपये में)
1	2	3
1	साड़ी	59668.00
2	वर्दी कपड़ा	43482.00
3	स्टेशनरी सामग्री	138035.00
4	विद्युत सामग्री	53757.00
5	बेड और आलमारी	998251.00
6	गांइडर मिक्सर	296593.00
7	स्टडी टेबल	294705.00
8	कूलर	499758.00
9	फास्ट ऐड बाक्स	299365.00
10	गैस चुल्हा	130600.00
11	प्लास्टिक सामग्री	270417.00
12	गद्दा	676636.00
13	फिनाइल	634613.00
14	टयूब लाईट	194681.00
15	बर्तन सामग्री	382034.00
16	सिलिंग पंखा	196579.00
17	सीसीटीव्ही	292650.00
18	फाईल केबिनेट	278168.00
19	03 सीटर वेल्डिंग चेयर	149388.00
20	03 सीटर वेल्डिंग चेयर	99592.00
21	शू-रैक व ड्रेसिंग टेबल	210984.00
22	विद्युत सामग्री	28399.00
23	बैट्री एवं इनवर्टर सेट	236490.00
24	गणवेश	148992.00
25	सफेद वर्दी कपडा	81017.00
26	सामान्य ज्ञान पुस्तक	50843.00
27	स्टेशनरी सामग्रियां	247172.00
28	अग्निशामक रिफिलिंग	21600.00
29	विद्युत सामग्री	16820.00
30	उपकरण सामग्री	800.00

क्र0	सामग्री का नाम	राशि (रूपये में)
1	2	3
31	विद्युत उपकरण	4354.00
32	नेम प्लेट लेखन	850.00
33	बुके व अन्य सामग्री	1025.00
34	लोहा तखत	237416.00
35	तखत व गद्दा	961297.00
36	लोहा तखत	54131.00
37	गद्दा	478155.00
38	पी.एस पंखा	720352.00
39	फिनाइल	928392.00
40	गैस चुल्हा	213000.00
41	आलमारी	949664.00
42	रैक	345291.00
43	कूलर	879626.00
44	सिलिंग पंखा	204830.00
45	प्लास्टिक सामग्री	10770092.00
46	सिलिंग पंखा	240977.00
47	फिनाइल	449870.00
48	गद्दा	1561247.00
49	सिलिंग पंखा	786321.79
50	एल.ई.डी ट्यूब लाईट	131055.51
51	गिलास	11385.00
52	जग	32340.00
53	कटोरी	8280.00
54	परात	22687.00
55	चम्मच	4083.75
56	झारा	4989.60
57	करछुली	4752.00
58	थाली	54422.50
59	लोहा तखत	1203000.00
60	आलमारी	510090.00


अनुभाग अधिकारी
अनु.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेड - सेंतालौस

अतारोकेत प्रश्न संख्या 38 (क्र. 1593) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी, 2025 तक की अवधि में प्राधिकरण मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

(राशि रु. लाख में)

स.क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	वि.ख.	विधानसभा क्षेत्र	स्वीकृत राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1		सी.सी.रोड निर्माण ग्राम अलोरी ग्राम पंचायत करेझर	गुरुर	संजारी बालोद	10.00	- प्रगतिस्त
2		पुलिया निर्माण ग्राम कोसमी, ग्राम पंचायत कपरमेटा	गुरुर	संजारी बालोद	10.00	पूर्ण
3		स्कूल प्रार्थना शेड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत बड़भूम	गुरुर	संजारी बालोद	10.00	पूर्ण
4	2022-2023	स्कूल प्रार्थना शेड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत हितेकसा	गुरुर	संजारी बालोद	10.00	पूर्ण
5		यात्री प्रतिकालय निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत दरगाहन	गुरुर	संजारी बालोद	7.00	पूर्णता पर
6		सी.सी.रोड निर्माण कार्य (सिंधू साहू घर से पूजा साहू घर तक) ग्राम व ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर	बालोद	संजारी बालोद	7.00	पूर्ण
7		सी.सी.रोड निर्माण कार्य (आंगनवाड़ी के पास) ग्राम व ग्राम पंचायत दरबारी	बालोद	संजारी बालोद	6.00	पूर्ण
		योग	-	-	60.00	-
1	2023-2024	निरंक	-	-	-	-
1	2024-2025	निरंक	-	-	-	-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

1	2022-23	कियन शेड एवं शौचालय निर्माण, सामुदायिक भवन में सतनामी मोहला, ग्राम व ग्राम पंचायत कुम्हारखान	गुरुर	संजारी बालोद	5.00	पूर्णता पर
---	---------	--	-------	--------------	------	------------



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

स.क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	वि.ख.	विधानसभा क्षेत्र	स्वीकृत राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	2023-24	कलामंच निर्माण कार्य, सतनाम पारा ग्राम व ग्राम पंचायत मोहारा	गुरुर	संजारी बालोद	4.00	पूर्ण
2		सीमेण्टीकरण कार्य जैतखाम के पास ग्राम व ग्राम पंचायत काड़े	बालोद	संजारी बालोद	2.00	पूर्ण
		योग	-	-	6.00	-
1	2024-2025	निरंक				

छ.ग.राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण

1		तालाब सौदर्यीकरण कार्य ठरबुदिया तालाब में ग्राम व ग्राम पंचायत कन्हारपुरी	गुरुर	संजारी बालोद	15.00	कार्य प्रगतिरत है
2	2022-23	तालाब सौदर्यीकरण कार्य सतबहिनी तालाब में ग्राम व ग्राम पंचायत कपरमेटा	गुरुर	संजारी बालोद	15.00	कार्य प्रगतिरत है
3		तालाब सौदर्यीकरण कार्य पुराना तालाब में ग्राम व ग्राम पंचायत बड़भूम	गुरुर	संजारी बालोद	15.00	कार्य प्रगतिरत है
4		तालाब सौदर्यीकरण कार्य शीतला तालाब में ग्राम व ग्राम पंचायत हितोकसा	गुरुर	संजारी बालोद	15.00	कार्य प्रगतिरत है
		योग	-	-	60.00	-
1	2023-24	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत अमोरा	बालोद	संजारी बालोद	10.00	पूर्ण
2		सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत मुजगहन	बालोद	संजारी बालोद	10.00	पूर्ण
3		सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम खुसीपार ग्राम पंचायत मनौद	बालोद	संजारी बालोद	10.00	पूर्ण
4		सी.सी. रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत सांकरा (ज)	बालोद	संजारी बालोद	5.20	पूर्ण
5		सी.सी. रोड निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर	बालोद	संजारी बालोद	5.20	पूर्ण
6		सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत हथौद	बालोद	संजारी बालोद	6.50	कार्य प्रगति पर
7		सामुदायिक भवन निर्माण (निषाद पार) ग्राम व ग्राम पंचा. पलारी	गुरुर	संजारी बालोद	6.50	कार्य प्रगति पर
8		सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम कोचेरा ग्राम पंचायत भुलनडबरी	गुरुर	संजारी बालोद	10.00	नीव कार्य प्रगति पर
		योग	-	-	63.40	-

सं.क.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	वि.ख.	विधानसभा क्षेत्र	स्वीकृत राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	2024-2025	सीसी रोड निर्माण, वार्ड 14 शनि घर से चतुर घर तक ग्राम व ग्राम पंचायत पलारी	गुरुर	संजारी बालोद	5.20	अप्रारंभ
2		कलामंच निर्माण, पुराना पंचायत भवन के पास ग्राम व ग्राम पंचायत अमोरा	बालोद	संजारी बालोद	5.20	अप्रारंभ
3		सीसी रोड निर्माण, वार्ड 12 में ग्राम व ग्राम पंचायत ओझागहन	गुरुर	संजारी बालोद	5.20	अप्रारंभ
4		सीसी रोड निर्माण, वार्ड 13 मणी घर से देशमुख घर तक ग्राम व ग्राम पंचायत अरौद	बालोद	संजारी बालोद	5.20	अप्रारंभ
5		सीसी रोड निर्माण, अटल चौक से मुक्तिधाम तक ग्राम व ग्राम पंचायत देवीनवागांव	बालोद	संजारी बालोद	5.20	अप्रारंभ
6		सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ग्राम तमोरा ग्राम पंचायत नागाडबरी	बालोद	संजारी बालोद	6.50	अप्रारंभ
		योग	-	-	32.50	-



अनुभाग अधिकारी


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नक्स रायपुर

परिशेष - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 1610) की जानकारों

प्रपत्र

क्रमांक	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4
1	सुन्द्रावन	सुन्द्रावन	पलारी
2	अछोली	अछोली	पलारी
3	तेलासी	तेलासी	पलारी
4	जुनवानी	देवगांव	पलारी
5	नवागांव	नवागांव	पलारी
6	चुचरुंगपुर	चुचरुंगपुर	पलारी
7	खैरा	खैरा	पलारी
8	मुडियाडीह	मुडियाडीह	पलारी
9	परसवानी	परसवानी	पलारी
10	खपरी	खपरी	पलारी
11	बेल्हा	बेल्हा	पलारी
12	बोहारडीह	बोहारडीह	पलारी
13	देवगांव	देवगांव	पलारी
14	धौराभाठा	सोनारदेवरी	पलारी
15	गदहीडीह	गदहीडीह	पलारी
16	पत्थरचुआ	फुडरडीह	पलारी
17	फुडरडीह	फुडरडीह	पलारी
18	सरकीपार	खपरी स	पलारी
19	सेमराडीह	मुसवाडीह	पलारी
20	तमोरी	खपरी भ	पलारी
21	देवरीखुर्द	चरौदा क	कसडोल
22	चरौदा क	चरौदा क	कसडोल
23	मोहतारा क	मोहतारा क	कसडोल
24	लटेरा	लटेरा	पलारी
25	छडीया	छडीया	पलारी
26	रसौटा	रसौटा	पलारी
27	गैतरा	गैतरा	पलारी
28	बलौदी	बलौदी	पलारी
29	सलौनी	सलौनी	पलारी
30	सीतापार	सीतापार	पलारी


 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेष्ट - उन्चास

अताराकेत प्रश्न संख्या 41 (क्र. 1613) की जानकारी

प्रपत्र

31 जनवरी 2025 तक की वर्षवार प्राप्तियां

क्र.	वर्ष/अवधि	60.00 प्रति पृष्ठ अतिरिक्त शुल्क की राशि
1	2017-18	13,44,02,173
2	2018-19	23,34,19,809
3	2019-20	28,55,63,638
4	2020-21	37,03,76,848
5	2021-22	42,71,60,396
6	2022-23	47,78,78,580
7	2023-24	46,95,53,280
8	2024-25	37,43,27,533
Total:		2,77,26,82,257

(राशि रुपये में)

क.	मांग संख्या	योजना क्रमांक	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	वचत	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33	6130	6130 जाति प्रमाण पत्र छपाई	50000	0	50000	
2	41	2194	2194 विशेष कोचिंग योजना	230000	0	230000	
3	41	7592	7592 खाद्य सुरक्षा योजना	579500	579500	0	
4	41	9853	9853 आदिवासी संस्कृति का संवर्धन (देवगुड़ी निर्माण)	2900000	2700000	200000	
5	64	5631	5631 अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	14360000	9260000	5100000	
6	41	7995	7995 मध्य क्षेत्र प्राधिकरण	5600000	5600000	0	
7	41	9853	9853 आदिवासी संस्कृति का संवर्धन (शहीदवीर नायरयण सिंह)	96000	96000	0	
8	41	9853	9853 आदिवासी संस्कृति का संवर्धन (लोककला दलों को साहयता)	300000	0	300000	
9	41	7626	7627 व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना (नर्सिंग प्रशिक्षण)	69222	0	69222	
10	64	2194	2194 विशेष कोचिंग योजना	80000	0	80000	
11	64	7592	7592 खाद्य सुरक्षा योजना	1815000	1815000	0	
12	64	6990	6990 रविदास चर्मशिल्प	500000	0	500000	
13	64	7626	7627 व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना (नर्सिंग प्रशिक्षण)	680132	0	680132	
14	64	7628	7628 अनुसूचित जाति लोककला महोत्सव	95000	94800	200	
15	66	1395	1395 खाद्य सुरक्षा योजना	166000	65000	101000	
16	64	7629	7629 अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	8000000	8000000	0	
17	64	7629	7629 अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण योजना (साहत)	10855600	5625000	5230600	
18	64	7629	7629 अनुरक्षण अनुदान	100000	100000	0	
19	64	7629	7629 सदभावना शिविर का आयोजन	150000	150000	0	
20	41	1395	1395 किराया महसूलकर	2500000	1536334	963666	
21	64	1395	1395 किराया महसूलकर	1000000	272408	727592	
				50126454	35894042	14232412	

अनुभाग अधिकारी

आ.जा. तथा अनुजा.वि. विभाग
भोपाल, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

(राशि लाख में)

क्र.	वर्ष	जिला	विधानसभा क्षेत्र	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	पूर्ण	अपूर्ण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2024-25	महासमुन्द	खल्लारी	बागबाहरा	द्वारतला खुर्द	देवगुडी निर्माण कार्य	2.00	0.00	--	--	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास महासमुन्द के पत्र क्रमांक-2344 दिनांक-05.02.2025 के द्वारा जनपद पंचायत बागबाहरा से तकनीकी स्वीकृति मय प्रस्ताव चाहा गया है। प्रस्ताव अप्राप्त है
							2.00	0.00			



अनुभाग अधिकारी
श्री.जी. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-स

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी वर्ष 2024-25

जिला-महासमुन्द

(राशि लाख में)

क.	जिला का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	बचत राशि	कार्य की स्थिति			रिमांक
							पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	महासमुन्द	सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य ग्राम नयापारा ग्राम पंचायत सिधौरी	महासमुन्द	5.00	2.50	2.50	-	-	-	-
2	महासमुन्द	सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत रायतुम	महासमुन्द	5.00	2.50	2.50	-	-	-	-
3	महासमुन्द	सी0सी0 रोड़ सह नाली निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत बड़ेडामा	बसना	10.00	5.00	5.00	-	-	-	-
4	महासमुन्द	सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत-दुधीपाली	बसना	10.00	5.00	5.00	-	-	-	-
5	महासमुन्द	सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत-बरोली	बसना	10.00	5.00	5.00	-	-	-	-
6	महासमुन्द	सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत-बिछिया	बसना	10.00	5.00	5.00	-	-	-	-
7	महासमुन्द	सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत-इन्दरपुर	बसना	10.00	5.00	5.00	-	-	-	-
8	महासमुन्द	सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य ग्राम चोरभट्टी ग्राम पंचायत-सरईपाली	बसना	10.00	5.00	5.00	-	-	-	-
9	महासमुन्द	सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत पझरापाली	सरायपाली	5.00	2.50	2.50	-	-	-	-
10	महासमुन्द	सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य ग्राम दरईपाली ग्राम पंचायत भगतसरईपाली	सरायपाली	10.00	5.00	5.00	-	-	-	-
11	महासमुन्द	शेड निर्माण कार्य ग्राम दरईपाली ग्राम पंचायत भगतसरईपाली	सरायपाली	7.00	3.50	3.50	-	-	-	-
12	महासमुन्द	सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत-परसकोल	सरायपाली	10.00	5.00	5.00	-	-	-	-
		महायोग :-		102.00	51.00	51.00				


अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परिशेष - इनक्यावन

अताराकेत प्रश्न संख्या 47 (क्र. 1648) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	योजना का नाम	घटक
1	2	3
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कृषि यंत्र/उपकरण
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (ऑयल सीड)	कृषि यंत्र
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्रॉप मोर क्रॉप	ड्रिप/स्प्रिंकलर
4	शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप
5	राज्यपोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	ड्रिप
6	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना
7	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना
8	जैविक खेती मिशन योजना	हस्त चलित/बैल चलित यंत्र
9	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (दलहन)	दलहन प्रोसेसिंग यूनिट
10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (तिलहन)	तिलहन प्रोसेसिंग यूनिट


 (विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या	
1	2	3	4	5	
1	2023-24 (दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 तक)	बागबाहरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	3	
			शाकम्भरी योजना	115	
			योग	118	
		वसना	शाकम्भरी योजना	5	
			केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	1	
		योग	6		
		3	महासमुंद	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	3
				शाकम्भरी योजना	58
		योग	61		
		4	पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	4
शाकम्भरी योजना	25				
योग	29				
सरायपाली	शाकम्भरी योजना	35			
	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	1			
	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	10 (1 समूह)			
	योग	46			
योग वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 तक)				260	
1	2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	बागबाहरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	42	
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	8	
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	12	
			शाकम्भरी योजना	40	
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	8	
			जैविक खेती मिशन योजना	450	
		योग	560		
2	2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	वसना	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	5	
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	5	
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	112	
			शाकम्भरी योजना	36	
			केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	8	
		योग	166		
3	2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	महासमुंद	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	40	
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	24	
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	28	
			शाकम्भरी योजना	105	
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	2	
			केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	1	
योग	200				
4	2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	पिथौरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	28	
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	7	
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	61	
			शाकम्भरी योजना	64	
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	3	
योग	163				

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5
5	2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	सरायपाली	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	4
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	9
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - सिप्रंकलर	405
			शाकम्भरी योजना	157
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	4
			केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पौनेंट-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	5
योग				584
योग वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)				1673
महायोग				1933

(विकास सिक्रम)
उप सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन संख्या	निराकृत आवेदन की संख्या	लंबित आवेदन संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	2023-24 (दिनांक 01.01.2024 से 31.03.2024 तक)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	136	10	0	शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने व स्वीकृत नहीं होने पर स्वमेव निरस्त हो गये। पुनः आवेदन किये जाने पर शेष प्रकरणों का लक्ष्य उलब्धता के आधार पर निराकरण किये जायेंगे।
2		शाकम्भरी योजना	275	238	0	
3		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	57	0	0	
4		केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	2	2	0	1 प्रकरण में समय-सीमा में बैंक से ऋण स्वीकृति की कागजाती अपूर्ण होने के कारण वर्ष 2023-24 में आवेदन निरस्त
5		केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	2	1	0	
			योग	472	251	0
1	2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	1733	119	1614	शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने व स्वीकृत नहीं होने पर स्वमेव निरस्त हो गये। पुनः आवेदन किये जाने पर शेष प्रकरणों का लक्ष्य उलब्धता के आधार पर निराकरण किये जायेंगे।
2		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	282	53	229	
3		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - सिप्रकलर	1307	618	689	
4		शाकम्भरी योजना	519	402	117	
5		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	18	17	1	3 आवेदक द्वारा योजना का लाम लेने से इंकार
6		केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-4) फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	17	14	0	
7		केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पोनेंट-6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	3	0	3	
8		जैविक खेती मिशन योजना	450	450	0	
		योग	4329	1673	2653	
		महायोग	4805	1924	2661	

(विकास विधा)
उप सचिव

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परीशेष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 1653) की जानकारी

प्रपत्र- "अ"

क्रं.	जिला का नाम	बालक	कन्या	योग
1	2	3	4	5
1.	महासमुन्द	270	265	535
2.	गरियाबंद	2008	2060	4068
3.	बलौदाबाजार	18	21	39
4.	धमतरी	736	744	1480
5.	कबीरधाम	4986	4673	9659
6.	छुईखदान गंडई	356	340	696
7.	कोरबा	402	423	825
8.	रायगढ़	142	120	262
9.	मुंगेली	694	618	1312
10.	सक्ती	5	5	10
11.	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	325	319	644
12.	कांकेर	20	17	37
13.	कोण्डागांव	2	2	4
14.	सुकमा	3	6	9
15.	नारायणपुर	4650	2920	7570
16.	सरगुजा	1156	1097	2253
17.	सूरजपुर	2418	2241	4659
18.	जशपुर	1337	1057	2394
19.	बलरामपुर	1885	1852	3737
20.	कोरिया	129	109	238
21.	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी	1701	1682	3383
योग		23243	20571	43814

Seema
 अनुभाग अधिकारी
 आ.जा. तथा अनु.जा. वि. विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र- "ब"

(राशि रूपयों में)

क्रं.	जिले का नाम	कर्मचारी वेतन भत्ता		विद्यार्थियों पर व्यय (पोषण आहार/शिष्यवृत्ति)		कार्यालय व्यय		अतिरिक्त कोचिंग		रनिंग पेयजल/वाटर हार्वेस्टिंग/किचन गार्डन/खाना बनाने का संयंत्र/शैक्षणिक भ्रमण/सामग्री पूर्ति			साइंस ओलंपियाड NTSE, अन्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु पुस्तकालय			योग	
		23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25	23-24	24-25
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	बलरामपुर	1040000	7025000	780000	6124000	156000	700000	130000	195000	312000	1600000	182000	175000	2600000	15819000		
2	धमतरी	454500	2815824	606000	4050000	90900	500000	75750	97299	181800	1397672	106050	200000	1515000	9060795		
3	कबीरधाम	1729460	806256	2700000	2400000	450000	367660	125000	50000	800000	170479	175000	0	5979460	3794395		
4		1282520	685656	2370000	2640000	288000	399325	115000	0	576000	156654	161000	0	4792520	3881635		
5	गरियाबंद	480000	2210000	360000	3910000	72000	700000	60000	50000	144000	1400000	84000	600000	1200000	8870000		
6	मनेन्द्रगढ़ भरतपुर- धिरमिरी	477839	3079305	360000	1714500	72000	0	54000	0	143800	0	15400	0	1123039	4793805		
7	सरगुजा	645167	4375743	483878	3185337	96775	234714	80645	75000	193550	171888	112904	90793	1612919	8133475		
8	गोरेला- पण्ड्रा मरवाही	2093080	883455	1244940	1000000	297680	248990	0	0	240404	0	0	0	3876104	2132445		
9	जशपुर	2051900	866880	2100000	2400000	221063	126280	94200	0	349008	49800	135120	0	4951291	3442960		
10	नारायणपुर	600000	2029050	360000	1787830	71387	130570	58000	20600	143959	558342	84000	104233	1317346	4630625		
		10854466	24777169	11364818	29211667	1815805	3407539	792595	487899	3084521	5504835	1055474	1170026	28967679	64559135		

पॉरीशेष्ट - तिरपन

अतारीकेत प्रश्न संख्या 50 (क्र. 1660) की जानकारी

प्रपत्र

राजनांदगाव जिले में वर्ष 2021-22 में
ऑनलाईन पंजीकृत (प्राप्त आवेदन), लाभांवित कृषक एवं लंबित कृषक आवेदनों की विकासखण्डवार,
योजनावार जानकारी


क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम मुख्यालय को ऑनलाईन पंजीकृत (प्राप्त) आवेदन संख्या	लाभांवित कृषक संख्या	लंबित कृषक आवेदन संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अ.चौकी	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	4	1	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - चावल	1	1	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	27	18	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	204	140	0
		शाकम्भरी योजना	33	29	0
		योग	269	189	0
2	छुईखदान	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	92	29	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड)	1	1	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	3	2	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - चावल	1	1	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	95	51	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	803	718	0
		शाकम्भरी योजना	19	2	0
		योग	1014	804	0
3	छुरिया	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	49	5	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	6	3	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - चावल	1	1	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	60	50	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	167	126	0
		शाकम्भरी योजना	39	34	0
		योग	322	219	0
4	डोंगरगांव	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	46	3	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	1	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	48	30	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	131	107	0
		शाकम्भरी योजना	16	11	0
योग	242	151	0		
5	डोंगरगढ	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	116	12	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	4	0	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - चावल	1	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	72	50	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	873	763	0
		शाकम्भरी योजना	54	45	0
योग	1120	870	0		

विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम मुख्यालय को ऑनलाईन पंजीकृत (प्राप्त) आवेदन संख्या	लाभांवित कृषक संख्या	लंबित कृषक आवेदन संख्या	
1	2	3	4	5	6
6	खैरागढ़	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	146	45	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	5	3	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - चावल	8	5	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	144	82	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	978	850	0
		शाकम्भरी योजना	28	26	0
योग		1309	1011	0	
7	मानपुर	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	3	2	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	1	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	33	23	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	112	79	0
		शाकम्भरी योजना	10	9	0
योग		159	113	0	
8	मोहला	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	6	1	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	19	10	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	194	126	0
		शाकम्भरी योजना	16	13	0
योग		235	150	0	
9	राजनांदगांव	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	120	18	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	1	0	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - चावल	1	1	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	100	63	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	379	307	0
		शाकम्भरी योजना	21	16	0
योग		622	405	0	
महायोग		5292	3912	0	

टीप :- वर्ष 2021-22 में कुल 5292 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 3912 कृषकों को कृषि यंत्र/उपकरण प्राप्त हुए. शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने व कार्य अनुमोदन नहीं होने पर स्वमेव निरस्त हो गये।


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


अपर संचालक कृषि (अभियांत्रिकी)
एवं प्रमारी चैम्स प्रकोष्ठ
मुख्यालय-रायपुर

प्रपत्र


राजनांदगाव जिले में वर्ष 2022-23 में ऑनलाईन पंजीकृत (प्राप्त आवेदन), लाभांवित कृषक एवं लंबित कृषक आवेदनों की विकासखण्डवार, योजनावार जानकारी


क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम मुख्यालय को ऑनलाईन पंजीकृत (प्राप्त) आवेदन संख्या	लाभांवित कृषक संख्या	लंबित कृषक आवेदन संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अ.चौकी	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	9	2	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	45	33	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	241	136	0
		शाकम्भरी योजना	8	8	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	2	1	0
योग			305	180	0
2	छुईखदान	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	146	43	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	2	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	81	68	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	522	392	0
		शाकम्भरी योजना	7	7	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	11	8	0
योग			769	518	0
3	छुरिया	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	105	25	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	3	1	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	46	38	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	220	103	0
		शाकम्भरी योजना	24	23	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	5	5	0
योग			403	195	0
4	डोंगरगांव	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	57	16	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	1	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	28	22	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	168	107	0
		शाकम्भरी योजना	6	6	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	5	5	0
योग			265	156	0
5	डोंगरगढ	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	180	54	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	4	2	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - चावल	1	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	75	55	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	942	739	0
		शाकम्भरी योजना	16	15	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	5	3	0
योग			1223	868	0

J

क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम मुख्यालय को ऑनलाईन पंजीकृत (प्राप्त) आवेदन संख्या	लामावित कृषक संख्या	लंबित कृषक आवेदन संख्या
1	2	3	4	5	6
6	खैरागढ़	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	288	79	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	3	1	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - चावल	1	0	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	129	108	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	976	779	0
		शाकम्भरी योजना	7	7	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	18	12	0
योग			1422	986	0
7	मानपुर	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	4	1	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	21	13	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	244	206	0
		शाकम्भरी योजना	22	22	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	1	1	0
योग			292	243	0
8	मोहला	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	7	3	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - चावल	1	1	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	5	3	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	166	95	0
		शाकम्भरी योजना	18	18	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	3	3	0
योग			200	123	0
9	राजनांदगांव	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	139	45	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - दलहन	2	1	0
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - चावल	1	1	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	86	72	0
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	451	351	0
		शाकम्भरी योजना	8	8	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	12	8	0
योग			699	486	0
महायोग			5578	3755	0

टीप :- वर्ष 2022-23 में कुल 5578 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 3755 कृषकों को कृषि यंत्र/उपकरण प्राप्त हुए, शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने व कार्य अनुमोदन नहीं होने पर स्वमेव निरस्त हो गये।


(विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर



 अपर संचालक कृषि (अभियांत्रिकी)
 एवं प्रमारी चैम्पस प्रकोष्ठ
 मुख्यालय-रायपुर

प्रपत्र


राजनांदगाव जिले में वर्ष 2023-24 में
ऑनलाइन पंजीकृत (प्राप्त आवेदन), लाभांवित कृषक एवं लंबित कृषक आवेदनों की विकासखण्डवार,
योजनावार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम मुख्यालय को ऑनलाइन पंजीकृत (प्राप्त) आवेदन संख्या	लाभांवित कृषक संख्या	लंबित कृषक आवेदन संख्या
1	2	3	4	5	6
1	छुरिया	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	189	30	0
		शाकम्भरी योजना	103	100	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	25	1	0
		योग	317	131	0
2	डोंगरगांव	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	94	14	0
		शाकम्भरी योजना	7	5	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	9	1	0
		योग	110	20	0
3	डोंगरगढ	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	369	51	0
		शाकम्भरी योजना	69	67	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	23	6	0
		योग	461	124	0
4	राजनांदगांव	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	428	36	0
		शाकम्भरी योजना	11	8	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	40	7	0
		योग	479	51	0
महायोग			1367	326	0

टीप :- वर्ष 2023-24 में कुल 1367 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 326 कृषकों को कृषि यंत्र/उपकरण प्राप्त हुए. शेष प्रकरण कृषक अंश राशि जमा न होने व कार्य अनुमोदन नहीं होने पर स्वमेव निरस्त हो गये।


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

उत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


अपर संचालक कृषि (अभियांत्रिकी)
एवं प्रभारी चैम्स प्रकोष्ठ
मुख्यालय-रायपुर

प्रपत्र


राजनांदगांव जिले में वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) में ऑनलाईन पंजीकृत (प्राप्त आवेदन), लामावित कृषक एवं लंबित कृषक आवेदनों की विकासखण्डवार, योजनावार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	बीज निगम मुख्यालय को ऑनलाईन पंजीकृत (प्राप्त) आवेदन संख्या	लामावित कृषक संख्या	लंबित कृषक आवेदन संख्या
1	2	3	4	5	6
1	छुरिया	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	193	9	184
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	60	27	33
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	134	58	76
		शाकम्भरी योजना	97	89	8
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	5	5	0
योग			489	188	301
2	डोंगरगांव	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	114	4	110
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	26	5	21
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	133	33	100
		शाकम्भरी योजना	2	2	0
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	7	6	1
योग			282	50	232
3	डोंगरगढ़	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	243	18	225
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	50	15	35
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	896	284	612
		शाकम्भरी योजना	17	15	2
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	16	11	5
योग			1222	343	879
4	राजनांदगांव	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	221	18	203
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	49	8	41
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	712	221	491
		शाकम्भरी योजना	1	0	1
		राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	15	13	2
योग			998	260	738
महायोग			2991	841	2150

टीप - वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक) में कुल 2991 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 841 कृषकों को कृषि यंत्र/उपकरण प्राप्त हुए, शेष 2150 प्रकरण प्रक्रियाधीन है।


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
संभालय, नवा रायपुर, अटल नगर


अपर संचालक कृषि (अभियांत्रिकी)
एवं प्रमारी चैम्स प्रकोष्ठ
मुख्यालय-रायपुर

परोशेष्ट - चोवन

अताराकेत प्रश्न संख्या 51 (क्र. 1661) की जानकारी

प्रपत्र

अवधि	योजनाओं के नाम, जिनसे व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारक लाभान्वित हुए हैं	विकासखण्ड का नाम	योजनाओं से लाभान्वित वन अधिकार पत्रधारक हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4
जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक	—निरंक—		
अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक	आधार पंजीकरण एवं अद्यतन	छुरिया	60
	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना		1
	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना		1
	घरेलू कामगार सायकल, छतरी, चप्पल, जूता सहायता योजना		2
	ठेका श्रमिक घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना		1
	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना		3
	मुख्यमंत्री नौनीहाल छात्रवृत्ति योजना		1
	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड हेतु पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या		48
	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान वय वंदना कार्ड हेतु पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या		5
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना		2
	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत जारी राशन कार्ड		54
	आधार पंजीकरण एवं अद्यतन		45
	मिनीमाता महतारी जतन योजना		1
	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना		3
	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक हेतु सहायता राशि योजना	2	
	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	1	
	मिनीमाता कन्या विवाह योजना	1	
	मुख्यमंत्री नौनीहाल छात्रवृत्ति योजना	4	
	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड हेतु पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या	89	
	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड हेतु पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या	0	
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	0	
	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत जारी राशन कार्ड	5	
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	11	
	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत जारी राशन कार्ड	91	
	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान वय वंदना कार्ड हेतु पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या	6	
	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड हेतु पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या	0	
अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025 तक	—निरंक—		



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

पौरेशिष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 1664) की जानकारी

प्रपत्र - अ

विधानसभावार	वर्ष				प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	लंबित आवेदन
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (31 जनवरी, 2025 तक)			
राजनांदगांव	10094	12164	11033	9348	42639	निराकृत	निरंक
डोगरगढ	1989	2387	2156	1936	8468	निराकृत	निरंक
खुज्जी	2038	2245	2171	1796	8250	निराकृत	निरंक
डोगरगांव	1112	1063	890	779	3844	निराकृत	निरंक
योग :-	15233	17859	16250	13859	63201	निराकृत	निरंक

विधानसभावार	वर्ष				प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	लंबित आवेदन
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (31 जनवरी, 2025 तक)			
मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी	396	509	594	326	1825	निराकृत	निरंक

प्रपत्र – ब

विधानसभावार	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	लंबित आवेदन	लंबित होने का कारण
राजनांदगांव	1	1	0	0
डोंगरगढ़	0	0	0	0
डोंगरगांव	0	0	0	0
खुज्जी	0	0	0	0
विधानसभावार	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	लंबित आवेदन	लंबित होने का कारण
मोहला—मानपुर – अंबागढ. चौकी	2	2	0	0

परोशिए - छप्पन

अतारोकेत प्रश्न संख्या 55 (क्र. 1677) की जानकारी

प्रपत्र-

क्र.	वर्ष	योजना/घटक का नाम	यंत्र/उपकरण का नाम	प्रदायित यंत्रों/उपकरणों की संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	देय अनुदान राशि (रु. लाख में)	फर्म/प्रदायक संस्था को भुगतान की गई अनुदान राशि/की जानकारी		फर्म/प्रदायक संस्था को भुगतान हेतु लक्षित अनुदान राशि की जानकारी		रिमांक
							कृषि यंत्र संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)	कृषि यंत्र संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)	
1	2020-21 (दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कल्टीवेटर	23	23	3.24	23	3.24	0	0.00	13
			मिनी साईस मिल	2	2	0.79	2	0.79	0	0.00	
			मल्वर	1	1	0.54	1	0.54	0	0.00	
			पॉवर टिलर	1	1	0.85	1	0.85	0	0.00	
			रोटावेटर	4	4	1.76	4	1.76	0	0.00	
			शेसर	4	4	3.87	4	3.87	0	0.00	
			ट्रैक्टर	11	11	41.29	11	41.29	0	0.00	
			सायकिल व्हील हो	60	60	0.45	60	0.45	0	0.00	
			ट्रैक्टर	4	4		4		0		
			कल्टीवेटर	4	4		4		0		
			रोटावेटर	1	1		1		0		
		कंजक्वील	2	2	22.00	2	22.00	0	0.00		
		सीड ड्रिल	4	4		4		0			
		स्प्रेयर	4	4		4		0			
		शेसर	4	4		4		0			
		हार्बेस्टर किट	1	1		1		0			
			130	110	74.79	130	74.79	0	0		
		योग 2020-21 (दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2021 तक)									

क्र.	वर्ष	योजना/घटक का नाम	यंत्र/उपकरण का नाम	प्रदायित यंत्रों/उपकरणों की संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	देय अनुदान राशि (रु. लाख में)	फर्म/प्रदायक संस्था को भुगतान की गई अनुदान राशि की जानकारी			फर्म/प्रदायक संस्था को भुगतान हेतु लक्षित अनुदान राशि की जानकारी			रिमार्क
							कृषि यंत्र संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)	जानकारी	कृषि यंत्र संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)	जानकारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	2021-22	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	क्रेज व्हील	2	2	0.10	2	2	0.10	0	0.00		
			कल्टीवेटर	4	4	0.58	4	4	0.58	0	0.00		
			लेवलर	1	1	0.11	1	1	0.11	0	0.00		
			मिनी रॉईस मिल	10	10	3.94	10	10	3.94	0	0.00		
			पॉवर टिलर	4	4	3.40	4	4	3.40	0	0.00		
			रोटावेटर	11	11	4.56	11	11	4.56	0	0.00		
			स्व-चलित राईस ट्रांसप्लांटर	1	1	1.33	1	1	1.33	0	0.00		
			शेसर	21	21	20.78	21	21	20.78	0	0.00		
			ट्रेक्टर	25	25	91.99	25	25	91.99	0	0.00		
			सायकिल व्हील हो	100	100	0.75	100	100	0.75	0	0.00		
			ट्रेक्टर	18	18		18	18		0	0.00		
			कल्टीवेटर	12	12		12	12		0	0.00		
			रोटावेटर	3	3		3	3		0	0.00		
			केजव्हील	4	4		4	4		0	0.00		
			सीड ड्रिल	13	13	84.00	13	13	84.00	0	0.00		
स्पेयर	11	11		11	11		0	0.00					
सिंचाई पंप	1	1		1	1		0	0.00					
शेसर	8	8		8	8		0	0.00					
हार्पेटर किट	5	5		5	5		0	0.00					
		योग 2021-22		254	191	211.54	254	211.54	0	0	0		

क्र.	वर्ष	योजना/घटक का नाम	यंत्र/उपकरण का नाम	प्रदायित यंत्रों/उपकरणों की संख्या	लागवित कृषक संख्या	देय अनुदान राशि (रु. लाख में)	फर्म/प्रदायक संस्था को भुगतान की गई अनुदान राशि की जानकारी			फर्म/प्रदायक संस्था को भुगतान हेतु लंबित अनुदान राशि की जानकारी			रिमार्क
							कृषि यंत्र संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)	जानकारी	कृषि यंत्र संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)	जानकारी	
3	2022-23	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर	17	17	184.80	17	184.80	0	0.00	0	0.00	13
			हैरो	2	2	0.80	2	0.80	0	0.00	0	0.00	
			मिनी राईस मिल	49	49	23.64	49	23.64	0	0.00	0	0.00	
			पॉवर टिलर	1	1	0.85	1	0.85	0	0.00	0	0.00	
			रोटावेटर	2	2	0.90	2	0.90	0	0.00	0	0.00	
			स्व-चालित रीपर	3	3	2.12	3	2.12	0	0.00	0	0.00	
			शेसर	17	17	16.47	17	16.47	0	0.00	0	0.00	
			ट्रैक्टर	68	68	271.36	68	271.36	0	0.00	0	0.00	
			ट्रैक्टर	24	24		24		0		0		
			कल्टीवेटर	20	20		20		0		0		
			रोटावेटर	1	1		1		0		0		
			केजाब्लील	3	3		3		0		0		
			सीड ड्रिल	20	20	108.00	20	108.00	0	0.00	0	0.00	
सोयर	20	20		20		0		0					
शेसर	16	16		16		0		0					
हार्वेस्टर फिट	4	4		4		0		0					
योग 2022-23				267	179	608.94	267	608.94	0	0	0	0	
4	2023-24	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर	24	24	264.00	24	264.00	0	0.00	0	0.00	
			हैरो	2	2	0.72	2	0.72	0	0.00	0	0.00	
			मिनी वाल मिल	2	2	2.34	2	2.34	0	0.00	0	0.00	
			मिनी राईस मिल	21	21	10.09	21	10.09	0	0.00	0	0.00	
			ऑयल मिल	2	2	2.28	2	2.28	0	0.00	0	0.00	
			पॉवर टिलर	2	2	1.70	2	1.70	0	0.00	0	0.00	
			पॉवर बीडर	11	11	4.07	11	4.07	0	0.00	0	0.00	
			स्व-चालित राईस	3	3	14.49	3	14.49	0	0.00	0	0.00	
			स्व-चालित रीपर	8	8	5.90	8	5.90	0	0.00	0	0.00	
			शेसर	4	4	4.00	4	4.00	0	0.00	0	0.00	
ट्रैक्टर	66	66	276.35	66	276.35	66	276.35	0	0.00	0	0.00		

क्र.	वर्ष	योजना/घटक का नाम	यंत्र/उपकरण का नाम	प्रदायित यंत्रों/उपकरणों की संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	देय अनुदान राशि (रु. लाख में)	फर्म/प्रदायक संस्था को भुगतान की गई अनुदान राशि की जानकारी		फर्म/प्रदायक संस्था को भुगतान हेतु लक्षित अनुदान राशि की जानकारी		रिमार्क				
							कृषि यंत्र संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)	कृषि यंत्र संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	2023-24	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4 एवं 6) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	ट्रेक्टर	8				8		0					
			कल्टीवेटर	1				1		0					
			एम.बी. प्लाऊ	5				5		0					
			सीड ड्रिल	6		6	36.00	6		36.00	0		0.00		
			स्प्रेयर	6		6			6		0				
			रीपर	1		1			1		0				
			शेसर	4		4			4		0				
			हार्वैस्टर किट	2		2			2		0				
			योग 2023-24			178	151	621.94	178	621.94	0	0			
			5	2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्पाईन हार्वैस्टर	5	5	55.00	5	55.00	0	0.00		
हैरो	6	6				2.32	3	1.20	3	1.12					
मिनी राईस मिल	1	1				1.67	1	1.67	0	0.00					
पॉवर वीडर	30	30				11.10	26	9.62	4	1.48					
रोटावेटर	15	15				6.62	5	2.15	10	4.47					
स्व-चालित राईस ट्रांसप्लांटर	2	2				6.40	1	1.40	1	5.00					
शेडर	1	1				0.74	1	0.74	0	0.00					
स्व-चालित रीपर	3	3				2.21	3	2.21	0	0.00					
शेसर	19	19				18.98	16	15.98	3	3.00					
ट्रेक्टर	23	23				107.27	21	98.04	2	9.23					

क्र.	वर्ष	योजना/घटक का नाम	यंत्र/उपकरण का नाम	प्रदायित यंत्रों/उपकरणों की संख्या	लामांजित कृषक संख्या	देय अनुदान राशि (रु. लाख में)	फर्म/प्रदायक संस्था को भुगतान की गई अनुदान राशि की जानकारी		फर्म/प्रदायक संस्था को भुगतान हेतु लोडित अनुदान राशि की जानकारी		रिमांक				
							कृषि यंत्र संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)	कृषि यंत्र संख्या	अनुदान राशि (रु. लाख में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
5	2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक-4 एवं 6) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	ट्रेक्टर	17				8			9		आबंटन प्राप्ति उपरान्त वित्तीय वर्ष के अंत अनुदान राशि का भुगतान किया जाना है।		
			कल्टीवेटर	10				6			4				
			एम.बी. प्लाऊ	3				0			3				
			रोटावेटर	1				0			1				
			लेजर लेवलर	1				1			0				
			सीड ड्रिल	13	13	86.00	40.00	7			7			46.00	
			स्प्रेयर	13				6			6			7	
			रीपर	10				6			6			7	
			शेसर	10				5			5			5	
			हार्वैस्टर किट	2				5			5			5	
			कम्पाईन हार्वैस्टर	1				1			1			1	
							186	118	298.31	120	228.01	66		70.30	
			योग 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)		महायोग		1015	749	1815.52	949	1745.22	66		70.30	

(विमल मिश्रा)
सम सचिव
उत्तरीसख्त शासन
कृषि विभाग एवं किसान कल्याण
सहायता एवं शैक्षणिक विभाग
संरचनात्मक विकास विभाग

(विमल मिश्रा)
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

परीशेष्ट - सनतावन

अतारोकेत प्रश्न संख्या 56 (क्र. 1679) को जानकारी

प्रपत्र -अ

जिला बिलासपुर में एकल खिडकी प्रणाली अंतर्गत दिसम्बर 2023 से 31 जनवरी 2025 तक प्राप्त लंबित आवेदनों का विवरण

क्र.	आवेदन क्रमांक एवं दिनांक	संस्था का नाम	मौजा	तहसील
1	2	3	4	5
1	CGAWAAS/2023/00151 Date 20-12-2023	S. R. SAHU	KHAMTARAI	BILASPUR
2	CGAWAAS/2024/00006 Date 28-03-2024	MANS BUILDCON INDIA PVT. LTD.	PANDHI	SIPAT
3	CGAWAAS/2024/00038 Date 29-03-2024	DHEERAA ENTERPRISES	SAKARI	SAKARI
4	CGAWAAS/2024/00043 Date 07-04-2024	SRISHTIS JAGGERY AND INFRA PVT LTD	BODARI	BODARI
5	CGAWAAS/2024/00026 Date 26-02-2024	GEETANJALI CONSTRUCTIONS	KHAMTARAI	BILASPUR
6	CGAWAAS/2024/00063 Date 21-05-2024	GEETANJALI INFRA AND ENGINEERING SERVICES	KHAMTARAI	BILASPUR
7	CGAWAAS/2024/00086 Date 15-07-2024	BDA GROUP	KHAMTARAI	BILASPUR
8	CGAWAAS/2024/00084 DATE 11-07-2024	VRINDAVAN RIYALITI	BODARI	BODARI
9	CGAWAAS/2024/00085 DATE 11-07-2024	VRINDAVAN RIYALITI	PARSADA	BILASPUR
10	CGAWAAS/2024/00097 DATE 03-09-2024	MANISH KUMAR SINI	LAGARA	BILASPUR
11	CGAWAAS/2024/00113 DATE 01-10-2024	VAIBHAV ASSOCIATES	LAGARA	BILASPUR
12	CGAWAAS/2024/00110 Date 23-09-2024	BAHORAN LAL SAHU	KHAMTARAI	BILASPUR
13	CGAWAAS/2024/00139 Date 21-11-2024	HAUSMAN REALTY PARTNER MR SUMIT DUBEY	BILHA	BILHA
14	CGAWAAS/2024/00134 Date 13-11-2024	MR VIKAS KUMAR TIWARI S/O RAJKUMAR TIWARI	KHAMTARAI	BILASPUR
15	CGAWAAS/2024/00133 Date 13-11-2024	M/S ASA ESTATES	KHAMTARAI	BILASPUR
16	CGAWAAS/2024/00144 Date 10-12-2024	MS AMITA DEVELOPERS	BODRI MAN 1	BODRI
17	CGAWAAS/2024/00146 Date 10-12-2024	MS MAA GAYTRI CONSTRUCTION COMPANY	MANGALA	BILASPUR
18	CGAWAAS/2024/00128 Date 09-11-2024	AASMA BUILDERS AND COLONISERS LIMITED	SAKARI MAN 4	SAKARI
19	CGAWAAS/2025/00002 Date 03-01-2025	MS KS DEVELOPERS	RANISAGAR	KOTA
20	CGAWAAS/2024/00138 Date 20-11-2024	SANTRAM SAHU	KHAMTARAI	BILASPUR

5/3/25
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

समय-सीमा पश्चात लंबित आवेदनों का विवरण									
S. N.	APPLICATION NUMBER/ DATE	APPLICANT NAME	Task Name	User	Received Date	Process ed Date	Action Details	लंबित विभाग का नाम	लंबित का कारण
1	CGAWAAS/ 2023/00151 Date 20-12-2023	S. R. Sahu	EWS Report- Urban	SURESH Town Planner KUMAR SHARMA	23/01/2024	NA	Under Processing	नगर निगम बिलासपुर	आवेदक द्वारा छोड़ी गई ई.डब्ल्यू.एस. भूमि पर कोटवारी भूमि होने के कारण एवं कालोनी में पहुंच मार्ग की आपत्ति होने के कारण।
			NOC Application to Nagar Nigam	SURESH Town Planner KUMAR SHARMA	15/01/2024	NA	Under Processing		
2	CGAWAAS/ 2024/00006 Date 28-03-2024	mans buildcon india Pvt. Ltd.	EWS Verification- Rural	Pravesh Paikra	04-04-2024	NA	Under Processing	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी के पास अनापत्ति हेतु लंबित
3	CGAWAAS/ 2024/00038 Date 29-03-2024	DHEERAA ENTERPRISES	Provisional Colony Development Approval- Urban	SURESH Town Planner SHARMA	21/02/2025	NA	Waiting to be Pulled	नगर निगम बिलासपुर	नगर निगम बिलासपुर में अंतरिम कालोनी विकास अनुमति हेतु लंबित
4	CGAWAAS/ 2024/00043 Date 07-04-2024	SRISHTIS JAGGERY AND INFRA PVT LTD	Ashray Shulk and Challan Uploading EWS-Urban	Citizen	17/01/2025	NA	NA	आवेदक	आवेदक द्वारा शुल्क जमा नहीं किये जाने के कारण
			Payment Challan and Agreement Uploading- Development Permission - Urban	Citizen	17/01/2025	NA	NA	आवेदक	
			Payment and Challan Uploading - Diversion- Urban	Citizen	30/07/2024	NA	NA	आवेदक	
5	CGAWAAS/ 2024/00026 Date 26-02-2024	Geetanjali Constructions	Applicant Called for EWS Site Visit- Urban	SURESH Town Planner KUMAR SHARMA	06-12-2024	NA	Under Processing	नगर निगम बिलासपुर	आवेदक द्वारा छोड़ी गई ई.डब्ल्यू.एस. भूमि पर कोटवारी भूमि होने के कारण एवं कालोनी में पहुंच मार्ग की आपत्ति होने के कारण।
6	CGAWAAS/ 2024/00063 Date 21-05-2024	Geetanjali Infra And Engineering Services	Applicant Called for EWS Site Visit- Urban	SURESH Town Planner SHARMA	06-12-2024	NA	Waiting to be Pulled	नगर निगम बिलासपुर	आवेदक द्वारा छोड़ी गई ई.डब्ल्यू.एस. भूमि पर कोटवारी भूमि होने के कारण एवं कालोनी में पहुंच मार्ग की आपत्ति होने के कारण।
7	CGAWAAS/ 2024/00086 Date 15-07-2024	BDA GROUP	Payment and Challan Uploading - Diversion- Urban	Citizen	21/02/2025	NA	NA	आवेदक	आवेदक द्वारा शुल्क जमा नहीं किये जाने के कारण

			Ashray Shulk and Challan Uploading EWS-Urban	Citizen	12-05-2024	NA	NA	आवेदक	
			Provisional Development Permission-Urban	SURESH Town Planner KUMAR SHARMA	26/11/2024	NA	Under Processing	नगर निगम बिलासपुर	कालोनी में पहुंच मार्ग के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आपत्ति होने के कारण
8	CGAWAAS/2024/00084 DATE 11-07-2024	VRINDAVAN RIYALITI	Ashray Shulk and Challan Uploading EWS-Urban	Citizen	13/12/2024	NA	NA	आवेदक	आवेदक द्वारा शुल्क जमा नहीं किये जाने के कारण
			Payment Challan and Agreement Uploading-Development Permission - Urban	Citizen	13/12/2024	NA	NA	आवेदक	
			Diversion of Land-Urban	SDM Bilha Bajrang Verma	28/11/2024	NA	Waiting to be Pulled	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिल्हा	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिल्हा के पास भूमि के व्यपवर्तन हेतु
9	CGAWAAS/2024/00085 DATE 11-07-2024	VRINDAVAN RIYALITI	Payment and Challan Uploading - Diversion-Urban	Citizen	21/02/2025	NA	NA	आवेदक के पास लंबित	आवेदक द्वारा शुल्क जमा नहीं किये जाने के कारण
			Payment Challan and Agreement Uploading-Development Permission - Urban	Citizen	18/01/2025	NA	NA	आवेदक	
			Ashray Shulk and Challan Uploading EWS-Urban	Citizen	12-05-2024	NA	NA	आवेदक	
10	CGAWAAS/2024/00097 DATE 03-09-2024	Manish kumar Sini	Field Visit and NOC Submission-Revnuue	SDM Bilaspur	21/02/2025	NA	Waiting to be Pulled	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर	प्रक्रियाधीन
			Applicant Called for EWS Site Visit-Rural	SDM Bilaspur	21/02/2025	NA	Under Processing	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर	प्रक्रियाधीन
11	CGAWAAS/2024/00113 DATE 01-10-2024	Vaibhav Associates	Applicant Called for EWS Site Visit-Rural	SDM Bilaspur	21/02/2025	NA	Waiting to be Pulled	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर	प्रक्रियाधीन
12	CGAWAAS/2024/00110 Date 23-09-2024	BAHORAN LAL SAHU	Payment and Challan Uploading - Diversion-Urban	Citizen	21/02/2025	NA	NA	आवेदक	आवेदक द्वारा शुल्क जमा नहीं किये जाने के कारण
			Payment Challan and Agreement Uploading-Development Permission - Urban	Citizen	18/01/2025	NA	NA	आवेदक	
			Ashray Shulk and Challan Uploading EWS-Urban	Citizen	12-05-2024	NA	NA	आवेदक	


पारिशेष्य - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 1681) की जानकारी

प्रपत्र

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषक सूचना सलाह केन्द्र भवन की जानकारी।

क्र.	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का नाम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय ग्राम का नाम	कृषक सूचना सलाह केन्द्र भवन निर्मित/भवन विहीन
1	2	3	4
1	श्री भुपेन्द्र चन्द्राकर	कचांदूर	निर्मित
2	श्री सुनिल साहू	सिकोसा	निर्मित
3	श्री तिलकराम साहू	खुटेरी रंग	निर्मित
4	श्री संदीप बंधोर	पिरीद	निर्मित
5	श्री अनिल देवदास	कोड़ेवा	निर्मित
6	श्री दीपक ठाकुर	कांदूल	भवन विहीन
7	श्री रवि वर्मा	ओडरसकरी	भवन विहीन
8	श्री विनोद साहू	भांठागांव बी.	भवन विहीन
9	श्री गुरुवेन्द्र डहरे	माहुद बी.	भवन विहीन
10	श्री पंकज दिल्लीवार	भांठागांव आर.	भवन विहीन
11	सुश्री पूजा पटेल	अचौद	भवन विहीन
12	श्री किंशुक चन्द्राकर	कसाँदा	भवन विहीन
13	सुश्री दिप्ती साहू	तवेरा	भवन विहीन
14	सुश्री प्रियंका	कलंगपुर	भवन विहीन
15	श्री विजय दिल्लीवार	अर्जुंदा	भवन विहीन
16	श्री राहुल गौतम	चंदनबिरही	भवन विहीन
17	श्री संतोष देवांगन	मोहंदापाट	भवन विहीन
18	श्री खुशवंत सिंह मरकाम	भरदाकला	भवन विहीन
19	श्री किशोर केलकर	भिलाई	भवन विहीन
20	श्री पंकज कुलदीप	सिरी	भवन विहीन


(विकास मिश्रा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पॉरीशेष्ट - उन्सठ
अतारॉकेत प्रश्न संख्या 60 (क. 1723) की जानकारी

प्रपत्र

क.	जिला	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या			लंबित प्रकरणों की संख्या			पुनर्विचार के प्राप्त आवेदनो की संख्या		
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग	व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग	व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कांकेर	29067	6664	35731	0	0	0	0	0	0
2	बस्तर	35139	6209	41348	0	0	0	0	0	0
3	नारायणपुर	5059	829	5888	0	7	7	0	0	0
4	दंतेवाड़ा	10157	1186	11343	0	0	0	0	0	0
5	बीजापुर	11861	2831	14692	118	0	118	0	0	0
6	सुकमा	15409	484	15893	0	0	0	0	0	0
7	कोण्डागांव	59612	4545	64157	0	0	0	4491	1171	5662
	योग	166304	22748	189052	118	7	125	4491	1171	5662

(Handwritten Signature)

अनुभाष अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर